खण्ड-266, अंक-6
शुक्रवार, 16 वैशाख, शक संवत् 1888
(6 मई, 1966 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 266 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६६

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

LEGISLATIVE LIBRARY
UTTAR PRADESH

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, ६ मई, १९६६

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३४७

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुरहमान, श्री
अब्दुलसमी, श्री
अब्दुल हबीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्याणचन्द्र मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा बेगम, श्रीमती
कुमार करुणा कृष्ण नायर, श्री
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशी लाल चौधरी, श्री
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री

गिरधारी लाल, श्री (बिजनौर)
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम यादव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबली सिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चुन्नीलाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीश प्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पाण्डेय, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम शर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, आचार्य
जुगलकिशोर, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपन सिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्तमिश्र, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराजसिंह, श्री
दौलतराम, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
धर्मदत्तवैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
बंकटसिंह, श्री (टून्नू सिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री

बब्बर्नासिह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवान्सिंह, श्री
बलबीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
विपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बेजनाथसिंह वैद्य, श्री
बेंजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महादेव, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधवप्रसाद त्रिपाठी, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह सिशोदिया, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुबीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामआधार कनौजिया, श्री
रामआधीनसिंह, श्री
रामआनन्त पांडेय, श्री
रामआवध, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री

रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामचरण शाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (एटा)
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपाल सिंह, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिवनार्थसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीरकुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूरजलाल गुप्त वकील, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री

हमीद खाँ, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथतिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—वित्त मंत्री श्री कैलाश प्रकाश, राजस्व मंत्री श्री हुकुम सिंह चिसेन, तथा शिक्षा उपमंत्री डा० राम नारायण पाण्डेय भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

शुक्रवार, ६ मई, १९६६

माधवगंज टाउन एरिया चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव

**१—श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि २५ जनवरी, १९६६ को माधवगंज, जिला (हरदोई) के चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव स्वीकृत हो गया? यदि हां, तो उनसे चार्ज आज तक क्यों नहीं लिया गया?

वन मंत्री (श्री चरण सिंह)—

जी हां। अविश्वास का प्रस्ताव पास हो गया था और चार्ज भी ले लिया गया है।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

* * *

नौगढ़—मधुपुर सड़क का वन विभाग में स्थानान्तरण

*९—श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नौगढ़ से मधुपुर रोड, तहसील चकिया, जिला वाराणसी का ट्रान्सफर वन विभाग को क्यों और कब किया गया जब कि उस क्षेत्र में इसके अलावा और कोई सड़क नहीं है?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री जगन प्रसाद रावत)—

प्रश्नगत सड़क बनारस राज्य की कच्ची सड़क थी जो राज्य के विलीनीकरण के उपरान्त सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत आई। वन विभाग के आग्रह पर कि जो सड़कें बन में से होकर जाती हैं उनको दे दी जायें। यह सड़क कुछ अन्य सड़कों के साथ १-४-५९ से वन विभाग को हस्तान्तरित कर दी गई है।

*१०—श्री ऊदल—

क्या मंत्री जी को मालूम है कि नौगढ़ में सीकड़ (लोहे) की लगा कर तथा मधुपुर में भी बैरियर लगा कर वन विभाग ने सड़क को रोक रक्खा है ? यदि हां, तो पुनः इस सड़क को पी० डब्लू० डी० में सरकार ले लेगी ?

श्री जगन प्रसाद रावत—

प्रथम भाग—इस समय नौगढ़ या मधुपुर में कोई बैरियर नहीं है। एक बैरियर जैमोहनी पोस्ट पर है जो वन उपज की अवैध निकासी पर प्रतिबन्ध हेतु लगाया गया है। जन साधारण के आवागमन में कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

दूसरा भाग—जी नहीं। कच्चो सड़कों का रखरखाव साधारणतया सार्वजनिक निर्माण-विभाग नहीं करता है।

श्री ऊदल—

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि इस सड़क को सार्वजनिक निर्माण विभाग ने वन विभाग के आग्रह पर उनको दे दिया। इसके अलावा और कोई दूसरी सड़क मिर्जापुर को जोड़ने के लिये उस क्षेत्र में नहीं है ?

श्री जगन प्रसाद रावत—

इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री ऊदल—

क्या माननीय मंत्री मेरी इस सूचना को सही मान कर कि मैंने इस बात को स्वयं देखा कि मिर्जापुर से दुद्धी आदि को जोड़ने के लिये कोई सड़क नहीं है, सरकार इस को पुनः लेने की कृपा करेगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

अभी तो कोई लेने का विचार नहीं है।

श्री ऊदल—

क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार की कोई इस तरह की नीति है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग की कितनी सड़कें वन विभाग को दे दी जावेंगी ?

श्री जगन प्रसाद रावत—

यह तो सुविधा पर निर्भर करता है।

बाघे नदी के पुल को पथकर से मुक्त करना

*१५—श्री मतोला सिंह (जिला बांदा) (अनुपस्थित)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बांदा की पक्की सड़क बांदा-कर्वी के मध्य बदौसं में बाघे नदी का पक्का पुल बन चुका है उस पर आवागमन में टैक्स लिया जाता है उसे सरकार कब तक टैक्स से मुक्त करने का विचार कर रही है ?

श्री जगन प्रसाद रावत—

इस पुल को २६ मार्च, १९६६ से पथकर से मुक्त करने के आदेश जारी किये जा चुके हैं।

बिजनौर–नगीना सड़क पर छोइया नदी का पुल टूट जाना

*१६—कुंवर सत्यवीर (जिला बिजनौर)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि बिजनौर-नगीना सड़क जो कि जिला बिजनौर का एक मुख्य राज्य-पथ है उसके छठें मील पर छोइया नदी का पुल लगभग दो वर्षों से टूटा पड़ा है जिससे यातायात विशेषकर वर्षा ऋतु में बन्द होने की आशंका बनी रहती है उसके पुनः निर्माण के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री जगन प्रसाद रावत—

जी हां। कथित पुल जुलाई, १९६४ में वर्षा से टूट गया था। इसके पुनर्निर्माण के लिये शासन ने २.५० लाख ० जुलाई, १९६५ में स्वीकृत किया था, परन्तु पुल के सर्वेक्षण के बाद यह मालूम हुआ कि पुल तथा उसकी एप्रोच सड़कों के निर्माण की लागत ५.५० लाख होगी। इस बढ़ी हुई धनराशि का प्रबन्ध हो जाने के बाद निर्माण-कार्य आरम्भ किया जायगा।

*१७—कुंवर सत्यवीर—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त पुल के पुनः निर्माण पर कितना व्यय होगा और जो वर्तमान अस्थायी व्यवस्था की गयी है उस पर आरम्भ से अब तक कितना व्यय हुआ है?

श्री जगन प्रसाद रावत—

पुल के पुनः निर्माण तथा इसके एप्रोच सड़कों के निर्माण पर ५.१० लाख रु० व्यय होने का अनुमान है। वर्तमान अस्थायी व्यवस्था पर मार्च, १९६६ तक २४,००० रु० व्यय होने का अनुमान है।

*१८—कुंवर सत्यवीर—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस महत्वपूर्ण पुल के पुनः निर्माण के कार्य की पूर्ति में अभी कितना और समय लगेगा?

श्री जगन प्रसाद रावत—

धन का प्रबन्ध हो जाने के बाद ही वह बताना सम्भव होगा कि पुल के पुनः निर्माण में कितना समय लगेगा।

कुंवर सत्यवीर—

क्या माननीय मंत्री को पता है कि जिस पुल पर दस हजार रुपये से ही काम हो सकता था उस पुल पर अढ़ाई लाख रुपये क्यों खर्च किया जा रहा है?

श्री जगन प्रसाद रावत—

पहले रफ एस्टीमेट मांगा गया था। डिटेल्ड सर्वे के बाद सही आंकड़े आये और रुपया उन्हीं के अनुसार दिया जायगा।

श्री ऊदल—

क्या यह पुल आने वाली बरसात के पहले बन जायगा?

श्री जगन प्रसाद रावत—

अभी तो उसकी स्वीकृति भी नहीं हुई है। यह ठीक नहीं बताया जा सकता कि कब तक बन जायगा।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

पुल के बनने का शुरू में क्या एस्टीमेट था और टूटने के बाद का क्या है और क्या प्रगति हुई है?

श्री जगनप्रसाद रावत—

यही पाया गया कि इस पुल को दोबारा ही बनाना होगा। वित्त विभाग को और योजना विभाग को लिखा जा रहा है कि हमको ५ लाख १० हजार रुपया मिल जाय। रुपया मिलने पर पुल बनेगा।

श्री ब्रह्मदत्त भायर (जिला सहारनपुर)—

क्या २ वर्ष पहले सरकार के अधिकारियों ने पुल के टूटने की सूचना सरकार को दी?

श्री जगन प्रसाद रावत—

मुझे जानकारी नहीं है।

श्री केशरी प्रसाद पांडेय—

इंजीनियर लोग पहले कम एस्टीमेट देते हैं जो बाद में बहुत बढ़ जाया करते हैं। मंत्री जी इस पर कोई रोकथाम करने पर विचार करेंगे?

श्री जगन प्रसाद रावत—

एक या दो मामलों में यह बात सरकार के ध्यान में आई और आदेश दे दिये गये हैं कि एस्टीमेट सोच समझकर ऐसे बनायें जावें कि बाद में बढ़ने की गुंजाइश कम हो।

श्री ऊदल—

इस पुल के बनने का काम कब तक शुरू हो जायगा?

श्री जगन प्रसाद रावत—

रुपया मिलने पर।

कुंवर सत्यवीर—

२ वर्ष से टूटा है, कब तक ठीक हो जायगा?

श्री अध्यक्ष—

यही तो वह कह रहे हैं कि रुपया मिलने पर ठीक होगा।

श्री बसन्त सिंह (जिला बिजनौर)—

क्या यह सही है कि पुल अधिकारियों की असावधानी से टूटा है क्योंकि उन्होंने इसके रख-रखाव पर ठीक से ध्यान नहीं दिया?

श्री जगन प्रसाद रावत—

कोई शिकायत ऐसी आवेगी तो देखेंगे।

* * * *

ल्हुई–लोटन सड़क का निर्माण

*२८—श्री नरसिंह नारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले में कोल्हुई-लोटन सड़क के सम्बन्ध में किसानों को मुआवजा दे दिया गया या नहीं—

(क) उस सड़क पर कार्य की क्या प्रगति है तथा कितने ग्रामों की जमीन लैंड एक्वीजीशन द्वारा प्राप्त हो गई है?

(ख) सड़क के कार्यों में जो बाधा उत्पन्न हो रही है उसे दूर करने हेतु क्या-क्या कदम उठाये गये ?

श्री जगन प्रसाद रावत--

किसानों को अभी मुआवजा नहीं दिया गया है। इसके कागजात अभी तैयार किये जा रहे हैं।

अभी तक ३ मील में मिट्टी के कार्य के ठेके दिये गये हैं शेष कार्यों के ठेकों का प्रयास किया जा रहा है। डी० आई० ऐक्ट के अन्तर्गत ६ ग्रामों में भूमि अभी अधिग्रहण की गई है।

जो भूमि अभी तक अधिग्रहण की गई है उसमें लगभग ७० प्रतिशत में फसल खड़ी है। फसल के कटने के बाद ही मिट्टी का कार्य सम्भव हो सकता है। सड़क निर्माण में जो स्थानीय जनता के द्वारा अन्य बाधायें पैदा की गई हैं उनको दूर करने का विभाग के अधिकारी प्रयत्न कर रहे हैं।

* * *

गाजियाबाद--लोनी सड़क

*३३--श्री राम चन्द्र विकल (जिला बुलन्द शहर (अनुपस्थित)--

क्या निर्माण मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि गाजियाबाद-लोनी रोड, जिला मेरठ में कस्बा फर्रुखनगर को मिलाने वाली सड़क को जिसे केन्द्रीय डिफेन्स मिनिस्ट्री बना रही थी, हाल ही में प्रदेशीय सरकार ने क्यों रुकवा दिया ?

श्री जगन प्रसाद रावत--

जी नहीं।

*३४--श्री रामचन्द्र विकल (अनुपस्थित)--

क्या निर्माण मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि गाजियाबाद-लोनी रोड से फर्रुखनगर तक नई सड़क कहां-कहां हो कर प्रदेशीय सरकार द्वारा बनायी जा रही है ? और उस में कितना धन व्यय होगा तथा कितने किसानों की भूमि ली जा रही है ?

श्री जगन प्रसाद रावत--

प्रश्नगत सड़क ग्राम टीला शाहबाजपुर, नस्तौली, अफजलपुर, राजपुर तथा असातातपुर होती बनायी जायेगी। इस सड़क के लिये ८७,००० रु० (सत्तासी हजार रूपये) का व्यय स्वीकृत किया गया है जिसमें भूमि के प्रतिकर की धनराशि सम्मिलित नहीं है।

१६६ कृषकों की स्थायी भूमि तथा १६२ कृषकों की अस्थायी भूमि ली जायेगी।

* * *

रामगंगा पुल पर दुर्घटना

*३७--श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक २२ जनवरी, १९६६ को रामगंगा के पुल पर, जो मुरादाबाद के करीब बन रहा है, वजन के गिर जाने से जो दो मजदूरों की मृत्यु हुई उस घटना का क्या विवरण है ?

श्री जगन प्रसाद रावत--

दुर्घटना २१, जनवरी, १९६६ को हुई थी जिसका विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ६९६ पर)

*३८—श्री रियासत हुसैन—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री उस घटना को स्पेशल इंक्वायरी कराने के आदेश जारी करेंगे और उन मजदूरों के वारिसान को जल्द से जल्द मआवजा दिलाने के आदेश जारी करेंगे ?

श्री जगन प्रसाद रावत—

(क) यह एक आकस्मिक दुर्घटना थी, अतः किसी विशेष जांच की आवश्यकता नहीं ।

(ख) मृत व्यक्तियों के उत्तराधिकारियों को वर्कमैन कम्पेनसेशन ऐक्ट, १९२३ के अन्तर्गत मुआवजा देय है । अनुमान है कि श्री बुद्धिसिंह के परिवार को ४,८०० रु० और श्री छोटेलाल के परिवार को ४,२०० रु० दिये गये जायेंगे । पुल के ठेकेदार ने दोनों परिवारों को २५० रु० प्रति परिवार घटना के दिन ही दे दिये थे और शेष धन वर्कमैन कम्पेनसेशन कमिश्नर के न्यायालय में जमा कर दिया गया है क्योंकि मुआवजा उनके माध्यम से दिया जाता है ।

श्री रियासत हुसैन—

क्या सरकार को मालूम है कि इस पुल के गोले बनाने के बाद इंजीनियर और ओवरसियर ने ज्यादा बोझ रखने के लिये कहा और मजदूरों ने कहा कि गर्डर टेढ़े हो जायेंगे ? इस पर भी इंजीनियर और ओवरसियर ने ज्यादा बोझ रखाया और गर्डर टेढ़े हो गये । क्या मंत्री जी इसकी खास जांच करायेंगे ?

श्री जगन प्रसाद रावत—

ऐसी तो कोई जानकारी नहीं है ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या मंत्री जी को जानकारी है कि इस पुल के ऊपर से रेल, मोटरें वगैरह सभी जाते हैं और एक ही पुल है जो बहुत ही पुराना है ? क्या मंत्री जी इस पुल की आयु बताने और दशा सुधारने की कोशिश करेंगे ?

श्री जगन प्रसाद रावत—

यह प्रश्न तो नये पुल का है ।

* * * *

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री की प्रार्थना पर २२ मार्च, १९६६ के स्थागित प्रश्न

राप्ती नदी पर राजघाट पुल की अपरोच रोड

*७—श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर राजघाट, राप्ती पुल के दोनों ओर बने अपरोच रोड का काम खत्म हो चुका है या अभी बाकी है ?

श्री जगन प्रसाद रावत—

जी नहीं ।

अप्रोच रोड के निर्माण का कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है ।

*८—श्री उमाशंकर (अनुपस्थित)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त अपरोच रोड पर असफाल्ट की सड़क पूर्ण होने के बाद भी मिट्टी डालने का कार्य बाकी रह गया है ? यदि हां, तो किस ग्राम के पास ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जी नहीं ।

सड़क के किनारे के ढाल को ठीक करने के लिये कुछ मिट्टी डालने का कार्य बाकी है, यह कार्य निम्नलिखित गांवों के पास होगा :

(१) नौसर
(२) बहरामपुर
(३) हांसपुर
(४) चकरा
(५) महेवा
(६) मिर्जापुर
(७) रुस्तमपुर
(८) दाउदपुर
(९) काबेपुर
(१०) विलन्दपुर

* * *

भगवन्त नगर क्षेत्र में सड़कों को पक्की करना

*२५—श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव) (अनुपस्थित)—

क्या निर्माण मंत्री चौथी पंचवर्षीय योजना में उन्नाव जिलान्तर्गत भगवन्त नगर निर्वाचन क्षेत्र में बीघापुर से पुरवा और बिहार से पुरवा सड़कों को पक्की सड़क में परिवर्तित करने के लिये प्राथमिकता देने की कृपा करेंगे ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

प्रश्नगत सड़कों का पक्का निर्माण कराना चौथी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तथा आकार पर निर्भर करेगा ।

*२६—श्री देवदत्त मिश्र (अनुपस्थित)—

क्या निर्माण मंत्री को यह ज्ञात है कि पुरवा तहसील का हेड क्वार्टर होने के कारण अभी लोगों को उन्नाव हो कर पुरवा जाना पड़ता है, जिससे बिहार क्षेत्र के लोगों को ६० मील एवं बीघापुर क्षेत्र के लोगों को ५० मील का चक्कर काटना पड़ता है जब कि बीघापुर से पुरवा और बिहार से पुरवा केवल १० मील है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

सीधी पक्की सड़क के अभाव में स्थानीय जनता को तहसील हेड क्वार्टर तक पहुंचने में कुछ चक्कर काटना अनिवार्य है ।

* * * *

मथुरा में पुल पर पथ कर

*३२—श्री कन्हैयालाल (जिला मथुरा)—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि मथुरा में बनाये गये नवीन पुल में वसूल किये जा रहे सेतु कर के फलस्वरूप आज तक १ फरवरी, १९६६ तक कुल कितना धन वसूल किया जा चुका है और कितना और वसूल होने पर यह कर वसूली समाप्त कर दी जायगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

इस पुल पर १ फरवरी, १९६६ तक १६,६८,३२५ रुपये १९ पैसे (सोलह लाख अड़सठ हजार तीन सौ पच्चीस रुपये उन्नीस पैसे) पथकर से वसूल किये जा चुके हैं तथा ११,८२,६७४ रुपये ८१ पैसे (ग्यारह लाख बयासी हजार छः सौ चौहत्तर रुपये इक्यासी पैसे) और वसूल हो जाने पर कथित पुल को पथकर से मुक्त कर दिया जायगा ।

श्री कन्हैयालाल---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिस समय यह पुल बना सन् ६२ में जब टैक्स लगाने शुरू हुए तो उस समय इसकी औसत आमदनी प्रति दिन क्या थी और आज क्या है ?

श्री जगनप्रसाद रावत---

इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री कन्हैयालाल---

पी० डब्ल्यू० डी० के रुल्स में है कि यदि नये पुल के ३० मील के अन्तर्गत सड़क का कोई दूसरा पुल एगजिस्ट न करता हो तो उस नवीन पुल पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो इस पुल पर क्यों टैक्स लगाया जब कि इसके इधर उधर ३० मील तक दूसरा पुल नहीं है ?

श्री जगनप्रसाद रावत---

मैं इस बात की जांच करा लूंगा।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)---

क्या मंत्री जी को जानकारी है कि इस पुल से एक फर्लांग पर ही रेलवे का पुल है और यही पहले जनता का पुल था और इसे मथुरा की जनता ने स्वयं बनवाया था। इसके एवज में सरकार ने यह पुल बनवाया, तो टैक्स क्यों लगाया ?

श्री जगनप्रसाद रावत---

अगर कुछ पूरी जानकारी दें तो मैं पता लगा लूंगा।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)---

मथुरा में सारे देश से लोग तीर्थ के लिये आते हैं और आधे से ज्यादा पैसा सरकार वसूल कर चुकी है। तो अब इस टैक्स से जनता को मुक्ति देने की कृपा करेंगे ?

श्री जगनप्रसाद रावत---

मथुरा तो जो कोई जाता है कुछ देकर ही जाता है। इसमें से फिर क्यों बचाना चाहते हैं ?

श्री राधेश्याम शर्मा---

पुल पर सरकारी लोग बिना किसी टैक्स के भी मोटरें और ट्रकों को निकाल देते हैं जिससे हजारों रुपये का गोलमाल होता है। क्या सरकार इसकी जांच कराके उचित प्रबन्ध करने की कृपा करेगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत---

यदि माननीय सदस्य हमारी सहायता करेंगे और कुछ तथ्य सामने लावेंगे तो हम उनकी जांच करा लेंगे।

* * * *

फर्रुखाबाद जिले में सड़कों का निर्माण

*४४---श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)---

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री फर्रुखाबाद जिले की ऊसराहार–सकरावा–सोरिख–तिर्वा सड़क को चतुर्थ योजना में प्राथमिकता देने की कृपा करेंगे ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

प्रश्न में उल्लिखित सड़क को चतुर्थ पंच वर्षीय योजना में प्राथमिकता देना उक्त योजना की रूप रेखा तथा आकार पर निर्भर करेगा ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न ।]

विद्यालय मनोवैज्ञानिकों के पदों की समाप्ति

*१—कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सच है कि प्रदेश में सन् १९४७ से संचालित मनोविज्ञानशाला, जिला मनोविज्ञान केन्द्र तथा विद्यालय मनोविज्ञान को पहली मार्च, १९६६ से सरकार ने समाप्त कर दिया है जिसके कारण उसके १०७ पुराने वैज्ञानिकों की सेवायें समाप्त कर दी गई हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पान्डेय)—

जी हां, मनोविज्ञानशाला को छोड़कर विद्यालय मनोवैज्ञानिकों के पदों को तथा जिला मनोवैज्ञानिक केन्द्रों को राज्य के व्यय में कमी करने के हेतु समाप्त कर दिया गया है ।

*२—कुंवर श्रीपालसिंह—

क्या सरकार ने जिस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये उपरोक्त संस्थाओं की रचना की थी वे उद्देश्य पूरे हो गये हैं अथवा नहीं ? और यदि उद्देश्य पूरे हो गये हैं तो वे क्या हैं ? और नहीं पूरे हुए, तो बीच ही में उक्त कार्य को समाप्त करने का क्या कारण है ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

जैसा प्रश्न संख्या १ के उत्तर में बतलाया गया है इन संस्थाओं को राज्य के व्यय में कमी करने के हेतु समाप्त किया गया है ।

*३—कुंवर श्रीपालसिंह—

क्या सरकार उपरोक्त १०७ वैज्ञानिकों को शीघ्र दूसरी शिक्षा संस्थाओं में नियुक्त करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बंशीधर पान्डेय—

जी हां, इस संबंध में शिक्षा निदेशक द्वारा आदेश दिये जा चुके हैं और नियुक्तियां हो रहीं हैं ।

कुंवर श्रीपालसिंह—

मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि किस उद्देश्य से इस संस्था की रचना की गई थी ?

शिक्षा मंत्री (श्री कैलाश प्रकाश)—

उद्देश्य यह था कि यह क्षेत्रीय केन्द्र बनकर वहां के बालकों का परीक्षण करके यह परामर्श दे सके कि अमुक बालक किस विषय के पढ़ने के लिये उपयोगी है या किधर वे जा सकते हैं।

कुंवर श्रीपालसिंह—

और बचत कितने की होगी ?

श्री बंशीधर पान्डेय—

३,५३,००० के लगभग बचत हुई है ।

कुंवर श्रीपालसिंह---

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि अब चूंकि इमरजेंसी भी नहीं है इसलिये बच्चों की आवश्यकता को देखते हुए, इनको फिर चालू करेंगे ?

श्री कैलाश प्रकाश---

निस्संदेह उद्देश्य तो बहुत पवित्र और आवश्यक है और आधुनिक समय में शिक्षा जगत में इसकी बहुत आवश्यकता भी है। किन्तु जो धनराशि बचत की बतायी गयी है और जो केन्द्र खोले गये थे वे रेगिस्तान में बूंद के समान थे। इस उद्देश्य की पूर्ति ३ लाख रुपये से होने वाली नहीं है। इतने थोड़े केन्द्रों से जो कार्य हो रहा था वह कोई खास बात नहीं थी, इसलिये बचत की दृष्टि से इनको समाप्त कर दिया गया। यह सत्य है कि घी और फल खाने की आवश्यकता है लेकिन जहां सूखी रोटी भी न हो वहां पर घी और फल किस प्रकार से खाया जा सकता है।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)---

क्या माननीय मंत्री जी इस बात को मानेंगे कि जो केन्द्र बन्द किये गये हैं वे मितव्ययिता की दृष्टि से बन्द नहीं किये गये बल्कि इसलिये बन्द किये गये कि वे असफल सिद्ध हुए ?

श्री कैलाश प्रकाश---

यह प्रश्न तो इसलिये नहीं उठता कि उनके लिये अब भी मांग की जा रही है कि उनको खोला जाय। अतः असफल होने का प्रश्न नहीं उठता। इसके अलावा मैं यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि जो हमारी केन्द्र की प्रयोगशाला है उसको बन्द नहीं किया जा रहा है।

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)---

अपने प्रदेश के बच्चों के भविष्य को देखते हुए और उनके साइकोलोजीकल डवलपमेन्ट की ओर ध्यान रखते हुए क्या मंत्री जी इस काम के लिये और अधिक रुपया रखने की कृपा करेंगे ?

श्री कैलाश प्रकाश---

जिस चीज की अधिक आवश्यकता थी, उस केन्द्र की प्रयोगशाला को हमने नहीं तोड़ा है। माननीय सदस्यों ने देखा होगा कि शिक्षा के लिये बजट में कितना कम रुपया रखा गया है। बहुत से ऐसे कामों के लिये भी रुपया नहीं है जो आवश्यक हैं, ऐसी अवस्था में ऐसी चीजों को रोकना ही पड़ा है।

श्रीमती सुशीला रोहतगी (जिला कानपुर)---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इन १०७ वैज्ञानिकों के अतिरिक्त कुछ और भी स्टाफ कम किया गया है ? यदि हां, तो उनकी रोजी रोटी का क्या प्रबन्ध किया गया है ?

श्री कैलाश प्रकाश---

यह तो सरकार की सामान्य नीति है कि जो भी स्टाफ कम किया जाय उसको दूसरी जगह खपाने का प्रयत्न किया जाय, जिससे वह बेकार न हो।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इन मनोवैज्ञानिक केन्द्रों को स्थायी रूप से बन्द किया गया है या अस्थाई रूप से ? अगर स्थायी रूप से तो इनके फरनीचर और लाइब्रेरी आदि पर जो हजारों पये खर्च किये थे, उसका क्या करेंगे ?

श्री कैलाश प्रकाश—

आज तो उनको बन्द कर दिया गया है, कैसे भी समझ लीजिये।

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)—

मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आचार्य नरेन्द्र देव कमेटी की सब से बड़ी सिफारिश को मानकर आपने इन मनोवैज्ञानिक केन्द्रों की स्थापना की और इस केन्द्र से और इसकी प्रमुख प्रयोगशाला से जो डिप्लोमा होल्डर्स निकले उन्होंने एमर्जेन्सी पीरियड में जब आवश्यकता थी तो उसकी पूर्ति की लेकिन आज जब यह लोग इलाहाबाद से डिप्लोमा लेकर निकलेंगे तो उन डिप्लोमा लिये हुए स्नातकों का क्या उपयोग शिक्षा विभाग करेगा ?

श्री कैलाश प्रकाश—

जहां कहीं मनोविज्ञान के लिये उनका उपयोग हो सकेगा वह किया जायगा अन्यथा वह शिक्षित तो हैं ही जहां भी वह उपयोगी हो सकेंगे उनका उपयोग किया जायगा।

कुंवर श्रीपालसिंह—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन १०७ व्यक्तियों में से कितनों की नियुक्तियां हो गई हैं और कितने बाकी रह गये हैं ?

श्री बंशीधर पान्डेय—

नियुक्ति इनमें से ३१ व्यक्तियों की हो चुकी है और बाकी के लिये शिक्षा निदेशक को आदेश दिये गये हैं कि जैसे ही स्थान खाली हों उन्हें नियुक्त किया जाय और यह भी आदेश दिये गये हैं कि नियुक्तियों को करते समय जूनियर्स को हटाकर इन्हें नियुक्त किया जाय।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

प्रदेश की जनता का अब तक इन केन्द्रों पर कितना धन व्यय हो चुका है जो केन्द्र तोड़े गये हैं ?

श्री कैलाश प्रकाश—

यह हिसाब तो नहीं है वह खर्च तो वर्ष प्रतिवर्ष हुआ होगा।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—

क्या सरकार ने कभी यह जानने की कोशिश की कि इन केन्द्रों के बन्द करने से और ३ लाख की बचत करने से नेशन के बच्चों का भविष्य अन्धकार में पड़ गया है और यह कितना भारी मुल्क का नुकसान हुआ है, वह नुकसान बड़ा है और यह बचत थोड़ी सी है ?

श्री कैलाश प्रकाश—

मैं तो बता चुका कि लाचारी की वजह से ऐसा हुआ है।

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)—

अभी शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि ३ लाख की बचत बूंद के बराबर है और वह स्वयं ही स्वीकार करते हैं कि यह कोई बड़ी रकम नहीं है। तो जब यह इतनी बड़ी रकम नहीं है और लाभ अधिक है तो फिर से विचार कर के क्या वह इन केन्द्रों को फिर से संचालित करेंगे ?

श्री कैलाश प्रकाश—

मैं बता चुका कि जारी करने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

भनवांपुर ब्लाक में लेंबड़ ताल से आय

*४---श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बस्ती तहसील डुमरियागंज, ब्लाक भनवापुर में स्थित लेंबड़ ताल जब से कटरिया बाबू ग्राम सभा में सम्मिलित किया गया है तब से ताल के नीलाम के फलस्वरूप कितना-कितना रुपया ग्राम सभा कोष में जमा हुआ है तथा वह धन कहां जमा है ? यदि धन ग्राम सभा की पासबुक में नहीं जमा है, तो वह धन कहां जमा है? और अब तक उसमें क्यों नहीं, जमा किया गया ?

माल मंत्री के सभासचिव (श्री रामकुमार शास्त्री)---

सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री भानुप्रतापसिंह---

२ मास से अधिक हुए जब यह प्रश्न पूछा गया था, इसमें केवल धनराशि जो नीलाम से मिलनी चाहिये उनके बारे में प्रश्न था, तो क्या कारण है कि इस मामूली सी जानकारी को २ मास के अन्दर सरकार प्राप्त नहीं कर सकी ?

श्री रामकुमार शास्त्री---

जिलाधीश द्वारा हमारे कार्यालय को ब्योरेवार जानकारी कराई गई लेकिन जिस मतलब से माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है उसमें खामी है। इसलिये उनके इत्मिनान के वास्ते जो कुछ भी खामियां रह गयी हैं, उनके बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री उग्रसेन---

अध्यक्ष महोदय, तो मैं निवेदन करता हूं कि यह प्रश्न स्थगित कर दिया जाय ?

श्री अध्यक्ष---

आप ठीक कह रहे हैं।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

अध्यक्ष महोदय, मैं कई विधान सभाओं की मिसाल दे सकता हूं कि जहां पर यह कहना कि "सूचना एकत्रित की जा रही है" 'को कन्टेम्ट आफ दी हाउस' माना गया है। असल में होता यह है कि जिन मामलों में रुपया खा लिया जाता है उनमें अधिकतर ऐसा कहा जाता है।

श्री अध्यक्ष---

माननीय काशीनाथ जी, क्या किया जाय १५ वर्षों से यही प्रथा चल रही है।

आगरा महापालिका में अध्यापकों को महंगाई भत्ता न मिलना

*५—श्री बालोजी अग्रवाल तथा श्री बनवारी लाल विप्र (जिला आगरा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आगरा महापालिका के प्रशासक महोदय ने महापालिका के प्रस्ताव दिनांक ४ नवम्बर, १९६५ के अनुसार, अध्यापक-अध्यापिकाओं को महंगाई भत्ता नहीं दिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बंशीधर पांडेय---

आगरा महापालिका का प्रश्नगत प्रस्ताव दिनांक ४-१२-६५ का था न कि ४-११-६५ का। उक्त प्रस्ताव के अनुसार महंगाई भत्ता अध्यापक वर्ग को नहीं दिया जा रहा है क्योंकि प्रस्ताव में उल्लिखित महंगाई भत्त में की गई वृद्धि राज्यादेश अनुसार अध्यापकों को देय न थी।

श्री बालोजी अग्रवाल---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वह राजाज्ञा क्या है जिसके अनुसार अध्यापकों को महंगाई भत्ता नहीं दिया जा सकता है ?

श्री बंशीधर पांडेय---

य जो स्वायत्त संस्थायें हैं, जिनको स्वायत्त शासन विभाग की ओर से आदेश गये, उनका अध्यापकों को छोड़कर शेष कर्मचारियों से सम्बन्ध होता है । जहां तक अध्यापकों का प्रश्न है, उनके सम्बन्ध में शिक्षा विभाग द्वारा आदेश प्रसारित होते हैं । जो आज्ञा थी वह और कर्मचारियों के लिये थी । अध्यापकों का इससे कोई असर नहीं पड़ता है । ५ रु० या २० रु० के लिये अलग से शिक्षा विभाग से आदेश हुये थे जिसके मुताबिक उन्हें यह महंगाई भत्ता दिया गया।

श्री बालोजी अग्रवाल---

माननीय मंत्री जी ने कहा कि राजाज्ञा जो है उसमें केवल अन्य कर्मचारियों के लिये दिया गया है । मैंने उस राजाज्ञा को पढ़ा है उसमें यह लिखा हुआ है कि यदि महापालिकायें अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देना चाहती हैं तो दे सकते हैं लेकिन उसका भार राज्य सरकार पर नहीं पड़ेगा । उस आदेश में अध्यापकों को महंगाई भत्ता न देने की बात नहीं ह । यह गलत बात कही जा रही है कि उसमें अध्यापकों की बात उसम नहीं थी । इसलिये मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी उस आदेश को पढ़ दें ?

श्री अध्यक्ष---

वह हो गया । इसकी आवश्यकता नहीं ।

श्री हरीशकुमार गंगवार---

क्या माननीय मंत्री जी महापालिका के प्रस्ताव दिनांक ४-१२-६५ को पढ़ने की कृपा करेंगे जिससे पता चल सके कि अध्यापकों के लिये उसम कुछ रखा गया था या नहीं रखा गया था ?

श्री बंशीधर पांडेय---

प्रस्ताव तो इस समय मेरे पास नहीं है ।

श्री उग्रसेन---

इस बात को देखते हुये कि प्रदेशीय सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिये ५ रुपये का महंगाई भत्ता दिया तो शासन की जो इकाइयां हैं, उनको भी सरकार ने इस आशय की एक राजाज्ञा प्रसारित की कि वे भी अपने कर्मचारियों को बढ़ा दें तो मैं जानना चाहता हूं कि किस आधार पर ये कह रहे हैं कि राजाज्ञा अध्यापकों को छोड़ कर थी ?

श्री बंशीधर पांडेय---

जब यह बात महंगाई भत्ते की तय हो रही थी. . . . . .

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न केवल इतना है कि अगर कर्मचारियों को देने के लिये राजाज्ञा में प्राविधान है और उसमें कोई अपवाद (एक्सैप्शन) नहीं है कि अध्यापकों को न दिया जाय तो अध्यापकों को मिलना चाहिये या नहीं मिलना चाहिये ?

श्री बंशीधर पांडेय---

इसमें एक भ्रम हो गया है । जितने भी टीचर्स हैं चाहे वे जिला परिषदों में या महापालिकाओं में काम करते हैं उनके लिये शिक्षा विभाग से आदेश होते हैं । इसलिये इसका सम्बन्ध केवल अन्य कर्मचारियों से है ।

श्री उग्रसेन—

हमारे यहां तो नगरपालिका है वहां के अध्यापकों को जो शिक्षा विभाग के आदेश गये हैं उसका लाभ नहीं मिल सका है । उनसे कहा जाता है कि शिक्षा विभाग से लीजिये और शिक्षा विभाग से कहा जा रहा है कि नगरपालिका से लीजिये ।

श्री अध्यक्ष—

अब तो मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया । वह कहते हैं कि शिक्षा विभाग से जो आज्ञायें जारी हुई हैं उनके अधिकारी म्युनिसिपल बोर्ड के भी अध्यापक हैं ।

श्री उग्रसेन—

उनको मिला तो नहीं । यह देंगे नहीं तो क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष—

तो आप फिर अलग से प्रश्न कीजियेगा ।

गजेटियरों का नवीनीकरण

*६—श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सीमा से लगे हुये ११ जिलों के तथा बाराबंकी जिले के महत्व को देखते हुय गजेटियरों को प्राथमिकता दी जा रही है ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

फिलहाल चीन से लगे हुये तीन जिलों, चमोली, पिथौरागढ़ तथा उत्तरकाशी के गजेटियरों को तैयार करने में प्राथमिकता दी जा रही है । बाराबकी का गजेटियर तैयार हो चुका है । अन्य सीमावर्ती जिलों के सम्बन्ध में कोई निर्णय अभी नहीं लिया गया है ।

*७—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला गजेटियरों के महत्व को ध्यान में रखत हुये यह आवश्यक है कि उनका नवीनीकरण प्रत्येक १० वष म हो जाया करे ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

१० वर्ष में नवीनीकरण सम्भव नहीं है ।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या मंत्री जी बताने की कपा करेंगे कि जो अन्य सीमावर्ती जिले हैं जिनके सम्बन्ध में अभी विचार नहीं किया गया है तो क्या उन जिलों की सुरक्षा के प्रश्न को देखत हुय उन के गजेटियर तैयार करने का विषय सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

सीमावर्ती जितने जिलों का नाम अभी लिया गया है उनका गजेटियर बनाने के लिये तो यह प्रश्नविचाराधीन है ही ।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

जैसा कि बताया कि १० वर्ष के बाद नवीनीकरण करना सम्भव नहीं है तो १० वर्ष के बाद परिस्थितियां बदल जाती हैं, इन परिस्थितियों को देखते हुये क्या माननीय मंत्री जी इसके नवीनीकरण के प्रश्न पर विचार करेंगे कि जो नई परिस्थितियां उत्पन्न हो जायं वे भी गजेटियर में शामिल की जाय ।

श्री रामकुमार शास्त्री—

प्रदेश के कई जिलों के, जैसे लखनऊ, फैजाबाद, बाराबंकी तथा आगरा आदि के गजेटियर तैयार हो गये हैं और उत्तरी हिस्से को भी प्राथमिकता दी जा रही है तथा समय के अनुसार गजेटियर को तैयार किया जा रहा है ।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

मंत्री जी बतायेंगे कि गजेटियर निर्माण का कार्य कब से आरम्भ हुआ है और अब तक कितने जिलों के गजेटियर बना लिये हैं और किस भाषा में बनाये हैं ?

श्री अध्यक्ष—

भाषा तो अंग्रेजी है और १० वर्ष से बन रहे हैं ।

श्री रामकुमार शास्त्री—

जी हां, श्रीमन्, अंग्रेजी भाषा है ।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—

श्रीमन्, एक प्रश्न की आज्ञा दे दें ।

श्री अध्यक्ष—

यह कार्यवाही पिछले १० वर्ष से हो रही है । उन का कहना यह था कि चूंकि समय बीत रहा है इस वजह से नवीन परिस्थितियां पैदा हो रही हैं क्या उन का भी समावेश उन गजेटियरों में होगा ? राजस्व मंत्री ने कहा कि नहीं उन का नहीं होगा ।

कानपुर में परीक्षार्थी द्वारा निरीक्षक पर आक्रमण

*८—श्री सुखदेवप्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या १८ मार्च, १९६६ को कानपुर इन्टर कालेज, कानपुर के परीक्षा केन्द्र पर एक परीक्षार्थी ने परीक्षा का निरीक्षण करते हुये निरक्षक पर करौली से हमला कर दिया है ? यदि हां, तो पूरी घटना क्या है तथा उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

जी हां । घटना इस प्रकार है कि दिनांक १८ मार्च, १९६६ को एक परीक्षार्थी अनुचित साधन का प्रयोग कर रहा था । निरीक्षक द्वारा पकड़े जाने पर उसने निरीक्षक को मारने के लिये एक बड़ा चाकू निकाल लिया था, परन्तु निरीक्षक ने उसे काबू में कर लिया । तत्कालिक आवश्यक जांच की गई और मामला पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

पुलिस में क्या सरकारी काम में दखल देने के आरोप की रिपोर्ट लिखायी गई है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि जितने भी इनविजिलेटर्स हैं वे सरकारी कर्मचारी करार दिये जाते हैं तो जो रिपोर्ट है वह सरकारी काम में मदाखलत करने की, सरकारी कर्मचारी पर हमला करने की रिपोर्ट लिखायी गई है या साधारण मामला चल रहा है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

पूर्ण विवरण इस समय नहीं बता सकता । लेकिन यह तो है ही कि परीक्षा में उन्होंने व्यवधान पैदा किया और इनविजिलेटर ने जब पकड़ा तो चाकू से मारने के लिये चला । इस सम्बन्ध में कानूनी कार्यवाही हो रही है ।

श्री अध्यक्ष—

हां, हां, कानूनी कार्यवाही हो रही है ।

ऊसर भूमि

*९—श्री रघुवीरसिंह (जिला एटा)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि प्रान्त में लाखों एकड़ ऊसर भूमि पड़ी हुई है जिसको खेती करने के लिये भूमिहीन एवं अलाभ कर जोत वाले किसान पट्टे पर नहीं ले रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसी दशा में ऐसे किसानों को, जिनके पास साढ़े बारह एकड़ से अधिक भूमि है ऊसर भूमि के पट्टे लेने के लिये नियुक्ति करेगी ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

जी हां, यह सही है कि प्रदेश में लाखों एकड़ ऊसर भूमि पर कृषि नहीं होती। १२ १/२ एकड़ से अधिक भूमि रखने वाले व्यक्तियों को ऊसर भूमि के पट्टे वर्तमान नियमों के अनुसार ही दिये जा सकते हैं यदि भूमिहीन तथा अन्य प्राथमिकता प्राप्त वर्गों के लोग उसे न लेना चाहें।

श्री रघुवीरसिंह—

नियमानुसार साढ़े बारह एकड़ से अधिक भूमि वाला नया पट्टा ले सकता है फिर क्या कारण है कि नये पट्टेदारान को जब वे प्रार्थना पत्र देते हैं तो यह लिख कर देना पड़ता है कि प्रार्थी के पास नई भूमि मिला कर साढ़े १२ एकड़ से कम ही रहेगी ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

भूमि तो भूमिहीनों को जो सरप्लस रहती है वह दी जाती है लेकिन जहां पर ऐसे लोग न हों और ऊसर वाली जमीन हो तो चूंकि खाद्यान्न की समस्या प्रदेश के सामने है और वहां कोई भूमिहीन न हो तो साढ़े १२ एकड़ से ऊपर वालों को भी जमीन दे दी जाती है। यों तो जाब्ते की सारी कार्यवाही करनी पड़ती है और उसके लिये सीलिंग भी कराई गयी है।

श्री रघुवीरसिंह—

क्या सरकार निकट भविष्य में प्रत्येक जिले को ऐसा आदेश देगी कि यदि हरिजन और अलाभकर जोत वाले नये पट्टे ऊसर भूमि के न लेने को तैयार हों तो नई भूमि में से साढ़े १२ एकड़ के पट्टे दिये जा सकते हैं ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

यदि आदरणीय सदस्य इस बात का कोई सुझाव देंगे तो विभाग उस पर अवश्य विचार करेगा।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

८ परसेंट से रिजर्व भूमि जहां कम हो वहां भी पट्टे करने का कोई अधिकार ग्राम सभाओं को दिया गया है ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

यह ब्यौरा तो नहीं दे सकता लेकिन जो बची हुई जमीन है उसकी व्यवस्था गांव की भूमि प्रबन्ध समिति करती है।

श्री सईद अहमद अन्सारी (जिला सहारनपुर)—

खाद्यान्न समस्या को देखते हुये क्या सरकार इस बात की व्यवस्था करेगी कि भविष्य में फैक्टरीज जहां ऊसर जमीनें पड़ी हुई हैं वहां बनाई जाया करें बजाय जरखेज जमीनों पर ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

फैक्टरीज उद्योग धन्धों से सम्बन्ध रखती हैं । साधन देख कर फैक्टरी लगाई जाती है । ऊसर जमीन में लगा दें और आवागमन का साधन न हो तो जिस उपयोगिता के लिये वह लगाई जाती हैं वह समाप्त हो जाती है । इसके अतिरिक्त कच्चा माल वहां न मिले तो उस फैक्टरी को वहां लगाने से क्या लाभ होगा ?

श्री कमलासिंह यादव—

८ परसेंट सुरक्षित भूमि जो होती है उसमें से सिर्फ मिलीटरी मैन को पट्टा दिया जा सकता है । क्या सरकार स्कूल कालेजेज और पब्लिक इंस्टीट्यूशन्स को भी जमीन दिये जाने के लिये ग्राम सभाओं को आदेश देगी ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

प्रदेश में करीब-करीब ४० जिलों में चकबन्दी का कार्य हो रहा है । सार्वजनिक कार्य के लिये वैसे व्यवस्था की जाती है । पुरानी प्रथा भी यही है कि सार्वजनिक कार्य के जिये जमीन देनी चाहिये । लेकिन अब सरकार ने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि चकबन्दी से जो जमीन बचती है तो ग्राम समाज उस जमीन को सार्वजनिक उपयोगिता के लिये प्राथमिकता देगी ।

श्री रघुवीरसिंह—

ग्राम समाज मैनुअल के नियमों में ऐसा है कि साढ़े १२ एकड़ से अधिक भूमि वाले पट्टा लेने की बात सोचते ही नहीं और कम वाले क्लेम करने की सामर्थ्य नहीं रखते । तो क्या सरकार इस बात के आदेश भेजने की कृपा करेगी कि साढ़े १२ एकड़ से अधिक भूमि वाले पट्टा ले सकते हैं ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

मैंने तो अभी निवेदन किया कि ब्योरा तो मुझे मालूम नहीं है लेकिन अगर आदरणीय सदस्य कोई सुझाव लिख कर भेजेंगे तो उस पर विभाग गम्भीरता से विचार करेगा ।

मथुरा नगरपालिका अध्यापकों को मंहगाई भत्ता

*१०—श्री केदारनाथ भार्गव (जिला मथुरा)—

क्या शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि नगरपालिका, मथुरा के अध्यापकों को १ अप्रैल, सन् १९६५ से मिलने वाला पांच रुपया प्रति अध्यापक महंगाई भत्ता तथा १ अगस्त, सन् १९६५ से मिलने वाला बीस रुपया प्रति मास प्रति अध्यापक मिलने वाली तदर्थ सहायता (एडहाक रिलीफ) मिल चुकी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बंशीधर पांडेय—

जी हां, प्रश्नगत भत्ते अध्यापकों को मिल चुके हैं ।

श्री केदारनाथ भार्गव—

अध्यापकों को रुपया किस तारीख को मिला ?

श्री बंशीधर पांडेय—

पहली अप्रैल, १९६६ को जो मथुरा नगरपालिका का पत्र आया है उसमें उन्होंने लिखा है कि अब तक यह भत्ता दिया जा चुका है ?

श्री केदारनाथ भार्गव—

क्या यह सही है कि १७ मार्च को म्युनिसिपल बोर्ड ने रुपया निकाला लेकिन दिया पहली अप्रैल को ?

श्री बंशीधर पांडेय—

इसकी सूचना तो मेरे पास है नहीं। अध्यापकों को भत्ता मिल गया, यह प्रश्न था। वह मैंने बता दिया।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

१७ मार्च को जो रुपया ट्रेजरी से निकाला गया, तो सरकार ने इसे कब स्वीकृत करके भेज दिया था ?

श्री बंशीधर पांडेय—

यह तो व्योरे की बातें हैं। इस वक्त सूचना मेरे पास है नहीं।

सगड़ी तहसील में उरदिहा ग्राम के अग्निपीड़ितों को सहायता

*११—श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—

क्या माल मंत्री बतायेंगे कि गत २० मार्च को दिन दहाड़े सगड़ी तहसील (आजमगढ़ जनपद) के करखिया देवारा के पास एक बड़े गांव में आग लग जाने से ४० घर, सारे गांव का खलिहान, एक बैल, १ लड़की, जलकर राख हो गये ?

राजस्व मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—

विगत २० मार्च, १९६६ को करखिया देवारा के समीप ग्राम उरदिहा में आग लगने से ४५ घर जले तथा १ लड़की और १ बैल की मृत्यु हुई। कतिपय व्यक्तियों के खलिहान भी जले थे।

*१२—श्री झारखंडे राय (अनुपस्थित)—

क्या माल मंत्री बतायेंगे कि सरकार की ओर से उन गांव वालों की सहायता के लिये क्या किया जा रहा है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—

पीड़ितों की सहायता हेतु ८७५ रु० अहेतुक सहायता तथा १,६०० रु० मूल्य की १४० साख् की बल्लियां दी जा चुकी हैं। पशुओं के चारे का प्रबन्ध और तकावी ऋण के वितरण एवं भू-राजस्व में सहायता दिये जाने की आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

फतेहपुर जिले में अग्निकाण्ड

*१३—श्री रघुवीर सहाय कैथवार (जिला फतेहपुर)—

क्या सरकार को पता है कि जिला फतेहपुर के अन्तर्गत ग्राम वसोहनी में दिनांक २१ मार्च, १९६६ को १० बजे दिन और ग्राम बंवारा में दिनांक २५ मार्च, १९६६ को ११ बजे दिन भीषण अग्नि लगने से क्रमशः ५९ व ६० मकान जल कर खाक हो गये और कई लाख की सम्पत्ति नष्ट होने के साथ ही दो जिन्दा बालिकायें भी जल गई ? यदि हां, तो जिला अधिकारियों ने आग बुझाने के कौन से उपाय कब किये और कितने घन्टों के बाद आग बुझी तथा नुकसान का सरकारी अनुमान क्या है ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

जी हां। इस दुर्घटना से ग्राम वसोहनी तथा ग्राम बंवारा में क्रमशः ५९ व ३९ मकान क्षतिग्रस्त हुये तथा लगभग ३७,८७० रु० तथा ९०,५०७ रु० की अनुमानित क्षति हुई। ग्राम बसोहनी में दो बालिकायें भी जलकर मर गयीं।

ग्राम बसोहनी के अग्नि कांण्ड की सूचना अधिकारियों को लगभग तीन बजे दिन को मिली । घटना-स्थल पर तुरन्त क्षेत्र विकास अधिकारी तथा उनका स्टाफ, परगनाधिकारी तथा तहसीली स्टाफ और उप पुलिस अधीक्षक अपने कुछ रिक्रूटों सहित पहुंच गये । और आग पर काबू पाने की व्यवस्था की । शाम को ६ बजे कानपुर से दमकल भी आ गया था किन्तु उसके पूर्व ही आग पर काबू पा लिया गया था । रात १० बजे तक आग दमकल आदि की सहायता से बिलकुल बुझा दी गई थी ।

ग्राम बंवारा के अग्निकांड की सूचना १ बजे दिन को मिली । अधिकारी घटना-स्थल पर पहुंचे और लगभग दो घन्टे बाद आग पर पूर्ण नियन्त्रण पा लिया गया । कानपुर से दमकल भी मंगाया गया । ११ बजे रात तक आग लगभग पूरी तरह से बुझा दी गई ।

*१४—श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

क्या यह सही है कि अन्य वर्षों की भांति इस वर्ष भी जिला फतेहपुर के बसोहनी, बंवारा, अस्ता, बिझौली आदि कई ग्रामों में भीषण अग्नि काण्ड हुये और कानपुर से दमकल आने पर ही दूसरे दिन आग बुझ पाई है ? यदि हां, तो क्या अग्नि कांड की भीषणता को देखते हुये सरकार फतेहपुर में दमकल स्टेशन कायम करेगी ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

केवल ग्राम बसोहनी तथा बंवारा की दुर्घटनाओं में दमकल बुलाया गया था । अन्य ग्रामों में इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी । फतेहपुर जिले में अन्य जिलों की अपेक्षा आग दुर्घटनाओं में कोई विशेषता नहीं है । अतएव यहां दमकल स्टेशन की स्थापना का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

अध्यक्ष महोदय, मेरी व्यक्तिगत जानकारी है कि ३० मार्च को ११ बजे बसोहनी ग्राम में आग लगी और १२ बजे जिलाधीश को सूचना दी गई । वह उस समय सो रहे थे इसलिये उन्होंने आग को देखना मुनासिब नहीं समझा, चार बजे उठे और इंक्वायरी कराई और साढ़े सात बजे दमकल बुलाया और दूसरे दिन ११ बजे आग बुझी । इसी तरह से दूसरे ग्राम बंवारा में भी आग लगी और अफसरों की लापरवाही से घर जल कर स्वाहा हो गये । लेकिन जवाब में बताया गया है कि मकान क्षतिग्रस्त हुये हैं और दमकल आने से पहले ही आग नियंत्रित कर ली गई थी । इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि जब पहले ही आग नियंत्रित कर ली गई थी तो दमकल बुलाने की क्या आवश्यकता थी और मंत्री जी गलत जवाब की सही जांच कराने के लिये किसी उच्च अधिकारी को नियत करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

अब इसमें कोई सवाल तो है नहीं ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

अध्यक्ष महोदय, माननीय रघुवीर सहाय जी आदरणीय सदन के सदस्य हैं और उनको जानकारी है कि आग लगी और सारी प्रापर्टी और अनाजजलकर स्वाहा हो गये और दूसरे दिन तक आग जलती रही और जिलाधीश सोये रहे तो यह बहुत बड़ा आरोप है और इसकी जांच मंत्री जी करायें और आप इसमें दिलचस्पी लें ।

श्री अध्यक्ष—

इसके लिये तरीका यह है कि माननीय रघुवीर सहाय जी लिखकर दें कि जो उत्तर मिला है वह सत्य के अनुरूप नहीं है । सत्य इस प्रकार से है । इस संबंध में मंत्री जी से जानकारी कर ली जायगी ।

श्री उग्रसेन---

मेरा निवेदन यह है कि जब माननीय सदस्य कहते हैं कि उनके पास जानकारी है तो पहले जिलाधीश को मुअत्तिल करें तब कार्यवाही करें ।

श्री अध्यक्ष---

आप लिखकर दें ।

श्री उग्रसेन---

हम कह रहे हैं कि ऐसा जिलाधीश एक मिनट कुर्सी पर रहने लायक नहीं है ।

श्री अध्यक्ष---

आप ठीक कह रहे हैं ।

श्री उग्रसेन---

यह शर्म की बात है ।

श्री अध्यक्ष---

आप लिखकर दीजिये ।

श्री कमलासिंह यादव---

श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूं कि इस घटना की सूचना जिलाधीश को कब मिली और दमकल कब पहुंचा ?

श्री अध्यक्ष---

यह तो उन्होंने बता दिया है ।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी---

क्या मंत्री जी जांच करने के लिये किसी अधिकारी को भेजेंगे जो तमाम तथ्यों की जांच करे ?

श्री अध्यक्ष---

मैंने तो कहा कि आप लिखकर दे दीजिये । जो तरीका है वह यही है ।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)---

मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जो सूचना सरकार की ओर से दी गयी है कि अग्निकांड में कई लाख रुपये की सम्पत्ति बर्बाद हुई और ५९-६० के करीब मकान जले तथा यह भी चार्ज सरकार पर लगाया गया है कि कलेक्टर साहब सो रहे थे उनकी जांच की मांग क साथ-साथ जिनका नुकसान हुआ है उनको उचित आर्थिक सहायता क्या सरकार देने जा रही है ?

श्री रामकुमार शास्त्री---

डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट सो रहे थे या नहीं, इसकी मुझको तो कोई जानकारी है नहीं---

श्री उग्रसेन---

मुझको तो निश्चित जानकारी है ।

(व्यवधान) ।

श्री रामकुमार शास्त्री—

आदरणीय सदस्य को हो सकती है, लेकिन मुझको नहीं है—

श्री उग्रसेन—

आप सत्य नहीं कह रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष (श्री उग्रसेन से)—

आप बैठ जाइये, यह आपका तरीका ठीक नहीं है। मन्त्री जी को जानकारी नहीं है इसलिए वह कह रहे हैं।

श्री रामकुमार शास्त्री—

जहां तक फतेहपुर और कानपुर का सम्बन्ध है, फतेहपुर में दमकल स्टेशन है नहीं और न हम वहां पर कर ही सकते हैं। जहां तक हो सकता है पीड़ितों को सहायता पहुंचाने का अधिकारियों ने प्रयत्न किया, यदि इस बारे में भी विस्तृत सूचना मांगी गयी होती तो मैं सूचना देता।

श्री काशीनाथ मिश्र—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, आप इस बात पर व्यवस्था दें। जानकारी के आधार पर एक सवाल किया जाता है और जब मन्त्री जी कहते हैं कि हम को जानकारी नहीं है, तो यह कहां तक ठीक है जानकारी के लिए जब प्रश्न है तो मन्त्री जी को पूरी जानकारी होनी चाहिए। यह इसी लिए तो मन्त्री बनाये गये हैं, और इन पर लाखों रुपया खर्च किया जाता है कि वे जानकारी रखें।

श्री अध्यक्ष—

जब आप कहते हैं कि जो जवाब मन्त्री ने दिया है वह आपकी सूचना के अनुकूल नहीं है, बल्कि उस के विपरीत है तो उसका तरीका यह नहीं है कि आप मन्त्री से कहें कि आप झूठ बोलते हैं। इसका ढंग यह है कि आप मेरे पास तथ्य लिखकर भेज दें और सन्तुष्ट कर दें तो उस अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है। इस लिए मैं आप से निवेदन कर रहा हूं कि आप लिख कर भेज दें।

श्री लखपतराम शर्मा—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि मैंने मन्त्री जी से प्रश्नकर्ता के प्रश्न के बारे में पूछा और यह भी साथ में पूछा कि जब आपने स्वयं क्षति के बारे में स्वीकार किया है तो क्या सरकार कोई आर्थिक सहायता देने जा रही है या नहीं? लेकिन मन्त्री जी यह कहते हैं कि यदि कोई चाहे तो विस्तृत सूचना दी जा सकती है। जब कि मैंने पहले ही साफ साफ शब्दों में पूछा है।

श्री रक्षपाल सिंह (जिला फतेहपुर)—

यहां पर डी० एम० की असावधानी के बारे में प्रश्न है। आये दिन आग लगा करती है और मन्त्री जी कहते हैं कि वहां पर दमकल स्टेशन नहीं बन सकता है। वहां पर ४० स्थानों पर आग लगी है' सिर्फ खागा तहसील में १०–१२ जगह पर आग लगी है। हर साल २०–३० स्थानों पर आग लगती है। जो आग दो घण्टे में बुझ जानी चाहिए वह दमकल की व्यवस्था वहां पर न होने के कारण दो-दो दिनों में बुझ पाती है। और इस तरह से लाखों की क्षति हो जाती है। तो ११ लाख की आबादी वाले स्थान पर दमकल स्टेशन बनाने में आप को क्या दिक्कत है?

श्री रामकुमार शास्त्री--

श्रीमन्, आजकल नित्य ही अखबारों में आगजनी की घटनायें आया करती हैं, साधारण कारण से ही आजकल आग लग जाती है। जब एक एक दिन में कई कई स्थानों पर आग लगा करती है तो दमकल पहुंचना कैसे सम्भव हो सकता है।

श्री अध्यक्ष--

इनका प्रश्न यह है कि वहां पर दमकल स्टेशन बनाने में आपको क्या कठिनाई है ?

श्री रामकुमार शास्त्री--

आर्थिक कठिनाई है।

श्री लखपतराम शर्मा--

मैं मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस प्रश्न की गम्भीरता को जानते हुए कि स्वयं आप स्वीकार कर रहे हैं कि प्रदेश के अनेक स्थानों पर ऐसी घटनाएं हुई हैं, उस दिशा में क्या कोई आर्थिक सहायता सरकार की तरफ से दी गयी ?

श्री रामकुमार शास्त्री--

अवश्य। जहां-जहां पर आग लगी वहां पर दी गयी यहां पर भी सहायता दी गयी है।

छिबरामऊ ब्लाक में अग्निपीड़ितों को सहायता

*१५--श्री कोतवालसिंह भदौरिया (जिला फर्रुखाबाद)--

क्या राजस्व मन्त्री को ज्ञात है कि २ अप्रैल, १९६६ को फर्रुखाबाद जिले के छिबरामऊ विकास क्षेत्र के अन्तर्गत गांव टुडरापुर (जमामर्दपुर) में एक भीषण आग लग जाने के कारण १८ जाटव परिवारों के घर और उनकी सारी सम्पत्ति स्वाहा हो गयी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

२ अप्रैल, १९६६ को आग-दुर्घटना के कारण ग्राम टडरापुर मजरा जमामर्दपुर में १५ मकना तथा कुछ खलिहान जल गये। लगभग २३,५०० रु० की कुल क्षति हुई। दो लड़कियां भी जल कर मर गयी।

*१६--श्री कोतवालसिंह भदौरिया--

अगर हां, तो सरकार की तरफ से उन पीड़ित और गरीब परिगणित जाति के परिवारों को क्या सहायता प्रदान की गयी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

१५ व्यक्तियों को अहेतुक सहायता के रूप में ३५० रु० सरकार द्वारा वितरित किये गये। इसके अतिरिक्त ४ मन गल्ला मौके पर जनता द्वारा वितरित कराया गया तथा भोजन वितरण का प्रबन्ध किया गया।

नोट:--तारांकित प्रश्न १४ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली' १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

प्रधान, गांव सभा, सेमरुआ के विरुद्ध आरोप

*१—श्री कमला सिंह यादव—

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गांव सभा सेमरुआ परगना व जिला कानपुर की आराजी संख्या ३०७, ३०८, ३०९,३३८ पर दोषपूर्ण अध्यासन करने वाले व्यक्ति न्यायालय के द्वारा बेदखल भी हो चुके हैं फिर भी प्रधान भ्रष्टाचार के बल पर उन्हीं व्यक्तियों का उक्त गांव सभा की भूमि पर अब भी दोषपूर्ण अध्यासन करा कर सरकारी लगान की आय को क्षति पहुंचा रहा है? यदि हां तो क्या सरकार ऐसे भ्रष्ट प्रधान को पदच्युत करने की कृपा करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

इस प्रश्न में उल्लिखित खेतों में से केवल खेत नं० ३०८।२ (१ बीघा १ बिस्वा) तथा ३०९।१ (१५ बिस्वा) ही गांव सभा में निहित है। इन पर किसी का अनधिकार कब्जा नहीं है।

प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

अमेठी डिग्री कालेज मे श्री रामकिशोर शास्त्री की नियुक्ति

*२—श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला सुल्तानपुर के अमेठी डिग्री कालेज के संस्कृत लेक्चरर, श्री राम किशोर शास्त्री की नियुक्ति इस कालेज में कब हुई और क्या इनकी नियुक्ति गोरखपुर विश्वविद्यालय की अनुमति से प्राविजनल तौर पर केवल थोड़े समय के लिए हुई थी? यदि हां, तो प्राविजनल तौर पर की गयी नियुक्ति का क्या कारण था और अब उन की नियुक्ति को स्थायी करने का क्या कारण है और क्या इस के लिए विश्वविद्यालय से सहमति प्राप्त की गयी है?

श्री कैलाश प्रकाश—

श्री राम किशोर शास्त्री की नियुक्ति सन, १९६०–६१ में अवैतनिक प्रवक्ता के रूप में बी० ए० में संस्कृत तथा भारतीय संस्कृति के पढ़ाने के लिए की गयी थी। प्राविजनल नियुक्ति की अनुमति विश्वविद्यालय ने फरवरी' १९६१ में प्रदान की थी। प्राविजनल नियुक्ति इस कारण हुई थी कि विद्यावाचस्पति की उपाधि एम० ए० (संस्कृत) के समकक्ष है अथवा नहीं इसके विषय में कुछ और जानकारी की आवश्यकता थी। उनकी स्थायी नियुक्ति के विषय में विश्वविद्यालय से कोई अनुमति प्रदान नहीं की गयी। यह विषय अभी विश्वविद्यालय में विचाराधीन है।

*३—श्री बैजनाथ सिंह वैद्य—

क्या यह बात सही है कि छात्रों की संख्या को देखते हुए उक्त कालेज के संस्कृत विभाग में नियमानुसार इस पद की न कभी आवश्यकता थी और न है और संस्कृत विभाग के अध्यक्ष ने भी कभी इस पद पर किसी नियुक्ति की मांग नहीं की? यदि हां, तो सरकार ने इस अनियमित नियुक्ति को रद्द करने की क्या कार्यवाही की? और आगे क्या करने जा रही है?

*४श्री बैजनाथसिंह वैद्य

क्या यह बात सही है कि उक्त लेक्चरर के पास अपने वर्तमान पद की नियुक्ति के लिए आवश्यक न्यूनतम शिक्षा सम्बन्धी योग्यता नहीं है ? यदि हां, तो वह किस प्रकार की है ? क्या सरकार उक्त लेक्चरर की शिक्षा सम्बन्धी योग्यता, प्रमाण-पत्रों व डिग्रियों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी और इस नियुक्ति की अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच करने का कष्ट करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश प्रकाश—

इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा जांच की जा रही है ।

ग्राम सभा बड़ा गांव का तहबाजारी का रुपया

*५—श्री लखपतराम शर्मा—

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि क्या यह सत्य है कि ग्राम सभा, बड़ा गांव, झांसी का तहबाजारी का रुपया निम्नलिखित ठेकेदारों पर बकाया निकल रहा है ? यदि हां, तो उसके वसूल न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री धनीराम ठेकेदार पर १९५२–५३ का १,६०० रुपये, १९५४–५५ का ५५५ रुपये, १९६४–६५ का १,८२६ रुपये व १९६३–६४ का श्री हरीदत्त, पुत्र श्री धनीराम ठेकेदार पर ५२४ रु० २५ पैसे हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

बड़ा गांव के बाजार के ठेके का केवल निम्नलिखित धन ठेकेदारों पर बकाया है:—

वर्ष	ठेकेदार का नाम	बकाया धन
		रु० पै०
१९५२–५३	.. धनीराम	.. १,६००.००
१९६३–६४	.. हरीदत्त ..	.. ५२४.२५
१९६४–६५	.. धनीराम	.. १,८२६.००
	योग	.. ३,९५०.२५

इस बकाया की वसूली के प्रयास में कुछ वैधानिक अड़चनों के कारण अभी तक सफलता नहीं मिली ।

*६—श्री लखपतराम शर्मा—

क्या यह भी सत्य है कि उक्त रुपये की वसूली के लिए ग्राम समाज बड़ा गांव (झांसी) द्वारा अनेक प्रार्थना-पत्र तहसीलदार झांसी व जिलाधीश झांसी को दिये गये व अन्तिम प्रार्थना-पत्र तहसीलदार झांसी को दिनांक १८ दिसम्बर, १९६४, १७ फरवरी, १९६५ व ३० जुलाई, १९६५ को रिमाइन्डर की शक्ल में दिये गये ? यदि हां, तो उक्त रकम वसूल न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी हां । कुछ वैधानिक अड़चनों के कारण अभी तक वसूली नहीं हो पायी ।

*७—श्री लखपतराम शर्मा—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सत्य है कि उक्त रुपये की वसूली जो ४,४०५ रु० २५ पैसे है न किये जाने की जिम्मेदारी किस पर है व तहसीलदार के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

उक्त बकाया ३,९५० रु० २५ पैसा है जिसकी वसूली में विलम्ब कुछ वैधानिक कठिनाइयों के कारण हो हुआ है। कोई कर्मचारी विलम्ब के लिए उत्तरदायी नहीं पाया गया अतः किसी के विरुद्ध कारवाई करने का प्रश्न नहीं उठता।

राजेन्द्रनगर, लखनऊ के क्वाटरों में अनियमित आवास

*८—श्री सूरजपालसिंह यादव (जिला बदायूं), तथा श्री कमला सिंह यादव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ में राजेन्द्र नगर कालोनी में जो पी० डब्ल्यू० डी० के क्वार्टर बने हुए हैं उनमें से क्वाटर नं० डी० ९/५, १३/३, ५/६, १०/७, १०/२, व १४/६ में जो सज्जन रहते हैं उनके नाम पर उस क्वार्टर का एलाटमेंट नहीं है और जिन के नाम एलाटमेंट है उन लोगों का लखनऊ से बाहर ट्रांस्फर हो गया है और वे लोग लखनऊ में नहीं रहते हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उनके एलाटमेंट कैन्सिल करने की कृपा करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जहां तक शासन को सूचना है क्वार्टर नं० डी० १०/२ में वही सज्जन रह रहे हैं जिनके नाम उसका आवंटन है। क्वार्टर नं० डी० १३/३ में आवंटनी का परिवार व क्वार्टर नं० १०/७ में आवंटनी के साथ उनके किसी मित्र का परिवार रह रहा है। उनके सम्बन्ध में जांच करायी जा रही है और नियमानुकूल आवश्यक कार्यवाही की जायगी। क्वार्टर नं० डी० ९/५, डी० ५/६ तथा डी० १४/६ में आवंटनी नहीं रह रहे हैं। उन को बेदखल करने की कार्यवाई नियमानुकूल की जा रही है।

*९—श्री सूरजपालसिंह तथा श्री कमलासिंह यादव—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्वार्टर नं० डी० ९/५ जिनके नाम एलाटेड है उन्होंने सरकार को पिछले कई वर्षों से किराया नहीं दिया और उसका खुद किराये पर उठा कर मुनाफा कमा रहे हैं? यदि हां, तो सरकार ने अभी तक उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की और क्या सरकार उनका एलाटमेंट तुरन्त कैन्सिल कराने की कृपा करेगी?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

क्वार्टर नं० डी० ९/५ में इस समय आवंटनी स्वयं नहीं रह रहे हैं। उनका एलाटमेंट कैन्सिल कर दिया गया है तथा उनसे बकाया किराये की वसूली व उनको बेदखली की कार्यवाही की जा रही है।

*१०—श्री सूरजपालसिंह तथा श्री कमलासिंह यादव—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त कालोनी में क्वार्टर नं० डी० ९/३, ३/१, व ७/३ में रहने वाले लोगों को सरकार से मकान बनाने के लिए लोन मिला है और उन्होंने मकान बनवाकर उसको अधिक किराये पर उठाकर एक तरह से बिजिनेस कर रहे हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उनके एलाटमेंट कैन्सिल करने की कृपा करेगी जिससे कि अन्य सरकारी कर्मचारियों को मकान की सुविधा हो सके?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

क्वार्टर नं० डी० ९/३ के आवंटनी को सरकार से मकान बनाने के लिए कोई ऋण मिलने की सूचना सरकार के पास नहीं है। क्वार्टर नं० डी० ३/१ व डी० ७/३ के आवंटनी ने सरकार से मकान बनाने का कर्ज लेकर मकान बनाया है। नियमों में ऐसी परिस्थितियों में सम्बन्धित व्यक्तियों का आवंटन रद्द करने का कोई प्राविधान नहीं है, अतः इस का प्रश्न नहीं उठता।

जुडीशियल मैजिस्ट्रेट, मुहम्मदाबाद के विचाराधीन ग्राम समाज संबंधी मुकदमे

*११---श्री उमाशंकर (अनुपस्थित)---

क्या राजस्व मन्त्री कृपा करके बतायेंगे कि आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील के कितने ग्राम समाज की भू-सम्पत्ति सम्बन्धी बाद सन् १९६४-६५ में किसी दूसरी अदालत में स्थानान्तरित होकर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, मुहम्मदाबाद की अदालत में फैसले के लिए भेजे गये?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

५९।

*१२---श्री उमाशंकर (अनुपस्थित)---

क्या राजस्व मन्त्री यह बता सकते हैं कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, मुहम्मदाबाद की अदालत में कितने ग्राम समाज सम्बन्धी मुकदमें सन् १९६४ और १९६५ में रहे हैं?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

१९६४ में ६१ वाद प्राप्त हुए जिसमें से ५० फैसल हुए। १९६५ में ६७ वाद प्राप्त हुए और ७४ फैसले हुए। इस प्रकार १९६५ के अन्त में केवल ४ वाद विचाराधीन रहे।

आंवला-सिरौली सड़क

*१३---श्री हरीशकुमार गंगवार---

क्या सरकार को ज्ञात है कि बरेली में आवला-सिरौली रोड का निर्माण तृतीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित होने पर भी अभी तक नहीं हुआ है? रोड का निर्माण कब तक हो जायगा?

श्री जगनप्रसाद रावत---

जी हां। प्रश्नगत सड़क का निर्माण कार्य अभी पूरा नहीं है। इस के दिसम्बर, १९६७ तक पूरा होने की आशा है।

चन्द्रप्रभा पशु बिहार में अध्याप्त भूमि

*१४---श्री ऊदल---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मौजा बलिआरी, तहसील नौगढ़, तहसील चकिया, जिला वाराणसी, के खोचढ़, रामनन, राजाराम, देवन, जगरनाथ रामनन्दन, जछन, बुधराम, सदल, विश्वनाथ, लालता, मु० महराजी, मोलई, मु० दुखैती काश्तकारों की जमीन चन्द्रप्रभा सेंक्चुअरी (शेर पालने हेतु) के लिए कब ली गयी थी और उस के बदले उन्हें गांव तेंदुआ तहसील चकिया में जमीन देकर बसाया गया है? यदि हां, तो क्या इनकी जमीन की मालगुजारी अब भी बलिआरी गांव के खेतों को ली जो रही है और तेंदुआ की नहीं? यदि हां, तो ऐसा क्यों?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

चन्द्रप्रभा पशु बिहार बनाने के लिए सर्वश्री राजाराम, सीताराम, रघू, राम रूप, बफऊ, खीचड़, चुन्नू, बुधराम, देव नन्दन, देवन व सुखराम की भूमि १९५७-५८ में उन की राजी से ली गयी थी और उन्हें तेंदुआ गांव के पास बन भूमि पर बसाया गया था। उक्त किसानों से बलिआरी गांव की भूमि की मालगुजारी इसलिए ली जाती रही क्योंकि उस भूमि की मालगुजारी खारिज कराने के आदेश उन्होंने परगनाधिकारी से प्राप्त नहीं किये। तेंदुआ गांव के पास की भूमि की मालगुजारी नहीं ली जाती है क्योंकि भूमि बन विभाग की थी। इन किसानों से अब १४-१२-६५ से बलिआरी गांव की भूमि की मालगुजारी की वसूली स्थगित कर दी गयी है।

आजमगढ़ जिला परिषद् के अदीक्षित अध्यापकों का बकाया वेतन

*१५---श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़) तथा श्री झारखंडे राय (अनुपस्थित)---

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिला परिषद् के अधीन काम करने वाले लगभग ४०० अपर प्राइमरी स्कूल के प्रशिक्षित अध्यापकों का वेतन फरवरी, सन् १९६५ से आज तक परिषद् द्वारा प्रदान नहीं किया गया है? यदि हां, तो सरकार द्वारा कौन सी कार्यवाही की जा रही है?

श्री कैलाश प्रकाश---

जी हां, अभी तक लगभग ४०० अपर प्राइमरी स्कूलों के अदीक्षित अध्यापकों का वेतन फरवरी, सन् १९६५ से नहीं दिया गया।

सूचना मिली है कि ८ मास के वेतन बिल बन चुके हैं तथा अवशेष मासों का वेतन भी शीघ्र ही भुगतान कराने का प्रयास किया जा रहा है।

फतेहपुर जिले में मिश्रित तथा बालिका जूनियर बेसिक स्कूल

*१६---श्री रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपुर)---

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि शिक्षा प्रसार योजना के अन्तर्गत फतेहपुर जिले के प्रत्येक विकास खण्डों के कुछ ग्रामों में योजना की शुरूआत से दिसम्बर, १९६५ तक प्राथमिक मिश्रित तथा बालिका पाठशालायें स्थापित की गयीं और उन्हें भवन निर्माण हेतु कुछ आर्थिक सहायता भी उपलब्ध की गयी है? यदि हां, तो भिन्न-भिन्न तरह की पाठशालायें कब और कहां स्थापित की गयीं तथा प्रत्येक को कब और कितनी आर्थिक सहायता भवन निर्माण हेतु दी गयी?

श्री कैलाश प्रकाश---

तृतीय पंचवर्षीय आयोजनान्तर्गत शिक्षा प्रसार हेतु फतेहपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में दिसम्बर, १९६५ तक खोले गये मिश्रित तथा बालिका जूनियर बेसिक स्कूलों की तालिका संलग्न है।

इन स्कूलों को १,००० रु० प्रति विद्यालय की दर से भवन निर्माण अनुदान स्वीकृत किया गया है।

*१७---श्री रामकिशोर वर्मा---

क्या शिक्षा मन्त्री को जानकारी है कि उक्त पाठशालाओं के लिए दी गयी भवन निर्माण सम्बन्धी आर्थिक सहायता का कुछ ने पूरा तथा कुछ ने आंशिक धन भी व्यय न करके दुरुपयोग किया है और कुछ ने आंशिक खर्च कर पूरे धन का व्यय दिखा कर कम कीमत के भवन निर्माण किये हैं?

श्री कैलाश प्रकाश—

भवन निर्माण हेतु स्वीकृत अनुदान का कुछ विद्यालयों ने पूर्ण रूप से तथा कुछ ने आंशिक रूप से उपयोग कर लिया है। कुछ विद्यालयों का भवन निर्माण कार्य अभी शुरू नहीं हो पाया है किन्तु उक्त अनुदान के दुरुपयोग की कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई है।

*१८—श्री रामकिशोर वर्मा—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या दी गयी भवन निर्माण सम्बन्धी धनराशि प्रधानों की ग्राम पंचायत पास बुकों में डाल दी गयी है।

श्री कैलाश प्रकाश—

जी हां।

कानपुर जिले में सिकन्दरा-झींझक सड़क

*१९—श्री राजनारायण मिश्र (जिला कानपुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला कानपुर में सिकन्दरा से मंगलपुर होती हुई जो रोड झींझक जाती है, उसे कई वर्षों से सार्वजनिक निर्माण विभाग ने अपने अन्तर्गत ले रखा है ? यदि हां, तो इसको अभी तक पक्का न करने का क्या कारण है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

इस सड़क को कच्ची सड़क के रूप में निर्माण करने हेतु १९४६-४७ में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा लिया गया था। इस सड़क को पक्का करने की अभी कोई योजना नहीं है।

*२०—श्री राजनारायण मिश्र—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी इस मार्ग पर जब से उक्त विभाग ने लिया है कितना व्यय करके मिट्टी डलवाई गई जो कि बरसातों में बह गई या नहीं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

इस सड़क के निर्माण के समय मिट्टी डलवाने पर ८५,१६० रुपये व्यय हुए। कच्ची सड़क होने के कारण कहीं-कहीं मिट्टी बह जाती है जो सड़क की मरम्मत व रख-रखाव हेतु मिलने वाली वार्षिक धनराशि से ठीक करा दी जाती है।

*२१—श्री राजनारायण मिश्र—

क्या सरकार द्वारा इस मार्ग पर कई स्थानों पर पक्की पुलियों के निर्माण भी कराए गए थे जो कि इस मार्ग के मरम्मत न होने के कारण गिर गई हैं ? यदि हां, तो इनकी मरम्मत न कराने के क्या कारण हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

इस मार्ग पर पक्की पुलियों के निर्माण कराए गए थे पुलियों की दशा ठीक है। परन्तु कुछ पुलियों के पैरापेट टूट गए हैं जिनकी मरम्मत का प्रबंध किया जा रहा है।

सिटी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गाजीपुर के शिक्षकों का वेतन

*२२—श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय सिटी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गाजीपुर के शिक्षकों के राजकीय सेवाओं में विलीनीकरण तथा उनकी पूर्व सेवाओं को राजकीय सेवा में सम्मिलित कर लेने एवं उनके वेतन निर्धारण के संबंध में शिक्षा विभाग को क्यों विलम्ब लग रहा है, जबकि सरकार द्वारा तत्सम्बन्धी आदेश हो चुका है ?

श्री कैलाशप्रकाश--

विभाग एवं लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा अध्यापकों की राजकीय सेवा में विलीन करने के लिए उनकी उपयुक्तता की जांच की जा रही है। प्रांतीयकरण से पूर्व की सेवाओं को राजकीय सेवा में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है और न इस संबंध में कोई राजकीय आदेश जारी करने का प्रश्न ही उठता है। जहां तक वेतन निर्धारण का प्रश्न है, आवश्यक पत्रादि एकत्र किए जा रहे हैं।

आदर्श इण्डस्ट्रियल संस्कृत विद्यालय, गोसाईगंज को अनुदान

*२३—श्री सुखरामदास तथा श्री राजाराम (जिला फैजाबाद)—

क्या शिक्षा मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि आदर्श इंडस्ट्रियल संस्कृत विद्यालय, गोसाईगंज जिला फैजाबाद के नाम निम्नलिखित ग्रांट सरकार के संस्कृत विभाग द्वारा स्वीकृत हुई :

		रु०
(१)	डी-२३११।१५--३२६-६०	२६,०००
(२)	डी-२६७६।१५--३३१-६०	२,०००
(३)	डी-३६६३।१५--३३०-६०	५८,०००
(४)	डी-२२४८।१५--३२०-६०	७२,०००
(५)	डी-२४५६।१५--३०३७-६०	७,०००
	कुल ..	१,६५,०००

श्री कैलाशप्रकाश—

जी नहीं।

*२४—श्री सुखरामदास तथा श्री राजाराम—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त मांगों के लिए किसने और कब-कब प्रार्थना-पत्र दिए तथा कौन-कौन व्यक्तियों ने उसके लिए सिफारिश की ?

*२५—श्री सुखरामदास तथा श्री राजाराम—

क्या यह सही है कि किसी अनधिकृत व्यक्ति ने जुलाई और सितम्बर, १९६१ में जाल करके रुपया निकाल लिया और विद्यालय को वह नहीं मिला ? यदि हां, तो सरकार ने इस जाल की पूरी जांच के लिए अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

प्रश्न नहीं उठता।

*२६—श्री जगन्नाथ राव—

[८वें बुधवार के लिए प्रश्न संख्या १८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

मिठउवा ग्राम के भूमिहीनों को जमीन

*२७—श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले के तहसील डुमरियागंज के ग्राम मिठउवा, टप्पा, बारिक पार में बंजर की जमीन पट्टे पर उठाई जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मिठउवा गांव के भूमिहीनों को ही उक्त जमीन दिलाने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी हां। भूमि प्रबंधक समिति भूमिहीनों के हितों का ध्यान रख रही है।

देवरिया जिले में सड़कों का निर्माण

*२८—श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले में हाटा-पिपराइच और हाटा-कप्तान गंज सड़क का निर्माण-कार्य कब से प्रारम्भ होगा ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

हाटा-पिपराइच सड़क की वित्तीय स्वीकृति अभी नहीं दी गई है। अतः कार्यारम्भ कब से होगा, बताना इस समय संभव नहीं है। हाटा-कप्तानगंज सड़क का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

मथुरा जिले में सड़कों का निर्माण

*२९—श्री लखीसिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चौथी पंचवर्षीय योजना में मथुरा जिले में कौन-कौन सी पक्की सड़कों का निर्माण होगा और इनमें पहला और दूसरा नम्बर किस-किस सड़क का है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

सड़कों व पुलों की चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का आकार व रूपरेखा अभी निश्चित नहीं हुई है। अतः अभी यह निश्चित नहीं है कि उस योजना में कौन-कौन सी सड़कों का निर्माण होगा।

*३०—श्री लखीसिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह भी बतायेंगे कि बृज यात्रा सड़क के लिए वित्तीय वर्ष १९६४-६५ में कितना धन स्वीकार हुआ था और उससे कितनी और कहां-कहां सड़कों का निर्माण किया गया ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

१९६४-६५ में इस सड़क के राल राधाकुंड भाग के निर्माण के लिए १०० रु० का एक सांकेतिक अनुदान स्वीकृत किया गया था, जो भूमि अधिगृहित न होने के कारण व्यय अभी नहीं किया जा सका।

विकास क्षेत्र, उमर्दा में जमीन के पट्टे

*३१—श्री होरीलाल यादव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम समाज, फखरपुर बरेवा, विकास क्षेत्र उमर्दा, जिला फर्रुखाबाद ने १ जनवरी, ६२ से ३१ दिसम्बर, १९६५ तक किन-किन काश्तकारों को पट्टे दिए, कौन-कौन मौजा के हैं और कौन-कौन बाहर के हैं ? मौजे से किन-किन लोगों के प्रार्थना-पत्र जमीन पाने के लिए प्राप्त हुए थे उनमें भूमिहीन कौन-कौन थे ? यह सत्य है कि प्रधान ग्राम समाज ने अपने परिवार के लोगों को भिन्न-भिन्न नाम से पट्टा देकर जमीन ले ली और उनमें से कुछ नाबालिग भी हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

सूचना सदन की मेज पर रखी है। पट्टा लेने वाले व्यक्तियों में केवल दो व्यक्ति मौजीलाल सभूती प्रधान के संबंधी हैं। दोनों बालिग हैं।

(देखिए नत्थी "ब" आगे पृष्ठ ६९७-६९८ पर)

जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, अहरौला के अध्यापकों को वेतन न मिलना

*३२—श्री रियासत हुसैन तथा श्री सुखरामदास—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, अहरौला, जिला आजमगढ़ के अध्यापकों को जुलाई, १९६५ से दिसम्बर, १९६५ तक का वेतन अभी नहीं मिला है ? यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जुलाई, ६५ से नवम्बर, ६५ तक संपूर्ण वेतन का तथा कुछ अध्यापकों का दिसम्बर ६५ का वेतन वितरित किया जा चुका है ।

लालनपुर ग्राम में विधवा के खेत का पट्टा ।

*३३—श्री कल्पनार्थासिंह—

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ग्राम लालनपुर, परगना नत्थूपुर, तहसील घोसी, जिला आजमगढ़ के लेखपाल ने किसी विधवा के खेत पर अपने भाइयों का नाम लिख दिया है ? यदि हां, तो किस-किस खसरा नम्बर का नाम लिखा गया है और उसका फार्म प० क० १० कब दिया गया है तथा किसको ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी नहीं । प्रश्न का बाकी भाग नहीं उठता ।

*३४—श्री कल्पनार्थासिंह—

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि इसकी पूरी जांच करा कर पूरा विवरण देने का कष्ट करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

प्रश्न नहीं उठता ।

संस्कृत अध्यापकों को लाभत्रयी योजना का लाभ न मिलना

*३५—श्री रामसुन्दर शास्त्री (जिला गाजीपुर)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अध्यापकों के हेतु बनाई गयी लाभत्रयी योजना (ट्रिपिल बेनीफिट स्कीम) का लाभ राजसत्ता मान्य एवं राज्य सहायता प्राप्त तथा वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्कृत महाविद्यालयों तथा संस्कृत पाठशालाओं के अध्यापकों को भी प्राप्त होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी नहीं । यह योजना केवल प्राइमरी, जूनियर हाई स्कूल, हायर सेकेन्ड्री स्कूल, डिग्री कालेजों तथा ट्रेनिंग कालेजों के लिए ही लागू है ।

*३६—श्री रामसुन्दर शास्त्री—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजसत्ता मान्य एवं राज्य सहायता प्राप्त संस्कृत महाविद्यालयों तथा संस्कृत पाठशालाओं के अध्यापकों के लाभार्थ कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

अभी नहीं।

*३७—श्री उल्फतसिंह यादव—

[पुनरावृत्ति होने के कारण हटा दिया गया।]

"रुटेल्स आफ इण्डिया" एण्ड "ओरियंट टेल्स" पुस्तकों पर आपत्ति

*३८—श्री झारखण्डे राय (अनुपस्थित)—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उनके विभाग और राज्य सरकार का ध्यान अमेरिका और ब्रिटेन की अंग्रेजी में प्रकाशित बाल साहित्य संबंधी न्यूयार्क से छपी "टेल्स आफ इण्डिया" और लन्दन से छपी "ओरियंट टेल्स" नामक पुस्तकों में महाभारत और रामायण संबंधी कथाएं और घटनाएं गलत और तथ्यहीन, निराधार रूप में दिखाई गई है? और ये पुस्तकें बाल साहित्य के नाम पर लखनऊ के मिशनरी ही नहीं, अन्य अनेक बाल विद्यालयों में पढ़ाई जा रही है?

श्री कैलाशप्रकाश—

सूचना मिली है कि प्रश्नगत पुस्तकें लखनऊ के किसी भी मान्यता प्राप्त आंग्ल-भारतीय अथवा अन्य स्कूलों में नहीं पढ़ाई जा रही है।

*३९—श्री झारखण्डे राय (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस राष्ट्रीय अपमानपूर्ण एवं तथ्यहीन झूठी पुस्तकों पर प्रतिबन्ध लगाने का वह विचार कर रही है अथवा कर चुकी है?

श्री कैलाशप्रकाश—

प्रश्न नहीं उठता।

प्रधानाचार्य, दीक्षा विद्यालय, उरई के विरुद्ध आरोप

*४०—श्री मुन्नूसिंह (जिला बहराइच) तथा श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जालौन जिले के राजकीय नार्मल स्कूल के प्रधानाचार्य के संबंध में कोई शिकायती-पत्र सरकार को या जिला विद्यालय निरीक्षक, जालौन को सन् १९६५ में प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उसमें मुख्य-मुख्य आरोप क्या हैं?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी हां। मुख्य-मुख्य आरोप यह है—

(१) श्री श्याम नारायण तिवारी, सहायक अध्यापक, राजकीय दीक्षा विद्यालय, उरई (जालौन) ने छात्रावास से अध्यापक का निवास स्थान प्रधानाचार्य की इच्छानुसार खाली रक्खा और १५ रुपया मासिक किराए पर अलग मकान ले कर रहे।

(२) प्रधानाचार्य के पुत्र को पढ़ाया और उसका पारिश्रमिक नहीं दिया।

(३) प्रधानाचार्य को लगभग तीन वर्ष तक घी खिलाया।

(४) प्रधानाचार्य की स्त्री जो कि जूनियर हाई स्कूल १९६४ में जिला झांसी की गणित द्वितीय प्रश्न पत्र की परीक्षिका थीं उन कापियों को अध्यापक कैसे जंचाया और जांच पड़ताल होने पर बयान प्रधानाचार्य की इच्छानुसार दिया।

(५) अध्यापक ने सन् १९६५ के इंटरमीडिएट परीक्षा के डेबुलेशन का कार्य-संपादन किया जो प्रधानाचार्य का कार्य था।

*४१--श्री मुन्नूसिंह तथा श्री विजयसिंह—

क्या सरकार को ज्ञात है कि राजकीय नार्मल स्कूल, उरई, जिला जालौन सन् १९६४ तथा १९६५ में बड़े दिन के अवसर पर १ मास या १५ दिन तक बन्द रहा ? यदि हां, तो क्यों और अनधिकृत रूप से विद्यालय बन्द रखने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कायवाही की गई ?

श्री कैलाश प्रकाश—

जी नहीं। राजकीय दीक्षा विद्यालय, उरई १९६४ में ११ दिन तथा १९६५ में १० दिन की छुट्टी थी।

प्रश्न नहीं उठता। अवकाश की स्वीकृति जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा की गई थी।

आजमगढ़ जिला परिषद् स्कूलों का निरीक्षण

*४२—श्री मंगलदेव (जिला आजमगढ़)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिला परिषद् के कितने उप-सहायक विद्यालय निरीक्षकों ने अपने क्षेत्र के कितने स्कूलों का दो बार निरीक्षण किया है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिए नत्थी "ग" आगे पृष्ठ ६९९ पर)

हुसेपुर ग्राम में रास्ते की जगह न होना

*४३—श्री रघुनाथ (जिला बलिया), श्री झिलमिटराम (जिला गाजीपुर), श्री विजयपालसिंह (जिला मुजफ्फरनगर), और श्री रघुवीर (जिला गाजीपुर)—

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि जिला गाजीपुर, तहसील मोहम्मदाबाद, ग्राम हुसेपुर में आराजी नम्बर ४७, जो श्री दशरथ, श्री गनपत श्री शितलू के नाम थी, राजभरों की आबादी से लगी हुई है और उसी नम्बर से मिला हुआ पानी पीने का कुंआ ग्राम व्यक्तियों के आने-जाने का रास्ता था ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी हां, आराजी नं० ४७ आबादी से लगा हुआ है और उससे १२ फीट की दूरी पर पानी पीने का कुंआ आने जाने का रास्ता आबादी के नम्बर में स्थित है।

*४४—सर्वश्री रघुनाथ, झिलमिटराम, विजयपालसिंह तथा रघुवीरसिंह—

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि उपरोक्त नम्बर जो आबादी के लिए छोड़ा गया था उसे ए० सी० सी० ने चेक आउट कर दिया और काश्तकारान इस नम्बर के चारों तरफ चहार दिवारी बना रहे हैं और उसमें बाग भी लगा रहे हैं, जिससे ग्राम निवासियों का रास्ता व पानी पीने के कुंये का रस्ता बन्द हो गया है ? यदि हां, तो जनता को रस्ता देने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

आराजी नं० ४७ १ क्षेत्रफल १ विस्वा १३ धुर आबादी होने के कारण चकबन्दी योजना से बाहर रहा। आराजी नं० ४७ / २ क्षेत्रफल ३ विस्वा ४ धुर आबादी के लिए सुरक्षित किया गया परन्तु इसके विरुद्ध उज्रदारी होने पर बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी ने मौका मुआयना किया। चूंकि इस भूमि पर बाग लगा हुआ था इसलिए ५ विस्वा बाग वाले रकबे को बाग

बर्ज किया गया। इसी सरकार के उत्तरी-दक्षिणी मेड़ों पर कुछ दूरी तक कच्ची मिट्टी की दीवाल काश्तकारों ने उठा ली है। इससे कुंए का रास्ता बन्द नहीं होता है। अन्न का दूसरा भाग नहीं उठता है।

माध्यमिक विद्यालयों से संबंधित प्राइमरी पाठशालाओं के अध्यापकों को अन्तरिम सहायता न मिलना

*४५—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि सरकार ने जी० ओ० नं० सी० ११-४७८७—एक्स० बी०, दिनांक जुलाई, १९६५ द्वारा गैर सरकारी संस्थाओं में शिक्षण कार्य करने वाले सभी स्तरों के शिक्षकों, लिपिकों तथा अन्य कर्मचारियों को २० रुपया अंतरिम सहायता के रूप में घोषणा की थी और वह मिल भी रही है लेकिन उपरोक्त सरकारी आदेशानुसार यह सहायता अभी तक उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों से संबंधित प्राथमिक पाठशालाओं को शिक्षक अधिकारी नहीं दे रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कैलाशप्रकाश—

उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों से संबंधित केवल उन्हीं प्राइमरी पाठशालाओं कक्षाओं के अध्यापकों को २० रुपया मासिक बढ़ोत्तरी दी जावेगी जो कि शिक्षा विभाग से मान्यता एवं सहायता प्राप्त है।

*४६—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या यह सही है कि इसके पिछले भी जो सहायता दी गई थी वह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से संबंधित पाठशालाओं के शिक्षकों को नहीं दी गई ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कैलाशप्रकाश—

इसके पूर्व महंगाई भत्ता देने के संबंध में जो आदेश थे वे केवल सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों एवं इंटरमीडिएट विद्यालयों के शिक्षकों के लिए ही लागू थे।

जिलापरिषद् अध्यापकों को जे० टी० सी० ग्रेड न मिलना

*४७—श्री महादेव (जिला फैजाबाद)—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय मांडल स्कूलों में कार्य करने वाले बी० टी० सी० या एच० टी० सी० अध्यापकों को (जो हाई स्कूल उत्तीर्ण हैं) जे० टी० सी० का ग्रेड दे दिया जाता है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी हां।

*४८—श्री महादेव—

क्या उक्त ग्रेड दे दिया गया है, तो क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला परिषद् के अन्तर्गत कार्य करने वाले बी० टी० सी० या एच० टी० सी० अध्यापकों को सरकार ने अब तक जे० टी० सी० का ग्रेड क्यों नहीं दिलाया ?

श्री कैलाश प्रकाश—

जिला परिषदों के अन्तर्गत संचालित स्कूल गवर्नमेन्ट मांडल स्कूलों को श्रेणी में नहीं आते।

गांव सभा बिनौर व पकरी में भूमि पर दोषपूर्ण अध्यासन

*४९—श्री लखपतराम शर्मा—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि गांव सभा बिनौर परगना व जिला कानपुर की भूमि पर से दोषपूर्ण अध्यासन हटाने के हेतु तहसीलदार कानपुर को वित्तीय वर्ष १९६३-६४ तथा १९६४-६५ में लेखपाल ने कितनी रिपोर्ट की है ?

*५०—श्री लखपतराम शर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि गांव सभा पकरी, परगना व जिला कानपुर की गांव सभा की भूमि पर से दोषपूर्ण अध्यासन हटाने के हेतु तहसीलदार, कानपुर को वित्तीय वर्ष, १९७३-६४ तथा १९६५ में लेखपाल ने कितनी रिपोर्ट की है ?

श्री हुकुमसिंह बिसेन—

कोई नहीं ।

पवह नाले पर पुल का निर्माण

*५१—श्री नरसिंह नारायण पाण्डेय (अनुपस्थित)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले की कसया बानी रोड जो तैयार हो गई है तथा पवह नाला पर हड़हवा मुकाम पर कोइला डांड के आगे जो पुल बनना है उसकी अलग अलग क्या प्रगति है तथा कार्य कब तक शुरू होने की आशा है तथा कब तक समाप्त हो जायेगा ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

प्रश्न गत सड़क की प्रगति के बारे में सूचना संलग्न सूची में दी हुई है। पुल का निर्माण कार्य मार्च, १९६६ से प्रारम्भ कर दिया गया है और दिसम्बर, १९६८ तक पूर्ण होने की आशा है। पुल की प्रगति की सूचना भी संलग्न सूची में दी हुई है।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ७०० पर)

मथुरा जिले के गांवों में प्लाटों का नीलाम

*५२—श्री लखीसिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम चौमुहां व पैगांव व हताना व फालिन व बुखारारी व तरौली व सेई व बठेन कलां व कामर व अगराला व कमई व बरसाना व हाकिया व गडोय व शेरगढ व महुराना व सहार व नरी इन गांवों के प्लाटो की आबादी में नीलाम का धन कितना पचायतों के कोष में अलग अलग जमा हुआ है ? इसकी सूची सदन की मेज पर रखी जायगी ?

श्री हुकुमसिंह बिसेन—

वांछित सूची सदन की मेज पर रखी है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ७०१ पर)

पीलीभीत जिले में अप्रशिक्षित अध्यापिकाओं की ट्रेनिंग

*५३—श्री अनीसुर्रहमान (जिला नैनीताल)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अध्यापिकाओ के सचल प्रशिक्षण में जो कि ३ १/२ महीने की है पीलीभीत जिले की कितनी अध्यापिकायें सम्मिलित की गई हैं और उनके चुनाव का आधार क्या है ?

श्री कैलाश प्रकाश—

सचल ट्रेनिंग की कोई योजना नहीं है। लेकिन अधीक्षित अध्यापिकाओं को कुल ७ मास की दो पाली की ट्रेनिंग दो वर्षों में दिये जाने की योजना आरम्भ की गई है।

उक्त ट्रेनिंग में पीलीभीत जिले की कोई अध्यापिका सम्मिलित नहीं है।

सरदार पटेल मेमोरियल स्कूल, कानपुर में सैनिक के पुत्र की फीस न माफ होना

*५४—श्री शिवचरण (जिला आगरा)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फौज में काम करने वाले जवानों के लड़कों और लड़कियों की फीस माफ की जाती है? यदि हाँ, तो सूबेदार गुलाब सिंह, सी० कम्पनी २२ मराठा लाइट इन्फेंट्री के० आ० ५६ ए० पी० ओ० का लड़का अशोक कुमार, कक्षा ७ सरदार पटेल मेमोरियल स्कूल, निरालानगर जूही, कानपुर और लड़की शीला देवी, कक्षा ७—बी बालिका कान्यकुब्ज कालेज, किदवाई नगर, कानपुर की फीस क्यों नहीं माफ की गई है?

श्री कैलाश प्रकाश—

जी हां, मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा १० तक फीस माफ की जाती है।

सरदार पटेल मेमोरियल स्कूल, निरालानगर, जूही कानपुर की केवल जूनियर बेसिक स्तर की (१ से ५ कक्षायें) मान्य हैं। ऊपर की कक्षायें मान्यता प्राप्त नहीं हैं। अतः अशोक कुमार कक्षा ७ की फीस माफ नहीं की गई है। शीला देवी कक्षा ७ बी बालिका कान्यकुब्ज कालेज, किदवई नगर, कानपुर की शिक्षा शुल्क माफ है।

*५५—श्री शिवचरण—

क्या मंत्री जी शीघ्र ही इन दोनों बच्चों की फीस माफ करने की कृपा करेंगे?

श्री कैलाश प्रकाश—

नियमानुसार अमान्य कक्षाओं में पढ़ने वाले लड़कों की फीस माफ कराना सम्भव नहीं है। उपर्युक्त लड़के की फीस पहले से ही माफ है।

ग्राम बहरामपुर में भूमि सं० २५० पर काबिज

*५६—श्री बांकेलाल (जिला बेलरिया)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम बहरामपुर तप्पा कस्बा परगना हवेली, तहसील जिला गोरखपुर के १३२२ फसली अथवा सन, १९०८ के बन्दोबस्त भूमि सं० २७० व २७१ इस समय किस संस्था में परिवर्तित हैं? उसके मालिक तथा काबिजदाराना कौन थे और अब कौन हैं?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

खेतों के नम्बर वही हैं जो १३२२ फ० के० बन्दोबस्त में थे। मालिक तथा काबिजदारान के नाम खेवट तथा खसरे में अंकित हैं जिनकी नकल ली जा सकती है।

*५७—श्री बांकेलाल—

क्या राजस्व मंत्री जी बतायेंगे कि उक्त ग्राम की वर्तमान भूमि सं०२५० भूतपूर्व बन्दोबस्त सन, १३२२ फसली अथवा सन, १९०८ ई० के किस भूमि संख्या की अंग है उसके मालिक तथा काबिजदारान इस समय कौन है और उस समय कौन थे?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

खेत का नम्बर अब भी वही है जो १३२२ फ० के० बन्दोबस्त मे था। मालिक तथा काबिजादारान के नाम खेवट तथा खसरे में अंकित हैं जिसकी नकल नियमानुसार ली जा सकती है।

*५८—श्री बांकेलाल—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन नम्बरों का क्षेत्रफल पहले कितना था तथा इस समय कितना है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

क्षेत्रफल में कोई अन्तर नहीं हुआ है।

चकिया–नौगढ़ सड़क की खराब हालत

*५९—श्री ऊदल—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चकिया से नौगढ़ जिला वाराणसी की सड़क जो सार्वजनिक निर्माण विभाग की है उसकी हालत बहुत खराब है ? यदि हां तो उसको बनवाने के संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

प्रश्नगत सड़क का केवल ९ मील ४ फर्लांग का भाग सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन है, जिसकी हालत सन्तोषजनक है। इस पर पानी निकलने के लिये जो काजवेज हैं उनका सुधार कार्य प्रगति पर है।

राजनीतिक पीड़ित छात्रों को छात्रवृत्ति

*६०—सर्व श्री गिरजाप्रसाद तथा होरीलाल यादव (जिला गोन्डा)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजनैतिक पीड़ित छात्रों को अभी तक छात्रवृत्ति नही स्वीकृत की गई है ? इस संबंध में सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री कैलाश प्रकाश—

राजनैतिक पीड़ित छात्रों को योजनान्तर्गत गत वित्तीय वर्ष में सभी छात्रवृत्तियां स्वीकृत की जा चुकी हैं।

राजकीय इण्टर कालेज, इलाहाबाद के कर्मचारियों व अध्यापकों का वेतन

*६१—श्री सत्यनारायण पान्डेय (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार राजकीय इन्टर कालेज, इलाहाबाद के अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों की कठिनाइयों को देखते हुए तत्काल अक्तूबर, १९६५ मास का वेतन दिये जाने की व्यवस्था करेगी ?

श्री कैलाश प्रकाश—

राजकीय इन्टर कालेज, इलाहाबाद के संबंधित अध्यापकों, कर्मचारियों को अक्तूबर, १९६५ मास का रुका हुआ वेतन, वितरित किया जा चुका है।

[६ मई, १९६६ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न ।]

परगनाधीश सगड़ी के विचाराधीन दाखिल खारिज के मुकदमें

*१---श्री रामसुन्दर पाण्डेय---

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील सगड़ी, जिला आजमगढ के ग्रामों के कितने मुकदमें दाखिल खारिज के तहसीलदार तथा परगनाधीश सगड़ी की अदालत में बिचाराधीन हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

तहसील और हाकिम परगना की अदालत में मिलाकर दिनांक ५-३-१९६६ तक १३६६ मुकदमें बिचाराधीन थे ।

*२---श्री रामसुन्दर पान्डेय---

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधीश ने दिनांक १७ दिसम्बर, १९६५ को बन्द अल्मारी में लगभग १,७०० फाइलों को पकड़ा है ?

श्री हुकुमसिंह बिसेन---

लगभग १,५०० मिसिलें पाई गई थीं जिनमें फैसला बाकी था । अब इन सब में फैसला हो गया है ।

*३---श्री रामसुन्दर पन्डेय---

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम दुबारी, तहसील घोसी, जिला आजमगढ़ के १३९ व्यक्तियों के हस्ताक्षर को दिनांक २८ मई, १९६४ का लिखित प्रार्थना पत्र उन्हें तथा जिलाधीश आजमगढ को प्राप्त हुआ है जिसमें भूतपूर्व परगनाधीश की शिकायत है तथा लगभग ४०० व्यक्तियों की जमीन बेदखल न करने की मांग की गई है ? यदि हां, तो उक्त प्रार्थना पत्र की जांच किस अधिकारी द्वारा और कब कराई गई तथा प्रार्थियों से भी बयान आदि लिये गये? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

जी नहीं ।

*४-५---सर्व श्री गणेशचन्द्र काछी तथा रणबहादुरसिंह---

[१४ अप्रैल, १९६६ के लिये प्र० सं० १३-१४ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया ।]

लाइब्रेरियन-कम-अध्यापक प्रशिक्षण योजना

*६---श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)---

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अग्रिम कार्यवाही स्कीम के अन्तर्गत लाइब्रेरियन कम अध्यापक प्रशिक्षण की योजना लागू की गई है ? यदि हां, तो क्या योजना का विस्तृत विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगी ?

श्री कैलाश प्रकाश---

जी हां । योजना का विवरण संलग्न राजाज्ञा में दिया है ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ७०२-७०४ पर)

*७---श्री मैनेजरसिंह---

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षित होने वाले अध्यापकों को २० रुपये प्रतिमाह का भत्ता देने का आदेश हुआ था जो बाद में निरस्त

कर दिया कृया है। यदि हां, तो क्या संबंधित राजाज्ञा सदन की मेज पर खरने की कृपा करेंगे ?

श्री कैलाशप्रकाश--

जो नहीं।

*८--श्री भैनेजर्रासह--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त योजना में कितने अध्यापक प्रशिक्षित किये जा रहे हैं और उनके प्रशिक्षण पर कितना धन व्यय हो रहा है ?

श्री कैलाशप्रकाश--

१९६५-६६ में २०० अध्यापकों के प्रशिक्षण पर व्यय के लिये रु० ४४,००० की स्वीकृति दी गई थी।

जिला परिषद् लखनऊ को प्राइमरी शिक्षा अनुदान

*९--श्री रामकिशोर त्रिपाठी--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राज्य सरकार ने जिला परिषद लखनऊ को १९६४-६५ तथा १९६५-६६ में कितना रुपया प्राइमरी शिक्षा के लिये अनुदान दिया था और इस मद में कितना रुपया व्यय हुआ और कितना शेष रहा और शेष रहने का क्या कारण है ?

*१०--श्री रामकिशोर त्रिपाठी--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त काल में प्राइमरी अनुदान का जो धन शेष रहा उसे किस मद में व्यय किया गया ?

श्री कैलाश प्रकाश--

सूचना एकत्र की जा रही है।

अरसठी नदी पर पुल बनाने की प्रार्थना

*११--श्री रघुनाथसिंह--

क्या सरकार इस तथ्य को ध्यान में रखकर कि वाराणसी के चोलापुर विकास क्षेत्र के अजगरा गांव की एक तिहाई से अधिक खेती गांव के दक्षिण से बहने वाली अरसठी नदी के दक्षिण पड़ने से बरसात तथा बाढ़ के अवसर पर लोगों को खतरा उठाकर नदी पार करना पड़ता है और कई जान भी जा चुकी है, गांव के दक्षिण पुल बनवाने की कृपा करेगी जिससे बरसात के दिनों के खतरे के बचाव के अतिरिक्त अन्य महीनों में खेत की उपज लाने और खेत में खाद गोबर पहुंचाने की सुविधा गांव वालों को मिल सकें।

श्री जगनप्रसाद रावत--

जी नहीं। प्रश्न गत पुल का निर्माण किसी स्वीकृत योजना में सम्मिलित नहीं है और न वह सार्वजनिक निर्माण विभाग की किसी सड़क पर पड़ता है।

घाटमपुर तहसील में दाखिल खारिज के मामले

*१२--श्री शिवनाथसिंह (जिला कानपुर)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला कानपुर की तहसील घाटमपुर के अन्तर्गत बैनामा, दाखिल खारिज के अमल दरामद हेतु अदालत से कुल कितने मुकदमों के आदेश वित्तीय वर्ष १९६४-६५ में हुए उनमें से ३१ दिसम्बर, १९६५ तक कितने का अमल दरामद हो गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

६०२ इनमें से ५३६ का अमलदरामद ३१ दिसम्बर, १९६५ तक हो गया था।

कानपुर जिले में नायब तहसीलदार

*१३—श्री रामकिशोर वर्मा—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कानपुर जिले की विभिन्न तहसीलों में कार्यरत स्थायी रेगुलर नायब तहसीलदारों के नाम क्या है और वह संबंधित पदों पर कुल कितने वर्षों से कार्य कर रहे हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

सूचना संलग्न सूची में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ७०५ पर)

फतेहपुर जिले में सड़कों का निर्माण

*१४—श्री रामकिशोर वर्मा—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फतेहपुर जिले में जहानाबाद• अमोली, बरवा, शहवाजपुर सड़क, जिसका निर्माण कार्य प्रायः समाप्ति पर है, क्रमशः १४ और ६ मील के इन मार्गों को पक्का न कराए जाने का क्या कारण हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत---

इस सड़क का निर्माण गढ़ी ग्राम तक केवल कंकड़ की सड़क के रूप में ही स्वीकृत किया गया था। इस सड़क को तारकोल की सड़क बनवाने की इस समय कोई योजना नहीं है।

*१५—श्री रामकिशोर वर्मा—

क्या मंत्रीजी कृपया यह बतायेंगे कि बरवा, फतेहपुर के अवशेष भाग १४ मील, अमौली, बरीपाल के ६ मील को पक्का कराने के लिये कुल कितना धन व्यय होगा और इनका निर्माण कब तक किया जा सकेगा ?

श्री जगनप्रसाद रावत---

विस्तृत सर्वेक्षण के अभाव इन सड़कों के निर्माण का मूल्य बतलाना संभव नहीं है इनके निर्माण की भी इस समय कोई योजना नहीं है।

गागलहेडी–भगवानपुर सड़क

*१६—श्री जयगोपाल (जिला सहारनपुर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला सहारनपुर के गागल-हेडी से भगवानपुर जाने वाली सड़क चौथी प्लान में पक्की बना दी जायगी ? यदि हां, तो किस साल में ?

श्री जगनप्रसाद रावत---

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का आकार तथा उसकी रूपरेखा अभी निश्चित नहीं है। अतः इस समय यह बतलाना संभव नहीं है कि प्रश्नगत सड़क उस योजना में सम्मिलित हो जायगी या नहीं।

ग्राम गुलरिहाराजा में प्राइमरी पाठशाला की इमारत

*१७—श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

क्या शिक्षा मंत्री यह पता लगाने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के बासी विकास क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम गुलरिहा राजा में अभी तक प्राइमरी पाठशाला की इमारत बनके तैयार क्यों नहीं हुई जबकि २,५०० रुपये सरकारी अनुदान उक्त ग्राम के ग्राम प्रधान को प्राइमरी पाठशाला बनवाने के लिए तीन वर्ष पूर्व ही दिया जा चुका है ?

श्री कैलाश प्रकाश—

ज्ञात हुआ है कि जनता के चन्दे के अभाव में भवन निर्माण कार्य पूरा नहीं किया जा सकता है।

जौनपुर, गाजीपुर, वाराणसी जिलों में वासिल बाकी नवीस एवं सियाहानवीस

*१८—श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)—

क्या राजस्व मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर, गाजीपुर, वाराणसी जिले में वसूली विभाग के सहायक वासिल बाकी नवीसों तथा सियाहानवीसों की संख्या प्रत्येक जिले में में कितनी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

वांछित सूचना निम्नांकित है —

जिला		वसूली विभाग के सहायक वासिल बाकी नवीसों की संख्या	सियाहा नबीहों की संख्या
१—जौनपुर	..	२०	५
२—गाजीपुर	..	१८	४
३—वाराणसी	..	३९	४

फतेहपुर तहसील में घाघरा का कटाव

*१९—श्री गिरिजाप्रसाद—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जिला अन्तर्गत तहसील फतेहपुर के कौन-कौन से मौजे घाघरा नदी द्वारा काट लिए गए हैं जो नदी के दूसरे किनारे पर बरार हुए हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

घाघरा नदी द्वारा काटे हुए ग्रामों की सूची संलग्न है। इनका कुछ भाग दूसरी ओर बरार हुआ है।

(देखिए नत्थी "ज़" आगे पृष्ठ ७०६ पर)

*२०--श्री गिरिजाप्रसाद--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि घाघरा नदी के दूसरे किनारे पर स्थित कुछ गांवों की नवबरार भूमि पर बाराबंकी तथा बहराइच के जिला अधिकारियों में कोई विवाद चल रहा है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

जी हां। बाराबंकी जिले की कुछ भूमि घाघरा नदी के दूसरी ओर चली गई थी। जिसको बहराइच जिले में हो रहे रिकार्ड आपरेशन के दौरान में उस जिले का ही भाग मान लिया गया। यही विवाद का विषय है।

*२१--श्री गिरिजाप्रसाद--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आयुक्त फैजाबाद ने बाराबंकी जिला के रामनगर डाक बंगला में दिनांक १४ जनवरी, १९६६ को उपरोक्त विवाद के संबंध में कोई निर्णय लिया था ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

आयुक्त फैजाबाद ने १४ जनवरी, १९६६ को रामनगर बालक बंगले में कोई मीटिंग नहीं की न कोई निर्णय ही लिया।

शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, रामपुर के अस्थायी अध्यापक

*२२--श्री बिशनलाल यादव (जिला मुरादाबाद)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि "राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय" रामपुर में ऐसे कितने अध्यापक कार्य कर रहे हैं जो (पब्लिक सर्विस कमीशन) लोक सेवा आयोग द्वारा नौकरी में लिए गए और उनका सेवा काल पांच वर्ष से अधिक हो गया, परन्तु उनको अभी तक स्थाई नहीं किया गया ? इसका क्या कारण है ?

श्री कैलाशप्रकाश--

केवल दो। स्थायीकरण के संबंध में लोक सेवा आयोग की संस्तुति अभी प्राप्त नहीं हुई है।

*२३--श्री बिशनलाल यादव--

क्या सरकार इस प्रकार के अध्यापकों को शीघ्र से शीघ्र स्थायी कराने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री कैलाशप्रकाश--

जी हां। स्थायी रिक्तियां उपलब्ध होने तथा उनके पक्ष में लोक सेवा आयोग की संस्तुत प्राप्त होने पर।

राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गाजीपुर के अध्यापकों का वेतन

*२४--श्री बन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़) तथा श्री रामसुन्दर शास्त्री--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि राजकीय सिटी उच्चतर, माध्यमिक विद्यालय, गाजीपुर के अध्यापक मार्च ६५ से जबकि स्कूल को राजकीय किया गया, मूल वेतन, जितना की वे पहले पाते थे, उससे कम पाते हैं ? यदि हां, तो फाइनेंशियल हैण्डबुक की किस धारा के अनुसार ?

श्री कैलाश प्रकाश--

जी हां। फाइनेंशियल हैण्डबुक, खण्ड २, भाग २ से २ के पूरक नियम ३६ के अनुसार।

*२५--सर्वश्री चन्द्रजीत यादव तथा रामसुन्दर शास्त्री--

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि जबकि सरकार का आदेश उनके वेतन के फिक्सेशन के बारे में दिया गया है उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री कैलाश प्रकाश--

शासन के आदेश के अनुसार इन अध्यापकों के वेतन निर्धारण से संबंधित कागजों को शिक्षा निदेशालय द्वारा एकत्र किया जा रहा है। चूंकि ये अध्यापक पहले गैर सरकारी स्कूल अध्यापक थे, अतएव उनसे संबंधित कागजों को एकत्र करने में कुछ अधिक समय लग रहा है।

बांगरमऊ-जगतनगर सड़क

*२६--श्री गोपीनाथ दीक्षित (जिला उन्नाव)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को यह जानकारी है कि बांगरमऊ-जगतनगर सड़कपुरी तृतीय पंचवर्षीय योजनाकाल में बनती रही है, फिर भी अभी तक बन कर तैयार नहीं हुई है ? इस सड़क के कब तक बनकर तैयार होने की आशा है ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

प्रश्नगत मार्ग का निर्माण कार्य दिसम्बर, १९६२ में आरंभ हुआ था और अभी चालू है। आशा है मार्च, १९६७ तक यह मार्ग बनकर तैयार हो जायगा।

कानपुर में गंगा पुल चौड़ा करने का सुझाव

*२७--श्री गोपीनाथ दीक्षित--

क्या सरकार कानपुर व लखनऊ के यात्रियों की सुविधा हेतु वर्तमान गंगापुल को अधिक चौड़ा करने अथवा इसी पुल के पास दूसरा पुल बनाने पर विचार करेगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

वर्तमान पुल को अधिक चौड़ा करना तकनीकी आधार पर संभव नहीं है। यह पुल राष्ट्रीय मार्ग पर स्थित है और यहां पर एक नए पुल के निर्माण का उत्तरदायित्व केंद्रीय सरकार का है। प्रदेशीय सरकार ने नए पुल तथा एप्रोच रोड के निर्माण के लिए आगणन केंद्रीय सरकार को जनवरी, १९६४ में भेजे थे परन्तु केंद्रीय सरकार की अभी तक प्रशासकीय तथा वित्तीय स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है।

चेम्बर्स मेमोरियल बालिका विद्यालय, गोंडा का प्रबन्ध

*२८--श्री ईश्वर शरण (जिला बदायूं) तथा श्री कुंवर रुकुमसिंह राठौर (जिला बदायूं)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोंडा नगर में एक मान्यता प्राप्त स्कूल चैम्बर मेमोरियल मिशन स्कूल स्थापित है ? यदि हां, तो उक्त स्कूल का प्रबंध किसी कमेटी द्वारा होता है या किसी धार्मिक संस्था द्वारा ? यदि हां, तो उस संस्था का नाम ?

श्री कैलाश प्रकाश--

गोंडा नगर में चेम्बर्स मेमोरियल बालिका विद्यालय गोंडा के नाम से स्थापित है। इस संस्था का प्रबंध एक धार्मिक संस्था द्वारा होता है जिसका नाम मेथडिस्ट चर्च साउथर्न एशिया है और जो इंडियन सोसाइटी ऐक्ट, २१, १८६० के अन्तर्गत एक रजिस्टर्ड संस्था है।

हीरालाल स्मारक इण्टर कालेज, भरौली के अध्यापकों के वेतन में कटौती

*२९—श्री उमाशंकर (अनुपस्थित)—

क्या शिक्षा मंत्री कृपा करके यह बतायेंगे कि आजमगढ़ जिले के हीरालाल स्मारक इंटर कालेज, भरौली के अध्यापकों के वेतन से कटा हुआ पी० एफ० (निर्वाह निधि) का पैसा १९५७ से १९६४ तक का पोस्ट आफिस के सेविंग बैंक में क्यों नहीं जमा किया गया ?

श्री कैलाश प्रकाश—

इस विद्यालय में धनाभाव के कारण घाटा रहता था। अध्यापकों के वेतन से काटे गए प्राविधायी निधि तथा प्रबंध समिति के अंश के धन को उपयोग करके अध्यापकों को वेतन के रूप में बांटा जाता है जिसके कारण अध्यापकों के वेतन से काटा गया अपेक्षित अवधि का प्राविधायी निधि का धन उनके एकाउन्ट में नहीं जमा किया जा सका।

गांव सभा भाव की जमीन पर नाजायज कब्जा

*३०—श्री रतीपाल—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला रायबरेली तहसील सदर के अन्तर्गत गांव-सभा भाव के अन्तर्गत १९६४-६५ में कितनी जमीन गांव संपत्ति की थी और उसमें कितनी भूमि पर नाजायज ढंग से किन-किन व्यक्तियों ने फसल पैदा की है और उससे कितना गल्ला गांव समाज में जमा हुआ है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

७३८ बी० १२ वि० १४ वि० गांव चकबन्दी के अन्तर्गत होने के कारण १९६४-६५ में परताल नहीं हुई अतः यह बताना संभव नहीं है कि कितनी भूमि पर नायायज ढंग के किन-किन व्यक्तियों ने फसल पैदा की थी।

*३१—श्री रतीपाल—

क्या सरकार को पता है कि इसके विरोध में तहसील राय बरेली के तहसीलदार को कोई प्रार्थना-पत्र माह फरवरी, १९६६ में प्राप्त हुआ है, यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी हां। प्रार्थना-पत्र पर तहसीलदार द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

रायबरेली जिले में सड़कों का निर्माण

*३२—श्री हेमराज (जिला रायबरेली)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रायबरेली जिले में कौन-कौन सड़कें तृतीय पंचवर्षीय योजना में पक्की कराने के लिए विभाग द्वारा ली गई थीं और उनमें से कौन-कौन सड़कें पक्की हो गई हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

पहला भाग—चालू योजना के अन्तर्गत—

(१) लालगंज-रालपुर मार्ग

नई योजना—

(२) जगनपुर-उंचाहार मार्ग।

द्वितीय भाग—जगतपुर-उंचाहार मार्ग पूरा हो चुका है। लालगंज-रालपुर के मार्ग के ९ मील ३ फर्लांग में से ९ मील २ फर्लांग पूरे हो चुके हैं।

*३३--श्री हेमराज--

क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि इस जिले की सड़कों का बकाया काम जो तृतीय पंचवर्षीय योजना का है कब तक पूरा हो जायगा ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

लालगंज-रालपुर सड़क के बकाया काम के ३१ दिसम्बर, १९६६ तक और लालगंज-समरपाहा सड़क का कार्य दिसम्बर, १९६७ तक समाप्त हो जाने की आशा है ।

*३४-३६--श्री गुप्तारसिंह--

[९वें बुधवार के लिए प्र० सं० ८८--९० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की मांगें

*३७--सर्वश्री जगन्नाथ राव, शारदाभक्तसिंह (जिला हरदोई), तथा बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गैर अध्यापक कर्मचारी दिनांक २६ फरवरी से कुछ मांगों को लेकर अनिश्चित काल तक की हड़ताल कर रहे हैं उनकी प्रमुख मांगें क्या हैं ? तथा सरकार को उनको पूरी करने में क्या कठिनाई है ?

श्री कैलाश प्रकाश--

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गैर अध्यापक कर्मचारियों ने अपनी कुछ मांगों को लेकर दिनांक २६ फरवरी, १९६६ से ९ मार्च, १९६६ तक हड़ताल की।

इनकी प्रमुख मांगें संलग्न प्रपत्र (क) में दी हुई हैं । यह मांगें विश्वविद्यालय तथा सरकार के विचाराधीन हैं ।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ७०७ पर) ।

जिलाधीश, आजमगढ़ का भत्ता

*३८--श्री उमाशंकर (अनुपस्थित)--

क्या मुख्य मन्त्री जी कृपा करके यह बतायेंगे कि सन् १९६४-६५ में पूरे वर्ष भर में, जिलाधीश, आजमगढ़ ने कितना रुपया टी० ए० तथा डी० ए० में बरामद किया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

२,९०७ रुपये ७९ पैसे।

*३९--श्री उमाशंकर (अनुपस्थित)--

क्या यह सच है कि उल्लिखित समय में उनके टी० ए० तथा डी० ए० के सम्बन्ध में ए० जी० ने कोई टिप्पणी किया था, जिसके कारण जिलाधीश को कुछ धन वापस करना पड़ा ? यदि हां, तो कितना ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

श्री सुमन कुमार माडवल, जिलाधिकारी, आजमगढ़, के दैनिक भत्ते की दर के सम्बन्ध में ए० जी० ने आपत्ति की थी जिसके कारण उन्हें २१ रुपया ५० पैसे वापस करना पड़ा।

*४०—श्री उमाशंकर (अनुपस्थित)—

क्या मुख्य मन्त्री जी यह बता सकते हैं कि पिछले वर्ष में जिलाधीश आजमगढ़ ने नजारत की स्टेशनरी फन्ड से अपने निजी उद्योग के लिए कितने रुपये का सामान खरीदा था, जिसकी जांच करने पर उनको वापस करना पड़ा?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जिलाधिकारी, आजमगढ़, ने स्टेशनरी फन्ड से अपने निजी उपयोग के लिए कोई सामान नहीं खरीदवाया था।

ग्राम समाज बड़ागांव का तहबाजारी का बकाया

*४१—श्री लखपतराम शर्मा—

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि ग्राम समाज बड़ा गांव, जिला झांसी का तह बाजारी का बकाया रुपया १,३५२,२५ पैसे जो सन् १९६५ तक बैलेंस में झांसी तहसील में जमा था ग्राम सभा बड़ा गांव को किस तिथि व किस माह में दिया गया? यदि नहीं दिया गया, तो क्यों?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

यह बाजार गांव समाज में १६ जून, १९५३ को निहित हुआ था पर उसका नीलाम कलेक्टर द्वारा २८-२-१९५५ तक के लिए किया गया था। इस अवधि की आय का कोई भाग अभी तक ग्राम समाज को नहीं दिया गया है। विलम्ब का कारण बाजार के प्रबन्ध की वैधानिक स्थिति का ठीक ज्ञान न होना था।

राजकीय कन्या जूनियर हाईस्कूल, कटौना के लिए जमीन

*४२—श्री ऊदल—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव कटौना, ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी में राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल के लिए ३ १/२ एकड़ जमीन भी मिल गयी है? यदि हां, तो यह जूनियर हाई स्कूल कब बनेगा और इस पर व्यय कितने रुपये का होगा?

श्री कैलाश प्रकाश—

३ एकड़ भूमि की व्यवस्था करने का आश्वासन ग्राम सभापति कटौना ने दिया है। किन्तु विहां राजकीय सीनियर बेसिक स्कूल खोलने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है।

पिंडरा ब्लाक में स्कूल खोलने की प्रार्थना

*४३—श्री ऊदल—

क्या शिक्षा मन्त्री एक राजकीय मिश्रित जूनियर हाई स्कूल गांव सराय ब्लाक पिंडरा व नयईपुर (कुवार) जिला वाराणसी में खोलने पर विचार करेंगे?

श्री कैलाश प्रकाश—

बालक-बालिकाओं के मिश्रित अथवा अलग-अलग जूनियर हाई स्कूल (सरकारी) खोलने के लिए कोई प्राविधान नहीं है।

*४४—श्री ऊदल—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कन्या जूनियर हाई स्कूल, पिंडरा, तहसील व जिला वाराणसी को देहातों में लड़कियों की शिक्षा बढ़ाने हेतु राजकीय हाई स्कूल बनाने पर सरकार विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक?

श्री कैलाशप्रकाश—

प्रश्नगत जूनियर हाई स्कूल जिला परिषद् का है।

गैर सरकारी जूनियर हाई स्कूलों को राजकीय हाई स्कूल बनाने की शासन की कोई योजना नहीं है।

शिक्षा सुरक्षा समिति, साबितगढ का पत्र

*४५—श्री उग्रसेन—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश को अध्यक्ष, शिक्षा सुरक्षा समिति, साबितगढ़, बुलन्दशहर का पत्र दिनांक ६ जनवरी, १९६६ का प्राप्त हुआ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई?

श्री कैलाशप्रकाश—

शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ने सूचित किया है कि प्रश्नगत पत्र उन के कार्यालय में उपलब्ध नहीं हो रहा है।

*४६—श्री उग्रसेन—

क्या सरकार उपरोक्त पत्र की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी?

श्री कैलाशप्रकाश—

शिक्षा सुरक्षा समिति, साबितगढ़, बुलन्दशहर का एक पत्र जो केन्द्रीय गृह मन्त्री, श्री गुलजारीलाल नन्दा को सम्बोधित है, शासन को प्राप्त हुआ है उसकी प्रतिलिपि संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ ७०८ पर)।

हरिहरगंज–ललिया सड़क

*४७—श्री सुखदेवप्रसाद—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हरिहरगंज से ललिया तक ५ मील ७ फर्लांग सड़क जिला गोंडा में बनने को जो प्रारम्भ हुई है, उसमें केवल लोकहवा तक ही पहुंचने के कारण एक मील सड़क निर्माण होना रह जाता है जो बहुत महत्व की है जिस से उसका इस्टीमेट भी बन कर सम्बन्धित मन्त्री एवं अधिकारी उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पास जा चुका है? यदि हां, तो उसका निर्माण कब प्रारम्भ हो जायगा?

श्री जगनप्रसाद रावत—

इस सड़क का निर्माण लोकहवा, ग्राम तक ही सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया था। इस सड़क को ललिया तक निर्माण में ४.१८ लाख रु० अतिरिक्त धन के व्यय का अनुमान है जिसका प्रबन्ध करना इस समय सम्भव नहीं है।

शाहजहांपुर जिला परिषद् अध्यापकों को बढोत्तरी वेतन

*४८—श्री सुरेन्द्रविक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

क्या सरकार को पता है कि जिला परिषद् शाहजहांपुर ने गत तीन महीनों से अध्यापकों का वेतन नहीं दिया है तथा बढ़ौत्तरी भी नहीं दी है जिस से अध्यापकों में असन्तोष है? यदि हां, तो क्या सरकार इस विषय में तुरन्त आवश्यक आदेश देगी?

श्री कैलाशप्रकाश—

अध्यापकों का फरवरी, १९६६ तक का वेतन वितरित किया जा चुका है तथा बढ़ौत्तरी की धनराशि भी विकास खंडों क में वितरण के लिए भेज दी गयी है।

तिलहर तहसील में अवर्षण

*४९—श्री सुरेन्द्रविक्रम—

क्या राजस्व मन्त्री को पता है कि जिला शाहजहांपुर की तहसील तिलहर में अवर्षण के कारण कई हजार एकड़ जमीन में रबी की फसल बोयी नहीं गयी थी और अब भी जमीन बिला बोयी पड़ी है? यदि हां, तो क्या सरकार उस इलाके के काश्तकारों को लगान में छुट दे रही है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

उस भूमि को छोड़ कर जिसमें काश्तकारों ने खुद ही फसल न बोयी हो, तिलहर तहसील में अवर्षण के कारण रबी की बिना बोयी जा सकी जमीन नहीं रही।

*५०—श्री गयाप्रसाद (जिला वाराणसी)—

[८वें बुधवार के लिए प्रश्न संख्या ७९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

घाटमपुर तहसील में चकबन्दी लेखपालों का भत्ता

*५१—श्री शिवनाथसिंह—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला कानपुर के अन्तर्गत तहसील घाटमपुर में हुई चकबन्दी में लगे हुए लेखपालों के भत्ता बिल बन गये थे, परन्तु उन्हें अब तक रुपया नहीं दिया गया? यदि हां, तो उन्हें भत्ता का बिल का रुपया न देने का क्या कारण है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी नहीं, लेखपालों ने भूलेख नियमावली के पैरा २४३(अ) के अन्तर्गत अपनी मांग अभी तक नहीं भेजी है।

राजकीय दीक्षा विद्यालय, राबर्ट्सगंज

*५२—श्री रामनाथ पाठक—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर जिले में राबर्ट्सगंज तहसील में एच० टी० सी० स्कूल कई वर्षों से परिषद् के जूनियर हाई स्कूल तथा प्राइमरी के भवन में चल रहा है जिससे उस स्कल के बच्चों को पढ़ने में काफी कठिनाई है?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी हां। राजकीय दीक्षा विद्यालय राबर्ट्सगंज किसी अन्य उपयुक्त भवन के अभाव में जिला परिषद् मिर्जापुर के भवनों में ७-१-६० से चल रहा है।

*५३. - श्री रामनाथ पाठक--

क्या सरकार राबवर्ट्सगंज में एच० टी० सी० स्कूल जल्द बनवा कर उक्त नन्हें मुन्ने बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था जल्द देगी ?

श्री कैलाश प्रकाश---

जी हां। आवश्यक भूमि उपलब्ध होने के पश्चात् दीक्षा विद्यालय के भवन निर्माण के प्रश्न पर विचार किया जावेगा।

ग्राम रामपुर कठार में श्रीमती कैलाशा की जमीन पय नाजायज कब्जा

*५४---श्री रघुबीर---

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें डा० जेड० ए० अहमद, विधायक का जो ८ फरवरी, १९६५ का पत्र ग्राम रामपुर कठार, परगना जिला कानपुर की लावारिस मृतक श्रीमती कैलाशा की भूमि पर अनधिकार कब्जा करने के सम्बन्ध में या उस पर जिलाधीश के द्वारा अब तक क्या वैधानिक कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

मामला परगनाधिकारी के न्यायालय में विचाराधीन है।

सुपरवाइजर कानूनगो, कानपुर के विरुद्ध कार्यवाही

*५५---श्री लखपतराम शर्मा---

क्या यह सत्य है कि माह मई, १९६५ में कानपुर तहसील के शहरी क्षेत्र के सुपरवाइजर कानूनगो द्वारा भूमि के पट्टों पर लेखपाल के फर्जी हस्ताक्षर बनाकर फर्जी पट्टों की तस्दीक करने तथा अपने परिवार के व्यक्तियों के नाम फर्जी पट्टे बना कर भूमि प्राप्त करने के सम्बन्ध में एक प्रथम दृष्टि अभियोग प्रमाणित होने पर उन्हें जिलाधीश कानपुर में निलम्बित किया था ? यदि हां, तो क्या कारण है कि जालसाजी के इतने गम्भीर आरोप में विभाग द्वारा कानूनगो को उचित दण्ड नहीं दिया गया और न पुलिस को यह मामला जांच के लिए सौंपा गया ? क्या सरकार इसकी निष्पक्ष जांच कराने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

सुपरवाइजर कानूनगो को पट्टे के रजिस्टर में कुछ संदिग्ध इन्दराज पाने पर निलम्बित किया गया। विभागीय जांच में ये इन्दराज उन के द्वारा किये गये नहीं प्रमाणित हुये। उनकी लापरवाही पायी गयी जिसके लिए उन्हें समुचित दण्ड दिया गया।

हाटा-पिपराइच सड़क

*५६---श्री बांकेलाल---

क्या निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले की हाटा तहसील में हाटा-पिपराइच रोड का निर्माण जो कि पटेल आयोग द्वारा स्वीकृत है कब तक पूर्ण हो जावेगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत---

इस सड़क के निर्माण की अभी वित्तीय स्वीकृति नहीं दी गयी है। इसलिए इस समय यह बतलाना सम्भव नहीं है कि यह सड़क कब तक पूर्ण हो जायगी।

जौनपुर नगरपालिका अध्यापकों को बढ़ोत्तरी वेतन न मिलना

*५७---श्री गिरधारीलाल (जिला वाराणसी)---

क्या सरकार को जानकारी है कि जो० ओ० नं० CII/4787/XV दिनांक २७ जुलाई, सन् १९६५ के चले जाने और जिला विद्यालय निरीक्षक, जौनपुर की स्वीकृति मिल जाने

के बाद भी जौनपुर नगरपालिका ने अपने प्राइमरी पाठशालाओं के अध्यापकों को २० रुपये बढ़ोत्तरी अभी तक नहीं दे सकी है? यदि हां, तो क्यों?

श्री कैलाश प्रकाश---

जौनपुर नगरपालिका ने प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों तथा अध्यापिकाओं को २० रु० प्रतिमास की दर से बढ़ौत्तरी का भुगतान २७ जुलाई को राजाज्ञानुसार १ अगस्त, १९६५ से कर दिया है।

खजाने के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता

*५८---श्री कल्याणचन्द मोहिले---

क्या सरकार प्रदेश में सरकारी खजांची तथा अन्य कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता आदि की वही सुविधायें देगी जो अन्य सरकारी कर्मचारियों को उपलब्ध है?

वित्त उपमन्त्री (श्री जयराम वर्मा)---

सरकारी खजाने के खजांची (तहवीलदार) तथा अन्य कर्मचारियों को मंहगाई-भत्ता की वही सुविधायें दी गयी हैं जो समान वेतन पाने वाले अन्य सरकारी कर्मचारियों को दी गयी हैं।

सी० टी० तथा एल० टी० अध्यापकों की पदोन्नति

*५९---श्री शराफत हुसेन रिजवी (जिला मुरादाबाद)--

उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग में सी० टी० ग्रेड से एल० टी० ग्रेड में और एल० टी० ग्रेड से अपर ग्रेड में पदोन्नति देने के लिए विभागीय कर्मचारियों का कितना कोटा है?

श्री कैलाशप्रकाश--

(१) सी० टी० ग्रेड से एल० टी० ग्रेड में पदोन्नति का कोटा .. .. .. ३० प्रतिशत ।

(२) एल० टी० ग्रेड से विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा ग्रेड (एस०एस०ई०एस०) में .. .. ५० प्रतिशत ।

(३) एल० टी० ग्रेड से अधीनस्थ शिक्षा सेवा (एस० ई० एस० गजेटेड) (महिला शाखा) .. .. २५ प्रतिशत।

पुरुष शाखा एल० टी० से एस० ई० एस० (गजेटेड राजकीय दीक्षा विद्यालय के प्रधान अध्यापकों के लिये .. २६ २/३ प्रतिशत।

राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय .. ५० प्रतिशत ।

*६०--श्री शराफत हुसैन रिजवी--

क्या सी० टी० ग्रेड से एल० टी० ग्रेड में और एल० टी० ग्रेड से अपर ग्रेड में पिछले पांच वर्ष में निर्धारित कोटे के अनुसार पदोन्नतियों की गयी हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कैलाशप्रकाश---

पुरुष शाखा में पदोन्नति निर्धारित कोटे के अनुसार की गयी है किन्तु महिला शाखा में पदोन्नति के लिए निर्धारित योग्यता सम्पन्न अध्यापिकाओं के अभाव के कारण पदोन्नतियां निर्धारित कोटे के अनुसार नहीं की जा सकीं।

सहारनपुर में अग्निकाण्ड

*६१—श्री ब्रह्मदत्त मायर तथा श्री शराफत हुसेन रिजवी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सहारनपुर नगर में दिनांक १ जनवरी, १९६६ से १७ फरवरी, १९६६ तक कितनी आग लगने की वारदातें हुईं ? उनमें कितनी वारदात ड्राई क्लीनरों की दुकाम जलने की थीं ? आग लगने का कारण क्या था ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

सहारनपुर नगर में १-१-१९६६ से १७-२-१९६६ तक ७ आग लगने की घटनाय हुई । इनमें से ४ ड्राईक्लीनर की दुकानों में आग लगने की थीं । आग लगने का कारण खराब पेट्रोल से बिजली का सम्पर्क बताया जाता है ।

संस्कृत अध्यापकों को महंगाई-भत्ता न मिलना

*६२—श्री काशीप्रसाद द्विवेदी (जिला झांसी)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश की मान्यता प्राप्त संस्कृत पाठशालाओं के अध्यापकों को अन्य स्कूलों की भांति महंगाई आदि न दिये जाने का क्या कारण है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

साधनों की कमी के कारण ।

कोंच-जालौन तथा नदीगांव सड़क

*६३—श्री विजयसिंह तथा श्री प्रेमसिंह (जिला बहराइच)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जालौन जिले में कोंच जालौन रोड जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बनी उस पर सरकार ने कुल कितना रुपया व्यय किया ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

इस सड़क के निर्माण में ६,१४,०३७ रु० (छः लाख चौदह हजार सैंतिस रुपया) व्यय हुआ था ।

*६४—श्री विजयसिंह तथा श्री प्रेमसिंह—

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि जालौन जिले म नदी गांव रोड पर नदी गांव के पास के ३ मील की मरम्मत कब तक पूरी होगी और इस सड़क का निर्माण किस योजना के अन्तर्गत हुआ तथा अभी तक पूरी क्यों न हो सकी ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

इस सड़क के शेष भाग का निर्माण दिसम्बर, १९६६ तक पूर्ण होने की आशा है ।

दूसरा भाग—

इस भाग का निर्माण तृतीय पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किया गया था । सड़क निर्माण सामग्री को ढुलाई में कठिनाई तथा सामान्यतः पानी के अभाव के कारण इस सड़क का निर्माण अभी तक पूरा न हो सका ।

ग्राम सभा नसेनिया की भूमि

*६५—श्री झिलमिटराम—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गांव सभा नसेनिया, परगना बिन्दकी, जिला फतेहपुर की गांव सभा की भूमि पर दोषपूण अध्यासन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध गांव सभा

[श्री झिलमिट राम]

नसेनियां की भूमि से दोषपूर्ण अध्यासन हटाने हेतु लेखपाल ने वित्तीय वर्ष १९६३--६४ तथा १९६४--६५ में तहसीलदार बिन्दकी को कितनी रिपोर्टें की हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

ग्राम नसेनिया परगना बिन्दकी में नहीं है, परगना कोड़ा में है । वर्ष १९६३--६४ में लेखपाल ने कोई रिपोर्ट नहीं की पर १९६४--६५ में एक रिपोर्ट की थी ।

जिला परिषद् बलिया को बालिका विद्यालयों के लिए अनुदान

*६६---श्री मैनेजरसिंह तथा श्री रतीपाल---

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि वित्तीय वर्ष १९६३--६४, १९६४--६५ में जिला परिषद् बलिया को योजना २८ के अन्तर्गत कितना-कितना धन विभिन्न मदों में किन किन उच्चतर आधारिक बालिका विद्यालयों के लिये दिया गया ?

श्री कैलाशप्रकाश---

शिक्षा की तृतीय पंचवर्षीय योजना (कोड) संख्या ६११२८ बालिकाओं के आधारिक जूनियर हाई स्कूल (लघु माध्यमिक) स्कूल खोलने की थी, न कि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ।

उक्त योजना के अन्तर्गत जिला परिषद् बलिया को जो अनुदान १९६३--६४ व १९६४--६५ में दिये गये थे उनका विवरण संलग्न तालिका में दिया गया है ।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ ७०९ पर ।)

फर्रुखाबाद --बरेली सड़क पर पुलों का निर्माण

*६७---श्री सुरेन्द्र विक्रम---

क्या निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि फर्रुखाबाद-बरेली रोड पर बिचपुरिया घाट रामगंगा पर तथा घटिया घाट गंगा पर पुल निर्माण हेतु सरकार कार्यवाही कर रही है ? यदि हां, तो क्या प्रगति हुई ?

श्री जगनप्रसाद रावत---

इन पुलों के केवल सर्वेक्षण का कार्य इस समय हो रहा है । रामगंगा नदी के पुल के सर्वेक्षण का कार्य चालू है और अगस्त, १९६६ तक पूर्ण होने की आशा है । गंगा नदी के पुल का सर्वेक्षण समाप्त हो चुका है तथा बोरिंग का कार्य प्रगति पर है ।

बड़ागांव ब्लाक में लड़कियों के स्कूल

*६८---श्री चन्दनसिंह (जिला मुजफ्फरनगर) तथा श्री ऊदल---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बड़ागांव ब्लाक वाराणसी में लड़कियों की शिक्षा हेतु कहां कहां इमारतों का निर्माण कराया गया है ? कहां कहां इमारतें बन रही हैं ? क्या उसमें गांव समाताड़ी की भी इमारत है ?

श्री कैलाशप्रकाश---

आवश्यक सूचना संलग्न तालिका में दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ ७१० पर ।)

वाराणसी महापालिका में जमींदारी उन्मूलन

*६९—श्री गिरधारी लाल—

क्या नगर महापालिका, वाराणसी क्षेत्र के अन्तर्गत जमींदारियों के उन्मूलन हेतु सरकारी कागजात मुकम्मल हो गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—

इस नगर महापालिका क कृषि क्षेत्रों के परिच्छेद का कार्य समाप्त हो चुका है ।

*७०—श्री गिरधारी लाल—

क्या वाराणसी नगर महापालिका क्षेत्र की जमींदारियों का उन्मूलन इस वर्ष होगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—

आगामी कृषि वर्ष के आरम्भ से कृषि क्षेत्र राज्य में निहित करने का इरादा है ।

प्रसाराध्यापकों का स्थायित्व

*७१—श्री गया प्रसाद—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राज्य स्तर पर प्रसार अध्यापकों को स्थायित्व देने की कोई बात चल रही है ? यदि हां, तो उनकी वरिष्ठता किस आधार पर रक्खी जा रही है ?

श्री कैलाश प्रकाश—

प्रसाराध्यापकों को स्थायी करने का निर्णय लिया जा चुका है । इनकी वरिष्ठता निर्धारण का आधार निम्नलिखित है :—

(१) काय-भार ग्रहण करने की प्रथम तिथि (पूर्वान्ह/अपरान्ह),

(२) यदि एक ही तिथि को एक से अधिक प्रसार अध्यापकों ने कार्य-भार ग्रहण किया तो जन्म तिथि में जो ज्येष्ठ हो,

(३) शैक्षिक योग्यता यदि कार्य भार ग्रहण करने की तिथि और जन्म तिथि एक हो ।

*७२—श्री गया प्रसाद—

क्या यह सही है कि समस्त प्रदेश के प्रसाराध्यापकों ने अपना कार्यभार दिनांक १३ जुलाई, १९५४ को ग्रहण किया था और बनारस जनपद के प्रसाराध्यापकों न भी दिनांक १३ जुलाई, १९५४ को कार्य-भार ग्रहण किया था किन्तु जिला विद्यालय निरीक्षक ने उनको दिनांक १९ जुलाई, १९५४ को कायभार ग्रहण करने का आदेश दिया ? यदि हां, तो बनारस के प्रसाराध्यापकों को कौन सी तिथि में कार्यभार ग्रहण कराया माना गया ?

श्री कैलाश प्रकाश—

जी नहीं । कार्यभार ग्रहण करने की तिथियां भिन्न-भिन्न हैं । बनारस के जिला विद्यालय निरीक्षक ने अपने जनपद के प्रसाराध्यापकों को १९-७-५४ को कार्य-भार ग्रहण करने के आदेश दिये थे और तदनुसार वही तिथि उनके कार्य-भार ग्रहण करने की मानी गई ।

*७३—श्री गया प्रसाद—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रसाराध्यापकों का उद्देश्य बच्चों को कृषि मस्तिष्क वाला बनाना या कृषकों में उत्साह पैदा करना या कृषि क्षेत्र की उपज बढ़ाना और मूल्यांकन अधिक करना है ?

श्री कैलाश प्रकाश—

प्रसाराध्यापकों के निम्नांकित उद्देश्य हैं :—

(१) विद्यालय में शिल्प के उत्पादन की क्षमता में वृद्धि करना, शिल्प को लाभकारी बनाना तथा समाज से सम्बद्ध करना ।

(२) शिल्प केन्द्रित शिक्षा द्वारा बालकों के व्यक्तित्व का विकास करना ।

(३) बालकों में श्रम के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करना और उन में स्वावलम्बन की भावना पैदा करना ।

(४) बालकों को सामूहिक जीवन तथा युवक संगठनों के द्वारा अच्छे नागरिक बनने तथा नेतृत्व ग्रहण करने की शिक्षा देना ।

(५) छात्रों को कृषि मस्तिष्क वाला बनाना तथा कृषकों में भी उत्साह पैदा करना है । मुख्य दायित्व कृषि क्षेत्र को आदर्श और समुन्नत कृषि क्षेत्र में व्यवस्थित करने का है। जिस से समीपवर्ती गांव के किसान को प्रेरणा और आदर्श मिल सके ।

सार्वजनिक निर्माण विभाग, बलिया के अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध शिकायत

*७४—श्री काशीनाथ मिश्र—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत ४ जनवरी, १९६६ को उनके बलिया दौरे के समय संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी द्वारा बलिया सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध छपी हुई शिकायती लीफलेट उन्हें दी गयी थी ? यदि हां, तो मंत्री जी ने अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध कौन सी कार्यवाही की ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जी हां, इस सम्बन्ध में जांच की जा रही है ।

बाराबंकी जिले में बिक्री-कर अधिकारी

*७५—श्री द्विजेन्द्र नारायण (जिला बाराबंकी)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बाराबंकी जिले के सेल्स टैक्स आफिसर महोदय कब से इस जिले में हैं ?

श्री कैलाश प्रकाश—

बाराबंकी जिले के वर्तमान बिक्री-कर अधिकारी जुलाई, १९६२ से इस जिले में नियुक्त हैं ।

'अधिक अन्न उपजाओ' योजनान्तर्गत रेलवे की अतिरिक्त भूमि

*७६—श्री रक्षपालसिंह—

क्या सरकार यह घोषित करने की कृपा करेगी कि उत्तर रेलवे तथा पूर्वोत्तर रेलवे से प्राप्त होने वाली कृषि योग्य भूमि को सरकार किस योजना के अनुसार उपयोग में लेने जा रही है ? क्या सरकार उक्त भूमि अधिक अन्न उत्पादन का ध्यान रखते हुये वितरित करेगी ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—

रेलवे की अतिरिक्त भूमि 'अधिक अन्न उपजाओ' योजना के अन्तर्गत कृषि के उपयोग में लाने के हेतु राज्य सरकार ने १९६३ में एक योजना बनाई थी, जिसके अनुसार भूमि वितरित की जा रही है ।

नवीन वेतन-क्रम के लागू करने में अनियमितता

*७७—श्री बालोजी अग्रवाल—

क्या यह सही है कि जो सरकारी कर्मचारी लोअर डिवीजन के सहायकों के पदों पर कार्य करते हैं और जो बीच बीच में सेवा करते करते दो-दो, तीन-तीन वेतन वृद्धियां पा चुके हैं परन्तु दिनांक २९ जुलाई, १९६५ को सर्विस मे नहीं थे उन्हें वेतन अभिनवीकरण समिति द्वारा स्वीकृत वेतन-क्रम को दिनांक २९ जुलाई, १९६५ के बाद दिया जा रहा है और उनकी पुरानी अर्जित वेतन वृद्धियां निरस्त की जा रही हैं जिनको मिला कर उनका वेतन समिति द्वारा स्वीकृत वेतन से अधिक बैठता है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी हां। कुछ मामलों में ऐसा हो सकता है। इस सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है।

गांव सभा, उमरी की भूमि

*७८—श्री रघुवीर—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गांव सभा उमरी परगना औरैया जिला इटावा की गांव सभा की भूमि पर दोषपूर्ण अध्यासन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध गांव सभा उमरी के प्रधान व सेक्रेटरी ने वित्तीय वर्ष १९६३-६४ व १९६४-६५ में दोषपूर्ण अध्यासन हटाने के हेतु कितने व्यक्तियों की रिपोर्ट तहसीलदार औरैया को की है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—

कोई भी रिपोर्ट नहीं की गई है।

पुराने डाकखाना, लखनऊ में बाबा का निवास

*७९—श्री सुरेन्द्र चिक्कम, श्री महराम सिंह (जिला फर्रुखाबाद), श्री डूंगर सिंह (जिला हमीरपुर), श्री बैजू राम (जिला सीतापुर), श्रीमती गेंदा देवी (जिला बस्ती), श्री घनश्याम दास (जिला बाराबंकी) तथा श्री शीतला प्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या सरकार की जानकारी में पुराने डाकखाने, लखनऊ में छप्पर आदि रख कर सरकारी भूमि पर किन्हीं बाबा को रहने की स्वीकृति दी गई है ? यदि हां, तो किस-किस अधिकारी द्वारा किराये पर या बिना किराये के ? यदि किराये पर तो कितने किराये पर ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—

सरकार द्वारा किसी बाबा को रहने की स्वीकृति नहीं दी गई है। प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता।

महराजगंज तहसील में कलेक्शन अमीन

*८०—श्री रामेश्वर नाथ चौबे (जिला बरेली)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला रायबरेली की तहसील महराजगंज में इस समय कौन-कौन से कलेक्शन अमीन काम कर रहे हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जिला रायबरेली की तहसील महराजगंज में काम करने वाले कलेक्शन अमीनों का नाम संलग्न सूची में दिया है।

(देखिये नत्थी 'ड' आगे पृष्ठ ७११ पर।)

*८१—श्री रामेश्वरनाथ चौबे—

उपर्युक्त कलेक्शन अमीनों में से कितने मुस्तकिल हैं ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—

२९ कलेक्शन अमीन मुस्तकिल हैं।

ग्राम सभा, मुहम्मदाबाद की भूमि

*८२—श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद जिले के ग्राम मुहम्मदाबाद में प्रधान ने ग्राम सभा की भूमि खसरा नं० ८७७/१९, ८७८/२०, ८८४[२१ को अनधिकृत रूप से अपने व्यक्तिगत कब्जे में ले लिया है ग्राम समाज की भूमि वापसी के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी नहीं।

प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता है।

बहराइच–भिनगा सड़क पर पिपराघाट तथा मकलाघाट का पुल

*८३—श्री मुन्नूसिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बहराइच जिले में बहराइच-भिनगा रोड पर जो पिपरा घाट का पुल है उस पर ब्योरेवार कुल कितना रुपया व्यय हुआ है तथा कब-कब व्यय हुआ है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

वांछित सूचना सदस्य महोदय की मेज पर रखी हुई सूची 'क' में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ढ' आगे पृष्ठ ७१२ पर।)

*८४—श्री मुन्नूसिंह—

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि उस पर फेरी चार्जेज किस तारीख से वसूल होने शुरू हुये तथा उस पर सालवार-साल अब तक क्या आय-व्यय है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

इस पुल पर फेरी चार्जेज नहीं बल्कि पथकर वसूल किया जाता है जो १–१–६३ से लागू किया गया था इस पथकर से हुये आय तथा व्यय का ब्योरा सूची 'ख' में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'ढ' आगे पृष्ठ ७१२ पर।)

*८५—श्री मुन्नूसिंह—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बहराइच में राप्ती नदी पर मकला घाट पर पुल बनवाने के बारे में जो सर्वे हो रहा था उसका क्या नतीजा निकला ? यह पुल कब तक बन जाने की संभावना है तथा उसका अनुमानित व्यय क्या है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

बहराइच-भिंगा सड़क पर राप्ती नदी पर पक्का पुल स्थित है। भाकला नदी पर पुल निर्माण हेतु सर्वेक्षण कराया गया था और यह अनुमान है कि यहां पर पुल निर्माण में ३५.८९ लाख रु० व्यय होगा। पुल का विस्तृत आगणन तैयार होने पर उसके निर्माण के प्रश्न पर बिचार किया जायगा। इस समय यह बतलाना सम्भव नहीं कि यह पुल कब बन जायगा।

*८६—श्री होरीलाल यादव—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा मझिला तथा ग्राम सभा फखरपुर बरेवा विकासक्षेत्र उमर्दा, जिला फर्रुखाबाद के बेसिक प्राइमरी विद्यालयों के निर्माण हेतु जिला परिषद् द्वारा २,५००-२,५०० रुपये दिये जाने के बाद भी उपरोक्त ग्रामों के सभापति द्वारा स्कूल का निर्माण नहीं हुआ है? यदि हां, तो क्या किसी कमेटी को नियुक्त कर के पाठशालाओं का निर्माण करवाने का आदेश दिया जावेगा?

श्री कैलाशप्रकाश—

जिला फर्रुखाबाद के उमर्दा विकास क्षेत्र के अन्तर्गत रामपुर मझिला तथा फखरपुर बरेवां में खुले प्राइमरी स्कूलों के भवन निर्माणार्थ क्रमशः २,००० तथा २,५०० रु० स्वीकृत किये गये थे। इनके भवनों का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है। भवन निर्माण हेतु किसी कमेटी की नियुक्ति की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है।

वाराणसी जिले में अधिकतम जोत सीमा आरोपण के अन्तर्गत प्राप्त भूमि

*८७—श्री रघुनाथसिंह—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम के लागू होने के बाद से वाराणसी जिले में अब तक कितनी-कितनी अतिरिक्त भूमि अलग-अलग तहसीलों में नियत प्राधिकारी द्वारा निकाली जा सकी है? इस अतिरिक्त भूमि का वितरण किस प्रकार और कैसे लोगों में किया गया?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

वांछित सूचना सदन की मेज पर रक्खी है।

(देखिये नत्थी 'ण' आगे पृष्ठ ७१३ पर।)

अध्यापकों के वेतन में अन्तर

*८८—श्री रघुनाथसिंह—

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि राज्य के सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों को नवीन वेतन-क्रम प्राप्त होने से इनके और असरकारी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों के वेतन-क्रम में अब और अधिक अन्तर पड़ जाने के कारण व्यापक असन्तोष है? यदि हां, तो सरकार इस दिशा में क्या उचित कार्यवाही करने जा रही है?

श्री कैलाश प्रकाश—

जी हां।

लेकिन आर्थिक कठिनाई के कारण इस समय उस दिशा में कोई कार्यवाही करना सम्भव नहीं है।

फैजाबाद कलेक्टरी में हरिजन कर्मचारी

*८९—श्री धूमप्रसाद (जिला फैजाबाद)—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद कलेक्ट्रेट के सब विभागों में कुल कितने कर्मचारी कार्य करते हैं और उनमें कितने हाई कास्ट व कितने हरिजन व पिछड़ी जातियों के हैं? ब्योरेवार दिया जाय?

श्री हुकुम सिंह विसेन—

सूचना संलग्न सूची में दी गई है।

(देखिये परची 'त' आगे पृष्ठ ७१४ पर।)

*९०—श्री धूम प्रसाद—

क्या हरिजनों को १८ प्रतिशत के हिसाब से कोटा सन्, १९६२ से आज तक दिया गया? यदि नहीं, तो क्या कारण है?

श्री हुकुम सिंह विसेन—

नियुक्ति करते समय हरिजनों के निर्धारित प्रतिशत का ध्यान रखा जाता है परन्तु सुयोग्य व्यक्तियों के अभाव के कारण उनके कोटे में कमी रह जाती है।

गोंडा जिले में लेखपालों के स्थानान्तरण

*९१—श्री मुकुट बिहारी लाल (जिला बाराबंकी)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गत दो मास के अन्दर गोंडा जिले की प्रत्येक तहसील में कितने लेखपाल नये नाम व सर्किल के स्थानान्तरित किये गये हैं? क्या उनमें से किसी ने अभी तक अपने नये स्थान पर चार्ज नहीं लिया है? यदि हां, तो क्यों?

श्री हुकुम सिंह विसेन—

सूचना संलग्न है। संलग्न सूची के क्रमांक ७, ८, १८ और १९ के सामने जिन लेखपालों के नाम हैं, उन्होंने चार्ज नहीं लिया है। क्रमांक १४, १६, २० और २१ पर अंकित जिन लेखपालों के नाम हैं, उनके बारे में तबादले का आदेश निरस्त हो चुका है। चार्ज न लेने का कारण यह था कि प्रशासनिक दृष्टि से यह तबादले रोके गये।

(देखिये परची 'थ' आगे पृष्ठ ७१५ पर।)

काशी विद्यापीठ को अनुदान

*९२—श्री सारखण्डे राय (अनुपस्थित)—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि काशी विद्यापीठ, विश्वविद्यालय वाराणसी को राज्य सरकार से गत पांच वर्षों में प्रतिवर्ष कुल कितनी-कितनी सहायता मिली है?

श्री कैलाश प्रकाश—

		रु०	
१९६१–६२ में	.. ..	२,००,०००	आवर्तक अनुदान
१९६२–६३ में	.. ..	२,००,०००	आवर्तक अनुदान
	.. ..	३,०००	अनावर्तक अनुदान
१९६३–६४ में	.. ..	२,००,०००	आवर्तक अनुदान
१९६४–६५ में	.. ..	२,००,०००	..
१९६५–६६ में	.. ..	२,००,०००	..
	.. ..	१,३७,०००	अनावर्तक अनुदान

*९३—श्री सारखण्डे राय (अनुपस्थित)—

क्या राज्य सरकार को हाल में सूचना मिली है कि काशी विद्यापीठ के निम्न कोटि के कर्मचारियों, क्लर्कों आदि कम वेतन भोगी व्यक्तियों को तनख्वाह गत २ साल से नहीं मिली है?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी नहीं।

*९४—श्री शारदानन्द राय (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस मामले में काशी विद्यापीठ की कुव्यवस्था को ठीक करने के लिये उसने कौन कार्यवाही की है ?

श्री कैलाश प्रकाश—

प्रश्न नहीं उठता।

इण्टरमीडिएट परीक्षा प्रमाण-पत्र रद्द करना

*९५—श्री द्विजेन्द्र नारायण—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कुछ ऐसे परीक्षार्थियों जिन्होंने सन् १९५८ में इण्टरमीडिएट परीक्षा पास की थी और जिन्हें प्रमाण-पत्र भी प्राप्त हो चुके थे उनकी उक्त परीक्षा के प्रमाण-पत्र को रद्द करने के लिये ५ मार्च सन् १९६६ के सरकारी गजट के भाग ४ में प्रकाशित हुए हैं।

श्री कैलाशप्रकाश—

जी हां।

*९६—श्री द्विजेन्द्र नारायण—

इन परीक्षार्थियों के विरुद्ध क्या-क्या चार्जेज थे और इन चीजों के निर्णय में ८ वर्ष का समय कैसे लगा जब कि उन परीक्षार्थियों में से कई लोग सरकारी नौकरियों में कई साल से कार्य कर रहे हैं ?

श्री कैलाश प्रकाश—

इन व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश में निवास सम्बन्धी प्रतिबन्धों के लिये झूठा शपथ-पत्र तथा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के आरोप थे। परिषद् ने मामला जिला अधिकारी तथा सी० आई० डी० की जांच के लिये भेजा। परीक्षार्थियों को अस्थाई रूप से इस शर्त पर परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी गई कि आरोप सिद्ध होने पर परीक्षा रद्द कर दी जायगी। जांच में समय लगा। १९६० में रिपोर्ट प्राप्त होने पर परीक्षार्थियों को स्पष्टीकरण का अवसर देकर १९६१ तथा १९६२ में परीक्षाफल रद्द करने का निर्णय लिया गया और परीक्षार्थियों को सूचना देते हुए उनसे प्रमाण-पत्र वापस करने के लिये कहा गया। सम्बद्ध पत्र व्यवहार तथा प्रयास के उपरान्त प्रमाणपत्र वापस न मिलने की दशा में कानूनी राय लेकर ऐसे ९ विद्यार्थियों के नाम गजट में प्रकाशित कर दिये गये और प्रमाण-पत्र रद्द किये जाने की घोषणा कर दी गई।

माध्यमिक शिक्षा परिषद् इलाहाबाद के कर्मचारियों को पारिश्रमिक

*९७—श्री सत्यनारायण पाण्डेय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् इलाहाबाद के कर्मचारियों को १९६५ की परीक्षाओं के अवसर पर किये गये (एरेजमेन्ट आफ ऐन्सर बुक्स) को सदैव की भांति मिलने वाला पारिश्रमिक भत्ता अभी तक नहीं दिया गया जब कि ३१ मार्च समाप्त होने को है ? इसके क्या कारण है ?

श्री कैलाश प्रकाश—

अरेजमेन्ट आफ ऐंसरबुक नाम का कोई भी पारिश्रमिक कार्य परिषद् में नहीं होता है। उत्तर पुस्तकों के स्क्रूटिनी कार्य में सहायता देने के लिये पारिश्रमिक दिया जाता है। १९६४ तक का भुगतान हो चुका है। १९६५ के बारे में एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश ने आपत्ति कर दी है जो शासन के विचाराधीन है।

*९८—श्री राम किशोर त्रिपाठी—

[५ मई १९६६ को प्र० सं० १२ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है।]

ग्राम बक्सीपार से चकबन्दी के खिलाफ शिकायत

*९९—श्री नाथू राम शिक्षक—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक ३ नवम्बर १९६५ को ग्राम बक्सीपार उर्फ ऐलई जिला इलाहाबाद के निवासियों ने निम्नलिखित शिकायतें संचालक चकबन्दी उत्तर प्रदेश को भेजा है? (क) यह कि उक्त ग्राम में खलिहान खाद के गड्ढे तथा सार्वजनिक उपयोग स्थानों को भी चकों में सम्मिलित कर दिया है। (ख) यह कि कुछ काश्तकारों से पैसे लेकर अनुचित लाभ पहुंचाया? (ग) यह कि सहायक चकबन्दी अधिकारी ने उक्त क्षेत्र में चक काटते समय नियमों का पालन नहीं किया?

श्री हुकुम सिंह विसेन—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

मझौली ग्राम समाज की भूमि के पट्टे

*१००—श्री रियासत हुसैन—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम समाज मझौली खास तहसील मिलाई जिला मुरादाबाद में जो ग्राम समाज की आबादी की जमीनों के पट्टे तहसीलदार द्वारा सन् १९६३ में लोगों को किये गये थे और जिन पर ग्राम समाज ने ११५ डी० की कार्यवाही की थी उसमें क्या हुआ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—

परगना अधिकारी ने १८ जुलाई १९६३ को ३० पट्टे धारा १९८ (२) उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत निरस्त कर दिये थे। अपील में राजस्व परिषद् ने इस आदेश को रद्द करके सभी मुकदमें रिमान्ड कर दिये हैं जो न्यायालय में विचाराधीन हैं।

*१०१—श्री रियासत हुसैन—

क्या राजस्व मंत्री को यह मालूम है कि इन बेदखलियों को अमल में न लाने के लिये कुछ लोग प्रयत्न कर रहे हैं? यदि हां तो क्या मंत्री जी आदेश जारी करेंगे कि ११५ डी० की कार्यवाही पर जल्द से जल्द अमल किया जाय?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी नहीं। प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता।

*१०२—श्री रियासत हुसैन—

[पुनरावृत्ति के कारण हटा दिया गया।]

राजकीय दीक्षा विद्यालय, गंजडुंडवारा में विज्ञान कक्ष

*१०३—श्री कमला सिंह यादव तथा श्री चन्द्र बली सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय दीक्षा विद्यालय गंजडुंडवारा, जिला एटा का विज्ञान कक्ष एवं हाल पिछले कई मास से बन्द किया हुआ पड़ा है जिससे उक्त विद्यालय के विद्यार्थी उसके प्रायोगिक उपयोग से वंचित रखे गये हैं ? यदि हां तो इसका कारण क्या है ?

श्री कैलाश प्रकाश—

राजकीय दीक्षा विद्यालय, गंजडुंडवारा, एटा का विज्ञान कक्ष एवं हाल २५-७-६५ से इसलिये बन्द रहा क्यों कि विद्यालयकेएकअध्यापक ने स्थान्तरण पर जाते समय विद्यालय के विज्ञान शिक्षण सामग्री का चार्ज नहीं दिया और वे विद्यालय का हाल जिसमें विज्ञान का सामान रक्खा था बन्द करके तथा ताले पर सील लगा कर चले गये। इस संबंध में शिक्षा निदेशालय के पत्र दिनांक २४-१२-६५ द्वारा आवश्यक निर्देश प्राप्त होने पर जिला विद्यालय निरीक्षक, एटा ने विज्ञान कक्ष एवं हाल खुलवाया और अब छात्राध्यापक विज्ञान के सामानों का उपयोग कर रहे हैं।

मोतीलाल नेहरू अस्पताल, इलाहाबाद में बुढ़िया की मृत्यु

*१०४—श्री सत्यनारायण पाण्डेय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इलाहाबाद शहर में गत १९ मार्च, १९६६ को शाहगंज मुहल्ले में भुखमरी से पीड़ित एक महिला मोती लाल अस्पताल में भरती की गई और उसकी उसी दिन मृत्यु हो गई ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—

१९ मार्च' १९६६ को शहर की एक बहुत वृद्ध बीमार महिला, जिसका दिमाग ठीक नहीं था, मोती लाल नेहरू अस्पताल में पुलिस फलाइंग स्क्वाड द्वारा भरती कराई गई परन्तु वह अस्पताल पहुंचते ही मर गई। शव परीक्षण से यह ज्ञान नहीं हो सका कि मृत्यु का कारण क्या था ?

*१०५—श्री सत्यनारायण पान्डेय—

यदि हां, तो सरकार ने उसे भुखमरी से बचाने के लिये क्या उपाय किये ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—

प्रश्न ही नहीं उठता।

गाजीपुर बिहारीगंज सड़क

*१०६—श्री कमला सिंह यादव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर-बिहारीगंज-मौधारोड़ के संबंध में कितना पया गाजीपुर सार्वजनिक निर्माण विभाग को आर० एम० पी० स्कीम के अन्तर्गत दिया गया है और उसमें कितना खर्च हुआ और इस सड़क पर कब से काम शुरु हो जायगा ?

श्री जगन प्रसाद रावत—

प्रश्नगत सड़क आर० एम० पी० योजना के अन्तर्गत मई, १९६५ में सात लाख बीस हजार रुपये की लागत पर स्वीकृत हुई थी। गत वर्ष भारत सरकार से वांछित मात्रा में धन के न

[श्री जगम प्रसाद रावत]

मिलने के कारण इस सड़क पर काम आरम्भ नहीं किया गया था अब धन की व्यवस्था हो जाने की आशा है और इस सड़क का आगणन तैयार किया जा रहा है । उसके स्वीकृत होने पर कार्य आरम्भ किया जायेगा ।

बरेली नगर पालिका में गैर शिक्षक वर्ग को बढ़ोत्तरी भत्ता न मिलना

*१०७—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या सरकार को ज्ञात है कि बरेली में नगरपालिका के प्राइमरी स्कूलों में जल सेवक तथा जल सेविकाओं को शिक्षा विभाग द्वारा २० रु० की एडहाक बढ़ोत्तरी, जो जी० ओ० संख्या जी-११/४७८७-१५, तिथि २७ जुलाई, १९६५ द्वारा स्वीकृत की गई है, नहीं दी जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ।

श्री कैलाश प्रकाश—

उक्त बढ़ोत्तरी प्राइमरी स्कूलों के गैर शिक्षक वर्ग को स्वीकृत नहीं की गई है । अतएव बरेली को नगरपालिका के प्राइमरी स्कूलों के जल सेवक तथा जल सेविकाओं को उक्त बढ़ोत्तरी देने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

*१०८—श्री हरीश कुमार गंगवार—

क्या यह सही है कि उपरोक्त जी० ओ० में नानटीचिंग स्टाफ को भी जो कि स्थानीय निकायों के प्राथमिक विद्यालयों में काम करते हैं यह भत्ता देने की बात कही गई है ?

श्री कैलाश प्रकाश—

जी नहीं ।

गांव सभा बिनौर के लेखपाल का निलम्बन

*१०९—सर्वश्री रघुनाथ, रामसुन्दर शास्त्री, रघुवीर, प्रेम सिंह तथा झारखंडे राय (अनुपस्थित)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि गांव सभा बिनौर, परगना व जिला कानपुर के एक लेखपाल को माह जुलाई या अगस्त, १९६५ में गांव सभा की भूमि से दोषपूर्ण अध्यासन हटाने के हेतु तहसीलदार को रिपोर्ट न करने के अपराध में निलम्बित किया गया था ? यदि हां, तो क्या कारण है कि गांव सभा बिनौर के दूसरे लेखपाल को निलम्बित नहीं किया गया जब कि उसने भी निलम्बित किये गये लेखपाल के समान ही दोषपूर्ण अध्यासन हटाने के हेतु कोई रिपोर्ट नहीं की थी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी हां । यह सही है । केवल उस लेखपाल को मुअत्तल किया गया जिस पर इस ग्राम का मुख्य कार्यभार था ।

*११०—श्री राम किशोर त्रिपाठी तथा श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला—बुलन्दशहर)—

[हवें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये ।]

अतारांकित प्रश्न

घाटमपुर तहसील में लेखपालों का बकाया

१—श्री शिवनाथ सिंह—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला कानपुर के अन्तर्गत तहसील घाटमपुर में सन् १९५६ से १९६५ तक कितने और किन-किन लेखपालों का पिछला बकाया वेतन एरियर देने को बाकी है ? यदि हां, तो अब तक न देने का क्या कारण है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन--

१८ लेखपाल हैं जिनके नाम संलग्न सूची में हैं। इनम से १५ के बकाया के बिल राजस्व परिषद् अथवा महालेखाधिकारी, उत्तर प्रदेश को भेज जा चुके हैं। अन्य तीन लेखपालों के बकाया वेतन को शीघ्र भुगतान करने के लिये कलक्टर से कह दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'द' आगे पृष्ठ ७१६ पर।)

त्रिलाभ योजनान्तर्गत अध्यापकों को पेंशन

२--श्री रघुनाथ सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य के शासकीय माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के लिये त्रिलाभ योजना के अन्तर्गत मिलने वाली पेंशन का भुगतान जो विद्यालयों के मैनेजरों द्वारा की जाने की बात विचाराधीन है उसको इस बात को ध्यान में रख कर त्याग देने की कृपा करेंगे कि कितने ही अध्यापकों के पारिवारिक निवास स्थान उससे सम्बन्धित विद्यालय से तीन-चार सौ मील या इससे भी अधिक दूर हो सकते हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कैलाशप्रकाश--

इस सम्बन्ध में निर्णय लिया जा चुका है और आदेश १७-१२-१९६५ को जारी कर दिये गये थे।

जिस संस्था में कर्मचारी काम करता है उसी संस्था से ही वह पेंशन पाने का हकदार है।

जरौली ग्राम से भूमिहीनों के प्रार्थना-पत्र

३--श्री रामकिशोर वर्मा--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्हें (मन्त्री जी को) प्रश्नकर्ता के पत्र के साथ फतेहपुर जिलान्तर्गत गाजीपुर परगने के जरौली नामक ग्राम के एक सौ से अधिक पिछड़े वर्ग एवं हरिजन भूमिहीनों के हस्ताक्षर युक्त कोई आवेदन-पत्र इस आशय का, कि उनके ग्राम में कृषि योग्य बेकार पड़ी हजारों बीघा भूमि मांग करने पर भी पट्टे पर गांव प्रधान द्वारा नहीं दी जा रही है जब कि देश में अन्नसंकट को दूर करने के लिये अधिक, अन्नोत्पादन की आवश्यकता है, दिनांक ३१ जनवरी, १९६६ को प्राप्त हुआ है? यदि हां तो सम्बन्धित आवेदन-पत्र के महत्व को देखते हुये उक्त भूमिहीनों को भूमि दिलाने की दिशा में क्या प्रभावशाली कार्यवाही शासन द्वारा की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हुकुम सिंह विसेन--

जी हां, प्रार्थना पत्र ५ फरवरी, १९६६ को प्राप्त हुआ था जिस पर जिलाधिकारी फतेहपुर को आवश्यक कार्यवाही करने के आदेश भेजे जा चुके हैं।

४--श्री राम किशोर वर्मा--

क्या राजस्व मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि उक्त भूमिहीनों के कोई आवेदन-पत्र वर्ष १९६६ के अब तक की अवधि में परगनाधीश फतेहपुर व प्रधान गांव सभा को प्राप्त हुये हैं? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री हुकुम सिंह विसेन--

एक आवेदन-पत्र परगना अधिकारी, फतेहपुर को दिनांक ३१-१-१९६६ को प्राप्त हुआ था, जिस पर परगनाधिकारी ने भूमि प्रबन्धक समिति के अध्यक्ष को आदेश दे दिये हैं कि वे नियमानुसार भूमि को पट्टे पर उठाने की कार्यवाही शीघ्र करें।

जिलाधीश, फतेहपुर के ट्रंककाल बिल

५---श्री रघुबीर सहाय कँथवार---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिलाधीश, फतेहपुर ने १ जुलाई, १९६५ से ३० नवम्बर, १९६५ तक की अवधि में लखनऊ, इलाहाबाद व हमीरपुर को जितने ट्रंककाल किये उनका कुल कितने रुपये का बिल राज्य सरकार ने टेलीफोन विभाग को अदा किया है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन---

लखनऊ तथा इलाहाबाद को दिये गये ट्रंककालों का कुल रु० ११५.६० पै० का बिल अदा किया गया। हमीरपुर को कोई ट्रंककाल नहीं किया गया।

पूर्वी जिले में महिला शिक्षा

६---सर्वश्री विजयपाल सिंह तथा ऊदल---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के पूर्वी १४ जिलों में जो गोरखपुर विश्वविद्यालय के क्षेत्र में आते हैं छात्राओं के लिये कितने डिग्री कालेज, इण्टर कालेज तथा हाई स्कूल प्राइवेट तथा सरकारी चल रहे हैं और उनमें कितने में साइन्स की व्यवस्था की गई ?

श्री कैलाश प्रकाश---

सूचना संलग्न 'क' में दी गई ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ७१७ पर ।)

७---सर्वश्री विजय पाल सिंह तथा ऊदल---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के शुरू से लेकर अब तक लड़कियों की शिक्षा के लिये उपरोक्त क्षेत्र में कहां-कहां डिग्री कालेज, इण्टर कालेज, हाई स्कूल खोले गये और कितना रुपया खर्च किया गया ?

श्री कैलाश प्रकाश---

सूचना संलग्न क 'ख' में प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ७१७ पर।)

बलिया जिले में अध्यापिकाओं के वेतन

८---श्री मैनेजर सिंह---

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा विभाग की योजना २८ के अन्तर्गत बलिया जिला परिषद् द्वारा खोले गये बालिका विद्यालयों में कौन-कौन अध्यापिकाओं ने कार्य किया और उन्हें कितना वेतन दिया गया ?

श्री कैलाशप्रकाश---

परिषद् द्वारा प्राप्त सूचना संलग्न है ?

(देखिये नत्थी 'न' आगे पृष्ठ ७१८ पर।)

महापालिका की कतिपय देय धनराशियों को कर के रूप में वसूल करने के सम्बन्ध में नियम†

स्वायत्त शासन मंत्री की सभा सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से नगरपालिका विभाग की विज्ञप्ति संख्या २८२-म (नि-२२)/११-ग-२६-कार्प-६३, दिनांक ३० मार्च, १९६६ द्वारा प्रख्यापित "महापालिका की कतिपय देय धनराशियों को कर के रूप में वसूल करने के सम्बन्ध में नियमों" की उत्तर प्रदेश नगरमहापालिका अधिनयम, १९५९ की धारा ५४० की उपधारा (४) के अनुसार सदन की मेज पर रखती हूं।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) नियमावली १९६६*

माल मन्त्री के सभा सचिव (श्री रामकुमार शास्त्री)—

अध्यक्ष महोदय, राजस्व विभाग की विज्ञप्ति संख्या १९५०/१-क-२००६-डी-६०, दिनांक २१ मार्च, १९६६ द्वारा प्रख्यापित "उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) नियमावली, १९६६" को, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५० की धारा ३४४ की उपधारा (४) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

कार्यस्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

कई एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव जो कल अस्वीकृत हुये थे वे फिर आज उसी प्रकार से आये हैं जिनको मैं स्वीकार करने में असमर्थ रहा हूं।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

क्या कोई भी स्वीकार नहीं कर पाये हैं?

श्री अध्यक्ष—

नहीं।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

मैंने राज्य कर्मचारियों के बारे में एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव रखा है। साढ़े सात लाख कर्मचारियों के खिलाफ सारे सूबे में यह सरकार कार्य करने जा रही है।

श्री अध्यक्ष—

राज्य कर्मचारियों के बारे में नियम ५२ का मैंने प्रस्ताव स्वीकार किया था। दुर्भाग्यवश उस समय आप लोगों में से कोई नहीं था।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद (जिला सीतापुर)—

मैं उस समय यहां पर मौजूद था। जब हम लोग वाक आउट कर रहे थे उस समय आप केवल कार्य-स्थगन ले रहे थे। प्रतिलिपि निकलवा लीजिये अगर ऐसा न हो तो जो चाहे मुझे पनिश कीजिये।

---

†छापे नहीं गये।
*छापी नहीं गयी।

श्री अध्यक्ष--

ऐसी बात नहीं है लेकिन आप तो मुझ पर ही आरोप लगाना चाहते हैं।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद---

आरोप की बात नहीं है। हमने तो दो मिनट के लिये वाक आउट किया था और तत्काल वापस आ गये थे। उस वक्त कार्य-स्थगन प्रस्ताव ही चल रहे थे। तो जब आपने स्वीकार कर लिया था तो मंत्री जी कल तो वक्तव्य देते ही और न आज देते, बाद में ही देते। तो जैसी यहां परम्परा रही है कि एक महत्वपूर्ण नियम ५२ का प्रस्ताव इलाहाबाद के विषय में आप ने ले लिया है तो आप दूसरे दिन दूसरे महत्वपूर्ण प्रस्ताव को ले लेते हैं। मेरा निवेदन यह है कि जब आपने उसे कृपा कर के कल स्वीकार कर लिया था तो फिर आज जो हमने दिया है उसको स्वीकार कर के वक्तव्य दिलवा दें।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---

हमारे कार्य-स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार करके उस पर कार्यवाही कराइये।

श्री अध्यक्ष---

उसे तो मैंने अस्वीकार कर दिया है लेकिन माननीय टम्बेश्वर प्रसाद कहते हैं कि उस समय वह मौजूद थे जब मैंने नियम ५२ की सूचनाओं को लिया था। हो सकता है मैंने न देखा हो। इसलिये जब वह कहते हैं कि वे मौजूद थे तब कोई कारण नहीं है कि उनकी बात को झूठ समझे। मैं यह समझता हूं कि उसके ऊपर वक्तव्य हो जाना चाहिये था क्योंकि मैंने उस पर लिख दिया था स्वीकार है।

अब जो कामरोको प्रस्ताव विभिन्न माननीय सदस्यों ने मुझे इस सम्बन्ध में दिये हैं मैंने उन को इस कारण से अस्वीकार किया है कि आज इसी विषय पर एक संकल्प विचाराधीन है और उसके कारण मैंने इन कामरोको प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया है। अब वक्तव्य का एक प्रश्न रह जाता है। मुझे तो इस बात की खुशी होगी कि अगर आज कोई माननीय मन्त्री कैबिनट मिनिस्टर कुछ वक्तव्य दें। वक्तव्य के लिये कल मैंने एक नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना स्वीकार की थी जिसका सम्बन्ध हमारे राज्य कर्मचारियों से था। आज जिस असरकारी संकल्प पर विचार करना है वह कुंवर श्रीपाल सिंह जी का है जिसमें वह कहते हैं कि "इस सदन का निश्चित मत है कि उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता कास्ट आफ लीविंग इन्डैक्स के आधार पर' जैसे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को दिया जाता है दिया जाना चाहिये और राज्य के प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को हाउस रेन्ट भी उसी आधार पर दिया जाय....." मुझे खुशी होगी अगर कोई मन्त्री इस सम्बन्ध में अपना वक्तव्य दे दें ताकि माननीय सदस्य उसके ऊपर अपने विचार प्रकट कर सकें। क्या यह सम्भव होगा ? अगर इस समय नहीं तो इस संकल्प पर चर्चा शुरू हो जाय और २ बजे मन्त्री जी का वक्तव्य हो जाय। इससे माननीय सदस्य अवगत हो जायंगे कि सरकार का दृष्टिकोण क्या है और क्या वह चाहती है। चर्चा होती रहे।

वित्त मंत्री (श्री कैलाश प्रकाश)---

यदि अध्यक्ष महोदय की आज्ञा है तो ३ बजे हो जायगा।

श्री काशीनाथ मिश्र---

जिस संकल्प का आपने चर्चा किया है यह तो बहुत पहले से है लेकिन हमने जो कामरोको प्रस्ताव दिया है वह ५, ७ लाख जो राज्य कर्मचारी प्रदेश में हैं उनके साथ यह सरकार जुल्म कर रही है, उनके कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर रही है, उस सम्बन्ध में है। यह प्रस्ताव जो हमने आज दिया है वह बिलकुल अलग है इस सकल्प से। मैं आप की जानकारी के लिये कह दूं कि माननीय सी० बी० गुप्त खुद चाहते हैं कि यह आन्दोलन चलता रहे ताकि सुचेता जी के शासन काल में यह तनाव बना रहे और फिर उनको स्वयं आने का मौका मिले

श्री अध्यक्ष—

जो असंगत बात है उसको कृपया आप न उठायें।

श्री उग्रसेन—

२६ तारीख को यहां पर ५० हजार राज्य कर्मचारियों ने घेरा डाला था और उनके १४२ आदमी गिरफ्तार हुये थे जो बाद में छोड़ दिये गये। अब सरकार उन को मुकदमें में फंसाना चाहती है। दो हजार इंजीनियरों ने एक दिन की हड़ताल की उनको नहीं फंसाया जा रहा है। परिवहन में भी हड़ताल होने जा रही है। २६ मई को एक दिन के लिये सब छट्टी ले कर बैठ जांयगे। तो इन ७॥ लाख आदमियों को सरकार कौन दिशा देने जा रही है?

श्री अध्यक्ष—

आप की जो सूचना आई है नियम ५२ के अन्तर्गत उसको मैं माननीय मन्त्री जी के पास भेज रहा हूं और आप को उनके वक्तव्य की प्रतीक्षा करनी चाहिये।

श्री सन्त सिंह यूसुफ (जिला कानपुर)—

जो इंडस्ट्रियल वर्कर हैं उनकी हालत भी बहुत विस्फोटक रूप धारण कर चुकी है और कई जगह उन्होंने मीटिंग की है। कानपुर में दो मिलों में हड़ताल हो रही है। केसा में भी हड़ताल होने जा रही है। रोडवेज में भी हड़ताल होने जा रही है जिसमें १ लाख आदमी हिस्सा लेंगे। न आप दफा ५२ में मानते हैं और न कामरोको प्रस्ताव।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपा कर नियम देख लें। उसमें लिखा है कि हाल की घटित घटना के संबंध में ही कामरोको प्रस्ताव आ सकता है। निकट भविष्य में होने वाली घटना के विषय में ऐसा प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता।

श्री संतसिंह यूसुफ—

हड़ताल होने जा रही है और झगड़ा चल रहा है।

श्री अध्यक्ष—

मुझे अफसोस है कि नियम के अन्तर्गत इसको स्वीकार करने में मैं असमर्थ हूं।

श्री काशी नाथ मिश्र—

आपने बतलाया कि हाल की घटना से सम्बन्धित होना चाहिये। तो सूचेता जी और गुप्त जी में जो तनाव हुआ है वह हाल की ही घटना है।

श्री अध्यक्ष—

आप की आदत है एक ही बात को बार बार कहने की। वह इस से संबंधित नहीं है।

सिंचाई के नलकूपों के लिए कम हार्स पावर की बिजली देने के सरकारी आदेश के सम्बंध में नियम ५२ के अंतर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

अब नियम ५२ के अन्तर्गत एक सूचना को मैंने स्वीकार किया है जो श्री ब्रह्मदत्त मायर, श्री रामसुन्दर शास्त्री, श्री चन्दनसिंह, श्री बालो जी अग्रवाल तथा श्री ऊदल की है। सूचना इस प्रकार है: "सचिव विद्युत् तथा सिंचाई ने अपने एक आर्डर द्वारा यह आदेश दिया है कि सिंचाई के नलकूपों के लिये सरकार केवल एक या डेढ़ हार्स पावर बिजली देगी। जब कि नलकूप कम से कम साढ़े सात हार्स पावर से कम बिजली से नहीं चल सकता।

[श्री अध्यक्ष]

सरकार ने सिंचाई की कमी को देखते हुए लाखों की संख्या में किसानों को कर्ज व अनुदान नल कूप लगाने के लिये दिया है और किसानों ने नलकूप आदि बना भी लिये हैं और बिजली के लिये उनकी दरख्वास्तें भी सरकार के पास आ गयी हैं। ऐसी हालत में सरकार और किसानों का करोड़ों रुपये का नुक्सान होगा ....।"

मंत्री जी इस पर कब वक्तव्य दिया जायगा ?

कृषि उपमन्त्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)—

इस को ११ तारीख के लिये रख दीजिये।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है।

गन्ना कामदारों की मांगों को सरकार द्वारा स्वीकार न किये जाने के संबंध में नियम ५२ के अंतर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

अब एक माननीय हरिनाथ तिवारी जी की सूचना है जिसको मैंने केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है। वह इस प्रकार है: "सरकार द्वारा गन्ना कामदारों का वेतन बढ़ाने, उन्हें तृतीय श्रेणी का राजकीय कर्मचारी मानने, सेवा नियमावली बनाने तथा स्थायी भत्ते को १५ रुपये निश्चित करने संबंधी न्याययोचित मांगों को अभी तक सरकार द्वारा स्वीकार किये जाने से संपूर्ण प्रदेश में गन्ना कामदारों में शासन के प्रति घोर असंतोष एवं उत्तेजना व्याप्त है....।"

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

यह बहुत गम्भीर विषय है।

नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ अन्य सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

एक सूचना माननीय जगन्नाथ राव जी की है। उसे भी मैं माननीय मंत्री जी के पास आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज रहा हूं। (व्यवधान) एक माननीय शिवनाथसिंह और चौधरी रतीपाल की है। "जिला कानपुर के अन्तर्गत तहसील घाटमपुर के दक्षिणी असिंचित क्षेत्र में अवर्षण के कारण पैदावार न होने के फलस्वरूप अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। भूमिहीन मजदूरों एवं अलाभप्रद जोत वाले किसानों के लिए खाने व जानवरों के लिए चारे की कमी है। कुओं का पानी सूख गया है।" यह मंत्री जी को भेज रहा हूं।

दूसरा माननीय उग्रसेन का है—"डायमंड शुगर मिल्स लि० पिपराइच के ऊपर वहां के १० हजार किसानों का गत सीजन का गन्ने का दाम २७,४८,३४८ रुपया ३४ पैसा ३० अप्रैल, १९६६ तक का बाकी है....।" यह मुख्य मंत्री के विषय में है। यह आवश्यक और उचित कार्यवाही के लिये है।

(श्री उग्रसेन के खड़े होने पर) यह रामसुन्दर जी ने कौनसी कल लगा दी है कि आप बार बार खड़े हो जाते हैं।

एक सूचना काशीनाथ जी की है, विशेष कार्यवाही हेतु .....(व्यवधान)। जिन माननीय सदस्यों को अपनी सूचनाओं के संबंध में कुछ कहना है, उनको हम अपने कक्ष में आमंत्रित करते हैं और उनको यथासंभव सेवा करने के लिए भी तैयार हैं।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

आपने का की प्रसन्न हो कर हमारा उत्साहवर्धन किया है तो हमारे बाला क्यों रह जाय ?

कार्य-मंत्रणा समिति के द्वारा विभिन्न विधेयकों के लिए समय निर्धारण के सम्बन्ध में प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—

कल कार्य मंत्रणा समिति ने इस प्रकार से कार्य-क्रम निश्चित किया है—

उत्तर प्रदेश प्रदेश बांट तथा माप (प्रचलन) (संशोधन) विधेयक, १९६६' जैसा कि विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार एवं उसका पारण—११ मई, १९६६'

उत्तर प्रदेश सतर्कता आयोग के प्रतिवेदन पर चर्चा—११ मई' १९६६।

भारत का संविधान के अनुच्छेद ३ के परन्तुक के अनुसार संसद में पुरः स्थापित किये जाने वाले बिहार ऐंड उत्तर प्रदेश (आल्टरेशन आफ बाउन्डरीज) बिल' १९६६, के संबंध में राष्ट्रपति महोदय से प्राप्त रेफ्रेंस पर उक्त विधेयक से सहमति के प्रस्ताव पर विचार—१२ मई, १९६६।

अयोध्या पीपा पुल दुर्घटना, १९६५ के बारे में जांच आयोग के प्रतिवेदन पर चर्चा—१२ मई, १९६६।

श्री रामाग्रण राय (जिला देवरिया)—

यह सदन निम्नलिखि कार्यों के संबंध में विधान सभा की कार्य मंत्रणा समिति द्वारा प्रस्तावित समय निर्धारण से जिसकी सूचाना माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन को आज दी गयी है, सहमत है :—

१—उत्तर प्रदेश बांट तथा माप (प्रचलन) (संशोधन) विधेयक, १९६६, जैसा कि बिधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार एवं उसका पारण।

२—उत्तर प्रदेश सतर्कता आयोग के प्रतिवेदन पर चर्चा।

३—भारत का संविधान के अनुच्छेद ३ के परन्तुक के अनुसार संसद में पुरःस्थापित किए जाने वाले बिहार ऐण्ड उत्तर प्रदेश (आल्टरेशन आफ बाउन्डरीज) बिल, १९६६ के संबंध में राष्ट्रपति महोदय से प्राप्त रेफ्रेंस पर उक्त विधेयक से सहमति के प्रस्ताव पर विचार।

४—अयोध्या पीपा पुल दुर्घटना, १९६५ के बारे में जांच आयोग के प्रतिवेदन पर चर्चा।

श्री कमला सिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

हमारी रिक्वेस्ट यह है कि उत्तर प्रदेश बांट तथा माप (प्रचलन) (संशोधन) विधेयक एक बड़ा विधेयक है। उसके लिए कम से कम एक दिन बहस के लिए होना चाहिए। सतर्कता आयोग के लिए जो प्रतिवेदन है उसको दूसरे दिन डाल दें और पहले दिन इसी को रखें तो अच्छा रहेगा।

श्री अध्यक्ष—

यह तो कार्य-मंत्रणा समिति ने स्वीकार कर लिया है।

श्री कमलासिंह यादव—

अगर कार्य-मंत्रणा समिति कह दे कि हमारे मुंह पर ताला लगा दिया जाय तो इसके माने हैं कि हम अपना मुंह ओपेन भी नहीं कर सकते ?

श्री अध्यक्ष---

आपको अधिकार है कि आप इस प्रस्ताव में संशोधन प्रस्ताव करके कार्य-मंत्रणा समिति से पुनर्विचार का आग्रह करें, उसका निर्णय अस्वीकार तो हो नहीं सकता।

श्री कमलासिंह यादव---

आपका यह मतलब है कि संशोधन देने की जरूरत नहीं है।

श्री अध्यक्ष---

आप यह प्रस्ताव कर सकते हैं कि इसको वापिस भेज दिया जाय।

श्री कमलासिंह यादव---

मैं प्रस्ताव करता हूं कि जो प्रस्ताव माननीय रामायण राय ने रक्खा है वह वापस ले लिया जाय।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा प्रस्तावित समय निर्धारण के प्रस्ताव से, जिसे माननीय रामायण राय ने रक्खा है, सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत, हुआ---

पक्ष में---५६, विपक्ष में---२१)

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---

हमारे दल के या विरोधी दल के जो सचेतक हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया रही है उसकी तो आपको जानकारी होगी। उत्तर प्रदेश के कोने-कोने से दस तारीख को बढ़ी हुई मालगूजारी के विरोध में एक विशाल प्रदर्शन डेढ़ लाख किसानों को होना तय हुआ है। इसका एक महीने से प्रापोगेन्डा है। मैं समझता हूं कि सरकार की यह चाल रही है कि उसके सामने जो प्रदर्शन होने वाला है, जिसमें कि संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी और कम्यूनिस्ट पार्टी के दोनों लोग शामिल हैं, वह न होने पायें। इसलिए दस तारीख को विधान सभा का अधिवेशन न चले हमको इस बात की तकलीफ है। उस दिन विधान सभा का अधिवेशन चलते रहने देना चाहिए था। उस दिन छुट्टी नहीं होनी चाहिए थी। जब लाखों किसान उस दिन बुलाए गए हैं तो उस दिन अधिवेशन चालू रहने देना चाहिए। आप ही यदि उन लोगों की तकलीफों को सुनने को तैयार नहीं है तो सारी जिम्मेदारी आपकी है।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद (जिला सीतापुर)---

मुझे खेद है कि माननीय रामसुन्दर जी के लोग अपनी दिक्कतें जब चाहें कह देते हैं। जब यह पेश हो रहा था तो कांग्रेस दल के लोगों को कोई आपत्ति नहीं थी और भी किसी को आपत्ति नहीं थी। उस समय मैंने यह बात याद दिलाई थी कि उस दिन गजटेड हालीडे है। प्रदर्शन वाली बात आप प्रस्ताव लाने से पहले ला सकते थे। माननीय कमलासिंह का जहां तक सवाल है, उन्होंने भी इस बात को लेकर आपत्ति नहीं की कि दस को यहां प्रदर्शन है। उस समय कहते तो भी मैं कांग्रेस दल के सामने सुझाव रखता। मेरी आपत्ति के समय भी यह कहा गया कि जो छुट्टी आधे दिन की है उसको पूरा दिन कर दिया जाय। मेरा इतना कहना है कि यह सुझाव उस समय विचार कर लिया जाता कि उस दिन गजटेड हालीडे है। सदन इसलिए नहीं उठ रहा है कि काम नहीं था। उस दिन गजटेड हालीडे पहले से थी। विचार यह करना था कि गजटेड हालीडे कैंसिल कर दी जाय?

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, कार्य-मंत्रणा समिति में जो बात हुई वह तो टम्बेश्वर प्रसाद जी जानें, हमारा कहना तो यह है कि १० तारीख को विधान सभा बन्द नहीं होनी चाहिए।

इसी प्रकार पिछले महीने जब सुपरवाइजरों का प्रदर्शन हुआ था तब भी एकदम विधान सभा बन्द कर दी गयी थी। क्या गजटेड हालीडे के दिन यह सरकार कर्मचारियों को जबरदस्ती बुलाकर काम नहीं कराती ?

श्री अध्यक्ष—

सदन के निश्चय के विरुद्ध अब कोई बात नहीं होगी। यह सब अनियमित है।

कतिपय विषय

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

श्रीमन्, समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है कि ९–१० तारीख को छुट्टी रहेगी और यह विधान सभा १३ को उठ कर १८ जुलाई से फिर बैठने वाली है। क्या यह सत्य है ?

श्री अध्यक्ष—

७, ८, ९ और १० को यह विधान सभा बन्द रहेगी और फिर १३ तारीख को उठ जायेंगे। इस समय तो मेरी यही सूचना है और बाद में दे दी जायगी।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, यह जो आपका राजकीय मुद्रणालय है, वह विधान सभा के कार्य में विलम्ब करता है, जब कि इसी विधान सभा सचिवालय के कार्य करने के लिए इसको यहां पर खोला गया था एक दिन हाउस में मैंने इस सवाल को उठाया था, तब आपने कहा था कि इसको लिख कर भेज दीजिए। मैंने लिख कर भी भेज दिया था। आपको यह जान कर ताज्जुब होगा कि आज के कार्यक्रम की सूचना आज हमको १० बजे मिली है।

श्री अध्यक्ष—

मैं आपका आभारी हूं कि आपने मेरा ध्यान इस ओर आकर्षित किया। मुझे स्वयं आज यह कार्य-सूची १० बजे मिली। इस संबंध में अन्वेषण हो रहा है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

हमने जो आपको चिट्ठी लिखी थी उसको १५–२० दिन हो गए। मैं चाहता हूं कि इसमें आप कोई निर्णय स्वयं ले लें। अथवा विधान सभा के सदस्यों की कोई कमेटी बना दें जो यह देखे कि विधान सभा का कार्य क्यों नहीं होता है।

श्री अध्यक्ष—

इसके ऊपर मैं स्वयं अन्वेषण करा रहा हूं। उसके बाद माननीय सदस्यों के जो सुझाव होंगे, उनके अनुरूप कार्यवाही करने का प्रयत्न किया जायगा।

राज्य कर्मचारियों को केन्द्रीय कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता एवम् हाउस रेंट देने के सम्बन्ध में संकल्प

*कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला जौनपुर)—

यह एक बिल्कुल साधरण सी बात थी, कितना वेतन बढ़ाया जाय, कितना भत्ता बढ़ाया जाय इससे हमारा वास्ता नहीं है, हमारा आशय केवल यह था कि केंद्र और यहां के कर्मचारियों में जो वेतन और भत्ते की असमानता है, वह विषमता दूर की जाय। कारण यह है कि वह एक

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[कुंवर श्रीपाल सिंह]

ही प्रकार का काम करते हैं। केवल मद्रास प्रांत ने इस चीज को अपने यहां किया है। उन्होंने अपने यहां वही वेतन और भत्ता रखा है जो केंद्रीय सरकार का था। हमारा प्रदेश मद्रास से बहुत बड़ा है और हमारा प्रांत हर चीज में आगे कहा जाता है जब कि मद्रास अपने यहां इस चीज को कर सकता है और उन्होंने अपने यहां के लिए इस चीज को मान लिया है तो यह प्रदेश क्यों नहीं कर सकता ? इसका कोई समुचित उत्तर सरकारी पक्ष के लोगों के वक्तव्य में हमें नहीं मिला। केवल एक ही बात कही जाती है कि हम जब कर लगाते हैं तो विरोध पक्ष के लोग कहते हैं कि कर न लगाओ और बगैर कर लगाए रुपया कहां से आये और जब तक रुपया न हो तब तक हम वेतन भत्ता बढ़ायें कहां से। इस तरह का तर्क देकर यह चाहा जाता है कि विषय की गंभीरता को साधारण रूप से ही समाप्त कर दिया जाय। यह कहना नितांत सत्य से परे है यह बात केवल मैं स्वयं अपने से ही नहीं कह रहा हूं। आडिट रिपोर्ट जिसको सरकार के ही आदमी तैयार करते हैं और जिनकी नियुक्ति सरकार ही करती है उन्होंने ही अपनी आडिट रिपोर्ट में अगर देखा जाय तो उसी से मालूम हो जायगा कि सरकार के पास पैसा है या नहीं है।

उस दिन सरकारी पक्ष से बोलते हुए किसी व्यक्ति ने कहा था कि ४–५ करोड़ रुपया अधिक लगेगा यदि हम केंद्र के वेतन भत्ते की सीमा पर अपने यहां के वेतन भत्ते को ले जाते हैं। आडिट रिपोर्ट में आप देखें तो कोई साल ऐसा नहीं गया है कि जिस वर्ष में घाटे का बजट बनाकर बाद में यह बजट सरप्लस न हो गया हो। यह मुनाफा भी किसी-किसी वर्ष ११–११ करोड़ तक हो गया है। इसके अलावा उनके खर्चे का जो प्राक्कलन बनता है उसके अनुसार पूरा खर्च सरकार नहीं कर पाती, कर लगाकर आय तो बढ़ा ली जाती है लेकिन वह खर्च उतना नहीं हो पाता और मार्च में अंधाधुन्ध रुपया खर्च करने के बावजूद भी पैसा बच जाता है। सरकार अगर देना चाहे तो दे सकती है। इससे यह प्रकट है। केवल अगर इतना ही कर दिया जाय कि जो बेकार के खर्च पहले से दिखलाए जाते हैं उनको रोका जाय और इतने को ही संभाल लिया जाय तो....

श्री कमला सिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

श्रीमन्, सदन में कोरम नहीं है।

(घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरंभ हुई।)

कुंवर श्रीपाल सिंह—

मैं यह निवेदन कर रहा था कि जैसा अभी आपने कहा कि इस विषय से सरकारी पक्ष को कितनी अभिरुचि है यह स्वयं इसी से सिद्ध हो जाता है कि कोरम के लिए घंटी बजानी पड़ी। राज्य के कर्मचारी यदि असंतुष्ट रहे तो मैं बड़ी विनम्रता के साथ निवेदन करना चाहूंगा कि.....

श्री अध्यक्ष—

यहां पर इस विषय पर ३–३ काम रोको प्रस्ताव आए। अब इस विषय पर बोलने के लिए बुलाने पर कोई खड़ा नहीं हुआ जिस समय इस विषय में काम रोको प्रस्ताव अस्वीकृत कर रहा था तो वाक आउट होने जा रहा था लेकिन जब ये संकल्प आया तो कोई बोलने वाला नहीं है यह कितने अफसोस की बात है। शायद वित्त मंत्री जी भी इसीलिए चले गए कि इस विषय पर काफी बहस होगी।

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

अच्छा होगा ३ बजे जवाब देने के लिए स्थगित कर दें ?

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि कोई प्रक्रिया नहीं है कि आप इसे स्थगित कर दें। इसके पश्चात् माननीय मंत्री जी जवाब देंगे और उसके बाद डिबेट समाप्त हो जायगी।

कुंवर श्रीपालसिंह—

तो श्रीमन्, यदि सरकार को हम गाड़ी माने तो उस गाड़ी के पहिए ये सरकार के कर्मचारी हैं। बिना कर्मचारियों के यह सरकार नहीं चल सकती है। यदि वे असंतुष्ट नहीं है तो काम ठीक ढंग से चलेगा। आज हमारी सरकार के कामों में, जो काम केवल एक सप्ताह में हो सकता है, उस काम को होने में ६–७ सप्ताह लग जाता है। क्या कारण है, इसका? श्रीमान जी, मिलों में हड़ताल होती है, मिलों के कर्मचारियों को जब कम वेतन मिलता है तो उनके पास एक अधिकार है कि वे हड़ताल करें और ऐसा करके अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करें। सरकार भी उनका साथ देती है और साथ ही साथ जितने भी राजनीतिक दल वे भी उनका साथ देते हैं कि उनकी तनख्वाह बढ़ायी जाय। अगर मजदूर ठीक ढंग से काम नहीं करते हैं तो यह कहा जाता है कि तनख्वाह कम होगी लेकिन क्या वे तरीके सरकारी कर्मचारियों को लागू नहीं होते? तो एक सीधी सी बात है। हम यह भी नहीं कहते कि उनकी तनख्वाह बढ़ा दीजिए। हम यह भी नहीं कहते कि आप उनकी तनख्वाह किसी एक सीमा तक बढ़ा दें। आपको ही केंद्रीय सरकार जितनी तनख्वाह दे रही है उतनी तनख्वाह देने में प्रदेशीय सरकार को क्या गूरेज है, यह बात मेरी समझ में नहीं आती है।

अर्थ की कमी की जो बात कही जाती है, सरकार की ओर से, उसके लिए तो मैंने पहले ही निवेदन कर दिया है कि आडिट रिपोर्ट जो है उसमें से यदि मैं उदाहरण देने लग जाऊं तो दिखा सकता हूं कि कोई भी सरकारी विभाग ऐसा नहीं है कि जिस विभाग में जितना रुपया खर्च करने के लिए रखा गया है, वह पूरा का पूरा खर्च हो गया हो। कुछ विभाग तो ऐसे हैं जिसमें ७ प्रतिशत के ऊपर भी खर्च नहीं कर पाये हैं। जितना रुपया रखा गया, उस रुपये का ४० प्रतिशत से भी कम खर्च कर पाये। दिखलाने के लिए बजट इतना बड़ा हो गया कि यह दिखायी दे कि बजट घाटे का है और उस बजट के आधार पर जो वक्तव्य हुए सरकार की तरफ से वे हुए कि साहब रुपया नहीं है, हम कहां से दें। रुपया अगर नहीं है तो यह बचत कहां से होती है और यह बजट होते हुए काम आपका पूरा चल रहा है। मैंने नहीं देखा किसी ब्लाक में जो रुपया अन्धाधुन्ध बांटा जाता है, ब्लाक प्रमुख अपनी इच्छा से जितना चाहता है उसको दे देता है और उसे चाहे वसूल करे या छोड़ दे इसी प्रकार से अंधाधुन्ध रुपया खर्च करके उद्योग विभाग की तरफ से जिस किसी को कर्जा दे दिया गया सरकार जिसको चाहे माफ करे, चाहे वसूल करे, वह चाहे लाखों की संख्या में हो, जब इस किस्म के अंधाधुन्ध खर्चे सरकार कर सकती है और इसके बाद भी घाटे का बजट नफे में हो सकता है तो माने यह हुये कि रुपया इनके पास जितना यह कहते हैं कि कम है, वह बिल्कुल सत्य से परे की बात है।

रुपया इनके पास है, देना नहीं चाहते हैं। अब क्यों नहीं देना चाहते यहां आ के प्रश्न पैदा होता है। न देने का कारण क्या हो सकता है? तो मैं तो यह कहूंगा न देने का कारण नहीं हो सकता है। अभी तक की जो सरकारें थी उनके बारे में कहा जाता था कि सरकार के आंख नहीं होती है कान नहीं होते, परन्तु इस सरकार के मुझे यह लगता है कि कान भी नहीं है, आंख तो थी ही नहीं। कान भी नहीं है, सुन भी नहीं पाती। देखने का प्रश्न ही नहीं है। जब हम एक सीधी सी बात कहते हैं कि केंद्र में जितना दिया जाता है वहां भी कांग्रेस की ही सरकार है और जिस तरीके से यहां की सरकार के रुपये का दुरुपयोग होता है लोगों को दिया जाता है उसी प्रकार केंद्र में भी बांटा जाता है। वह जब अपने कर्मचारियों को जितना दे सकते हैं उतना ही हमारे यहां की सरकार अपने कर्मचारियों को नहीं दे सकती इसका कोई वर्क इनके पास है नहीं और यही कारण है कि कर्मचारियों के आन्दोलन के मुकाबले में आज श्रीमन्, आप को कहना पड़ा कि सरकार अपने पक्ष को रखे सामने कि उसकी क्या राय है।

[कुंवर श्रीपालसिंह]

आन्दोलन हो रहा है, कर्मचारियों ने यह कहा हुआ है कि हम काम छोड़ देंगे, छुट्टी लेकर बैठ जायेंगे, सरकार कैसे चलेगी, क्या तमाशा होगा उसका ध्यान नहीं है। उनकी अगर मांगें अनुचित है तो सरकार सिद्ध करे कि उनकी मांगें अनुचित है। यदि उनकी मांगें उचित हैं तो सरकार उनको पूरा करे। यदि सरकार यह कहती है कि हमारे पास रुपया नहीं है तो उसके लिए आडिट रिपोर्ट प्रमाण है। हर साल की रिपोर्ट देखी जाय तो मालूम होगा कि रुपये की कमी नहीं है। रुपया यदि सरकार चाहे तो दे सकती है और उतना देकर के अपने यहां के कर्मचारियों का असंतोष समाप्त कर सकती है। जितना केंद्र से उनको मिलता है उतना देने में भी सरकार को यदि गुरेज है तो मेरी समझ में तो कोई कारण आता नहीं। सरकारी कर्मचारियों की तरफ से यदि कोई बात कही जाती है तो सरकार की तरफ से लोग यह कहने लग जाते हैं कि साहब यह तो इलेक्शन स्टन्ट है इसलिए विरोधी दल के लोग यह बात कह रहे हैं। जिस दिन मैंने इस संकल्प को पेश किया था उस दिन माननीय बैजनाथ सिंह ने कह दिया कि कुंवर साहब को अपने प्रस्ताव में बिल्कुल ही रुचि नहीं है इसलिए छोड़ कर चले गए। इत्तफाक यह था कि उस दिन मुझे राज्यपाल जी से मिलना था कुछ काम से इस वजह से थोड़ी देर के लिए मैं चला गया था। उधर से बराबर यह कहा गया कि केवल मात्र इलेक्शन स्टेन्ट बना कर के यह प्रस्ताव लाया गया है। तो मैं यह जानना चाहता हू कि बड़े-बड़े धाकड़ इलेक्शनबाज उधर मौजूद हैं ऐसी ऐसी चीजें इलेक्शन के लिए सोचकर निकाल लेते हैं और इस प्रकार कानून को बनाते हुए इलेक्शन की चालें सोच लेते हैं कि संसार में कोई सोच भी नहीं सकता। फिर आप क्यों नहीं इस चाल को अपना लेते हैं। हम तो खाली जवानी कह रहे हैं कि उन्हें देना है, उसे देकर सरकार क्यों नहीं अपने कर्मचारियों को प्रसन्न कर लेती है, वह जवानी बात से तो वह प्रसन्न होंगे नहीं। ऐसा न करने पर जब सरकार का काम ठप्प होगा तो वह दोष लगायेगी विरोधी दलों पर कि ये अपने इलेक्शन का मामला ठीक कर रहे हैं।

मैं अन्त में पुनः यह निवेदन करूंगा कि इस निर्दोष संकल्प को सदन अवश्य स्वीकार करे और स्वीकार करके इस अन्धी और बहरी सरकार को मजबूर कर दे कि वह अपने बड़े भाई केन्द्रीय सरकार के दिखाए हुए रास्ते पर चल कर कर्मचारियों को वही भत्ता और सहूलियतें दें जो केंद्रीय सरकार दे रही है।

*वित्त मंत्री (श्री कैलाश प्रकाश)--

अध्यक्ष महोदय यह प्रस्ताव इस विषय में है कि हमारे प्रदेश के जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको महंगाई भत्ता उसी आधार पर मिलना चाहिए जिस आधार पर केंद्रीय सरकार को मिलता है। साथ ही इसमें यह कहा गया है कि उनको मकान का किराया भी उसी दर से मिलना चाहिए। इसी सदन में यह बात कही जा चुकी है और अपनी जगह यह बात सही भी है कि कुछ चीजें सुविधा की, जीवन यापन की जो होती है सबके लिए एक सी होती है। अगर महंगाई बढ़ी है तो उसका प्रभाव सब पर पड़ता है और विशेषकर जिनको एक निश्चित वेतन दर मिलती है। इस चीज को सामने रखते हुए केंद्रीय सरकार में बार बार इस पर विचार हुआ और कुछ कमेटीज तथा कमीशनों की यह सिफारिश हुई कि महंगाई भत्ते को इस चीज के साथ जोड़ना चाहिए कि कितनी महंगाई बढ़ती जा रही है और जिस स्तर पर बढ़ती जाय उसी हिसाब से उस महंगाई भत्ते को बढ़ाने की भी आवश्यकता है। केंद्रीय सरकार ने उसे स्वीकार किया।

हमारे यहां भी जैसा माननीय सदस्यों को ज्ञात है और इस सदन में इस पर चर्चा भी हो चुकी है कि काफी अर्से से सरकारी कर्मचारियों के वेतन क्रम में बढ़ोत्तरी नहीं हुई थी और इसलिए यह बात महसूस होती थी कि उनके वेतन क्रम में परिवर्तन होना चाहिए और महंगाई

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भत्ते के रूप में उनको जो सुविधा दी जा रही है उसको ठीक करके कुछ उसे वेतन में सम्मिलित होना चाहिए। महंगाई भत्ते और वेतन में एक फर्क होता है। वेतन जो मिलता है उसके अनुरूप राजकीय कर्मचारियों को और अधिकारियों को कुछ अन्य सुविधायें भी उपलब्ध हो जाती है जैसे पेंशन इत्यादि। इसलिए एक कमेटी यहां बैठाई गयी। उस कमेटी ने काफी विस्तारपूर्वक विचार किया और विचार करके एक निश्चित बात कही कि उस वक्त तक जो महंगाई हुई है और जो इन्डेक्स आया है उसके हिसाब से यहां के वेतन-क्रम को निर्धारित किया और उसके ऊपर महंगाई भत्ते को निर्धारित किया। अपनी जगह यह बात सही है कि अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश भी थी कि आगे जो महंगाई भत्ता दिया जाय उसका संबंध कीमतों से होना चाहिए। हमें इस बात से पूरी हमदर्दी है और इसमें कोई संदेह नहीं कि सभी को हमदर्दी होगी क्योंकि लोकतंत्र में जो सरकारी मशीन होती है उसके द्वारा बहुत कुछ कार्य चलता है। इधर और उधर दोनों तरफ के बैठने वाले माननीय सदस्यों को सरकारी कर्मचारियों से हमदर्दी है और सहानुभूति भी है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमारे राज्य सरकार के अधिकारी और कर्मचारी हैं हमें तो उनसे प्रति दिन काम लेना पड़ता है। उनका और हमारा मिनट मिनट का संबंध रहता है। उनसे मिल कर हम काम करते हैं। तो यह एक क्षण के लिए भी कल्पना नहीं की जा सकती कि हमें उनके साथ पूरी सहानुभूति नहीं है या उनकी जो परेशानियां हैं वे हमको मालूम नहीं है यानी उनकी परेशानियों से हमारे दिल में कोई बात पैदा नहीं होती। फर्क यह है कि आज इधर के बैठने वाले जो सरकार में हैं वे केवल सहानुभूति प्रदर्शित कर के काम पूरा नहीं कर सकते। उन्हें तो सहानुभूति प्रदर्शित कर के जो निर्णय लेना है उसको कार्यान्वित भी करना है। यह महसूस करते हुए भी कि आज अगर हम सरकारी कर्मचारियों को अधिक सुविधा दे सकें, उनकी उपलब्धियों में वृद्धि कर सकें तो हमें प्रसन्नता होगी किन्तु उस प्रसन्नता को प्राप्त करने के लिये हमें यह भी देखना होगा कि जो उपलब्धि उनको बढ़ाई जाय वह कहां से आय। इसका प्रबंध पहले करना होगा। माननीय सदस्यों को यह ज्ञात है कि अगर सरकार के खजाने में कोई चीज आ सकती है तो वह टैक्स से आ सकती है या उधर से आ सकती है। इस बात को सभी स्वीकार करेंगे कि कोई भी सरकार इस तरह की नहीं हो सकती, होना भी नहीं चाहिए कि उधर से वह अपने दैनिक कार्य को चलाए। यह कोई आर्थिक सिद्धांत नहीं हो सकता।

अब रह गया टैक्स। तो टैक्स लगाने की क्या सीमा है, इसमें भी मैं जाना नहीं चाहता हूं। माननीय सदस्य स्वयं इस बात को कहते रहते हैं कि हमने काफी टैक्स लगा रखे हैं और आजकल की महंगाई को देखते हुए जहां उसका प्रभाव वेतनभोगियों पर पड़ता है वहां उसका प्रभाव अन्य लोगों पर भी पड़ता है। अगर कीमतें बढ़ती हैं तो न केवल वेतन भोगियो कोही परेशानी होती है बल्कि और नागरिकों को भी परेशानी बढ़ती है। पिछले वर्ष हमने कुछ टैक्स बढ़ाये थे। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुये और अपने प्रदेश और नागरिकों की आर्थिक व्यवस्था को देखते हुये इस बात को मुनासिब समझा गया और माननीय सदस्यों ने भी इसका स्वागत किया कि कोई टैक्स इस साल न लगायें। बल्कि माननीय सदस्यों की तरफ से तो यह मांग हुई कि कुछ टैक्स ऐसे हैं जिनको निकाल देना चाहिये। इसका क्या अर्थ होगा ? इसका अर्थ यह होगा कि आज जो रुपया सरकारी खजाने में आता है टैक्स द्वारा, उसको कम करने के सवाल को छोड़ दीजिये, उस पर मैं इस समय और कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन जो धनराशि आज टैक्स द्वारा आती है उसके बारे में एक बात कही जा सकती है कि बचत कीजिये, इकोनोमी कीजिये और इकोनोमी करके दूसरी तरफ पैसे को दीजिये। सदन के सामने प्रस्ताव उपस्थित किये जा चुके हैं कि हम बचत कर रहे हैं। जो भी प्रस्ताव हमारे सामने बचत का आता है तो हम बचत करते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमारा बचत का प्रस्ताव है उसका प्रभाव बहुत कुछ इस बात पर पड़ सकता है कि हमारे स्टाफ में कुछ बचत की जाये। मैंने संकेत किया था इस बात को महसूस करते हुये भी कि आज सरकारी कर्मचारियों में कुछ गुंजाइश हो सकती है कि उसमें कमी कर दी जाये। लेकिन हम कमी नहीं करेंगे और माननीय सदस्य भी इससे सहमत रहे हैं कि कमी न की जाये। इसलिये हम एक चीज निकाल रहे हैं कि जैसे जैसे काम बढ़ता जाये और उसमें जो अतिरिक्त स्टाफ की जरूरत हो उसकी जगह

[श्री कैलाश प्रकाश]

उनको रख दे। माननीय सदस्य भी इसे स्वीकार करेंगे क्योंकि यह सहानुभूति की बात है। मामूली दृष्टि से यदि देखा जाये तो इसी नतीजे पर पहुंचेंगे कि यदि ४ आदमियों की आवश्यकता है तो चार रखिये, ६ की आवश्यकता है तो ६ रखिये और ८ की आवश्यकता है तो ८ रखिये। जितने आदमियों से काम लिया जा सकता है उतने से ही लीजिये। टैक्स पेयर के पैसों से फालतू लोगों को न रखा जाये। इससे किसी को इंकार नहीं हो सकता है। किन्तु आर्थिक सिद्धान्त पर हर चीज नहीं देखी जा सकती है और माननीय सदस्य को भी मालूम होगा कि इसमें कुछ मानवीय चीज भी लानी पड़ती है। कर्मचारियों को काम करते हुये काफी दिन हो गये हैं अगर उनको निकालें तो ठीक नहीं होगा। अभी कुछ मनोवैज्ञानिक केन्द्र को बन्द करना पड़ा तो जो उनका स्टाफ है (लाल बत्ती होने पर) लाल बत्ती हो गई है इसलिये मुझे संक्षिप्त करना होगा। माननीय सदस्य को एक विज्ञप्ति दी गई है। इसमें यह दिखाया गया है कि हमारे सरकारी कर्मचारियों की क्या स्थिति है।

श्री अध्यक्ष—

एक बात मैं कह दूं कि अगर आप बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। लेकिन वोटिंग एक और दो के बीच में नहीं होगी। अधिक समय लेना चाहते हैं तो लें।

श्री कैलाश प्रकाश—

मुझे कोई विशेष नहीं कहना है। हमारी कठिनाई यह है कि हम केन्द्र के कर्मचारियों के साथ अपने यहां के कर्मचारियों को नहीं बांध सकते हैं जैसे स्वायत्त शासन की इकाइयों के कर्मचारियों को प्रदेशीय कर्मचारियों से नहीं बांध सकते हैं। हमने लिखा है कि हम अपने कर्मचारियों को रिलीफ देना चाहते हैं इसलिये हमें सहायता दी जाये क्योंकि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वे तो प्लान में लगा लेते हैं। हमें अतिरिक्त खर्च करना है इसलिये हमें सहायता दी जाये।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि इस सदन का निश्चित मत है कि उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता कास्ट आफ लिविंग इन्डेक्स के आधार पर, जैसे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को दिया जाता है, दिया जाना चाहिये और राज्य के प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को हाउस रेंट भी उसी आधार पर दिया जाये जिस आधार पर केन्द्रीय सरकार अपने कर्मचारियों को देती है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

लगान पर आपातिक अधिभार को समाप्त करने के सम्बन्ध में संकल्प

*श्री मन्नालाल (जिला खीरी)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन सिफारिश करता है कि सरकार मालगजारी तथा लगान पर लगाये गये आपातिक अधिभार को अविलम्ब समाप्त करने के लिये तुरन्त आवश्यक कार्यवाही करे।

अध्यक्ष महोदय, यह सर्वविदित है कि आज जनता में इतना रोष और असन्तोष व्याप्त है क्योंकि इस सरकार ने युद्ध के नाम पर जनता पर सवाया लगान बढ़ाया था और उसने यह वायदा किया था कि युद्ध की स्थिति समाप्त होते ही, संकटकालीन स्थिति का अन्त होते ही। इस बढ़े हुये लगान को समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन जब युद्ध समाप्त हो गया, कोई आपत्तिकालीन स्थिति नहीं रह गयी और उस स्थिति को समाप्त हुये इतने दिन भी गुजर गये, फिर भी सरकार उसे

*वक्ता ने भाषण पुनरीक्षण नहीं किया।

वापस लेने को तैयार नहीं है। श्रीमन्, आपको विदित होगा कि इसके विरोध में सारे प्रदेश के किसानों ने हजारों और लाखों की संख्या में एकत्र होकर अपने अपने जिले के जिलास्तर पर प्रदर्शन

(इस समय १ बजकर १ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री जगदीशप्रसाद पीठासीन हुए।)

करके जिलाधीश से यह मांग की है कि अधिभार तुरन्त समाप्त किया जाए। और इसी तरह से हजारों लाखों लोगों के हस्ताक्षर होकर मांग-पत्र सरकार के पास आ रहे हैं और यह मांग की जा रही है इसे शीघ्र समाप्त किया जाए। श्रीमन्, आप सबको यह अच्छी तरह मालूम ही है कि सरकार बड़े-बड़े सरमायादारों पर बकाया लाखों रुपया माफ करती चली जा रही है और आगे भी टैक्सों के बकाया को माफ करने की योजना भी है। किन्तु गरीब किसान और निरीह किसान जिसके पास खाने और पहनने तक को नहीं है, उसके सवाया लगान को माफ करने पर ध्यान नहीं देती है। बेचारे किसान की पिछले वर्ष फसलें भी खराब गयीं और वे असली लगान देने में भी असमर्थ हो गये, किन्तु तिस पर भी उन पर सवाया लगान लगाया गया। फिर भी देश के नाम पर जब युद्ध शुरू हुआ, किसानों ने घर के बर्तन बेचकर भी सुरक्षा कोष के लिये धन और चन्दा दिया था। इसके साथ-साथ उन्होंने बढ़ा हुआ लगान भी दिया, उन्होंने सारी परेशानियां देश के नाम पर बरदाश्त कीं। लेकिन फिर भी आज की शान्तिकालीन स्थिति में हमारी सरकार उनका बढ़ा हुआ लगान माफ करने को तैयार नहीं है जो कि उनके साथ बड़ा अन्याय है। श्रीमन्, इसलिये मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि सरकार और यह सदन मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार करे।

*श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

अधिष्ठाता महोदय, जो यह प्रस्ताव सदन के समक्ष है कि यह सदन सिफारिश करता है कि सरकार मालगुजारी तथा लगान पर लगाये गये आपतिक अधिभार को अविलम्ब समाप्त करने के लिये तुरन्त आवश्यक कार्यवाही करे, के समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, यह प्रस्ताव, सरकार ने जो इस सदन के सामने वायदा किया था, उसकी याद दिलाता है। जिस समय यह अधिभार सरकार की ओर से लगाया गया था और उस पर माननीय सदन ने अपनी स्वीकृति दी थी, उस समय सरकारी प्रवक्ता की तरफ से और मंत्री जी की तरफ से यह कहा गया था, यह वायदा किया गया था और बार-बार उस पर जोर दिया गया था—यदि उस प्रोसीडिंग को निकाल कर देखा जाए तो उसमें मिल जाएगा कि जब एमरजेंसी समाप्त हो जाएगी, युद्धकालीन स्थिति नहीं रह जाएगी, तो यह अधिभार वापस ले लिया जाएगा, लेकिन आज संकटकालीन स्थिति जो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध को लेकर उत्पन्न हुई थी, समाप्त हो गयी है। सारे प्रदेशों के मुख्य मंत्रियों का दिल्ली में जो सम्मेलन हुआ था उसमें भी यह तय हुआ है कि संकटकालीन स्थिति को समाप्त कर दिया जाए। इसलिए मैं सरकार से नैतिकता के नाते मांग करता हूं कि वह अपने दिये गये वायदे को निभाये, अपने दिये हुये वचन का पालन करे और अविलम्भ सवाया अधिभार समाप्त करके किसानों को राहत दे। आज यह सरकार पूंजीपतियों के हाथों में नाच रही है, इस सरकार के कायदे कानून भी उन्हीं के हितों को ध्यान में रखकर बनाये जाते हैं। सरकार को लगान से प्रदेश में २३ करोड़ रुपया मिलता है और चवन्नी रुपया लगान बढ़ जाने से अब पौने छः करोड़ रुपया और सरकार को मिलने लगा है। विरोधी पक्ष की तरफ से बारम्बार उस संकटकालीन स्थिति में भी लगान का विरोध किया गया और कहा गया कि सुरक्षा की जो इतनी भारी व्यवस्था है वह ६ करोड़ रुपये से पूरी नहीं हो सकती, लेकिन इस सरकार को किसी न किसी तरीके से चूसना ही है, संकट के नाम पर चूसना है या पाकिस्तान का हौवा दिखाकर चूसना है। चीन और पाकिस्तान के हमले का हौवा खड़ा करके गरीब किसान को चूसना है। मैं पूछता हूं कि ६ करोड़ रुपये से होता क्या है? १४ करोड़ रुपये पूंजीपतियों पर बिक्री कर का पड़ा है। रामरतन गुप्ता पर इन्कम टैक्स का ३३ लाख रुपये, सी० बी० गुप्ता और इस गवर्नमेंट की सिफारिश पर माफ कर दिया गया। ठा० हुकुम सिंह जी क्या बता सकते हैं कि पिछले

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री काशीनाथ मिश्र]

१८ सालों में कितने गरीब किसानों पर लगान का ५ रुपया और १० रुपया माफ किया गया है? अगर उत्तर प्रदेश का किसान आज भी सरकार की इस नीति के खिलाफ नहीं उठता है तो उस पर टैक्स बढ़ेगा और एक-एक किसान सरकार द्वारा लूटा जायगा। अगर चवन्निया लगान यह सरकार वापस नहीं लेती है तो उत्तर प्रदेश के किसान को १९६७ के इलेक्शन में इसका जवाब देना पड़ेगा और सरकार को इसका मुकाबला करना पड़ेगा। पिछले ६ सालों से १४ करोड़ रुपया पद्मपत सिंहानिया और जे० के० ग्रुप के पूंजीपतियों पर बकाया पड़ा है लेकिन उसी ६ करोड़ रुपये के लिए उन किसानों पर टैक्स लगाया जाता है जो १८ से २०घन्टे तक मेहनत करने के बाद भी अपना पेट नहीं भर पाते।

आपको यह जानकार ताज्जुब होगा कि केन्द्रीय सरकार ने ७० करोड रुपया इस बात पर खर्च किया है कि बडे-बडे पोस्टर अंग्रेजी में छपवाकर सारे हिन्दुस्तान में बंटवाये जायें जिसमें ग्रो मोरफून्ड कम्पेन की बात कही जाय। हिन्दुस्तान का ८० फी सदी किसान आज अंग्रेजी भाषा से अनभिज्ञ है लेकिन उसके अन्दर प्रचार करने के लिए इस सरकार द्वारा ७० करोड़ रुपया व्यय किया जाता है अंग्रेजी के द्वारा। मैं पूछता हूं कि क्या प्रचार करने से गल्ला ज्यादा पैदा होगा जब तक किसानों को सुविधा नहीं दोगे, किसानों के हकों की रक्षा नहीं करोगे तब तक अन्य की पैदावार नहीं बढ़ सकती। एक तरफ सिंचाई की व्यवस्था बिगड़ती जाती है और बार बार हमारी पार्टी की तरफ से अलाभकर जोतों की माफी के लिए मांग की गयी थी और दूसरी तरफ ७० करोड़ रुपया सिर्फ अंग्रेजी द्वारा प्रचार पर होता है। सारी दुनिया में अनएकोनोमिक होल्डिंग पर कोई लगान नहीं है लेकिन इस मुल्क में जिनके पास २ एकड़ या १ एकड़ भी भूमि है उसको लगान देना पड़ता है। लगान है क्या? जमीन पर आमदनी करने के लिए सरकार का टैक्स। जिस प्रकार इन्कम टैक्स है उसी प्रकार लगान पर भी टैक्स होना चाहिए। इन्कम टैक्स साढ़े ३ या ४ हजार पये से ऊपर वाली आमदनी पर पड़ता है। इसी तरह से जमीन पर भी होना चाहिए। विरोधी पार्टियों और विशेषकर सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से बार-बार मांग की गयी है कि ६ एकड़ या ६ एकड़ से कम की जोतों पर लगान नहीं होना चाहिये। सरकार ने भी माना है कि अनइकोनोमिक होल्डिंग है। लेकिन सरकार कहती है कि अगर लगान न लिया जाय तो सरकार कैसे चलेगी? मैं पूछता हूं कि २९३ करोड़ का बजट उसमें २३ करोड़ क्या माने रखता है? सारे हिन्दुस्तान का करब का बजट है उसमें ७० करोड़ लगान से आता है। रुपये में दो पैसा। अगर सारे किसानों का लगान माफ कर दिया जाय तब भी गवर्नमेंट का कोई काम रुक नहीं सकता। मुगलों के जमाने में जब जमीन पर ही सरकार का भार था तब भी माफी होती थी। लेकिन अब तो इसकी आमदनी जमीन से बहुत कम है।

सोशलिस्ट पार्टी तो सिर्फ अलाभकर जोतों पर लगान माफी की बात कहती है। उससे तो केवल १० या ११ करोड़ रुपये की कमी पड़ेगी। १० या ११ करोड़ रुपये का छूट देकर आप ७० फीसदी किसानों में प्रोत्साहन पैदा करेंगे। उनमें बल आयेगा और वे अधिक गल्ला पैदा करके आपको देंगे। जो रुपया किसान का लगान से बचेगा उसी से किसान अपनी छोटी मोटी सिंचाई की व्यवस्था कर सकता है। आज सरकार सिंचाई की व्यवस्था नहीं कर रही है और जो कुछ सरकार के पास सिंचाई के साधन हैं वे भी मौके से उपलब्ध नहीं होते। माल मंत्री ने बताया कि वह पानी का इन्तजाम नहीं कर सके और खलिहान जल गये। दमकल का वह प्रबन्ध नहीं कर सकते। मैं जानता हूं कि बलिया जिले में सैकड़ा किसानों के खलिहान जल गये हैं लेकिन माननीय मंत्री के पास दमकल का कोई इन्तजाम नहीं है। वे क्या व्यवस्था कर सकते हैं? वहां पर अगर सरकार इतना ही कर दे कि जो तालाबों में बड़े-बड़े गड्ढे हैं उनको ही सरकार ट्यूबवेल से भरवा दे तो जो सूखे से लोग परेशान हैं मवेशी पानी न मिलने की वजह से मर रहे हैं। किसानों की सम्पत्ति जो आज जल रही है उसको सरकार बचा सकती है। लेकिन यह काम कौन करे। जो सरकार किसानों के हित के विरुद्ध है उसके दिमाग में यह बात नहीं आती है। उसके

दिमाग में तो यह आयेगा कि रामरतन गुप्त को इतना लाख रुपया माफ किया जाय। बड़े-बड़े पूंजीपति जो कानपुर में रहते हैं या मेरठ और हापुड़ में रहते हैं उनके ऊपर १४ करोड़ रुपया माफ किया जाय जो कि ६ साल से बकाया है। अगर बलिया जिले के किसी किसान पर सरकार का बाकी रह जाता है तो उसके लिये कुर्की वारन्ट निकल जाता है।

इतना ही नहीं किसानों को जो बीज दिया गया पिछले साल उसको सब जगह जिले में बांटा गया लेकिन वह उगा नहीं। ६५ रुपया क्विंटल वह बीज लिया गया। खरीदने के वक्त उसको ६५ रुपया क्विंटल कर दिया गया। वह सड़ा हुआ बीज गोदामों से गया और किसानों में वह बंटा। तो पिछले १७ १८ साल से यह सरकार जिस नीति पर चल रही है वह छोटे-छोटे किसानो के हित के खिलाफ है। बड़े-बड़े जमींदारों के हित में सरकार काम करती है। जमींदारी अबालिशन किया लेकिन दूसरी तरह के जमींदार भूमिधर असामी और सीरदार पैदा हो गये। ये इस कांग्रेस सरकार ने पैदा किये। मालूम होता है कि सरकार की नीति बड़े-बड़े जमींदारों के हित में है और पक्ष में है। पुरानी जमींदारी को खत्म करके नई कांग्रेसी जमाने की जमींदारी कायम की गई। पीलीभीत के अन्दर बड़े-बड़े फार्म दिये गये। उनके पास सैकड़ों और हजारों एकड़ के फार्म हैं। माल मंत्री जी ने सीलिंग का कानून पास किया कि किसी के पास ४० एकड़ से अधिक जमीन नहीं होगी लकिन म पूछना चाहता हूं कि क्या हमारे बलिया जिले में ४ हजार और ५ हजार एकड़ के फार्म नहीं है ? लखीमपुर में भी एक एक फार्म ५००–६०० एकड़ के हैं। बड़े-बड़े फार्मों की कमी सरकार ने नहीं की। सीलिंग का कानून बनाने के बाद भी बड़े-बड़े जमींदार बड़े-बड़े फार्म रखते हैं। कांग्रेस शासन में नये जमींदार और ठेकेदार पैदा किये गये हैं। छोटे काश्तकारों के हित को यह सरकार नहीं देखती है। इस सरकार की नीति पूंजीपति परस्त नीति है और भूतपूर्व जमींदारों के हितों को संरक्षण करने वाली नीति है। अगर इस चार आने लगान को कम नहीं किया तो इसका परिणाम सरकार के हित में अच्छा नहीं होगा। इसी भावना को लेकर किसान इस आने वाली १० तारीख को एक विशाल प्रदर्शन करने जा रहे हैं। सारे विरोधी दल के लोगों ने इस बात का इशारा किया है कि आज यह सरकार किसान और मजदूरों के हित में नहीं है। जब यह सरकार रहेगी जमीन पर टैक्स बढ़ता चला जायगा और किसानों पर टैक्स बढ़ेगा। मजदूर और कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को नहीं बढ़ाया जायगा। इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि इसको अपदस्थ किया जाय। इसलिये १० मई को लाखों की तादाद में किसान अपने अपने जिलों से प्रदर्शन करने के लिये आ रहे हैं और यह सरकार कितनी लोकप्रिय है और जनमन में इस के लिये कितनी आस्था है इसका पता चल जायगा। इसलिये लगान का भार कम किया जाय और चवन्नी लगान को खत्म किया जाय। इस बात को सुनाने के लिये ही आज किसान जा रहा है और सरकार की हिम्मत नहीं है कि उस के सामने जाय। यह तो कानपूर जायगी और वहां के मिल मालिकों से चन्दा ले लेगी। इसलिये मैं आप के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता से अपील करना चाहता हूं कि गरीबों, मजदूरों और किसानों की सुनवाई तभी हो सकती है जब कि वह कांग्रेस सरकार हट जाय। यह तो पूंजीपतियों को छुट देगी और किसानों पर लगान बढ़ाती जायगी। यह चवन्नी लगान केवल इमरजेंसी तक के लिये था, लेकिन आज इमरजेंसी न होने पर भी यह चालू है और कोई भी बात सरकार के द्वारा किसानों के हित में नहीं की जाती।

इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं कि और कम से कम उत्तर प्रदेश की जनता से कहना चाहता हूं कि जितना जल्दी हो सके इस सरकार को वह हटाये। हो सकता है कि यह सरकार यह चुनाव भी टाल दे। जब यह देखेगी कि किसान उसे अपदस्थ करने वाला है तो यह पाकिस्तान से साठगांठ करके चुनाव मुल्तवी कराना चाहेगी। मैं समझता हूं कि भारत सरकार की पाकिस्तान से साठ गांठ है और लड़ाई का हमारे लिये नाटक रचा जाता है। अगर ऐसा न होता तो ४५ करोड़ का एक मुल्क ९ करोड़ के मुल्क से २१ दिन तक लड़ता रहता और उसका कोई नुकसान न होता यह कैसे संभव है। हम लड़ाई का सारा सामान अपने यहां बनाते हैं, उसके यहां सारा सामान उधार बाहर से आता है, फिर वह कैसे इतने दिन तक लड़ सकता है। २१ दिन तो

[श्री काशीनाथ मिश्र]

क्या, दो दिन में ही सारा पाकिस्तान फतेह किया जा सकता है यदि सचमुच में हमारी सरकार पाकिस्तान से लड़ना चाहे तो वह सारे पाकिस्तान पर दो दिन में कब्जा कर सकती। लेकिन यह इस सरकार के हित में है कि वह जनता को बहकाये रखे और बहका कर उसे अपने पीछे रखे। आज उत्तर प्रदेश का किसान सरकार की इस चाल को पहचान रहा है और ज्यादा दिन आप का यह नाटक चलने वाला नहीं है। मुझे शुभा है कि यह सरकार ६७ का चुनाव नहीं करायेगी इसलिये किसान तथा मजदूर भाई ज्यादा दिन इन्तजार न करें और जहां तक जल्द हो सके बगावत करके इस सरकार को पलट दें। यह एक ही रास्ता है जिससे किसान का लगान भार हल्का हो सकता है।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—

अधिष्ठाता महोदय, चवन्नी लगान की बात को इस विधान सभा के सदस्य खूब समझते हैं और आपको पता है कि कांग्रेस पार्टी के सदस्य बार-बार नेता सदन के सम्मुख यह मांग रखते रहे हैं। लेकिन यह एक नया मर्ज है चुनाव ६७ का और इसलिये चार, छः महीने पहले इस प्रकार के प्रस्ताव रखे जा रहे हैं ताकि शहीदों में नाम हो जाय, सुर्खी में नाम निकल जाय।

श्रीमन्, कांग्रेस पार्टी ने बराबर मांग की है नेता सदन से और आज भी बराबर करती जा रही है और राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया कि यह ४ आना लगान जो आपने राष्ट्रीय संकट के लिये बढ़ाया है उसका आप अन्त कर दें, उसको वापस लें, खत्म करें ऐसा ही सदन ने भी पास किया है कि राष्ट्रीय संकट खत्म होते ही वापस लिया जाय और ठा० हुकुमसिंह ने वादा भी किया है अगर राष्ट्रीय संकट का अन्त इस मई में होता है तो ठा० हुकुमसिंह उस अपने वादे के खिलाफ नहीं चल सकते और कांग्रेस पार्टी इस वादे को पूरा कराने में एक इंच भी पीछे नहीं हटेगी। असली स्थिति और ईमानदारी की बात तो यह है कि कांग्रेस पार्टी के ९९ फीसदी सदस्यों की राय, ठाकुर साहब की राय कुछ भी हो ? बा० राममूर्ति की और आपकी राय कुछ राय पूरे सदन की राय इस बात की है कि राष्ट्रीय संकट के खत्म होते-होते एक मिनट भी यह चवन्नी लगान कायम न रहे और मेरा ऐसा विश्वास है कि ठाकुर साहब और कांग्रेस सरकार राष्ट्रीय संकट के खत्म होते-होते इसको वापस ले लेगी। साथ ही हमें यह भी ध्यान में रखना है कि इस साल और १९६५ में काश्तकार पर क्या हालत गुजरी है, क्या-क्या संकट आये, इसकी जानकारी राजस्व मंत्री को है। लेकिन फिर भी याद दिलाना सख्त जरूरी है। खरीफ की फसल की क्या हालत हुई, रबी की फसल की क्या हालत हुई ? किस कदर भयंकर सूखा पड़ा और किस मुसीबत में काश्तकार है और आज भी उसी सूखा का शिकार है, इस पर राजस्वमंत्री सहृदयतापूर्वक अवश्य विचार करें और यह भी उनको मालूम होगा कि प्रदेश में जो असिंचित क्षेत्र हैं जिनमें सिचाई का कोई साधन जुट नहीं सकता वहां के किसानों की क्या हालत है तो वहां तो लगान में हर कीमत पर छूट पर विचार करना कानूनन है, मुनासिब है, उचित है और होना चाहिये।

लगान की जहां तक हालत है, ताल्लुकेदार से और जमींदारी के जमानेमें इस प्रदेश का पैसा मालगुजारी की शक्ल में कितना मिला है और उसके खत्म होने के बाद जो सारा रुपया ताल्लुकेदारों और जामींदरों की जेब में जाया करता था, वह भी सरकारी खजाने में आया है और उस पर राष्ट्रीय संकट में आपने चार आना और ले लिया है। मालगुजारी के जमाने में ६–७ करोड़ रुपया आता था और खत्म होने के बाद यही सबसे बड़ी मद राजस्व की है जिसमें २६–२७ करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश के किसानों से सरकार लेती है। अगर सूखा पड़ता है, सैलाब आता है फस्ल का नुकसान होता है, ओला पाला पड़ता है तो किसानों को लगान में छूट मिलने के संबंध में हमारी तरफ से कहने में कोई कानूनी अड़चन आपके अधिकारी न डालें। हरदोई में जहां कोई सिंचाई का साधन नहीं है तो वहां चवन्नी क्या, पूरा एक रुपया और चवन्नी यानी २० आने सारा लगान आपको १९६५–६६ की मद में छोड़ देना चाहिये। किसानों के लिये ठा० हुकुमसिंह के दिल में हमदर्दी रही है। आज किसान बेबस है, उसकी अगवाई करने वाला राजस्व मंत्री जो एक जमाने में किसान आन्दोलन के अग्रूब थे, आज सरकार है, उन्हीं,

किसानों ने फिर आपको वोट दिया और ६ साल के लिये आपको फिर कौंसिल में बैठा दिया। उन्हीं गांय सभाओं के प्रधानों और काश्तकारों ने वोट दिये हैं। उनके साथ न्याय करना आपका कर्त्तव्य है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार और विशेषकर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आज किसानों की बड़ी खूबी है कि उन्होंने कोई ट्रेड यूनियन नहीं बनायी है वह रामसुन्दर पांडेय के प्रदर्शन में नहीं आया, झारखंडे राय के अनशन का उस पर कोई असर नहीं है। उग्रसेन केभाषण का कोई असर नहीं है। आपका असर है, उसको कायम रखिये और वह कायम रहेगा। आज ऐसी राजनीतिक परिस्थिति चुनावों की है कि २२ जिलों म एक भी सीट पर न दीपक लौटा, न झोंपड़ी लौटी। उसक बाद नता विरोधी दल की अपील निकली गवर्नर साहब के नाम कि उस तरह से चुनाव में कोई नहीं आया तो कम से कम हमारे आदमी नामजद कर लें। आप खैरात के नाम पर सुचेता की सरकार को यहां से हटायेंगे ? खैरात के बल पर मुकाबला करेंगे ? मुकाबला करने में तो चारों खाने चित आये। प्रजा-तंत्र में चवन्नी लगान के आधार पर सरकारें नहीं बदलतीं। अगर चवन्नी लगान है तो सिंचाई के लिये सरकार ने करोड़ों रूपया छूट में दे दिया १९६६-६७ के वर्ष के लिये। अगर कोई डीजल पंम्पिग सेट लगाता है तो ५ हजार में ढाई हजार की छूट है और ५ से ऊपर ३७ १/२ परसेंट की छूट है और १० हजार से ऊपर २५ परसेंट की छूट दे दी। तो करोड़ों रुपया छोड़ देना भी इसी सरकर का काम है। अब इस समय नेता सदन भी मौजूद हैं। आप इस विषय पर गम्भीरतापूर्वक विचार कर लें, कांग्रेस पार्टी की मीटिंग बुलाय और कांग्रेस के दृष्टिकोण से इस पर विचार कर लें।

मैं राजस्व मंत्री जी से कह रहा था कि किसान आज लावारिस है। किसान का सदन के बाहर कोई पुरसों हाल नहीं है। किसान कोई सत्याग्रह नहीं कर पा रहा है, कोई प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है। वह आपके ऊपर आंख बंद कर विश्वास करता है। और १३-१२-फीसदी में पांच लाख कर्मचारी, कोई काला बिल्ला बांधे और कोई लाल बिल्ला बांधे फिरते हैं, कोई प्रदर्शन की धमकी देते हैं और कोई छुट्टी के दिन असेम्बली चलाना चाहते हैं। यह कार्य पांच छः लाख इन्सानों में चल रहा है। यहां ९ करोड़ के करीब आबादी है और उसमें से साढ़े सात करोड़ के करीब काश्तकार हैं। मैं तो माननीय सुचेता जी की सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं और जितनी शक्ति मेरे पास है उस सारी शक्ति को लेकर मैं माननीय राजस्व मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि १९६५-६६ सूखे का साल है और उसमें अगर आप आधा लगान छोड़ दें तो किसान उत्तर प्रदेश का जिन्दा रह सकता है और जिन्दा रहेगा और आगे १९६७ में आपको वोट देगा। तिरंगे झंडे की जो कदर है उसे दस बीस साल तक कोई नहीं गिरा सकता। चाहे माननीय राधेश्याम जी अनशन करते रहें, चाहे माननीय झारखंडे राय जी शर्बत नींबू पीते रहें, चाहे माननीय रामसुन्दर जी धमकी देते रहें पर कांग्रेस का जो यह मजबूत रथ है यह चलता ही रहेगा चाहे कितनी इल्ली बिल्ली भोंकती रहें। इसको करेंगे तो हम करेंगे आपके कहने से नहीं करेंगे। एक नहीं आप ५७ प्रस्ताव लायेंगे रर फैसला करेगी कांग्रेस पार्टी और जिस वक्त मुनासिब टाईम होगा उसी वक्त वह करेगी भी। चुनाव के तीन महीने पहले हम फैसला तय करेंगे। जो चवन्नी लगान है और भूमि-भवन कर है इस सारी चीजों का फैसला नवम्बर- दिसम्बर तक अपने आप हो जायेगा। जब माननीय राधेश्याम जी चुनाव लड़ते होंगे तो माननीय राजस्व मंत्री फैसला करते होंगे।

अब की खतरा है, अपनी सीटों को आप मजबूत कीजिये। उधर से आमद शुरू है, बराबर चल रही है। अगर माननीय मुख्य मंत्री चाहें तो माननीय राधेश्याम जी भी कांग्रेस में आ जायं। हम उनको सोशलिस्ट पार्टी से चुनाव पर कांग्रेस में आ जाने पर आम जनता से माफी दिला सकते हैं। आपने अब तक जो पुन्य पाप किये हैं, जो आप उचित कहते जायेंगे उसको माननीय मुख्य मन्त्री स्वीकार करती जायेंगी। आप सुचेता जी के दरबार में आइये। इतनी उदार मुख्य मंत्री मिलने के बाद भी अगर माननीय विरोधी दल के सदस्य अपना काम सार्वजनिक हित में न करा सकते हों तो मैं समझता हूं कि यह दुर्भाग्य की बात होगी विरोधी दल के लिये।

[श्री जे० पी० मिश्र]

बजाय भाषण देने के, बजाय अखबारों में प्रोपेगेन्डा करने आप दस बीस आदमी माननीय राजस्व मंत्री से मिलें और उनसे चलकर कह, अगर करने का इरादा है। आप उसको इस तरह लते हैं कि करें हम और नाम हो आपका। इसको करेगी तो कांग्रेस पार्टी।

आप आन्दोलन, सत्याग्रह, भूख, हड़ताल, प्रदर्शन चाहें जितना करें इससे न कोई सरकार बदलती है और न दबा करती है। प्रजातांत्रिक अधिकारों पर चुनी हुई सरकार मुट्ठी भर लोगों की धमकी, सत्याग्रह, पर नहीं दबती है और न दब सकती है। सार्वजनिक हित में प्रजातांत्रिक सिद्धान्तों के ऊपर अगर विचारों का आदान-प्रदान हो सकता है तो इन विचारों के आदान-प्रदान में हम सबको शामिल होना चाहिये और मैं माननीय मुख्य मंत्री से निवेदन करूंगा कि मई में ११–१२ तारीख को कांग्रेस पार्टी की मीटिंग बुलाइये और उसमें कांग्रेस पार्टी क लोगों की चवन्नी लगाने के मामले में विश्वास में लें।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के किसानों की जो ६५–६६ में सूखा के कारण हालत हुई है उसकी ओर केन्द्रीय सरकार का ध्यान आकर्षित करें और उस रुपये के लिये केन्द्रीय सरकार से कहे कि जो किसानों को रिलीफ के लिये यह सरकार दे विरोधी दलों की ओर से एक ओर तो कहा जाता है लगान माफ कीजिये, भूमिभवन कर हटाइए, और दूसरी ओर कहा जाता है मुलाजिमों की तनख्वाहों को भी बढ़ा दिया जाय। मैं इसको मुनासिब नहीं समझता। ये सिर्फ राजनीतिक चालें हैं। उनसे कुछ होन वाला नहीं है। इस पर तो हमें और आपको गम्भीरतापूर्वक बैठकर विचार करना है। इस चीज को तो एक राय से हमें पेश करना चाहिए। राजनीतिक लाभ और हानि के हिसाब से किसानों का कोई लाभ होने वाला नहीं है। जैसे ही इमर्जेन्सी खत्म होगी, ४ आना लगान की वापिसी का ऐलान तो माननीय राजस्व मन्त्री जी और मुख्य मन्त्री को कानूनन और नतिक रूप से करना ही होगा और ऐसा वे कर भी देंगे।

*श्री रक्षपाल सिंह (जिला फतेहपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय जे० पी० मिश्र जी ने यह तो कहा कि इस लगान को वापस करने के लिए तो कांग्रेस सरकार पहले ही कह चुकी है, लेकिन यह नहीं कहा कि इसका लगाया जाना क्यों वाजिब था। वे पहले सोशलिस्ट पार्टी में थे और अब कांग्रेस में आ गए ह। व इस कांग्रस सरकार और माननीय राजस्व मन्त्री को अभी समझे नहीं हैं और न उनके वायदों को समझ हैं। अगर म यह कहूं कि इस कांग्रेस सरकार का पूरा का पूरा शासन धोखे-बाजी और वायदा करके फिर जाने का है तो अत्युक्ति न होगी। जहां तक माननीय राजस्व मन्त्री जी का ताल्लुक है उनका तो व्यवहार ही इस बात को साफ बताता है। इस कर को लगाय जाने का कोई औचित्य कभी था ही नहीं। इसके बारे में किसी ने कोई बात नहीं कही कि इस लगान के कर को लगाने का क्या औचित्य था। माननीय जे० पी० मिश्रा ने तो साफ-साफ कह दिया कि चुनाव के ३ महीने पहले इसको हटा लिया जायगा। मैं तो किसानों की तरफ से कहना चाहता हूं कि आज हमारे प्रदेश का किसान कहीं से ड्योढ़ा, कहीं से दुगना और कहीं से तिगुना लगान दे रहा है। जहां तक इस सरकार के वायदे का संबंध है जमोदारी तोड़ने से पहले इस सरकार ने कहा था कि किसानों और इस सरकार के बीच में कोईमध्यस्थ नहीं रहेगा और उससे किसानों को सीधा लाभ होगा। लेकिन सरकार ने अपना पहला वायदा, उस समय किसानों का लगान आधा न करके, तोड़ दिया और जनसंघ को उसके लिये आन्दोलन करना पड़ा। इतना ही नहीं कि जमींदारी तोड़ने के बाद उतना ही लगान बना रहने दिया हो आप देखें कि अधिवासियों के नाम पर लगान ढाई और तीन गुना किया गय। और सरकिल रेट का और दूसरा बहाना लेकर उसको दुगुना और तिगुना तक किया गया। रामपुर और टेहरीगढ़वाल थे तिगुना तक लगान हो गया है, यह सब कम होना चाहिए।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस प्रदेश का किसान दूसरे प्रदेशों के मुकाबले में आज दुगना और तिगुना लगान दे रहा है और उस पर भी सरकार यह अधिभार और लगाये हुए है। किसानों के ऊपर जो यह लगान लगता है यह भी एक प्रकार का कर है। यदि सूबे के अन्य नागरिकों से किसान की तुलना की जाय तो ३,६०० रुपए तक की सब को कर से छूट आय में मिलती है पर किसान ही ऐसा है जिस पर कोई छूट नहीं है। इस सम्बन्ध में सरकार अपना दूसरा तर्क यह देती है कि यह कर नहीं है और किसान जमीन का मालिक नहीं इसलिए उसके एवज में हम यह लेते हैं।

आज यह स्पष्ट है कि इस प्रदेश का किसान अन्य प्रदेशों की तुलना में सब से अधिक लगान देता है। चीन की लड़ाई के वक्त भी यह अधिभार बढ़ाया गया था और हमारी तरफ से इस का विरोध किया गया था लेकिन अपने बहुमत से सरकार ने उसको पास कराया था। एक साल पूरा हो गया और मन्त्री जी ने वादा किया था कि यह कर केवल एक साल के लिए ही लगाया जा रहा है। हमारे माननीय यादवेन्द्र दत्त दुबे ने आह्वान किया कि अब एक साल पूरा हो गया। इस पर माननीय मन्त्री जी उठकर खड़े हो गए और कहा कि मैंने यह नहीं कहा। वह चीज प्रोसीडिंग में पढ़ी गई और उल्लेख किया गया कि उन्होंने इस तरह से कहा है कि यह केवल एक वर्ष के लिये ही लगाया जा रहा है और किसी तरह से सन ६२ में जो आपातकालीन कर लगाया गया था वह किसी तरह से वापस हुआ। और अब वादा करके भूलने का यह दूसरा उदाहरण है। यह कर जब लगाया गया था तो विरोधी पक्ष के १५० के करीब सदस्यों ने इस का विरोध किया और सदन से एक एक सदस्य को जबरदस्ती बाहर निकाला गया और भगा दिया गया और तब कहीं सरकार इस को लगा पाई थी। माननीय रामचन्द्र विकल जैसे कांग्रेसी सदस्य तक उसका विरोध करते रहे और सरकार द्वारा विवादान्त का प्रस्ताव लाकर जबरदस्ती उस को पारित करा लिया गया। विरोधी पक्ष के सभी लोगों ने और कांग्रेस पक्ष के लोगों ने भी उसका विरोध किया और आपातकालीन स्थिति की बात कह कर पारित कराया गया। जनसंघ ने उसी समय उसका विरोध किया लेकिन संकट काल के कारण उस वक्त तत्काल आन्दोलन करना उचित नहीं समझा। हम जानते थे कि जहां आज किसान का बेटा मोर्चे पर देश की सुरक्षा के लिए जान दे रहा है और हर तरह के कारखाने में दिन रात काम कर रहा है वह ऐसे समय में चार आने का भार भी उठा लेगा, यही सब सोच समझकर हम ने उस वक्त कोई आन्दोलन नहीं किया लेकिन जिस किसान के बेटे ने सीमा चौकियों की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान किया उसके फलस्वरूप ताशकंद समझौते के अनुसार हाजीपीर और टिथवल के इलाके पाकिस्तान को वापस किए गए। जिस काश्मीर का नारा लगाया जाता है उसी के भाग को वापस किया गया और जीते हुए भाग को वापस करने में एक क्षण नहीं लगा। जिस गरीब किसान ने अपने बेटे दिए उस के सामने आज सूखे की समस्या है, न रबी में वर्षा हुई न खरीफ में वर्षा हुई, जो आज भूखा मर रहा है तो मन्त्री जी अपने उसी पुराने कानून का सहारा लेते हैं कि खाते के हिसाब से छूट दी जाती है।

हमने बार बार कहा कि नम्बर या प्लाट जिस में क्षति हो उस के हिसाब से छूट मिलनी चाहिए, जिस नम्बर में ओले सूखे का प्रकोप हुआ है उस को विशेष छूट मिलना चाहिए, लकिन मन्त्री जी को जिन को पुराना होने का गर्व भी है उन्हें अपना वही पुराना कानून याद है। इस तरह से किसान को वास्तविक छूट नहीं मिलती। इस तरह का कानून समाप्त होना चाहिए। तकावी का भी इन का अजीब ढंग है और जो सूद किसान से लिया जाता है उसका रेट शिक्षा और उद्योग के अन्य ऋणों से सब से अधिक है। इसका कोई औचित्य नहीं है कि इस तरह की चीज जारी रखी जाय। लड़ाई समाप्त हो गई है। इतना ही नहीं, माननीय मुख्य मन्त्रियों की बैठक में दिल्ली में तय हुआ कि कवल कुछ हिस्सों में कुछ बातों के लिये एमर्जेन्सी रखी जाय और ऐसा ही विवाद पार्लियामेंट में भी हुआ। तो सीमावर्ती जिलों में इसे बनाये रखना चाहते हैं तो बनाये रखें परन्तु लखनऊ में कौन सी आवश्यकता है? यहां तो सब प्रकार की तफरीहें, पार्टीबन्दियों और गुटबन्दियों का नग्न नाच हो रहा है। और फिर भी वह स्वाभिमान से

[श्री रक्षपाल सिंह]

कहते हैं कि तमाम सीटें जीत ली हैं। मिश्राजी न कहा, इसलिए मैं बह रहा हूं। यह बिलकुल साफ है कि कैसे चुनाव लड़ा। एक गुट ने दूसरे पर आरोप लगाये कि सारी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया। यह बात किसी से छिपी नहीं है। ये चुनाव अप्रत्क्ष हैं। आप ने प्रधान की क्या स्थिति बना रखी है? वह अलग बात है। लेकिन सारे सरकारी साधनों का उपयोग कर के विजय प्राप्त कर ली है जिसे जनता अच्छी तरह से जानती है। जो सरकार कारपोरेशन्स को भंग कर सकती है, और प्रधानों को नोटिस दे सकती है कि तुम फलां को वोट दो, वरना तुम्हें निकाल दिया जायगा, तुम्हारे ऊपर वसूली की जायगी, वह सरकार कैसे जनतन्त्र की रक्षा कर सकती है, यह मेरी समझ में नहीं आता। यह चुनाव थोड़े से इने गिने लोगों को प्रलोभन देकर जीता गया है। अगर कांग्रेस का टिकट दिये होते तो १३ में से मुश्किल से ४, ५ सीट ये जीत पाते।

खैराती लोगों की बात कही गयी। बात यह थी कि खैराती लोग उसमें नियुक्त न किये जावें, इसके लिए माननीय नेता विरोधी दल ने माननीय राज्यपाल से अपील की है। यहां केवल खैराती लोगों को ही नियुक्त करने की परम्परा रही है। वैज्ञानिक, शिक्षा वाले या सांस्कृतिक लोगों को नियुक्त करना चाहिए था। जो लोग नियुक्त किये गये उन में से कौन से वैज्ञानिक या सांस्कृतिक गुण रखते हैं? इन बातों का ध्यान रखकर नियुक्तियां नहीं की गयी हैं। माननीय राज्यपाल कांग्रेस के होते हुए भी प्रदेश के प्रतिनिधि हैं।

श्री अधिष्ठाता—

यह असंगत है।

श्री रक्षपाल सिंह—

मैं मिश्रा जी की बात का जवाब दे रहा हूं।

अब मैं अपनी बात पर आते हुए यह कहना चाहता हूं कि आपत्तिकालीन स्थिति खत्म होनी चाहिये। मैं जन संघ का सदस्य हूं और हम ने सब जगह, जलंधर में भी, जय जावन और जय किसान के नारे लगाये। परन्तु मैं मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह नारा कब तक रहेगा एमरजेंसी का और उस के द्वारा सरकार किसान की जेब से पैसा निकाल कर अपनी जेब में कब तक रखती रहेगी? यह सरकार अव्यावहारिक योजनायें चलाना चाहती है। जनसंघ ने बारबार ऐसी योजनाओं के लिए मना किया। वह हमेशा कहती रही है कि लघु सिंचाई योजनायें होनी चाहिये। मैं गेंदा सिंह जी को बधाई दे सकता हूं कि उन्होंने जिम्मेदारी की बात समझी और छोटी योजनाओं को कार्यान्वित करने के आदेश दिये और उन पर काम हो रहा है। आज जब जय किसान और जय जवान का नारा लगा हुआ है तो वह तभी सार्थक हो सकता है जब कि किसान की जेब में पैसा हो। वह अपने कर्तव्य को तभी पूरा कर सकता है। कहीं देहात में आग लग जाती है तो २, ४ रुपये की सहायता दे दी जाती है और मन्त्री जी बड़े स्वाभिमान के साथ कहते हैं कि वह सहायता दे रहे हैं। आज किसान परेशान है। कोई लोग कहते हैं कि किसान के ऊपर लगान उस समय का लगा हुआ है जब कि गल्ला १२ सेर और १६ सेर तक का बिकता था। क्या यह बात सही नहीं है कि जिस समय १२ सेर और १६ सेर का अनाज बिकता था उस समय अच्छे से अच्छा बैल १०० और ५० रुपये में मिल जाया करता था? आज उस के १,००० और १,५०० रुपये तक देने पड़ते हैं। क्या आज उसे लोहे का सामान जो पहले २ आने सेर में मिल जाया करता था, २ रुपये सेर में नहीं खरीदना पड़ रहा है? या उस के बच्चे की फीस आज वही है जो १२ सेर के अनाज के समय थी? तो यह तर्क देना कि भाव तेज हैं इस लिए एमर्जेंसी बनाये रखी जाय, यह बिलकुल अनुचित है। अगर सरकार को जरा भी अपने वायदे की इज्जत है और जनतन्त्र में विश्वास है और उसे कायम रखना चाहती है तो किसान के साथ उस की हमदर्दी होने की आवश्यकता है।

हमारी सरकार की भीख मांगने की मेन्टैलिटी हो गयी है। कभी हमारे खाद्य मन्त्री और कभी कोई दूसरे मन्त्री विदेशों में कटोरा लिए हुये भीख मांगने जाते हैं। अगर आप को अन्न संकट की स्थिति खत्म करनी है तो किसान को पूरी सुविधायें देना होगा। उसे खाद दीजिये, समय से पानी दीजिये और पूरा पानी दीजिये। अगर ऐसा किया जायगा तो कोई कारण नहीं है कि अनाज की समस्या हल न हो सके। राजस्व मन्त्री अपनी ही ओर से घोषणा कर दें कि ४ आने को समाप्त किया जाता है। हम उसका कोई राजनैतिक लाभ नहीं उठाना चाहते हैं परन्तु इतनी बात अवश्य चाहते हैं कि किसान की हालत ठीक हो जिस से हमारे प्रदेश और देश की उन्नति हो। ८५ प्रतिशत जनता से यह आपत्तिकालीन कर हटाना नितान्त आवश्यक है और जल्दी से जल्दी किसान को पूरी सहायता देकर गल्ले में आत्म-निर्भर होने की तरफ कदम उठाना चाहिये। मैं राजस्व मंत्री जी से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि इस कर को तुरन्त हटाने की कृपा करें।

*श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया है।

मान्यवर, यह प्रस्ताव ऐसा है कि जिससे सभी आदरणीय सदस्य सिम्पेथी रखते हैं, चाहे कोई उधर का बैठनेवाला हो या इधर का बैठनेवाला हो। विशेष तरीके से कांग्रेस तो है ही किसानों की नमाइन्दा और उनकी चुनी हुई सरकार है। लेकिन जिन माननीय सदस्यों ने यह प्रस्ताव यहां प्रस्तुत किया है वे शायद किसानों से उतनी हमदर्दी नहीं रखते हैं जितनी कांग्रेस रखती है। इसका कारण क्या है ? इसका कारण साफ है कि कांग्रेस किसान, मजदूर के घर घर फैली हुई है लेकिन यह जनसंघ सेठ और साहूकारों के घरों में ही फैला हुआ है। हम चाहते हैं कि वह तरक्की करे। अगर कम्युनिस्ट कहते तो कुछ समझ में आता कि वे विदेशी रंग में बोल रहे हैं या सोशलिस्ट कहते तो कुछ समझ में आता कि वे अपने समाजवादी ढंग से कह रहे हैं। परन्तु यह प्रस्ताव तो वे लोग लाये हैं जो किसानों का और मजदूरों का शोषण करते आये हैं, कर रहे हैं और भविष्य में भी करते रहेंगे। इस सरमायेदारों के वर्ग से किसानों और मजदूरों का भला होने की कोई आशा नहीं है। लेकिन चूंकि सन् ६७ का चुनाव नजदीक आ रहा है और हमारे भाई किसानों का इन्हें शोषण करना है और उन्हें तरह तरह के वैसे ही प्रलोभन देकर वोट प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिये यह प्रस्ताव लाया गया है। ये लोग ऐसा प्रस्ताव एक बार भी नहीं लाये कि किसानों को उसके उत्पादन का अधिक दाम मिलना चाहिये।

कहा जाता है कि मालगुजारी कम हो। किसानों की जमीन का बटवारा हो और वह खेति-हर मजदूरों को दी जाय। यह तो समाजवादियों का नारा है। हमारे माननीय ऊदल जी का या उनकी पार्टी का यह नारा है कि मजदूरों की पे बढ़ाओ। सबकी बात ठीक है लेकिन इन जनसंघियों की बात कि वेतन बढ़ाओं, मालगुजारी घटाओं, कहां तक मुनासिब है ? ये लोग चाहते हैं कि मालगुजारी कम करने से किसान खुश हो जायेंगे, जमीन का बटवारा कराने और मजदरों को दिलवाने से मजदूर खुश हो जायेंगे। यही नहीं जो हमारे सरकार के अंग हैं, उनके लिये भी ये कहते हैं कि उनकी तनख्वाह बढ़ाओ लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर इन सब काम के लिये कहां से रुपया आये। अगर आप मालगुजारी कम कर दें, जमीन का आप बटवारा करा दें टैक्स को छुड़वा दें तो सरकार को चलाने का क्या जरिया रहे। मैं यह महसूस करता हूं कि आप बजाय जमीन बटवाने के जो आपके और बड़े बड़े पूंजीपतियों के कारखाने हैं, उनको आप बंटवा दें या जो आपने बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स हैं उनको बंटवा दें। ये लोग स्वयं तो बड़े बड़े फार्म खोले हुए हैं और अपनी जमीनों को अपने बच्चों, अपनी बीबियों, अपने भाई, अपने भतीजों और अपने रिश्तेदारों के नाम लिखाये हुए हैं लेकिन आशा यह करते हैं कि जमीनों का बटवारा कराया जाय। अगर वास्तव में आप लोग किसानों को कुछ फायदा पहुंचाना चाहते हैं तो आपको चाहिये कि आप

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हरीसिंह]

किसानों को उनकी जो पैदावार हो उसको सही और मुनासिब दाम दिलवायें। वे कहते है कि हमारी चीजों को (खाद्य पदार्थों को) ये लोग १६,१७,१८ या २० रुपये प्रति मन के हिसाब से ले लेते हैं और फिर बाद में उसको ४० रुपये के हिसाब से बेच देते हैं।

मजदूरों का जहां तक सम्बन्ध है उन्हें केवल २ या ३ रुपया प्रतिदिन के हिसाब से मिलता है लेकिन वह लोग उन्हें केवल आठ आने या रुपया ही देकर उनका शोषण करते हैं। दूसरी ओर नारा लगाते हैं कि मजदूरों को जमीन दी जाय। ज्यों-ज्यों चुनाव नजदीक आता जाता है त्यों त्यों इस प्रकार के नारे लगाये जाते हैं ताकि इन्हें वोट मिल सके। मैं भी चाहता हूं कि किसानों से लगान में चवन्नी कम की जाय लेकिन उसके जो उत्पादन की वस्तुएं हैं, उनकी कीमत उनको सही मिलनी चाहिये। आज हमारे किसान मालगुजारी देने के लिए मना नहीं करते हैं। उसी समय मना करते हैं जब कि उनके उत्पादन की कीमत उन्हें नहीं मिलती है। जब उनका शोषण होता है और उत्पादन की वस्तुओं की कीमत उन्हें सही नहीं मिल पाती है तभी वे कहते हैं कि मालगुजारी कम की जाय। आज का जो किसान है जो इतनी मेहनत करता है, वह एक वक्त भी रोटी नहीं खा पाता है, वह अच्छा कपड़ा तक नहीं पहन सकता है। जैसे एक मां होती है। उसका एक बड़ा कुटुम्ब होता है सारे बच्चों की जिम्मेदारी, उनकी फीस, उनके कपड़े, उनके भोजन आदि की जिम्मेदारी मां पर होती है। जब ३–४ बच्चे होते हैं तो उस के कुर्ते फटे जाते है और जब उनका प्रबन्ध हो जाता है तो दूसरे बच्चों के पायजामे फट जाते हैं तो उस मां के दिल से आप पूछें कि उसके दिल पर कैसे गुजरती होगी जिसे इन सब का प्रबन्ध करना होता है। तो अगर ये लोग किसान से १७, १८ रु० मन लेकर ४० रु० मन बाजार में बेचते हैं तो उसे कैसा महसूस होगा? इधर यह प्रस्ताव लाये हैं कि आपत्तिकाल खत्म हो गया है इसलिये यह लगान चार आने का समाप्त किया जाय जब कि बाहर यह चिल्लाते हैं कि चीन आक्रमण करने की तैयारी कर रहा है, पाकिस्तान में ट्रेनिंग हो रही है और यहां कहते हैं कि इमरजेन्सी खत्म हो गई। तो इन दोनों बातों में विरोधाभास है। मैं कहता हूं कि इनकी चालबाजियों से ही पाकिस्तान बना है। पब्लिक में कुछ कहते हों, सदन में कुछ कहते हों, जनता को बरगलाते हो, आखिर इससे क्या लाभ ?

यह देश हमारा है, आज किसान देश की रक्षा के लिये नौजवान देता है, धन देता है ताकि देश की मान मर्यादा रहे, लेकिन जनसंघ वाले चाहते हैं कि युद्ध हो जिससे रोजगार करके पैसा कमायें और एक मिल की जगह दो मिल बनायें। आप जनता पर रहम खा कर ऐसा प्रस्ताव लावें कि किसानों द्वारा उत्पादित वस्तुओं का उचित दाम मिले, मजदूर मेहनत करें, कल कारखाने में २ ० के बजाय उनको १० रुपये मिलें, उनके बच्चों के लिये अच्छी तालीम का प्रबन्ध हो, रहने का प्रबन्ध हो। एक तरफ तो जनसंघ वाले किसान को गंवार कहते हैं और यहां उनके प्रति वफादारी की बात कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जनता आपको अच्छी तरह समझती है, वह भोलीभाली नहीं है। आपको जनता समझ गयी है इसी-लिये जनता से आपको उतना सहयोग नहीं मिलता है। समाजवादी कहते थे कि जमीन बांटो। मैं उन्हीं से पूछता हूं कि आपने कहां जमीन बांटी है? पहले अपनी जमीन को बांटो। अपनी तो एक इंच जमीन नहीं देना चाहते और वैसे प्रचार रोज करते हैं। किसान, मजदूर को लड़ाने की इनकी चाल रहती है ताकि देश में अव्यवस्था रहे, हमारे लीडर दौड़ते फिरें। मैं कई बार कह चुका हूं कि मजदूर को जमीन नहीं चाहिये। उसे तो दस्तकारी चाहिये, अच्छा रोजगार चाहिये और जो जमीन इन लोगों से बचे वह गरीबों में बांटो। हम चाहते हैं कि इन लोगों को भी तो मालूम हो कि खेतों के काम में कितना कष्ट होता है, गरमी और जाड़े में किसान को कितनी तकलीफ होती है उसका अनुभव तो इनको हो।

मैं मथुरा के माननीय सदस्य, श्री राधेश्याम से कहता हूं कि जब मन्दिरों में घंटे बजाये हैं और पूजा का माल खाया है वह सब याद करो। उन मन्दिरों को भी सरकार ने ले लिया है ताकि उनमें अपव्यय रोका जा सके।

अब आये साम्यवादी। इनका पेशा ही रहा है कि देश की जनता को भड़काते रहें, ये आल्हा ऊदल रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में कम्युनिज्म नहीं फैल सकता क्योंकि यह देश देवताओं का है और दानव हमेशा उधर से ही आते रहे हैं जिन देशों की नीतियों को यह मानते हैं। दानवों की सदा यहां पराजय हुई है और देवताओं की विजय।

श्री अधिष्ठाता—

आप प्रस्ताव पर बोलें।

श्री हरी सिंह—

मैं प्रस्ताव पर ही बोल रहा हूं। विदेशों की राजनीति यहां कभी नहीं पनपी। गांधी जी ने सब वाद अपनी जिन्दगी में स्थापित कर दिये हैं और देश उन की ही नीतियों पर चलेगा, आप की नीतियों पर नहीं। न इन जनसंघियों की नीति पर और न दूसरों की नीतियों पर चली। यह जो प्रस्ताव रखा है चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो किसान की सहानुभूति पाने के लिये रखा गया है लेकिन वह सहानुभूति उनको मिलने वाली नहीं है। साम्यवादी लोग क्यों इतना ढोंग रचते हैं? किसान जानता है कि उसको उल्लू बनाने के लिये यह प्रस्ताव लाया गया है। किसान के गेहूं तथा गन्ने की कीमत बढ़ाने के लिये प्रस्ताव यहां नहीं लाया जाता। जब ईख की खांड बन रही थी और गन्ने के दाम ३ रुपये मन थे तब यह प्रस्ताव नहीं लाया गया कि उसके दाम बढ़ाये जायं क्योंकि आज उसी ईख के दाम १२ रुपये मन हैं। मेरा निवेदन है कि इस प्रस्ताव को वापस लिया जाय और ऐसा प्रस्ताव लावें जिस से किसानों को अपनी पैदा की हुई चीज की सही कीमत मिल सके।

(श्री राधेश्याम शर्मा का नाम पुकारे जाने पर)

श्री भगवानदास यादवेन्दु (जिला आगरा)—

मैं यह जानना चाहता हूं कि मुझे इस कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है या नहीं।

श्री अधिष्ठाता—

राधेश्याम जी का नाम मैं पुकार चुका हूं। आपको भी अवश्य मौका मिलेगा।

*श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

अधिष्ठाता महोदय, सरकारी पक्ष के लोग जिस वक्त बात करते हैं तो ऐसा मालूम पड़ता है कि विरोधी पक्ष के लोग जो चुन कर आये हैं उनको जनता ने दान में भेज दिया है और कांग्रेस के लोग ही सारी जिम्मेदारी अपने कन्धों पर ले कर आये हैं। प्रजातंत्र में सरकारी पार्टी का ही नेता सदन का नेता होता है और वह विरोधी पक्ष को भी रिप्रेजेन्ट करता है। आचार्य नरेन्द्र देव जी से एक बार पूछा गया कि विरोधी पक्ष का क्या आचरण जनतंत्र में है? उन्होंने कहा कि विरोधी पक्ष का कार्य सरकार की सही-सही खामियां निकालने का होता है और सरकार अच्छा काम करती है तो विरोधी पक्ष का काम उसे अच्छा कहना अथवा गुणगान करना ही नही होता है, उसका मौन साधन ही सरकारी कार्य की अच्छाई का द्योतक होता है। माननीय मिश्र जी कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी के भीतर इस मसले को तय करेंगे और अपने आदरणीय नेता से बात कर के कांग्रेस की छाप लगायेंगे अवश्य लगान वापस करो और इस आपातिक अधिभार की अब आवश्यकता नहीं है अगर रेवेन्यू मिनिस्टर साहब इसे महसूस करते हैं तो उनको इसे फौरन वापस ले लेना चाहिये और इसमें चाहे किसी को श्रेय मिले। प्रजातंत्र में कुछ सिद्धान्त ऐसे होते हैं जो कामन होते हैं और जिनमें सरकारी अथवा विरोधी पक्ष का मामला लागू नहीं होता है। सरकार कोई भी काम करे, हम जब अपने चुनाव क्षेत्र में जायेंगे तो हम तो बराबर यही कहेंगे कि हमने सरकार से यह मनवा दिया, वह करवा दिया। सरकारी पक्ष के लोग यह भाषण करेंगे कि इन लोगों की कौन सुनता है, हमारे मन में जो बात आती है करते हैं या नहीं करते हैं। यह तो चुनाव की बात है।

साढे २२ करोड़ लगान आप उत्तर प्रदेश के किसानों से लेते हैं। सवा ६ करोड़ अलाभकर जोत वालों से लेते हैं, साढ़े १६ करोड़ और लोग देते हैं और साढ़े ६ करोड़ रुपया बड़ी

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राधेश्याम शर्मा]

जोत वालों से आप लगान लेते हैं। चवन्नी लगान बढ़ने के बाद साढ़े ८ करोड़ रुपया इस प्रदेश के अन्दर बढ़ गया। माननीय हरी सिंह जो कहते हैं कि हमको साधन बताइये। उन्हों यह भी कहा कि भाव बढ़ाने घटाने की बात नहीं करते। तो मैं हरी सिंह जी को बताना चाहता हूं कि हमने तो दाम बांधो नीति बहुत दिनों से पेश की है। इसलिये आपको यह बात कटती है कि सोशलिस्ट पार्टी या दूसरे लोग दाम नीति के बारे में सजग नहीं हैं। हम बिलकुल सजग हैं। और मैं आपको क्या कहूं, लगान वाली बात ऐसी हो गयी है कि जो जनता हमसे सवाल करती है वही जनता आपसे भी सवाल करती है कि लगान में चवन्नी क्यों बढ़ गयी। इसलिये मैं माल मंत्री से कहता हूं कि उनको यह चवन्नी लगान बिलकुल वापिस लेना चाहिये।

कहा गया कि अभी आपदकालीन स्थिति है। अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी हाल ही में तो आपने ताशकन्द समझौते के बाद हमें यह पाठ पढ़ाया था कि अब पाकिस्तान हम पर आक्रमण नहीं करेगा। तो एक तरफ तो आपतकालीन स्थिति है और दूसरी तरफ पाकिस्तान कोई आक्रमण नहीं करेगा, ऐसा इस सरकार को यकीन हो गया है, यह बात समझ में नहीं आती। आपको साफ-साफ कहना चाहिये कि आपातकालीन स्थिति नहीं है। और अगर आपातकालीन स्थिति है तो वह अकेले काश्तकार के लिये ही नहीं है। माननीय हरी सिंह जी को बताना चाहता हूं कि जिस सरकार ने राम रतन गुप्ता पर दो करोड़ रुपये टैक्स के माफ कर दिये, माननीय भगत ने पार्लियामेन्ट में यह बताया है और इसी प्रकार सारे प्रदेश में ३०–३५ करोड़ की वसूली आज भी बाकी होगी। मैं यह मानता हूं कि वर्तमान सरकार ने उसको वसूल करने की भरसक कोशिश की है। फिर भी मेरा ख्याल है कि १७–१८ करोड़ रुपया बड़े-बड़े उद्योगपतियों पर आज भी टैक्स का बाकी है। तो एक तरफ तो दो करोड़ रुपया माफ कर दें, १७–१८ करोड़ रुपया बाकी पड़ा रहे और दूसरी तरफ किसान के लगान का बकाया एक फसल से दूसरी फसल पर लेने को तैयार नहीं, यह समझ में नहीं आता।

माननीय मिश्रा जी ने समाजवाद की बात कही और कहा कि अभी आपने देख लिया कि सारे प्रदेश में एम० एल० सी० के चुनाव में सरकारी पार्टी के ही लोग जीते हैं। यह तो सभी जानते हैं कि अप्रत्यक्ष चुनाव में कभी जनता के लोग आ नहीं सकते और दोनों गोल जिस तरह से लड़े हैं, कोई कुकर्म बाकी नहीं छोड़ा। मैं भी देख रहा था कि सारा जातिवाद उखाड़ा गया, साम्प्रदायिक वाद चला; रुपया चला और एटा में एक शेरवानी साहब हैं जिन्होंने दो लाख पया खर्च किया होगा। यह बात गलत है। मेरा खयाल यह है कि आप कह कर कहलाते हैं। मैं जानता हूं कि सरकारी पक्ष में कमजोरियां हैं और विरोधी पक्ष में भी हैं। लेकिन अगर यह लोग चर्चा करते हैं तो मजबूर होकर हमें भी जवाब देना पड़ता है। वरना सही बात यह है कि जिस बात को सही समझते हैं तो माननीय माल मंत्री जी को इतना मजबूत होना चाहिये कि उन्हें ऐलान कर देना चाहिये। फिर चाहे क्रेडिट सरकार को मिले या विरोधी पक्ष को मिले। अगर सरकार अच्छी है और अच्छा काम करेगी तो क्रेडिट विरोधी दल को नहीं मिलेगा। उसका क्रेडिट सरकारी पक्ष में आयेगा। अगर इस समय आप ऐलान करेंगे तो सारी स्थिति साफ हो जायगी और प्रदेश के सारे काश्तकारों को राहत मिलेगी। दो करोड़ रुपया रामरतन गुप्ता जी के ऊपर माफ कर दिया तो पौने पांच करोड़ पया काश्तकारों पर भी माफ कर दें। केन्द्रीय सरकार और प्रदेशीय सरकार दोनों एक ही पार्टी की सरकार हैं। इसलिये इनमें कोई फर्क नहीं है। अगर केन्द्रीय सरकार ने न माफ कर दिया तब भी एक ही बात है। इस प्रश्न को माल मंत्री जी को मान लेना चाहिये। अगर मानेंगे तो प्रदेश के काश्तकारों को राहत मिलेगी। (व्यवधान)

आप हम से ज्यादा जानते हैं क्योंकि आप हमारे बाप की उम्र के होंगे। हम तो बहुत कम जानते हैं। लेकिन इतना हम कहना चाहते हैं कि काश्तकारों की हालत बहुत खराब है। हम जिस क्षेत्र से आते हैं वहां माट ब्रांच बिलकुल नहीं चली, पानी फसल को नहीं मिला और ईख भी नहीं बोई गई। अगर गलत हो तो जांच करा लीजिये। रबी की फसल भी ज्यादा अच्छी नहीं

हुई । इससे पहले जिन लोगों के ऊपर बकाया था उसकी वसूली बड़ी सख्ती के साथ हुई है । एक एक काश्तकार से ५०-५० प्रकार की तकावी, टैक्स और कोआपरेटिव वगैरा की वसूली हुई है। वे इन सबको देने की हैसियत में नहीं हैं ।

हम आपको क्या सलाह दे सकते हैं । अगर आप पार्टी दृष्टिकोण से ऊंचा उठकर देखें तो आप अवश्य एलान करेंगे और आज ही ऐलान करेंगे तो अच्छा होगा क्योंकि संकल्प की भी पुष्टि हो जायेगी । अगर आप समझें कि संकल्प विरोधी पक्ष ने रखा है इसलिये ऐलान करने में सरकार की तौहीन हो जायेगी तो जब चाहे करें। इलेक्शन में जब आप उतरेंगे तो हम चुप रहेंगे और चुनाव से पहले आप जरूर खत्म करेंगे । इसलिये कहता हूं कि जल्दी ही खत्म कर दें तो अच्छा है । माल मंत्री जी तो चुनाव लड़ लिये हैं इसलिये इनको जनता को फेस नहीं करना पड़ेगा लेकिन माननीय हरीसिंह जी और बैजनाथसिंह जी के ऊपर बीतेगी वह उन्हीं को मालूम होगी। इसको आप वापस करें। वापस करने के बाद मेरा ऐसा ख्याल है कि आप काश्तकारों के साथ एक बड़ा भलाई का काम करेंगे। हरीसिंह जी आप ही चुनाव जीतकर नहीं आना जानते हो, मैं भी चुनाव जीतकर आना चाहता हूं और जीतकर आया हूं, इधर के बैठने वाले लोग भी आपके मंत्रियों को हजारों हजारों वोटों से हराकर आये हैं ।

श्री मिश्र जी ने कहा कि १८५ जने कैसे चुन कर आ गये, तो मैं कहना चाहता हूं कि आम चुनाव करीब है, उसमें आपको भी अपनी हैसियत का पता लग जायगा और हमें भी अपनी हैसियत का पता चल जायगा, सभी को अपनी अपनी हैसियत का पता चल जायगा। यह बात आवश्यक है कि सरकारी पक्ष और विरोधी पक्षके बीच बहुत बड़ा अन्तर है ही। विरोधी पक्षके साधन सीमित और सरकारी पक्षके साधन असीमित और व्यापक हैं और जब उनका वह अनुचित उपयोग करने लगती है तो उस बात का कहना ही क्या । हमारे यहां विभिन्न विरोधी पार्टियों के कारण भानुमंती का जो पिटारा बना हुआ है उससे भी आप लाभ उठाते हैं । हम विरोधी पक्ष क लोग ८-८, १०-१० में जनता के सामने जाते हैं और आप अकेले ही जाते हैं । अंग्रेजों के समय में भी गांव के चन्द मुखिया और प्रधान, सरपंच वगैरह ही उनके सूत्राधार थे और आज भी यही मुखिया और प्रधान वगैरह जो २०- २५ परसेन्ट हैं उन्हीं के हाथों में ७०-७५ प्रतिशत जनता नाचा करती है । मैं यह नहीं कहता कि जब मेरी सरकार आयेगी तो यह चीज नहीं रहेगी, उसमें भी यह होग. जो भी सरकार आयेगी उसमें यह रहेगा । ७०-७५ लोग बंट जाते हैं यदि वह न बंटे तो ऐसा न हो और आपको भी अपनी हैसियत का पता चल जाये । इसकी चर्चा जोरों से चल रही है पार्लियामेंट में भी जिक्र आया कि एक के साथ एक खड़ा हो, एक के विरोध में एक ही खड़ा हो, विरोध पक्ष के सारी पार्टियों का गुस्से का एक साथ इजहार हो तो अच्छा हो और वस्तु स्थिति आपके सामने प्रकट हो जाये । सरकारी पक्ष को चलाने के लिये भी एक स्वस्थ विरोधी दल की आवश्यकता है और जब तक स्वस्थ विरोधी दल नहीं बनेगा तब तक कोई भी सरकार ठीक रास्ते पर नहीं चल सकती है । इसलिये विरोध पक्ष को चाहिये कि वह अपने संगठन से और सिद्धान्त प्रियता से यह सिद्ध कर दे कि विरोधी पक्ष की भी कोई ताकत है ।

मैं अन्त में माल मंत्री महोदय से यह प्रार्थना करूंगा कि वह अवश्य इसे वापस ले लें, जैसा कि मंत्री जी कह रहे हैं तो वह तो आपको मालूम ही है, ठीक है । मुझे निश्चित रूप से मालूम है कि आप चुनाव के पहले इसे वापस ले लेंगे, लेकिन मैं आपसे बार बार प्रार्थना करके यह चाहता हूं कि आप इसे शीघ्र से शीघ्र वापस ले लें तो ज्यादा अच्छा हो ।

*श्री ए० सी० ग्राइस (नाम निर्देशित आंग्ल-भारतीय)--

चेयरमैन साहब, मैं आपका थैंकफुल हूं जो आपने मुझे मौका दिया है इस प्रस्ताव का विरोध करने का । म किस लिये विरोध कर रहा हूं, यह आपको समझाऊं जो कि मेरी समझ में आया है । २५ परसेन्ट जो बढ़ाया गया और जो दूसरे टैक्सेज बढ़ाये गये वह इसलिये कि जो टैक्सेज बढ़ता ह उसका ३ टू १ रेश्यो हमें सेन्ट्रल से मिलता है यानी एक रुपय पर सन्ट्रल से तीन रुपया मिलता है । तो क्या हम आपके प्रस्ताव को स्वीकार करके सन्ट्रल से यह रुपया प्राप्त करना छोड़ दें ?

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री ए० सी० राइस]

रामरतन गुप्ता का जो टक्स केन्द्रीय सरकार ने माफ कर दिया है वह हम लोगों के मत्थे जा रहा है। यह सेन्ट्रल टक्स है और जो सन्टर ने माफ किया है हम लोग अपने ही घर की बात करें तो अच्छा हो। हमारा प्रदेश पिछड़ा प्रदेश कहलाता है। हम तब तक पिछड़े रहेंगे जब तक हम टैक्स छोड़ते जायगे तो हम कसे अपन प्रदश का विकास कर पायेंगे। गर्मी म यह कहना ठीक नहीं ह टक्स छोड़ देन ठीक नहीं है। पालिटिशियन बनो या स्टेट्समैन बनो। आने वाले चुनाव में पालिटिशियन बनना है तो मुझे इसपर कुछ नहीं कहना किन्तु यदि स्टेट्समन बनना है तो आप इस पर शान्तिसे बैठ कर सोचिये। यह रुपया न हो तो उत्तर प्रदेश का इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो सकता, एलेक्ट्रिसिटी, डम्स, पानी सब कुछ नहीं बढ़ सकता और क्राप्स का प्रोडक्शन स्टेल हो जाय। इसराइल का दृष्टान्त लीजिये, वहां पानी का भरोसा नहीं होता लेकिन वहां उन्होंने टैक्स बढ़ाकर अपना प्रोडक्शन बढ़ाया। यहां ११, १२ मन फी एकड़ प्रोडक्शन आता है। टक्स कितना है? ५ रुपये लगान और १८ साल में बढ़ा सवाया, सवा ६ रुपये, पहले में २० सेर का गेंहूं खरीदता था और अब एक रुपये का सेर भर। यानी २ सौ परसेंट इन्क्रीज हुआ यहां २५ परसेंट बढ़ गया तो कहते हैं कि किसान मरा जा रहा है। मैं इसको नहीं मानता। मैंने अभी देहरादून एरिया को देखा। मुझे दिलचस्पी है यह देखने की सरकार क्या कर रही है। मैं कहता हूं कि पैसा चाहिये उसके बिना काम चल नहीं सकता। जाली रुपया चलाकर सरकार चले तो फिर देश बैंकरप्ट हो जायगा और जब किसान ने ज्यादा तेज गल्ला २० गुना दाम बढ़ाकर पैसा पैदा किया है तब उससे थोड़ा सा ले लेते हैं तो शोर मच जाता है। अगर वोट कैचिंग डिवाइस है तो मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन मैं यह कहता हूं २५ परसेंट टैक्स उन पर बिलकुल ज्यादा नहीं है उन पर अगर ५० फीसदी टैक्स ज्यादा लगा दिया जाय तो वह और भी बढ़ाया जाना चाहिये जिससे ज्यादा पैसा आकर यह प्रदेश आगे बढ़े। फिर यह जो ज्यादा पैसा आता है उसका २० परसेंट तो सोशल सरविसेज के जरिये से फिर किसान के पास ही पहुंच जाता है। ६० परसेंट डेवलपमेंट के रूप में चला जाता है। तो सरकार जितना लेती है उन्हीं को वापस कर देती है। अपने जेब में नहीं रखती। फिर भी आप कहते हैं कि टैक्स उन पर न बढ़ाओ।

मैं एक आंकड़ा आपके सामने रखता हूं। थर्ड फाइव प्लान के लास्ट ईयर यानी पारसाल १४१ करोड़ पर हमने ७ करोड़ टैक्स बढ़ाया। यह था कि जितना तुम टैक्स लाओ उतना ही हम बढ़ा देंगे, यह सेन्टर से हुआ। हमने बढ़ाया और कुल १५५ करोड़ हुआ। अब ६६-६७ में जब चौथा प्लान आया तो यह हुआ कि ७९.५ करोड़ रुपया का प्लान रिड्यूस होगा। यानी १६१ करोड़ का १३४ करोड़ हो जायगा। अब अगर इसी तरह से प्लान रिड्यूस करते चले जाव तो नतीजा यह होगा कि हम पिछड़े हुये होंगे और पिछड़ते हुये चले जावेंगे और फिर आपोजीशन को अच्छा मौका मिलेगा कि कहें कि इन्होंने कुछ नहीं किया, न इस सरकार ने फर्टिलाइजर दिया, न पानी बढ़ाया और न कुछ किया। अब ६६-६७ में करीब १३ करोड़ रुपया टैक्स बढ़ेगा। केन्द्रीय सरकार १:३ के रेशियो पर देगी। तो ३९ करोड़ उनका, इस तरह पर ५२, ५३ करोड़ और हो जायगा तब हम लोग कुछ कर पावेंगे।

अब यह कहा गया कि इमरजेंसी खत्म हो गयी। मैं दुआ करता हूं कि वह खत्म हो जाय। हमको पाकिस्तान रेडियो के सुनने से ऐसी उम्मीद नहीं है कि इमरजेन्सी खत्म हो गई। हमको और विजिलेन्ट रहना चाहिये। डी० आई० आर० खत्म हो जाना चाहिये, यह मैं मानता हूं लेकिन अगर कोई यह कहे पाकिस्तान और चीन में शान्ति है तो यह शान्ति नहीं है। हमको और ज्यादा विजिलैन्ट रहना पड़ेगा। नहीं तो, अगर हम इन्हीं बातों में फंस गये, लूज थिंकिंग, लूज टाकिन और लूज एक्शन में अगर हम फंस गये तो हम पिस जायेंगे।

हमारे यहां का प्लान ८० परसेन्ट में एग्रीकल्चर है। २० परसेन्ट में खाली रूरल डेवलपमेंट में है। रूरल एरिया के लिये हमार अपोजीशन के भाई कहते हैं कि रूरल एरिया में टैक्स न लगाओं और खाली अरबन एरिया को टैक्स करो। अरबन एरिया कहां तक टैक्स दे? वह तो परेशान है। आज वही सब से अधिक टैक्स दे रहा है। किसान टैक्स नहीं दे रहा है। हमारे दोस्त

भानुप्रताप सिंह जी आंकड़ों की बहुत खबर रखते हैं। अगर कम्पैरिजन आफ एवरेज टैक्स बिटवीन अरबन इंडीविजुअल एन्ड रूरल इंडिवीजुअल देखा जाय तो डिस्पैरिटी ७० परसेन्ट मालूम होगी। अगर इनका १०० रुपया है तो उनका ३० रुपया है। तो कहां तक रूरल एरिया को सपोर्ट किया जाय? उनको भी थोड़ा बहुत उत्तर प्रदेश की उन्नति में अपना हाथ बटाना चाहिये। नहीं तो कुछ हो नहीं सकता है। मैं प्रार्थना करूंगा कि हमारे दोस्त मूवर साहब इस प्रस्ताव को थापस ले लें और फिर सोचें कि क्या बात और क्यों है। टैक्स लगाने से यू० पी० का फायदा है और वाकई में फायदा है। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

(इस समय २ बज कर ३२ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल पीठासीन हुये।)

श्री भगवानदास यादवेन्दु--

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने दोनों तरफ के माननीय सदस्यों को सुना। लगान पर चार आना आपत्ति कर जो १९६२ में बढ़ाया गया है उस पर इस सदन में दोनों ओर के सदस्यों के एक से ही मत मालूम पड़ते हैं। इधर के कई सदस्यों ने कहा कि किसानों का वास्तव में जो शोषण होता है वह उधर वाले करते हैं और उधर वालों ने कहा किसानों का शोषण इधर वाले करते हैं। मेरा ऐसा विश्वास है कि इस देश में जो प्रजातन्त्र है उसके लिये समाजवादी प्रजातन्त्र की स्थापना की बात कांग्रेस पार्टी द्वारा कही जाती है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि चाहे इधर के बैठने वाले हों, या उधर के बैठने वाले हों, सही माने में देश की जनता का हित करने के लिये कोई भी सचाई के साथ नहीं सोचता है। असल में करों को लगाने के लिये लम्बे चौड़े योजनात्मक भाषण जनता में दिये जाते हैं और इस सदन के माध्यम से जनता की प्रगति के लिये बहुत सी बात कही जाती हैं ताकि जनता यह समझे कि ये हमारा सही माने में प्रतिनिधित्व करते हैं। वास्तविकता यह है कि जिस समय यहां पर आपातिक अधिभार कर का विधेयक लाया गया था तो इधर के सदस्यों ने उसका कड़े शब्दों में विरोध किया था। उस समय कुछ प्रगतिशील विचार धारा के कहे जाने वाले दल के सदस्यों ने इसका समर्थन किया था। हमारे दल ने उस समय भी इसका विरोध किया था।

हमने कहा था कि किसान ही ऐसा वर्ग है जो सभी प्रकार के टैक्सों से बन्धा हुआ है। वह टैक्स से इन्कार नहीं करता है यह सब जानते हैं। इस प्रदेश में ७५ फीसदी किसान रहते हैं और उनमें भी ५० फीसदी ऐसे किसान हैं जिनके पास जमीन नहीं के बराबर है और अधिकांश पर बिलकुल ही नहीं है। २५फीसदी किसान ऐसे हैं जिनके पास बड़ी बड़ी आराजियां हैं और उनमें से कुछ सामन भी बैठे हैं। दूसरी तरफ छोटी आराजी वाले किसान हैं। आज माननीया कृपालानी जी इस प्रदेश की मुख्य मंत्री हैं, कांग्रेस की नेता भी रही हैं। इसी कांग्रेस ने कहा था कि किसानों को अपने शासन काल में वह लगान से मुक्त कर देगी और उस समय कांग्रेस की एक कमेटी ने अपनी यह रिपोर्ट भी दी थी कि ६ एकड़ तक की आराजी वालों का पूरा लगान माफ होना चाहिये। मैंने भी मुख्य मंत्री जी के सामने इस प्रस्ताव को रखा था कि छोटी जोत वालों का लगान बिलकुल माफ कर दिया जाय जिस तरह से शहरों में आप चार हजार तक की आमदनी वालों से इन्कम टैक्स नहीं लेते उसी तरह से किसानों में भी छोटे किसानों का लगान माफ होना चाहिये।

आज दलील इस तरह की दी जाती है कि विरोधी पक्ष के लोग किसानों को सरकार के विरुद्ध भड़का रहे हैं, लेकिन यह बात दावे के साथ कही जा सकती है कि कांग्रेस सरकार ने जो वादे किये थे उनका वह पालन नहीं कर रही है। मैं इस संबंध में कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं। अंग्रेजों के जमाने में १८ करोड़ ७६ लाख रुपया किसानों से लगान वसूल किया जाता था और सरकार के खजाने में जमा किया जाता था ७ करोड़ २२ लाख रुपया, आज हमारी सरकार किसानों से वसूल कर रही है २२ करोड़ ५० लाख रुपया और इस में ५ १/२ करोड़ रुपया सरकार ने और बढ़ा दिया है। अगर ६ एकड़ तक के किसानों का लगान माफ कर दिया जाय तो मैं समझता हूं कि राज्य में कोई बड़ा हर्ज होने वाला नहीं है, लेकिन उसके बजाय आप ने चार आना लगान और बढ़ा दिया है। आप समाज में नये वर्ग बनाते चले जा रहे हैं और अपनी संतानों के लिये आप अवस्थित पूंजी इकट्ठा करने क प्रयास कर रहे हैं। आप देश की बात नहीं सोचते।

[श्री भगवानदास यादवेन्दु]

अगर आप देश की बात सोचें तो आप को पूंजी का विकेन्द्रीयकरण करना चाहिये था। आप तो अपने और अपने परिवार को धनी बनाने के प्रयत्न में लगे हुये हैं। आप ने रोडवेज पर टैक्स बढ़ा दिया, पंचायतों पर टैक्स बढ़ा दिया, कपड़े पर टैक्स बढ़ा दिया, सेल्स टैक्स बढ़ा दिया। सेल्स टैक्स का रुपया व्यापारी अपने पास रख कर कमायी करता है और सरकार को नहीं देता। इस के अलावा आप ने बिजली के चार्जेज भी बढ़ा दिये हैं। सिंचाई जो खेती के लिये एक मुख्य साधन है उस में भी आपने काफी पैसा बढ़ा दिया। डिजिल तेल पर टैक्स बढ़ा दिया है। तो इस प्रकार आप ने भिन्न-भिन्न तरीकों से किसानों को चारों तरफ से टैक्सों से घेर रखा है। इस के साथ ही आप ने चार आना लगान भी लगा रखा है और इस के बावजूद उत्तर प्रदेश के पूंजीपतियों को काफी रुपया माफ किया है। एक पत्र मुझे मिला था जिस से पता चला कि श्री रामरतन गुप्ता पर ३१ लाख रुपया इसलिये माफ किया गया है कि उन की इतनी आर्थिक क्षमता नहीं है कि वह उस रुपये को अदा कर सकें और वह रुपया उनसे लिया जा सकेगा। तो इसमें कोई संदेह नहीं कि सरकार की नीति पूंजीपतियों की पोषक रही है।

यह तो किसान ही था जिसने हंसते-हंसते देश की रक्षा के लिये अपना सब कुछ दे दिया। इमरजेन्सी का मूल्यांकन आपने नहीं किया, आपकी नौकरशाही ने नहीं किया, इमरजेन्सी का मूल्यांकन किसान और मजदूर ने ही किया। जिस समय नेफा, लद्दाख पर बर्फीली सर्दी में हमारे नौजवान लड़ रहे थे तो आपके भाई पूंजीपति सोने की बड़ी-बड़ी सिलों को हीटर की गर्मी में तिजोरी के अन्दर छिपा रहे थे। अब यह बिलकुल स्पष्ट हो गया है कि जिस वक्त आप शासन प्राप्त के लिये किसान और मजदूर को एजीटेट करते थे उस वक्त आप एक योगी के रूप में थे और जब शासन प्राप्त कर लिया तब आप भोगी के रूप में हैं। योगी जब भोगी बन जाय तो वह सब कुछ कर सकता है। भोग विलासिता के लिये वह उचित अनुचित सब कुछ करने के लिये तैयार रहता है। वह सत्ता के मद में बेहोश हो जाता है और फिर उसका विनाश होता है। इस अंतिम क्षण में आपका विनाश हो रहा है। यह हमारे देश के महान पुरुषों के वाक्य हैं। आप योगी थे जिस समय गांव-गांव में जाकर आप लोगों में चेतना पैदा करते थे और इनसान को जगाते थे कि गुलामी की जंजीरों को छोड़ करके स्वतंत्रता के लिये लड़े। लेकिन आज आप उन्हीं किसानों और नागरिकों को भ्रष्ट कर रहे हैं। इस इंडायरेक्ट स्थानीय निकाय क्षेत्र से विधान परिषद् के इलेक्शन में आप ने ग्राम प्रधानों को, वहां के पटवारियों को बी० डी० ओ०, तहसीलदार, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग अफसर, सब को अपने चुनाव कार्य में लगाया। एक एक प्रधान को ५-५ सौ रुपये वोट के दिये गये। आप कहेंगे कि चवन्नी लगान जो हमने बढ़ाया तो भी ग्रामीण जनता के प्रतिनिधि का वोट मिल गया, और आप इंडायरेक्ट इलेक्शन में जीत गये। लेकिन मैं अवगत कराना चाहता हूं कि जिस प्रधान के बल पर आप ग्राम राज्य बनाना चाहते हैं, गांधी राज्य की स्थापना करना चाहते हैं उस ग्राम प्रधान के आज पांच खसम हैं। एक लेखपाल जो उससे गलत एंट्री कराकर उसके रिश्तेदारों के नाम पर जमीनें करता है वह खसम है। दूसरा खसम सुपरवाइजर होता है जो जो सुपरवीजन करता है। तीसरा सेक्रेटरी जो लेखा-जोखा करता और रखता है और प्रधानों से गलत दस्तखत कराता है। चौथा बी० डी० ओ० जो आपके पिगरी और पोल्टरी फार्म योजना के नाम पर आप से रुपया प्रधान को दिलाता है और प्रधान बी० डी० ओ० से लिखवा देता है कि सुअर मर गये, सब मुर्गियां मर गयीं और सारा अनुदान खा जाता है। तो इन खसमों के बल पर आप इस देश के जनतंत्र को चौपट कर रहे है और भ्रष्टाचार को पनपा रहे हैं और प्रजातंत्र से जनता की आस्था को खत्म कर रहे हैं। खुलेआम आप वोटर्स को जीपों में बैठा-बैठा कर रुपया बांटकर भ्रष्ट बना रहे हैं। १९६२ में आपने ही किसान को भ्रष्ट तथा जखीरेबाज बनाया है आपके व्यापारियों में बैंकों के बल पर। किसान से १८ रुपये मन गेहूं खरीदा और उसी को उसके खाने के लिये जब जरूरत हुई तो किसान को २३-२४ रुपये मन बेचा। जब किसान ने यह हरकत देखी तो उसने १९६४ में गेहूं का संचय किया और ४०-४० रुपया कबाल टाउन में गेहूं का भाव हो गया। तो भ्रष्टाचार आपने सिखाया और आपके

साथियों ने सिखाया। क्योंकि आपके नेताओं (कांग्रेसी) का जन्म दिन के अवसर पर चौसठ-चौसठ लाख की थैलिया मिलती हैं और क्योंकि आपने उस जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे को पूंजीपतियों को दे रखा है और उसी पैसे के बल पर आप वोट लेना चाहते है। क्या आप ही किसानों के प्रतिनिधि हैं जिनकी कल्पना गांधी जी ने कर रखी थी और जिन्होंने सोचा था कि ग्राम राज्य बड़ा सुखी व सुन्दर होगा।

मैं यह मानता हूं कि किसानों की हालत पहिले से अच्छी हुई है, मैं यह भी मानता हूं कि वहां आवागमन के साधन अच्छे हुये हैं और मैं यह भी मानता हूं कि गांवों में सिंचाई के साधनों में तरक्की हुई है परन्तु किसानों के पास जो मारेल था जो उनका चरित्र था वह आपने डायरेक्ट या इन्डायरेक्ट इलेक्शन्स के जरिये गिरा दिया है और आपने बता दिया है उनको कि तुम्हारे वोट की क्या कीमत है। इस तरह से आपने प्रजातन्त्र के विश्वास को आघात पहुंचाया है। इसकी सारी जिम्मेदारी आपकी ही सरकार पर है और उन लोगों पर है जो इस विधान परिषद् चुनाव में जीत कर आये हैं। इस तरह से आप अपने अन्तिम जीवन तक अपनी सीटों को सुरक्षित रख सकते हैं लेकिन वह एक ऐसी चीज भी है जो कभी सुरक्षित नहीं रहती। आपके पापों का घड़ा भर चुका है। आप कितना भी चाहे लोगों में विश्वास भरिये पर जिस सीमा तक जनता सहने की शक्ति रखती है उसी सीमा तक वह उसे सहेगी। इस १९६७ की लड़ाई के मैदान में इधर के बैठने वाले लोग भी आपके मुकाबिले में कमजोर नहीं पड़ेंगे और वे अपनी पूरी शक्ति से लड़ेंगे। आपने उन चालों और साधनों का इस्तेमाल किया है जिसका इस्तेमाल ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने भी नहीं किया था। आपने प्रजातान्त्रिक परम्पराओं के प्रति विद्रोह किया है और एक विद्रोरी का जो अपराध होता है उसी के श्रेणी में आप आते हैं। इस तरह से आपके द्वारा प्रजातन्त्र के प्रति घोर अन्याय हो रहा है उससे बुद्धि जीवियों को बड़ा दुःख होता है और जनता का विश्वास आप खोते जा रहे हैं। आज हालत यह है कि ७०–८० साल के बूढ़े लोग भी कभी शासन नहीं छोड़ना चाहते हैं।

मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि शासन एक जवान स्त्री के समान है। एक जवान स्त्री को जिस तरह स जवान चाहिय उसी तरह से शासत को भी जवान आदमी चाहिये। बूढे मंत्री काम नहीं कर सकते। वे फिर भी मंत्री बनना चाहते हैं। दूसरे देशों में प्रजातन्त्र की कोई भी परिभाषा रही हो लेकिन हमारे देश में स्पष्ट है कि डेमोक्रेसी इज दि गवनमेन्ट आव दि कपिटेलिस्ट, बाई दि कैपिटेलिस्ट एन्ड फार दि कैपिटेलिस्ट यानी पूंजीपतियों की गवर्नमेन्ट, पूंजीपतियों के द्वारा और पूंजीपतियों के लिये। पहिले जो फिडलिस्ट थे, और इस देश में शासन करते थे, आज वह सब कैपिटेलिस्ट के पीछे उसी लाईन में खड़े होकर, वह सब काम कर रहे ह और ऊपर स कहते हैं कि हम समाजवाद ला रहे हैं। जो ब्रिटिश राज्य के परिवार फ्रियूडलिस्ट थे वे आज कैपिटलस्टों से मिलकर शासन में एन्ज्वाय करना चाहते हैं। हमने अपनी आंखों से देखा, हमने इस चुनाव फील्ड में जाकर उनके आचरण को देखा है कि जिस किसान को कभी बैलगाड़ी पर नहीं बैठने दिया उसको जीप पर बैठाया गया। जिस गरीब के घर कभी कोई नहीं गया, वहां नायब तहसीलदार गया उसको धोखा देकर बुलाकर ले आया। वहां ले जाकर उनको पैसा दिया गया, शराब पिलाते देखा गया, पैर छूत हुय भी देखा और तब उनसे वोट प्राप्त हुआ। इस प्रकार के हथकंडों के आधार पर यह जनतंत्र नहीं चल सकता और न यह समाजवाद हो आ सकता है। यह जो आप नारे लगाते हो, यह सब तो भुलावे में डालने वाली बात हैं। अगर इस देश की जनता की आस्था जनतंत्र में बढ़ गयी और जनता ने आपको हटा कर राज्य लेना चाहा तो आपका वह (फ्यूडलीस्टिक) रूप सामने आ जायगा। तब आप कहेंगे तुम राज्य करने के काबिल नहीं हो, यहां राष्ट्रपति का शासन होगा। तब वोट की सरकार यह लोग मानने वाले नहीं हैं। कभी भी कोई भी फ्यूडलिस्ट बिना शक्ति के गद्दी से हटने वाला नहीं है।

आपने जो जनता पर तरह-तरह के टैक्स लगाये हैं, अगर आप इनको खत्म नहीं करते हैं तो देश में उत्पादन बढ़ेगा नहीं, घटेगा। अगर आपने किसानों की सिंचाई का प्रतिवर्ष २० हजार एकड़ जमीन का प्रबन्ध नहीं किया तो कभी भी खाद्य के मामले में उत्तर प्रदेश स्वावलम्बी नहीं हो सकेगा। अगर आप किसानों को कर भार से मुक्त करें और उनकी सिंचाई

[श्री भगवानदास यादवेन्दु]
का प्रबन्ध करें तो उत्पादन बढ़ेगा और अगर उत्पादन बढ़ जायगा तो न तो ब्लैकमार्केटिंग होगी, न कैपिटेलिस्ट रहेंगे और न फ्यूडेलिज्म रहेगा। फिर आप किसी से १२ आने का गेंहूं देकर दिन भर काम नहीं करा सकेंगे। जब सब लोग सम्पन्न होंगे तो कोई किसी से क्यों दबेगा। जब देश का उत्पादन बढ़ेगा तो हर आदमी सुखी होगा। जब उसके पास साधन होंगे तो कोई किसी से क्यों दबेगा। तब सच्ची आजादी होगी, तब किसी को किसी का गुलाम बना कर नहीं रखा जा सकेगा।

आज गांवों में जाकर देखिये जब कोई मंत्री वहां जाता है तो एक ऊंचे स्थान पर गद्दा मसनद लगा कर उसको बैठाया जाता है। मानो वह खुदा ही हो। ये सब बातें १८वीं शताब्दी की है। अब ये बातें यहां नहीं चलने की। जब चंगेजखां आया तो फ्यूडेलिज्म का शासन था, जब सिकंदर आया तब भी फ्यूडेलिज्म था और मुहम्मद गोरी आया तब भी सामन्तो व साम्राज्यवाद के हाथों में जो सत्ता थी उसी साल में फ्रान्सिसड्रेक को हजारों आदमियों को यहां से गुलाम बना कर ले गया। आपको उन मनोवृत्तियों को छोड़ कर जनतंत्र की नई व आधुनिक परम्पराओं को डालना होगा। इन्सान को इन्सान बनाना होगा और इन्सान ही समझना होगा। गुलाम नहीं समझना होगा। अगर आप लोग (जनता) का मारल गिरा देंगे तो प्रजातन्त्र रहने वाला नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं चवन्नी लगान को हटाये जाने का समर्थन करता हूं और मांग करता हूं कि इसको तुरन्त समाप्त किया जाय।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, जरा मेरा निवेदन सुन लें, आज जब कि यह असरकारी प्रस्ताव चल रहा है तो उस के लिये यद्यपि कहीं व्यवस्था है कि आप १५ मिनट के ऊपर विशेष आज्ञा देंगे लेकिन इस में आप कोई रोक कृपया न करें क्योंकि यह एक आवश्यक विषय है, आप नियम को निलम्बित कर सकते हैं और अधिक समय भी दे सकते हैं। आप कृपया हमारे सुझाव को मानकर सभी को मनमाने रूप से बोलने की व्यवस्था करें और सरकारी पक्ष के लोग यदि केवल ५ मिनट ही बोलना चाहें तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है, ऐसा ही हो जायगा।

*श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय पर आज कोई जजबाती तकरीर नहीं करना चाहता और बड़ी संजीदगी से मैं निवेदन करूंगा कि वर्तमान राष्ट्रीय परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश सरकार को इस आपातिक अधिभार के प्रश्न पर पुनः गंभीरता से विचार करना चाहिये। मैं यह भी निवेदन करूंगा कि इस प्रश्न पर अच्छा हो कि सरकार कांग्रेस विधान मंडल की भी राय ले ले। इस प्रश्न पर पेश्तर इस के कि मैं अपना मत प्रकट करूं मैं सूचनार्थ निवेदन करूंगा कि जनवरी मास में अभी लखनऊ में उत्तर प्रदेश कृषक समाज जो किसानों की एकमात्र संस्था है उसके सामने भी यह प्रश्न आया था और उसने सर्वसम्मति से यह फैसला किया था कि सवा ६ एकड़ से छोटी जोतों के ऊपर से वह अधिभार हटा ले।

एक सदस्य—

इसे एकमात्र सरकारी संस्था कहिये।

श्री शिवराज सिंह—

जी नहीं, वह कृषकों की असरकारी संस्था है। मैं समझता हूं कि यह एक वित्तीय संकल्प है जिसका संबंध प्रदेशीय सरकार के एक्सचेकर और वित्तीय स्थिति से है और इसी तरह से इसका संबंध प्रदेश की कृषि उपज से भी सीधा सा है। इस प्रश्न पर विचार करने से पूर्व हमें कुछ अहम, तथ्यों पर विचार करना होगा। इस प्रदेश में प्रति व्यक्ति कृषि भूमि देश के अन्य प्रदेशों पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बम्बई, मैसोर तथा आंध्र से कम है। पंजाब में प्रति व्यक्ति

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कृषि क्षेत्र १.१२ एकड़ है और वहां के मुकाबले में इस प्रदेश में प्रति व्यक्ति भूमि केवल .६६ एकड़ ही है। यहां पर गंगा-जमुना के जरखेज मैदान जरूर हैं लेकिन यहां की प्रति एकड़ कृषि उपज रुपये की शक्ल में केरल, पंजाब, पश्चिमी बंगाल और आसाम से कम है। आंकड़ों को देखने से आप को आश्चर्य होगा कि केरल में जहां प्रति एकड़ पैदावार कृषि भूमि से २७२ रुपया होती है वहां इस प्रदेश में केवल १६६ रुपया ही होती है। इतना ही नहीं प्रति कृषि परिवार की आय उत्तर प्रदेश में पंजाब, गुजरात, मैसूर, आंध्र, मद्रास, राजस्थान और महाराष्ट्र सब से कम है। जहां पंजाब में प्रति कृषि परिवार की आय २,१८६ रुपया है वहां उत्तर प्रदेश में वह केवल ८६४ रुपया ही है, यानी यह पंजाब की केवल एक तिहाई है। इस के उपरान्त आप यह देखें कि इस अधिभार के लगाये जाने के पूर्व ही इस प्रदेश में भूमि कर अन्य प्रदेशों से अधिक था बल्कि अत्यधिक था यह तथ्यों से सिद्ध है। यहां पर प्रति एकड़ औसत कर रुपये की शक्ल में ४.६८ रुपया था जब कि पंजाब में २.२९ रुपये प्रति एकड़ था। इतना ही नहीं, श्रीमन्, यदि आप भूमि-कर का राज्य के कुल करों में प्रतिशत के आंकड़े देखें तो आप इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि उत्तर प्रदेश में राजस्थान को छोड़कर सब प्रदेशों से अधिक है। उत्तर प्रदेश में यह प्रतिशत ३९.२२ है जब कि लगे हुये पंजाब में यह केवल १८.५३ ही है। इन तथ्यों के बावजूद उत्तर प्रदेश में हमने आपातिक अधिभार २५ प्रतिशत लगाया है।

मैं माननीय ग्राइस साहब की तकरीर सुन रहा था। उन्होंने फरमाया कि उत्तर प्रदेश के शहर में बसने वाले ज्यादा कर देते हैं कृषकों के मुकाबले में। मान्यवर, पिछले १० वर्षों के आय संबंधी आंकड़े मेरे पास हैं। उत्तर प्रदेश में शहरी आय प्रति व्यक्ति बढ़ी है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में स्थिर होकर रह गयी है। १९४८ से लेकर १९६१ तक के आंकड़े यानी १२ वर्षों के मेरे पास हैं। उनमें उत्तर प्रदेश के देहाती क्षेत्र की औसत आय १८८.९७ है जब कि १९६०-६१ में केवल २०२.६१ हुयी। वह १२ वर्षों का औसत केवल १८९.३६ हुई जब कि शहरी औसत आय १९४८-४९ में ५४७.१७ थी, जबकि १९६१-६२ में यह ६६९.२८ हो गयी और १२ वर्षों में बढ़कर यह ६५७.०४ हो गयी। देहाती और शहरी क्षेत्रों में इस प्रकार से यह फर्क बढ़ता चला जा रहा है। यह बढ़कर १२ वर्षों में ३४७ हो गया है। देहाती की आमदनी से शहरी प्रति व्यक्ति का मुकाबला करें तो २९ परसेंट है। १९६०-६१ के आडिटेड एकाउन्ट से पता चलता है कि जो कर के रूप में प्रदेश में इकट्ठा किया है वह ५८ करोड़, ५लाख,७४ हजार है जो बड़ी-बड़ी होल्डिंग्स टैक्स, चाहे लैंड रेवेन्यू, चाहे स्टेट एक्साइज ड्यूटीज, टैक्सेज आन मोटर वेहीकिल्स, जनरल सेल्स टैक्स, सेल्स टैक्स परचेज टैक्स आन शुगर केन, स्टाम्स और रेजिस्ट्रेशन फी, एन्टरटेनमेंट और बैटिंग टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, और मोटर स्पीरिट के सेल्स पर टैक्स सबको मिला कर इकट्ठा किया था। इसमें से प्रथम दो प्रकार के टैक्स ४०.८० प्रतिशत कुल बनता है। अन्त के ३ टैक्सेज केवल वे लोग देते हैं जो कृषि पर आधारित नहीं है। वह केवल ४.६४ प्रतिशत है। शेष ५४.५६ प्रतिशत ऐसे टैक्सेज हैं जिन्हें शहर और गांवों के लोग भी देते हैं। उसमें से अगर आमदनी के अनुपात से लगावें तो यह ३५.९२ प्रतिशत आता है। इस प्रकार से कुल टैक्स जो प्रदेशीय सरकार को प्राप्त होता है उसका ७६.७२ प्रतिशत टैक्स उन कृषकों ने दिया है जो गांव में रहते हैं।

इतना ही नहीं, २ करोड़ रुपया प्रदेशीय सरकार को प्राप्त होता है इन्टरेस्ट के रूप में भूमिधरी की रकम पर। तो अगर आप देखें कि करों का कितना हिस्सा गावों वाले देते हैं तो आप पायेंगे कि यह ८० प्रतिशत गांव वाले ही देते हैं। यह कहना कि इस वक्त टैक्स का भार गांवों में कम है और शहरों में ज्यादा है गलत बात है। मैं इसी वर्ष की बात, अर्थात् १९६५-६६ की कहता हूं। इस वर्ष क्या यह सही नहीं है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने गन्ने की सिंचाई की दर में २५ प्रतिशत की वृद्धि कर दी है? क्या यह सही नहीं है कि सिंचाई के लिये जितनी भी रियायतें पिछले वर्षों में सरकार ने दे रखी थी वे वापस ले ली हैं? क्या यह सही नहीं है कि तकावी के रेट आफ इन्टरेस्ट, चाहे वह कोआपरेटिव के जरिये से दी जाती हो, चाहे एग्रीकल्चर विभाग के माध्यम से बंटती हो या किसी भी माध्यम से बंटती हो, सब का रेट आफ इन्टरेस्ट बढ़ा दिया गया है और सब का सब ८.७५ प्रतिशत कर दिया गया है।

[श्री शिवराजसिंह]

मुझे याद आता है मैसूर के अन्दर काश्तकारों को तकावी तीन परसेंट पर दी जाती है। परसेंट वहां की सरकार स्टेट ऐक्सचेकर से रीइम्बर्स करती है। महाराष्ट्र के अन्दर साढ़े चार परसेंट पर सारी तकावी बांटी जाती है और बाकी इंटरेस्ट स्टेट ऐक्सचेकर से रीइम्बर्स किया जाता है वहां की कोआपरेटिव संस्थाओं को। क्या यह सही नहीं है कि २५ परसेंट इस वर्ष फर्टिलाइजर की कीमतें बढा दी गई हैं। उत्तर प्रदेश के अन्दर सिंचाई के लिये बिजली की दरें इस देश के अन्य राज्यों से १,२ से नहीं कई से जैसे मध्य प्रदेश, पंजाब, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मद्रास, केरल,और मैसूर इन सब से कहीं ज्यादा है। इस प्रकार आप देखे उत्तर प्रदेश के अन्दर कृषि में जो चीजें इस्तेमाल होती है वे सब की सब अन्य राज्यों से कहीं ज्यादा कीमती और कहीं ज्यादा दुर्लभ है। ऐसी अवस्था में उत्तर प्रदेश के कृषि उत्पादन पर क्या असर पड़ेगा इस लगान की बढ़ोत्तरी का इस को जरूर आप को ध्यान में रखना है। आज राष्ट्र के स्वाभिमान की रक्षा के लिये आवश्यक है कि अविलम्ब वह कदम उठायें जायें जिनसे कृषि की पैदावार बढ़े। मान्यवर इसलिये हम को यह सोचना है कि आज किसान को देना है वित्तीय राहत या उस से रुपया वसूल कर के उस को सरकारी माध्यम से खर्च करके कृषि के साधन बढ़ा कर पैदावार बढ़ानी है। एक आंकड़ा मैं आप के सामने रखना चाहता हूं जिससे जाहिर हो जायगा कि सरकारी माध्यम से किसानों को जो सुविधायें उपलब्ध हैं उन की क्षमता क्या है।

मान्यवर, दुफसली क्षेत्र का रकबा देखें तो आप को ताज्जुब होगा कि उत्तर प्रदेश का दुफसली क्षेत्र का केवल १० परसेंट उत्तर प्रदेश के इरीगेटेड क्षेत्र के अन्दर है। क्या वजह है कि सेंट परसेंट उत्तर प्रदेश का इरीगेटेड क्षेत्र जो है उसके अन्दर दुफसली पैदा नहीं होती है। कारण यह है कि आबपाशी के महकमे पर किसानों को विश्वास नहीं है। वक्त पर उनको पानी नहीं दे पाता है। इसलिये केवल १० परसेंट के अन्दर आज दुफसली बोयी जाती है। जितना दुफसली क्षेत्र है उस का साढ़े ८७ परसेंट आज अनइर्रीगेटेड है। आज वह कुदरत के ऊपर है मानसून के ऊपर है। केवल साढे १२ परसेंट में सिंचाई के साधन है। आज आवश्यकता इस बात की है कि किसान को आप राहत दें। उस को जो मुनाफा आज खेती में हो रहा है उस को उस की जेब में रहने दें ताकि वह उस से अपनी पैदावार बढ़ा सके। उत्तर प्रदेश सरकार को यह सोचना है कि यह जो ५,६ करोड़ रुपया वसूल हो रहा है इस को अगर कृषकों पर छोड़ दें इस का इमपैक्ट खेती पर क्या पड़ेगा। इस में सबसे ज्यादा दुखदायी पहलू यह है कि यह प्रदेश के हर कृषक से वसूल किया जा रहा है आया वह लाभकर जोत का स्वामी है या अलाभकर जोत का।

मान्यवर लगान जो एक विशेष टैक्स है इस के तीन पहलू हैं। लगान हर कृषक से उस की हर बिस्वा जमीन से वसूल किया जाता है आया वह उस पर काश्त करे या न करे। दूसरे जो कर शहरी क्षेत्र में वसूल किये जाते हैं वे इनकम पर वसूल किये जाते हैं। अगर कोई कारखाना बन्द हो जाय तो उससे टैक्स वसूल नहीं किया जाता है और साथ ही न्यूनतम आमदनी छोड़ते हैं, ३६,००० रु० तक आमदनी पर टैक्स नहीं लगता है। लेकिन मालगुजारी ऐसा टैक्स है जो हर किसान से बिला लिहाज कि उसने खेती की है या नहीं की है और बिला लिहाज किउसके पास कितनी भूमि है आप टैक्स वसूल करते है। इसलिये यह आवश्यक है कि आज प्रदेश के छोटे किसान को जिसकी भूमि में आज अधिक इनपुट की आवश्यकता है उस को राहत दें।

श्रीमन्, एक आंकड़ा रखना चाहता हूं जिससे जाहिर होगा कि उत्तर प्रदेश की कृषि किस कदर भूखी है हमारे अधिक धन के लिये जापान के अन्दर जहां २३३.६९ किलोग्राम पर हेक्टर फर्टिलाइजरइस्तेमाल होता है। यहां हमारे प्रदेश में २.४५ किलोग्राम इस्तेमाल होता है। अपने ही देश में अगर मद्रास, पंजाब, आन्ध्र, केरल, पश्चिमी बंगाल, महाराष्ट्र और मैसूर का मुकाबला किया जाय तो अपने प्रदेश में कहीं कम फर्टिलाइजर इस्तेमाल किया जाता है। मद्रास में जहां १४.०४ किलोग्राम पर हेक्टर फर्टिलाइजर इस्तेमाल होता है वहां उत्तर प्रदेश में केवल २.४५ किलोग्राम पर हेक्टर इस्तेमाल होता है। इसलिये आज यहां के किसान को अधिक आवश्यकता है धन की और मेरा अनुरोध है कि किसान के पास आज जो पैसा बच रहा है उसको

टैक्सेज के रूप में वसूल न करें और उसे उसके ही पास छोड़ दें इससे प्रदेश की पैदावार बढ़ेगी और प्रदेश का कल्याण होगा।

राजकीय कर्मचारियों के प्रदर्शन पर वक्तव्य की मांग

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)---

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष जी ने एक व्यवस्था दी थी कि कल जो राज्य कर्मचारियों के सम्बन्ध में मेरा नियम ५२ का प्रश्न और जिसे स्वीकार किया गया था उसके लिये यह निर्णय दिया था कि माननीय मंत्री जी आज ३ बजे वक्तव्य देंगे और उन्होंने यह भी कहा था कि कर्मचारियों के २५ तारीख के प्रदर्शन पर भी कदाचित् वह अपना वक्तव्य देंगे। लेकिन मैंने यह देखा कि अपने वक्तव्य के दौरान उस घटना के सम्बन्ध में उस प्रदर्शन का उल्लेख करते हुये उन्होंने कोई बात नहीं कही। ३ बजे माननीय मंत्री जी को वक्तव्य देने का आदेश है और अब ३ बज कर १० मिनट हो चुके हैं इसलिये मेरा निवेदन है कि मंत्री जी अपना वक्तव्य दें।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)---

जिस समय कुंवर श्रीपाल सिंह जी के प्रस्ताव पर आज विवाद होगा तो यह निहित था कि उस विवाद में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर भी जिक्र होगा और माननीय मंत्री जी अपने विचार उस पर प्रकट करेंगे। माननीय मंत्री जी अपने विचार प्रकट भी कर दिये। इसलिये पुनः उनको वक्तव्य देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद---

माननीय अध्यक्ष ने ऐसा कतई नहीं कहा। रामायण राय जी बिलकुल गलतबयानी कर रहे हैं। कल माननीय ऊदल और मेरे नाम में नियम ५२ की सूचना थी। माननीय अध्यक्ष ने उसे स्वीकार किया और वह यह समझे कि मैं नहीं हूं। भ्रम में उन्होंने यह कह दिया। आज मैंने उनको बताया कि मैं बैठा हुआ था और जब उनको याद दिलाया तो उन्होंने कहा कि टम्बेश्वर प्रसाद जी बैठे हुये थे इसलिये स्वीकार किया और ३ बजे के लिये आदेश दिया। यह बात उन्होंने कही थी कि विवाद उस समय तक चलता रहेगा, लेकिन सदन ने विवादान्त कर दिया। तोउससे नियम ५२ की स्वीकृति और वक्तव्य से कोई मतलब नहीं है जैसा कि रामायणराय जी कह रहे हैं। मैं मंत्री जी को कह भी आया था कि ३ बजे वक्तव्य देना है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---

उपाध्यक्ष महोदय, नियम ५२ की सूचना कल स्वीकार हुई थी, आप प्रोसीडिंग उठा कर देख लें। जिसके बारे में आज अध्यक्ष महोदय ने कहा कि ३ बजे मंत्रीजी वक्तव्य देंगे। उस समय तक विवाद चलता रहेगा तो उसे बीच में स्थगित करके उस पर उनका बयान होगा। अब माननीय रामायण जी बिल्कुल उल्टी बात कह रहे हैं। नियम ५२ का विषय बिल्कुल अलग है। दोनों को एक में मिलाना मैं समझता हूं मुनासिब नहीं है। पहले अध्यक्ष महोदय ने २ बजे कहा था, लेकिन माननीय शिक्षा मंत्री उस समय मौजूद थे, उन्होंने कहा था कि ३ बजे देंगे, तो अध्यक्ष जी ने कहा कि ३ बजे सही। इसलिये माननीय रामायणराय जी की बात गलत है।

श्री राममूर्ति (सामुदायिक विकास मंत्री)---

उपाध्यक्ष महोदय, वाक्यात को हेरफेर के साथ रखने की कोशिश की जा रही है। जिस वक्त यहां पर संकल्प पेश था उस समय अध्यक्ष महोदय ने यह कहा था कि चूंकि संकल्प वेतन वृद्धि के बारे में होना है, मैं चाहता हूं कि सरकार की तरफ से उस पर एक बयान हो। तो हमारी तरफ से यह कहा गया कि ३ बजे बयान देंगे। उसके बाद वह बैठ गये। कामरोको प्रस्ताव आदि के बारे में अध्यक्ष महोदय ने यह भी कहा था कि सदस्यगण प्रस्ताव देने का तो बहुत शौक रखते हैं, लेकिन जब बोलने का वक्त होता है तो यहां पर आते नहीं। तब उन्होंने कुंवर श्रीपाल सिंह जी से कहा कि जवाब दे दीजिये। उन्होंने यह भी कहा था कि १ और २ के बीच में वोटिंग नहीं हो सकती इसलिये हमें सदन स्थगित करना पड़ेगा। उस पर यह प्रश्न उठाया गया कि आप किस नियम से स्थगित कर सकते हैं। इसलिये फौरन जब कुंवर श्रीपालसिंह जी ने अपनी बात खत्म की उसी संदर्भ में कैलाश प्रकाश जी आ गये और उन्होंने अपना बयान दिया। उसके

बाद उस पर वोट भी हुआ और वह संकल्प गिर गया । अब कहां सवाल पैदा होता है कि कोई वक्तव्य दिया जाय ? इसलिये अब कोई नया वक्तव्य देने का सवाल नहीं है ।

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद---

माननीय राममूर्ति जी एक आदरणीय मंत्री हैं । अब अगर वे झूठ बात कह जायं तो मैं क्या कहूं । आप कृपया जो अध्यक्षजी ने कहा था वह मंगा कर देख लीजिये और फैसला हो जाय । माननीय मंत्रीजी के सरकारी लोग किस प्रकार असरकारी संकल्पों को दबाते हैं । हम लोग चाहते यह थे कि लगान वाला संकल्प भी पेश हो जाय । ऐसी बात नहीं थी कि विरोधी दल के लोग उस पर कुछ कहना नहीं चाहते हैं । विरोधी दल के लोग यहां बैठे थे । वह तो सरकार के लोग नाचने लगते ह जब कोई बयान देने का वक्त आता है । नियम ५२ से उसका कोई सम्बन्ध नहीं ह, यह आप देख लीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष---

एक बात सुन लीजिये । मैं प्रोसीडिंग्स मंगा रहा हूं । उसे मैं पढ़ लूंगा, तब चलने दीजिये । अध्यक्ष महोदय ने कह दिया है तो मैं उसी के ऊपर चलूंगा । जैसा उन्होंने कहा है वैसा ही होगा ।

लगान पर आपातिक अधिभार को समाप्त करने के सम्बन्ध में संकल्प (क्रमागत)

*श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संकल्प का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं जिसमें कहा गया है कि सरकार मालगुजारी तथा लगान पर लगाये गये आपातिक अधिभार को अबिलम्ब समाप्त किया जाय । सरकार ने जिस प्रकार से यह अधिभार लगाया है और जिस प्रकार से इसको वापस न लेने की जिद किये हुये है, यह उदाहरण बन जाता है इस बात का कि जब एबसोलूट पावर हाथ में आती है तो किस तरह से भले लोग गैर जिम्मेदार हो जाते हैं । मैं माननीया सुचेता जी और हुकुमसिंह जी की गणना भले आदमियों में करता हूं लेकिन उनका व्यवहार ऐसा नहीं है जो एक भले व्यक्ति से आशा की जा सकती है और उसका कारण केवल इतना है कि आज यह राजमद में चूर हैं ।

श्रीमन्, किसी भी दृष्टि से देखा जाये तो यह मांग न्यायोचित कही जा सकती है । चाहे सामाजिक दृष्टि से देखें, चाहे आर्थिक दृष्टि देखें, नैतिक दृष्टि से देखें, सरकार को इसे वापस ले लेना चाहिये । सामाजिक न्याय का तकाजा है और दुनिया में यह बात मानी गई है कि टैक्स उस पर लगना चाहिये जो देने की स्थिति में हो । बहुत सी बातें कही जा सकती हैं कि किसान की उपजाई हुई वस्तुओं का मूल्य बढ़ गया है । ठीक है । लेकिन जिसके पास पारिवारिक व्यय के बाद गल्ला बचे उसी को तो लाभ होगा । इस प्रदेश में कितने ऐसे किसान हैं जिनके पास अपने परिवार के व्यय के बाद अधिक गल्ला बचता हो ? अगर गल्ले की बचत न होती हो तो फिर गेंहू चाहे ४० रुपये मन बिके या १०० रुपये मन बिके, वह तो दरिद्र का दरिद्र ही रहेगा ।

माननीय ग्राइस साहब ने शिकायत की है कि ग्रामीण जनता के ऊपर शहरी जनों के मुकाबले में टैक्स बहुत कम है । डाक्टर के० आर० वी० राव ने अपनी पुस्तक इंडियन टैक्स स्ट्रक्चर एण्ड इकोनोमिक डेवलपमेंट में लिखा है कि—

"It may also be noted that although rural income in proportionate terms has declined somewhat from 69.81 per cent of National Income in 1951-52 to 68.31 per cent in 1957-58, rural tax incidence has gone up from 50.4 per cent to 53.2 per cent to total taxes".

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हिन्दी अनुवाद इस तरह से है कि ग्रामीणों की आमदनी घटकर राष्ट्रीय आय में ६९.८१ प्रतिशत से ६८.३१ प्रतिशत हो गई है फिर भी टैक्स ५०.४ प्रतिशत से बढ़कर ५३.२ प्रतिशत हो गया है ।

दूसरी बात शहर के लोगों को सोचनी चाहिये कि माननीय शिवराजसिंह जी ने कहा कि एक ग्रामीण की आमदनी नागरिक के मुकाबले में २९ परसेंट है तो कैसे वह शहरी के बराबर टैक्स दे सकेगा । जितने इनडायरेक्ट टैक्स वगैरा है वह तो किसान को खरीदारी करने पर देने ही पड़ते हैं सिर्फ डायरेक्ट टैक्स का प्रश्न है । जब तक उनकी आमदनी इतनी नहीं हो जाती है टैक्स नहीं लग सकता । यह गांव वालों पर ही अन्याय है, यह खेती करने वालों पर ही अन्याय है कि चाहे उनकी आमदनी कुछ भी न हो, लेकिन उन पर टैक्स लगता है ।

एक बात यह कही गयी कि प्लानिंग के लिये रुपया चाहिये, लेकिन इस प्लानिंग का नतीजा क्या निकला ? यदि आपकी प्लानिंग के कार्यक्रम के फलस्वरूप किसानों की आमदनी बढ़ी होती तो ठीक था आप टैक्स लगाते । लेकिन यह बात ठीक है जैसा कि अभी शिवराज सिंह ने कहा कि १५–२० वर्षों से जो प्लानिंग चल रही है उससे गांव वालों की आमदनी में कोई फर्क नहीं पड़ा है। ऐसे कार्यक्रम से जिनके द्वारा आमदनी में कुछ वृद्धि न हुई हो, उनके नाम पर उन पर टैक्स लगाना उनके साथ अन्याय है। आर्थिक दृष्टि से यदि आप देखें, दूसरों देशों के सभी लोग मानते है कि खेती में पूंजी लगाने की जरूरत है और इसीलिये किसानों को कर्जा तकावी, छूट और सहायता आदि दी जाती है । तो यह कौन सी बुद्धिमानी है कि एक तरफ तो मालगुजारी बढ़ाई जाय और दूसरी तरफ भ्रष्ट अधिकारियों के हाथों से उन्हें तरह तरह की सहूलियतें पहुंचाने का प्रयत्न किया जाय, जिस का आधे से भी अधिक भाग भ्रष्ट अधिकारियों की जेबों में चला जाता है । मैं समझता हूं कि यह धन का एक बहुत बड़ा दुरुपयोग है और किसानों के हित के साथ खिलवाड़ है ।

श्रीमन्, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस अधिभार को लगाये रहना नैतिक दृष्टि से भी बिलकुल अनुचित है । आरम्भ से अबतक की बातों की तरफ मैं खास करके मुख्य मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि सन् १९०३ में कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पास किया था कि अलाभकर जोतों पर लगान नहीं लगाना चाहये था । कांग्रेस ने इसी प्रकार के प्रस्ताव १९०६, १९०८, १९०९, १९११, १९१३, १९१४ में भी पास किये थे और फिर अंतिम बार १९३१ में भी उसने इसी आशय का एक प्रस्ताव पास किया था कि जिनके पास अलाभकर जोत हैं उनकी मालगुजारी कम होगी और अंत में मेरे सामने एक एग्रेरियन रिफार्म कमेटी की रिपोर्ट है उसमें कहा गया है कि "लगान का उचित सिद्धान्त यह होना चाहिये कि लगान के रूप में काश्तकार को केवल उस रकम का एक अंश देना पड़े, जो अपने निजी और पारिवारिक खर्चों तथा उत्पादन का लगान खर्च पूरा करने के बाद उसके पास बच रहे । यह अत्यावश्यक है कि लगान के मौजूदा बोझ को घटाया जाय और अलाभकर आराजियों को लगान से बरी कर दिया जाय।"

श्रीमन्, यदि इस सिद्धान्त पर यह सरकार अमल करती तो हमको इससे कोई शिकायत नहीं होती, लेकिन अपने ही सिद्धान्तों का परित्याग करके यह सरकार मालगुजारी बढ़ा रही है। इसने जो वायदा किया था कि ४० वर्षों तक लगान में कोई वृद्धि नहीं होगी, उसे तोड़ा है। सरकार ने विरोधी दल के नेताओं को इस सम्बन्ध में जो आश्वासन दिया था उसको भी वह तोड़ रही है, यदि वह इसे वापस नहीं लेती है ।

आपातकालीन स्थिति की बात कही जाती है । एक तो यह कैसा आपातकाल है समझ में नहीं आता है, जिसमें चुनाव लड़े जाते हैं और एक-एक चुनाव में लाखों रुपये खर्च किये जाते हैं, अगले चुनाव की तैयारियां जोरों से हो रही है, मिनिस्टर्स और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी के वेतन बढ़ाये जा रहे हैं । उनके लिये कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सिर्फ मालगुजारी छोड़ने के लिये आपातकाल है । मैं जानना चाहता हूं कि आखिर आप क्या कर रहे हैं ? आप पाकिस्तान और चीन से युद्ध की तैयारी कर रहे है, जिस कर्त्तव्य को आपने १५–२० वर्षो में पूरा नहीं किया उसे अब आप एक दम से पूरा कर रहे हैं जो कर्त्तव्य किसी भी देश का एक प्रारम्भिक और बुनियादी कर्त्तव्य हुआ करता है । उस कर्त्तव्य के प्रति भी आप सोये रहे अबतक और अभी तक नहीं

[श्री भानुप्रतापसिंह]

किया है। क्या संयुक्त राज्य अमेरिका युद्ध की तैयारी नहीं करता है? अपने देश की सुरक्षा का प्रयत्न नहीं करता है? करता है वह भी करता है, लेकिन वह आपकी तरह ऐसा करने में संविधान को निलम्बित नहीं करता है। आपातकालीन स्थिति के नाम पर वह जनता को मिले हुये मूलाधिकारों का हनन नहीं करता है।

आपने बहाना बना रखा है मनमानी करने के लिये। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर कितना धन आपको मिलना है? यह सिर्फ ५ करोड़ के लगभग बताया गया है। ३ सौ करोड़ के लगभग आपका बजट है। इसमें इस ५ करोड़ की हैसियत क्या है? अगर इनकी नीयत दुरुस्त होती तो खर्च में कमी करके इसको किया जा सकता था। मैं तो यह भी कहने के लिये तैयार हूं कि युद्ध के खतरे की बात कह करके और प्रदेश की जनता को भयभीत रखकर अपने काल्पनिक प्लान्स को चलाने के लिये धन एकत्रित किया जा रहा है और वह प्लान्स भी कैसे? तीसरी पंचवर्षीय योजना के नतीजे सामने हैं। राष्ट्रीय आय में ३० फीसदी बढ़ाने का आपका लक्ष्य था केवल १७ फीसदी बढ़ सका है। क्या साधन में कमी पड़ी, विदेशों से कर्जा कम मिला नहीं? तीसरी पंचवर्षीय योजनाकाल में केवल २२ सौ करोड़ रुपये को एकत्रित करने का लक्ष्य था लेकिन उसकी तुलना में २७ सौ करोड़ आप एकत्रित कर चुके हैं। जितना आपको विदेशों से कर्जे का लक्ष्य था उससे ज्यादा आपको मिला है। जितना डेफिसिट फायनेंसिंग का आपका लक्ष्य था उससे ज्यादा आपने उसे किया। तो अगर तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल हुई है तो उसका कारण बिलकुल आपकी अकर्मण्यता और गलत प्लानिंग है। और फिर उसी प्लान्स के लिये आप किसान से कह रहे हैं कि टैक्स देते रहो। एक बार हम लोग मुख्य मंत्री से वार्ता कर रहे थे इसी विषय पर और मुख्य मंत्री ने कहा कि हमें किसान कहता नहीं है कि मालगुजारी बढ़ाये जाने से तकलीफ है। उस पर मैंने कहा कि आखिर जो यह जनता के चुने हुये प्रतिनिधि है क्या इनकी बातों पर आपको विश्वास नहीं है। आखिर किस प्रकार से किसानों की आवाज आपके पास पहुंचेगी। विरोधी पक्ष का एक-एक सदस्य कहता है कि इसको वापस ले लो और अगर आप में साहस हो तो अपने दल की ही बैठक बुलाकर देख लो उसमें भी आपसे कहा जायगा कि इसको वापस लो फिर भी आप कहते है कि किसान आपसे नहीं कहता। मैंने कहा कि १ लाख किसानों ने हमारी पार्टी के कार्यकर्त्ताओं के द्वारा हस्ताक्षर करके विरोध पत्र भेजा। आपकी सेवा में वह प्रस्तुत किया गया तो इसका उत्तर एक मंत्री जी ने यह दिया कि कम कराने के लिये कितने ही हस्ताक्षर कराये जा सकते हैं। बात सही है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यह अधिकार टैक्स लगाने का आपको कहां से मिला है? किसान ने ही आपको यह अधिकार दिया है। जिस दिन किसान चाहे कि वह लगान न दे उस दिन उससे आप टैक्स ले नहीं सकते हो। लेकिन यह उसके अधिकारों की अवहेलना है कि हस्ताक्षर कराके आपके सामने रखे जावें तो आप कह दें कि यह कोई बात नहीं है। तो मैं पूछता हूं कि आप क्या दूसरे प्रदेशों में हाल में हुये दंगों, आन्दोलनों, भूख-हड़तालों की ही भाषा समझते हैं? आप विपक्षियों पर आरोप लगाते है कि ये राष्ट्रीय संकट के समय में अराजकता फैला रहे हैं। लेकिन इसके फैलाने की जिम्मेदारी किस पर है? कोई मांग मामूली सी सामने रखी जाती है जिससे कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होने वाला है जिसको आप भी मानते हैं उधर के बैठने वाले भी मानते है कि न्यायोचित है तो फिर आप पालिटिक्स में एक्स्टीम एलीमेंन्ट जो देश की अराजकता से लाभ उठा सकते हैं उनको आप आवेश देते हैं कि वे समाज में और जनता में लोकप्रिय बन सके।

श्रीमन्, यद्यपि मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता कि सरकार को और पैसा दिया जाय और वह फिजूल खर्ची करे और उसके गलत नतीजे निकलें लेकिन फिर भी अगर उसको पैसे की भूख है तो उससे बार बार यह बात कही जाती है कि हमको आल्टरनेटिव बतलाइये। हम अगर और कोई सलाह सरकार को देते हैं तो वह उस को सुनती नहीं। हमने कहा कि शहरों में जिस जमीन से मूल्य वृद्धि के कारण लोग मुनाफा उठा रहे हैं उस पर टैक्स लगायें! इस पर हर बार कहा गया कि विचार किया जायगा लेकिन १९६२ से आज तक इस पर विचार हो रहा है और उस विचार का क्या परिणाम निकला इसका हमको पता नहीं है। उनके ऊपर टैक्स लगाये

तो सरकार को पैसा मिल सकता है ।

इसी प्रकार से सरकार के कारोबार जो घाटे में चल रहें हैं सरकारी कृषि फार्म जो घाटे में चल रहे हैं उनको आप जनता के हाथ बेंच डालें आज ५० हजार एकड़ जमीन पर उत्तर प्रदेश की सरकार फार्मिंग कर रही है उसमें प्रति वर्ष लाखों रुपया घाटा हो रहा है। एक तरफ तो सरकार उस फार्मों को स्थापित करने में टैक्स लगा रही है और दूसरी तरफ उन फार्मों के घाटे को पूरा करने के लिये भी टैक्स लगाये जा रहे है। तो क्या यह बुद्धिमानी का रास्ता नहीं होगा कि इस सारी जमीन को बेच दिया जाय ? आपत्कालीन स्थिति में क्या इस प्रकार के कदम उठाना उचित नहीं होगा ? जो फार्म हर साल घाटे में चल रहे हैं उस घाटे से बचने के लिये उनको दूसरों के हाथ बेच दिया जाय। इससे किसानों को जो तकलीफ है उसमें उनको राहत मिलेगी और यह राहत आप उनको दीजिये। यद्यपि मैं माल-गुजारी में सवाई वृद्धि के विरोध में हूं फिर भी एक अवसर ऐसा आया जिसका हवाला हमारे मित्र शिवराज सिंह जी ने दिया कि कृषक समाज में जब एक ऐसा प्रस्ताव आया तो उसमें एक संशोधन रखा गया कि सिर्फ ६। एकड़ से नीचे वाले काश्तकारों का सवाई लगान वापस कर दिया जाय तो मैं इसको मानने के लिये तैयार नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने ऐसा कहा कि बहुत छोटी मांग और इस जायज मांग को सरकार के सामने रखना चाहिये । वह संशोधन का प्रस्ताव मान लिया गया। अब अगर इस ६। एकड़ की बात को माननीय मुख्य मंत्री जी मान लें तो इससे ८६ फीसदी काश्तकारों को राहत मिल जायगी। बड़े काश्तकारों पर आप टैक्स लगायें। वे दे सकते हैं और वे अदा करने की स्थिति में है, लेकिन ६। एकड़ को आप राहत देते हैं तो वह ८६ फीसदी काश्तकारों को राहत मिलेगी। आपको केवल २,२। करोड़ रुपये का नुकसान होगा। हमारे यहां ६। एकड़ से नीचे वाले काश्तकार जो कुल आराजी रखते है वह ४०,४२ प्रतिशत हैं इसलिये आपको ५ करोड़ का ४०,४२ फीसदी घाटा होगा। सिर्फ २, सवा २ करोड़ का नुकसान होगा लेकिन खुशी जो होगी वह ८६ फीसदी काश्तकारों को होगी। मैं तो नहीं समझ पाता हूं कि अगर सरकार जरा भी काश्तकारों के हित में सोचती है तो इस पर विचार नहीं करेगी। यह तो इतनी छोटी सी मांग है जिसमें केवल २ करोड़ का प्रश्न निहित है। मैं नहीं समझ पाया कि इसको क्यों नहीं स्वीकार किया गया। मेरी समझ में यह बात आई को यहां पर प्रतिकूल बातों का सरकार के लिये कोई मूल्य नहीं होता है। सरकार के इस प्रकार के बरतावे के कारण यदि प्रदेश में किसी प्रकार से अराजकता उत्पन्न होती है तो इसकी जिस्मेदारी इस सरकार के ऊपर होगी ।

(श्री नवलकिशोर का नाम पुकारे जाने पर)

श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)—

श्रीमन् आपने कहा था कि बाद में तुमको समय मिलेगा। तो क्या अब मुझे नवलकिशोर जी के बाद समय देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

आपको समय मिलेगा। आप बैठिये ।

राजकीय कर्मचारियों के प्रदर्शन के विषय पर वक्तव्य की मांग (क्रमागत)

(श्री टम्बेश्वरप्रसाद के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

एक तरफ कहा जाता है कि वक्तव्य की जरूरत नहीं है और दूसरी तरफ से कहा जाता है कि नहीं कहा गया था और मुझे इत्तला मिली है कि अध्यक्ष ने ऐसी बात कमरे में कही थी । तो मैं कोई फैसला इस समय नहीं देना चाहता ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

मेरा एक निवेदन है । मंत्री जी ने कमरे की बात नहीं कही।

श्री उपाध्यक्ष—

११ तारीख को अध्यक्ष के सामने यह मामला आयेगा, और अगर वह [illegible] तो उसी दिन [illegible] हो जायगा ।

[लगान पर आपातिक अधिभार को समाप्त करने के सम्बन्ध में संकल्प (क्रमागत)

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली) —

श्रीमन्, यह जो प्रस्ताव प्रस्तुत है उसके सम्बन्ध में अधिक भाषण सुनने का मौका मुझे नहीं मिला, लेकिन मैंने माननीय भानुप्रताप जी के भाषण को ध्यानपूर्वक सुना और उनको सुनने के बाद ही यह मुझे इच्छा हुई कि मैं भी अपने कुछ विचार व्यक्त करूं। मान्यवर, इससे पहले दो प्रस्ताव इसमें और भी हैं जो विरोधी पक्ष की ओर से दिये गये हैं। पहला तो यह कि उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता कास्ट आफ लिविंग इंडेक्स के आधार पर, जैसे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को दिया जाता है, दिया जाना चाहिये और दूसरा है कि केन्द्रीय सरकार से सिफारिश की जाय कि प्रदेश में गन्ने का दाम ३ रुपये और चीनी का दाम ४८ रुपया कर दिया जाय। मैं इन दोनों प्रस्तावों के साथ इस प्रस्ताव को भी लेता हूं ताकि सही स्थिति सदन में सामने रखी जा सके।

विरोधी पक्ष चाहता है कि उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को उसी आधार पर महंगाई भत्ता दिया जाय जिस आधार पर केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को दिया जाता है। मुनासिब बात है और इस में कोई दो रायें नहीं हो सकती, लेकिन यह जो महंगाई भत्ता है उस के लिये पैसा कहीं से तो आना ही है और माननीय भानुप्रताप जी मुझ से ज्यादा जानते हैं कि जो पी० आर० सी० की रिपोर्ट आयी है उसके आधार पर इस साल २३ करोड़ रुपया सरकार पर एडीशनल खर्चा पड़ेगा और अगले ५ सालों में कुल ११७ करोड़ रुपया खर्च होगा जिसमें केन्द्र से ८३ करोड़ मिलेगा और उत्तर प्रदेश सरकार को ३४ करोड़ रुपया देना पड़ेगा जब कि महंगाई भत्ते की मांग अभी तक कायम है। यदि माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात को मान लें तो मुझे विश्वास है कि कम से कम ७, ८ करोड़ रुपये का एडीशनल खर्च और उत्तर प्रदेश सरकार पर पड़ने वाला है। तो यह दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकतीं। चार आने की लगान में वृद्धि भी वापस कर ली जाय और महंगाई भत्ता भी बढ़ा दिया जाय, यह दोनों बातें कंटेडिक्टरी हैं। यद्यपि मैं किसी की नीयत पर शक नहीं करता, वह मेरी आदत नहीं है, लेकिन ऐसा मालूम होता है कि चूंकि आम चुनाव नजदीक आ रहे हैं इसलिये इस तरह की बातें हो रही हैं जो कि पोलिटिकल ज्यादा हैं उनका असली मंशा कुछ दूसरा ही है।

दूसरी बात यह है कि आप चाहते हैं कि गन्ने की कीमत ३ रुपया मन हो जाय लेकिन लगान २५ परसेंट न बढ़ाया जाय। यह कहां तक वाजिब है? (व्यवधान) यह तरीका गलत है। तीन रुपया गन्ने की कीमत बढ़ जाय, लेकिन चार आना फी पया लगान का न बढ़े। एक बात और कहना चाहता हूं भानु प्रताप जी से। १९३६ या ३७ में जिस समय सेटिलमेंट हुआ था उस समय यह तय हुआ था कि जो प्रोड्यूस होगी उसका एक बटा पांच बतौर लगान के लिया जायगा और ३७-३८ के मुकाबले कीमतें कम से कम पांचगुनी जरूर हो गयी हैं यानी लगान तो चार परसेंट ही रहा। ३७-३८ में जो उसूल तय हुआ था कि प्रोड्यूस का २० परसेंट लगान होना चाहिये तो उसे देखते हुए आज जब कीमतें पांच गुनी बढ़ गयी हैं, उसके हिसाब से यह चार परसेंट लगान बहुत कम बैठता है। अगर चवन्नी बढ़ा दो तो ५ परसेंट हो गया। तो इस तरह १९३७-३८ के लगान से आज चौथाई लगान है जिसके ऊपर इतना शोर मचा रहे हैं। अगर भानुप्रताप जी कोई लाजिकल बात कहते तो मैं खड़ा ही न होता बोलने के लिए, लेकिन इस तरह से सेंटिमेंट्स उभारने से काम बनने वाला नहीं है।

भानुप्रतापसिंह जी ने कई दलीलें दीं और उन्होंने सारे टैक्सेशन स्ट्रक्चर को डिस्कस करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि इंडायरेक्ट टैक्सेशन बहुत हो जाता है। आप जानते हैं कि इंडायरेक्ट टैक्सेशन का कायदा यह है कि जिस इंसान का जैसा जीवन स्तर होगा, जैसी नीड्स होंगी उसके हिसाब से टैक्सेशन बढ़ेगा। ऊंची आमदनी वाले पर ज्यादा टैक्स पड़ेगा, कम आमदनी वाले पर कम पड़ेगा। मैं अदब से यह कहना चाहता हूं कि मैं लैंड रेवेन्यू को टैक्सेशन

नहीं मानता जिस माने में कि वर्ड टैक्सेशन, इस्तेमाल होता है। लैण्ड रेवेन्यू में आप देखें कि काश्तकार जमीन को इस्तेमाल करता है, उसको बतौर एक लोज आप कह सकते है, लेकिन ऐग्रीकल्चरल इनकम टैक्स कोई नहीं है। जिस समय सीलिंग हुई तो ऐग्रिकल्चरल टैक्स वापस कर दिया। (व्यवधान) खैर, अगर लगा भी तो ४० एकड़ वालों से ऊपर पर लगेगा जो कि केवल ८ परसेंट बैठते हैं, ९२ पर सेंट पर नहीं आता, भानुप्रताप सिंह भले ही आ जायं उसमें तो जो एक रुपया लगान देता है उस पर चवन्नी पड़ती है, ५ रुपया देता है तो सवा : पड़ेगा। सीधी सी बात है।

एक बात यह कही गयी कि सरकार अगर अपने फार्म बेच दे ४–५ हजार एकड़ वाले। ठीक है, बेच दीजिये, लेकिन खरीदने वाला भी कोई हो ?

श्री भानुप्रतापसिंह—

सीलिंग कानून तोड़ दीजिये, खरीदने वाले मिल जायंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

दूसरों को भी जरा सुनिये।

श्री नवलकिशोर—

भानु प्रतापसिंह जी ने कहा कि सीलिंग तोड़ दें तो आपको जमीन मिल सकती है। यह इतना बड़ा 'इफ' है! यहां तो एग्जिस्टिंग कंडीशंस की बात है और उसमें सवाल खरीदारों का है।

एक बात यह कही गयी कि नैतिक स्तर पर भी इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। मुझे याद है, मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि चूंकि इमरजेंसी है, हम उसमें ४ आना बढ़ाना चाहते हैं और इसलिए कहा था कि बोर्डर पुलिस की जरूरत पड़ेगी, होम-गार्ड्स की जरूरत पड़ेगी, सिविल डिफेंस की जरूरत पड़ेगी इससे कुल ५ करोड़ की आमदनी होगी, लेकिन ५ करोड़ से होता क्या है ? अभी तो इमरजेंसी भी विद्ड्रा नहीं हुई है। पाकिस्तान के एक महीने के ऐग्रेशन में ५०० करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ। यह कम्पेंसेशन कहां से होगा ? एक तरफ तो हम कहते हैं कि भारत माता की एक इंच जमीन भी नहीं देंगे और चवन्नी के लिए इस कदर झगड़ा। (व्यवधान) अगर मेरे दोस्त यह साबित कर दें कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने ३१ लाख टैक्स किसी पर माफ किया तो आई ऐम दि फर्स्ट मैन टु कंडेम दिस गवर्नमेंट।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं यह चाहता हूं कि जब बोलने वाले बैठ जायं तब आप बोलें। हर माननीय सदस्य को बोलने का अधिकार है और सबको सुनाने का अधिकार है। आपको सुनना चाहिये।

श्री नवलकिशोर—

अभी तो मैंने एक ही बात कही। दूसरी बात तो मैं कहने वाला था। मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश की ही सरकार जिम्मेदार नहीं है। अगर केन्द्रीय सरकार जांच करने को तैयार हो तो मैं आपके साथ हूं। अगर किसी पूंजीपति का रुपया गलत ढंग से माफ किया गया हो तो वह माफ नहीं होना चाहिये।

श्री भानुप्रतापसिंह—

क्या सरकार को पता नहीं है कि रामरतन गुप्ता पर ३१ लाख रुपया बकाया है और उसका सूद भी नहीं लिया जा रहा है ?

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य जब बोल रहे हों तब आप न बोलें। वे जब बोल चुकें तब ही आप बोलें।

(व्यवधान)

आप सब बैठिये। जब तक वे खड़े हैं तब तक आप नहीं बोल सकते हैं।

श्री नवलकिशोर—

माननीय, मैं तो यह कह रहा था कि मैं तो यहां का एक अदना मेम्बर हूं। आपने यह फरमाया कि इतना रुपया बकाया है और उसका सूद भी अदा नहीं हो रहा है। मेरे पास सही जवाब नहीं हो सकता है पर जहां तक मेरी मालूमात हैं रुपया उन पर हो सकता है पर सूद नहीं। किसने कह दिया कि सूद माफ कर दिया जाय।

(बांकेलाल जी के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

यह इन्टरप्शन का कायदा नहीं है बांकेलाल जी, जरा सा डिकोरम तो रखिये हाउस का।

श्री नवलकिशोर—

माननीय, मैं यह अर्ज कर रहा था कि कोई आदमी डिफाल्टर हो या न हो, पैसा वसूल करने की जिम्मेदारी सरकार की है। मेरी यह मालूमात नहीं है कि किस पर पैसा बकाया है। इसके अलावा, यह जो प्लानिंग की बात कही गई, शायद भानुप्रताप जी को याद होगा, कि पहली प्लान हैं १५३ करोड़ की थी और दूसरी प्लान २५३ करोड़ की थी और तीसरी प्लान ७५० करोड़ से भी ज्यादा की बनाई गई थी, शायद ९०० करोड़ की बनाई गई थी। देहली गये तो पूछा कि आपके रिसोर्से क्या हैं, उत्तर प्रदेश ने कितना पैसा इकट्ठा किया है। उन्होंने यह कहा था कि आबादी के लिहाज से पैसा नहीं मिलता है। जो स्टेट जितने रिसोर्सेज को डेवलप कर लेती है उसके हिसाब से पैसा मिलता है। तब बड़ी मुश्किल से ४९७ करोड़ का प्लान पास हुआ। यह खुशकिस्मती की बात है ५०-५५ करोड़ रुपया हमने अधिक खर्च कर लिया। अब यह पैसा कहां से आये? जब रुपया कहीं से आने की बात होती है तो माननीय भानुप्रताप सिंह जी रोड़ा अटकाते हैं।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)

लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ? इस रुपये का हो क्या गया?

श्री नवलकिशोर—

दो लड़कों में इस बात पर लड़ाई हो गयी कि ६ और ५ ग्यारह होते हैं या बारह। और शर्त यह हुई कि जो हार मान जायगा वह आधी जायदाद देगा। जिस लड़के ने ६ और ५ बारह होते हैं कहा था उसके बाप को बड़ी फिक्र हुई। लेकिन लड़के ने कहा कि यह तो मानने की बात हुई है। मैं मानूंगा ही नहीं कि ग्यारह होते हैं तब कैसे मुझे हरा देंगे। इसी कार आप अगर कोई बात समझना ही नहीं चाहेंगे तो किस प्रकार से समझा दिया जायगा।

माननीय, चौथी प्लान बन रही है। अभी उसकी पूरी रूपरेखा तैयार नहीं हुई है लेकिन उसके लिये भी साधन हमें मुहैय्या करने होंगे, यह निश्चित है। मैं माननीय भानु प्रताप जी से कहूंगा कि वे अपने सेंटीमेंट्स को छोड़ कर उनकी जो रीजनिंग की केपेसिटी है उससे जरा सोचें कि क्या वह वाकई अपने प्रदेश का हित चाहते हैं। मान लीजिये हमारी प्लानिंग में कोई कमी है, आप उसकी क्रिटिसाइज कीजिये, हम उसका बुरा नहीं मानते, लेकिन उसके बहाने से अगर आप यह कहें कि प्लानिंग ही बन्द कर दी जाय तो यह बात मुनासिब नहीं होगी। हो सकता है कि यहां बैठने का आप को भी मौका मिले और आप उसको यहां आकर स्कैप कर दें, लेकिन इस प्लानिंग की आड़ में आप अपने विचारों को कपड़े में सपेट कर पेश करना चाहें तो यह ठीक नहीं है। कपड़े में लपेट कर नहीं बल्कि साफ-साफ आप अगर अपने विचार प्रकट करना चाहते हैं तो नंगे विचार प्रकट कीजिये। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप को जो साधनों की आवश्यकता होगी वह साधन कहां से आयेंगे?

आपने एक बात कही कि अनएकोनोमिक होल्डिंग्स पर लगान नहीं लगना चाहिये। यह तो एक बेसिक ईश्यू है। इस समय तो केवल इतना ईश्यू है कि यह २५ फीसदी हटाया जाय या न हटाय जाय। हमारी प्लान इस साल १३४ करोड़ की है। अगर इमरजेंसी न होती तो २१० करोड़ की कम से कम होती। ७६ करोड़ इसमें से कट गया। यह क्यों कट गया? यह ५०० करोड़ जो पाकिस्तान के फ्रन्ट पर नुकसान हो गया इसलिये कट गयी। यह भी सत्य है कि इमरजेंसी अभी विदड्रा नहीं हुई हैं। कभी-कभी हमारे भाई प्रश्न पूछ बठते हैं कि यू० पी० तिब्बत बार्डर पर क्या हो रहा है। आप यह भी कहते हैं कि ताशकन्द के बावजूद भी पाकिस्तान के कारनामे अच्छे नहीं हैं। चीन भी इधर उधर हरकतें करता रहता है। ऐसे मौके पर इमरजेंसी को न मानना संजीदगी की बात नहीं है। सही माने में इमरजेंसी कंटीन्यू करती है, सही मानों में बार्डर पर खतरा बना हुआ है, उसके लिये हमें प्रीकाशन की आवश्यकता है। अच्छा होता यदि भानुप्रतापसिंह जी देश की स्वतंत्रता के नाम पर इस प्रकार के विचार प्रकट न करते।

मैं आखिर में एक ही बात कहूंगा कि उन्होंने जो कहा कि आप पौने पांच करोड़ रुपये का अधिभार हटाकर किसानों की सद्भावनायें लीजिये तो मैं उनको यकीन दिलाता हूं कि अगर १०० प्रतिशत उनकी सद्भावनायें किसानों के लिये हैं तो उनसे कम ९९.९ मेरी भी हैं, एक प्वाइंट का मैं उन्हें मार्जिन देता हूं। मैं समझता हूं कि किसानों को इस पर कोई आपत्ति नहीं है, उनको आपत्ति इसमें हो सकती थी कि इस पैसे का इस्तेमाल गलत किया गया और इसमें मैं सौ प्रतिशत आपके साथ हूं कि हर तरह की एक नामी शासन के व्यय में होनी चाहिये। मुझे खुशी है कि इस सरकार का ध्यान एकनामी की तरफ गया है और ठीक कदम भी इस दिशा में उठाये गये हैं और कम्युनिटी प्रोजेक्ट और विकास मंत्रीने बहुत से कदम अपने यहां इस दिशा में उठाये हैं और वह मुबारकबादी के पात्र हैं। लेकिन हमें यह देखना होगा कि अगर हमें यह विकास के कार्य करने हैं सिविल डिफेंस की समुचित व्यवस्था करनी है तो हमें केवल वोट को लक्ष्य न बनाकर यहां ५ करोड़ से भी अधिक कर लगाने होंगे।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय नवलकिशोर जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने काफी अच्छे तरीके से गवर्नमेंट की वकालत की जिस तरह से कि माननीय कन्हैयालाल जी मिश्र करते हैं। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं रहा कि क्या बात सही है और क्या गलत है उन्हें तो केवल वकालत करने से ही मतलब रहा और हर चीज को सरकार की सही दिखाने में ही उन्होंने अपनी शान समझी। वेतन भी उन्हें इसी बात का मिलता है।

यह जो लगान का प्रश्न है यह एक सैद्धान्तिक प्रश्न है, जितनी बातें कही गई हैं उन बातों से ऐसा लगता है कि कुछ अधिक साधन इकट्ठा करने के लिये यह कर लगाया गया था, लेकिन उसके पीछे सिद्धान्त क्या है इस ओर किसी का ध्यान नहीं गया। जब वह सन् ३६–३७ की बात करते हैं तो कांग्रेस की हुकूमत बनने से पहले सन् ३७ में सभी लोग किसानों में प्रचार किया करते थे और मुझे याद है कि एक गीत गाया जाता था कि—

"दुख किसानों तुम्हारे मिटा देंगे हम,
जो मुसीबत पड़ेगी उठा लेंगे हम,
लगान आधा तुम्हारा करा देंगे हम।"

यह गाना टोलियों में गाया करते थे। पता नहीं उस जमाने में बैजनाथ सिंह जी कांग्रेस में थे या नहीं, लेकिन लोग उस जमाने के कहते हैं कि हम लोग टोलियों में निकल कर किसानों के बीच यह गीत गाया करते थे। यह सन् ३६–३७ की उस समय की बात है जब कि हमने २० प्रतिशत पैदावार का लगान के रूप में स्वीकार करने का सिद्धान्त स्वीकार किया था।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

वही असली गाने थे।

श्री उपाध्यक्ष---

आप बैठें।

श्री हरीशकुमार गंगवार---

आज का कांग्रेस संगठन जिस बात को कह रहा है और जो उनका घोषणा-पत्र है उसको माना जाय या यह सही माना जाय कि २० प्रतिशत लगान होना चाहिये ? मैं इस सब के अन्दर नहीं जाता लेकिन एक बात कहूंगा कि आज देश में गल्ले की कमी है और हमें गल्ला अधिक पैदा करना है। जिन उद्योग धंधों से हमें अच्छी उपज लेना होती है उन्हें हम अधिक सहूलियतें देते हैं। इसी तरह से आज जरूरत है कि किसानों को भी हम अधिक सहूलियत दें ताकि वह अधिक से अधिक मशक्कत कर के अधिक से अधिक गल्ला पैदा करें। और वह तभी होगा जब हम अधिक से अधिक उस का पक्ष करेंगे, सुविधायें ज्यादा देंगे, परेशानियों में कम डालेंगे। जब तक हम यह नहीं करेंगे तब तक किसान पैदावार बढ़ाने में अपना मन नहीं लगा सकता है। श्रीमन्, एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं, जब मैं रिहन्द की ओर गया था पिछले साल तो बिड़ला की वहां अल्मुनियम फैक्ट्री है। हमने देखा कि जब कि बिजली की दर दूसरों के लिये महंगी है, १० २० गुना है, उस अल्मुनियम फैक्ट्री के लिये पौने दो पैसा प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली उपलब्ध करायी जाती है, यानी लागत से सस्ती। लागत आती है १.९९ के करीब और दी जाती है पौने दो पैसा प्रति यूनिट के हिसाब से। तो हमने पूछा कि यह आप क्यों कर रहे हैं? तो कहा कि अल्मुनियम की फैक्ट्री को या दूसरे उद्योगधंधों को हमें ज्यादा सहूलियतें देनी हैं और इसलिये एक बार लागत से भी कम खर्च पर देनी पड़े तो वहां सहूलियत देंगे जिससे उद्योगधंधे प्रदेश में लगें। तो जब आप एक पूंजीपति को उद्योग लगाने के लिये लागत मात्रा से कम पर बिजली दे सकते हैं तो कौन सा कारण है कि आप किसान को सहूलियत नहीं दे सकते हैं ? लगान कम नहीं कर सकते हैं ?

हम किसान का लगान घटाने की बात सिद्धान्त के रूप में कह रहे हैं, किसान की सहूलियतें कम हो रही हैं, जितनी सहूलियत आप देने की बात करते हैं, कभी खाद, कभी बीज, कभी तकाबी की बात करते हैं, कभी ट्यूबवेल बनाने के लिये साधन मुहैया करते हैं, कभी बिजली देते हैं और अगर इन सबका एक जायजा लिया जाय तो आप देखेंगे कि इस कदर मुसीबत में किसान फंस गया है कि जितनी सहूलियत उस को दी जा रही है उतनी ही मुसीबत में वह फंसता जा रहा है। बीज भंडारों के सुपरवाइजर कितना बीज देते हैं? दो बोरा लिखा हुआ है लेकिन तौल में डेढ़ बोरा बैठेगा और उस पर भी पैसे चलते हैं वसूलयाबी में तकलीफ पैदा की जाती है। ऐसे ही खाद की बात है। खाद चाहिये कोई और, दी कोई और ही जाती है, समय पर नहीं दी जाती है, पैसे सख्ती से वसूल किये जाते हैं। कोई टयूबवेल या कुआं बनाया उसमें अगर कोई सबसिडी देने की बात हो तो अगर कोई पैसा सुपरवाइजर को या सी० डी० आई० को न दें तो तकाबी नहीं मिल सकती। सरकार का ध्यान इस ओर जाय, वह देखे यह जो गन्ना विभाग काश्तकारों की सहूलियत के लिये बैठाया गया है वह तकाबी देते समय कितने फीसदी स्वयं वसूल कर लेता है। तो जो-जो सुविधाय आप देना चाहते हैं उनसे और असुविधाय पैदा हुई हैं। किसान कठिनाई में पड़ता है। तो आप इस हालत में किसान से ज्यादा गल्ला पैदा करने की बात नहीं कर सकते हैं। किसान की पैदावार घटी है इसको इकोनोमिस्ट मानते हैं और आप के सामने कह रहे हैं उनकी बात को हमें मानना ही पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में मेरा निवेदन यही है कि इसको आप सिद्धान्त के रूप में लें।

आपने इसका नाम भी लगान पर आपातिक अधिभार रखा है। इसका मतलब यह है कि आपातकाल में हमने इसको बढ़ा लिया और जब आपातकाल नहीं रहेगा तो समाप्त कर देंगे। तो फिर कहां प्रश्न पैदा होता है कि यह बड़ा भारी सोर्स आफ इन्कम है, हमें साधन जुटाना है केन्द्र से पैसा लेने के लिये ? यह बात आप क्यों करते हैं ? आप इतनी ही बात कहते कि आपातकाल समाप्त नहीं हुआ इसलिये नहीं हटायेंगे तो बात समझ में आ सकती थी। क्योंकि इसका शीर्षक

ही यही है। लगान आप बढ़ायेंगे तो कोर्ट में चैलेंज हो जायगा क्योंकि ४० वर्ष का बन्दोवस्त आप कर चुके हैं चकबन्दी में। जहां १० गुना आपने लिया और ४० साला सनद भूमिधरी की दे दी तो ४० साल तक आप लगान नहीं बढ़ा सकते। और अगर लेंगे तो कोर्ट में चैलेंज हो जायगा और आपका कानून धरा का धरा रह जायगा। लिहाजा आपने एक चाल चली और वह इस प्रकार कि लगान पर आपातिक कर भार आपने लगाया जैसे रोडवेज पर आपने यात्री कर लगा दिया। यात्री तो यों ही यात्रा कर देता है। लेकिन आपने यह केवल इसलिए किया कि कहीं यह किसी कोर्ट में चैलेन्ज न हो जाय तो उस खयाल से आपने इस पर एक यात्री कर लगा दिया। तो ऐसी स्थिति में मेरा तो यह कहना है कि आप इस कर को हटायें और किसान को भी कुछ सहूलियत दें जैसे कि आप बिरला, टाटा और सिंघानियां को सहूलियतें देते हैं। जब हम किसी मिल के बन्द होने की बात कहते हैं कि उसको चार्ज में ले लिया जाय तो आप सोचते हैं कि यह पूंजीपति बिगड़ जायगा, इसमें मजदूर बेकार हो जायेंगे लिहाजा उसको कुछ सहूलियत दो। जो रियायतें या सहूलियतें आप उनको देते हैं, वे सही तरीके की नहीं होती हैं। आज हमारा खेती का उद्योग पिछड़ता जा रहा है। किसान का मन उसमें नहीं लगता है। यही कारण है कि आज उत्पादन गिरता जा रहा है। ऐसी स्थिति में आपको उसे भी सहूलियतें देनी चाहिए और आपको अपने वायदे को पूरा करना चाहिए जो कि आपने किये थे अपने आप को उन वायदों को नहीं भूलना चाहिए और अगर आप भूलेंगे तो वे आपको अपने आप समझ लेंगे।

मेरा कहना यह भी है कि आपने जिक्र किया कि रामरतन गुप्त से ३१ लाख रुपये की वसूली को सेंट्रल गवर्नमेंट ने माफ किया। इसमें भी बड़ी लचर दलील है। आज माननीय नवलकिशोर जी ने कोई तर्क नहीं दिया, जैसी कि हमें उम्मेद थी। आज तो वास्तव में उन्होंने सरकार की वकालत ही की है। अगर कोई सही पाइंट भी था तो उसको तोड़ मरोड़ कर रखने की कोशिश की है। आपने कितना छोड़ा किस जगह छोड़ा, इसके आंकड़े तो मेरे पास नहीं हैं लेकिन एक बात मैं अवश्य कहता हूं कि जब आप टैक्स डालते हैं, और उसे वसूल नहीं करते हैं तो यह भी एक रियायत है, एक सहूलियत है। अगर किसी के ऊपर ५० हजार रुपया टैक्स का बकाया रह जाता है तो आप को सोचना चाहिए कि उसने १० वर्षों में कितनी समृद्धि कर ली और कितना रुपया सरकार का उसने रोक लिया। कितना आपका ब्याज हो गया। मैं एक ही मिसाल उदाहरण स्वरूप आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। कन्नौज में एक फर्म हैं बेनीराम मूलचन्द जिसके प्रोप्राइटर श्री चन्द्रगुप्त जी हैं वे वहां की म्युनिसिपैलिटी के अध्यक्ष भी हैं। वे भी एक कांग्रेसी हैं। पिछले १२ सालों से उन्होंने सेल्स टैक्स का ६० हजार रुपया, जो कि उनके ऊपर बाकी है, नहीं दिया यहां पर ३१ मार्च को पिछले साल जब उसकी डेट निकल रही थी और नीलाम की बात की जाने वाली थी तो उस समय माननीय कैलाश प्रकाश जैसे और एक सज्जन, जिनका नाम मुझे याद नहीं है, ने उसकी मियाद को बढ़ा दिया और यह तय किया कि १० हजार रुपया फौरन् दे दिया जाय और शेष रुपया किस्तों द्वारा दे दिया जाय। अब तक यह रुपया वसूल नहीं हुआ।

कई बार हमने गन्ने के मिलों के बारे में प्रश्न किए कि उनके ऊपर जो सेस लगता है वह ८-८ या १०-१० साल वसूल नहीं किया जाता है और उनसे वे फायदा उठाते हैं। यह कर उनसे इसलिए वसूल नहीं होता है क्योंकि जब चुनाव होते हैं उस समय उनसे रुपया व चन्दा मिल जाता है। एलेक्शन लड़ा जाये। अगर यह सब न हो तो बरेली से श्री अब्दुल रऊफ नहीं जीत सकते थे और इसी प्रकार से माननीय हुकुम सिंह भी नहीं जीत सकते थे। मैं तो यह कहता हूं कि एक आदमी भी जीत कर नहीं आ सकता है। यह सब इसलिये किया जाता है कि मिल वाला आपको रियायतें देता है। आपकी वेहिकिल्स, बोर्स, पेट्रोल और रुपये का प्रबन्ध करते हैं और इस प्रकार आप को चुनाव जिताते हैं जिससे उनपति आप से सहूलियतें ले रहे हैं। २ करोड़ रुपया कानपुर में सेल्स टैक्स का बकाया है, हिम्मत हो तो वसूल कर लीजिये, लेकिन आप इलीज देते हैं कि कारखाना बन्द हो जायेगा। क्या किसान को इस तरह से आप कोई सहूलियत देते हैं, कोई छूट देते हैं ? ३ साल, ५ साल के लिये उसे लगान मत लीजिये अगर फसल खराब हो जाती है। ज्यादा से ज्यादा आपने रेट कर दिया और साल भर बाद

[श्री हरीशकुमार गंगवार]

वसूल कर लिया। ३१ लाख रुपया राम रतन गुप्त का माफ कर दिया। इसी तरह से किसान से १० साल लगान मत लीजिये। ६ महीने अगर किसान लगान न दे तो अमीन साहब कुर्की या वारन्ट लेकर आ जाता है। नवल किशोर जी कह रहे थे कि ९९.९ प्रतिशत वह भी किसान से वास्ता रखते हैं। मैं कहता हूं कि वह किसान से बिल्कुल वास्ता नहीं रखते वर्ना इस प्वाइंट को कहते। किसान को सहूलियत जरा भी न देकर आप पूंजीपतियों को हर समय सहूलियतें दिया करते हैं। ऐसा न हो तो चुनाव बिलकुल उलट जायं।

श्री नवलकिशोर—

जिस समय पूंजीपतियों की बात आप कहते हैं तो हंसी आ जाती है।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

तर्क शून्य व्यक्ति इसी तरह की दलीलें दिया करते हैं। यह मेरी खुशकिस्मती है कि मेरी बात पर आप को हंसी आ जाती है। मैं भी किसी की रोनी सूरत देखना नहीं चाहता।

हम लोग चवन्नी पये की बात नहीं करते, अगर हमारा राज्य होगा तो लगान आधा करके मानेंगे। आपकी तरह झूठे आश्वासन देना नहीं जानते। हमने धोखा और फरेब नहीं सीखा। जनता में शक्ति है और बढ़ती जा रही है। उसका सबूत यह है कि जहां ५२ के चुनाव में आपके खिलाफ ५० आदमी आये, वहां ५७ के चुनाव में ९० और ६२ के चुनाव में १८० आदमी आये और इसी से आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि जनता का रुख किधर है। माननीय हुकुमसिंह जो चोर दरवाजे से आये वर्ना एम० एल० ए० का चुनाव लड़ते। वह समझते थे कि लौट कर नहीं आ सकते और इसी कारण एम० एल० सी० का ढोंग रचा और स्थानीय निकाय से चुनाव लड़ा। जनता के सामने उनका मुंह नहीं था। उन्होंने सरकारी एजेंटों को, प्रधानों को अपने चंगुल में फांसा और उसके लिये पये का, भय का तथा बल का प्रयोग किया।

श्री उपाध्यक्ष—

चुनाव पर नहीं, किसान के लगान पर बहस हो रही है।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

माननीय हुकुमसिंह जी को तो बुरा लगेगा लेकिन मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि आपको भी बुरा लगेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

क्या आपका मतलब यह है कि आप विषय के बाहर बोल रहे हों और आपको रोका भी न जाय ?

श्री हरीश कुमार गंगवार—

यहां जो विषय चल रहे थे उनका मैं जवाब दे रहा हूं। आगे जो १९६७ का चुनाव आ रहा है, निश्चित रूप से कांग्रेस तो बहुमत में आ ही नहीं सकती। यह अटल विश्वास है। बनेगी तो दूसरी सरकार। हद से हद यह कह सकते हैं कि कोइलीशन वजारत बनाने के लिये किसी को पकड़े, लेकिन ये बहुमत में तो आ ही नहीं सकते जैसी कि हवा चल रही है।

जैसा कि माननीय नवलकिशोर जी ने कहा कि मेरे मुंह से पूंजीपति शब्द सुनने से उनको हंसी आती है, तो आप इतना समझ लीजिये कि हम हर एक को पूंजीपति बनाना चाहते हैं। अगर इस माने में आपको हंसी आती है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। मगर आप गरीबों के अगुआ बनें, यह बात हमको बिल्कुल पसन्द नहीं है। आप देश में अमीरों को बढ़ाइये। लेकिन आप तो इस तरीके से अपनी बात रखना चाहते हैं कि जनता भुलावे में रहे और

अपने को गरीबों का हमदर्द और हम को पूंजीपतियों का हमदर्द बतायें। यह बात कुछ अशोभनीय नहीं है और आपको कहनी भी नहीं चाहिये। आज जब जमींदारी खत्म हो गयी है तो पूंजीपति शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिये। अब इस शब्द को सुन कर ऐसा लगता है जैसे कुर आदमी अपने फफोले फोड़ रहा है।

जहां तक जनमत का संबंध है, जनसंघ ने यह संकल्प किया है कि हम चवन्नी लगान को हटा कर मानेंगे। आप कभी-कभी कहते हैं कि अब तो चुनाव आ रहा है। चुनाव तो १९६७ में आयेगा। और ६२ में क्या था ? तब जब आपने बढ़ाने की बात कही थी तो हमने फौरन उसके खिलाफ आन्दोलन शुरू कर दिया था और जब आप उससे नहीं माने तो हमने लखनऊ की जेल भरनी शुरू कर दी। हमारा इरादा था कि लखनऊ के अलावा उत्तर प्रदेश की तमाम जेलों को भर दें मगर उसके बाद महान् आपत्ति आयी, चीन ने हमारे ऊपर हमला कर दिया। तब हमने संगठित हो कर चीन का मुकाबला किया। उसके बाद जब पाकिस्तान की बात आयी उसके पहले भी चीन के हमले के समाप्त होने के बाद हमने आपके सामने बात रखी कि आपत्ति के समय जो अधिभार लगाया था अब उसे समाप्त करिये। उस समय अधिभार समाप्त कर दिया गया। जब पाकिस्तान का हमला हुआ तो फिर आपको रुपये की जरूरत हुई। हमने कहा कि अगर आपत्ति का समय है और रुपये की जरूरत है तो हम विरोध नहीं करेंगे लेकिन देश में आपत्ति समाप्त होते ही आपको इसे फौरन वापस ले लेना चाहिए। लेकिन आप ने ताशकंद की घोषणा मान ली और कह दिया कि शान्ति कायम हो गयी। जब कि आप देख रहे हैं कि चीन और पाकिस्तान, दोनों हमें धमकी दे रहे हैं तो आप कौन सा कदम उठा रहे हैं ? कौन सा इमर्जेंसी का काम आपने शुरू किया ? क्या फिर से होमगार्ड्स की ट्रेनिंग शुरू की गयी है ? क्या हर जगह एलर्ट रहना शुरू कर दिया है ? क्या बन्दूक की ट्रेनिंग फिर से शुरू कर दी है ? कौन-कौन से काम आपने शुरू कर दिये हैं ? लेकिन आप आपातिक अधिभार लगाये हुये हैं। यह पांच करोड़ रुपये की बात नहीं है। पांच करोड़ तो टाटा, बिड़ला, रामरतन गुप्ता, किसी से भी लिये जा सकते हैं। यह तो सिद्धान्त का प्रश्न है और जनसंघ के लिये तो जीवन-मरण का प्रश्न है। हम आपको आगाह करते हैं कि अगर आपने इस चार आने के लगान को वापस नहीं लिया तो हम उस प्रकार का फिर से आन्दोलन छेड़ेंगे जो हमने अपने प्रान्तीय अधिवेशन, मुरादाबाद में तय किया था। और जब तक आप इसे हटा नहीं लेंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे चाहे हमें जेलें भरना ही क्यों न पड़े।

*श्री बैजनाथसिंह वैद्य---

केस जब खराब होता है और वकील अच्छा हो, अध्ययन करके आया हो तो वह कुछ हद तक अपना हिसाब किताब कोर्ट में बैठा लेता है। लेकिन अगर केस भी खराब हो और वकील भी तैयार न हो, अध्ययन करके न आया हो तो यही दुर्दशा होती है जैसी कि हमारे विरोधियों की हो रही है। हमारे जितने विरोधी भाई खड़े हुये उनमें से किसी ने कुछ कहा और किसी ने कुछ कहा। लेकिन माननीय गंगवार साहब ने तो प्रस्ताव से कोई संबंध नहीं रखा। कारण यह है कि किसी ने पढ़ने की कोशिश नहीं की है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य आपातिक अधिभार को खत्म करने का है। जब इमर्जेंसी खत्म होगी तो यह चवन्नी अपने आप खत्म हो जायेगी। इस प्रस्ताव के पीछे बड़ी-बड़ी लंतरानियां हो गईं। लम्बे-लम्बे भाषण हो गये लेकिन मूल प्रस्ताव के समर्थन में बहुत कम माननीय सदस्य बोले। कुछ माननीय राधे-श्याम जी बोले लेकिन वे भी बहक गये, हमारे ठाकुर साहब भी बहक गये और किसी ने प्रस्ताव की बात नहीं कही।

जब यह प्रस्ताव रखा गया था तो उसके साथ यह जुड़ा हुआ था कि जब इमर्जेंसी खत्म होगी तो वह भी खत्म हो जायेगा। इमर्जेन्सी के समाप्त होने की बात चल रही है और अपने

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बैजनाथ सिंह वैद्य]

अपने दल की तरफ से लोग मत दे रहे हैं। अभी मिस्टर भुट्टो ने कहा कि जब तक कश्मीर का मामला तय नहीं हो जाता तब तक हिन्दुस्तान से हमारा मामला तय नहीं हो सकता। आप यह समझते हैं कि गोली बरसती हो जवान लड़ते हों तभी इमर्जेंसी है। यह मुनासिब नहीं है। जो खतरा पहले था वह आज भी है। आप को थोड़ा सा समय मिल गया है। इस बीच में आप तैयारी कर लीजिये। फिर दुबारा आप को लड़ाई लड़नी है। यह सोच कर सदन में कोई बात कही जाय तो अच्छा होगा।

हमारे मित्र लखो सिंह जी ने कहा कि मैं फसली कांग्रेसी हूं। मैं २१ साल से पुराना कांग्रेसी हूं और चार मर्तबा जेल जा चुका हूं। उनके जैसे न जाने कितने कांग्रेसी जेल से भाग आये थे। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस ने प्रस्ताव किया था कि आधा लगान माफ कर देंगे। प्रस्ताव तो कांग्रेस सेशन में आया ही करते हैं और आज भी आते हैं और आगे भी आयेंगे। जिस समय यह प्रस्ताव लगान का माफी का आया होगा उस समय हमें मालूम नहीं था कि पंच वर्षीय योजनायें चलानी पड़ेंगी उस समय तो यह बात थी कि हमें अंग्रेजों से लड़कर स्वराज्य प्राप्त करना है और हम समझते थे कि इसके बाद हमारी गरीबी हट जायेगी और जितनी हमारी आवश्यकतायें हैं वह पूरी हो जायंगी। लेकिन हमारे सामने कठिनाई आई और योजनाओं के चलाने के लिये साधन इकट्ठे किये गये। ४ करोड़ ६७ लाख की बात है, इससे बहुत बड़ी सामग्री नहीं मिल जाती है। लेकिन जितना हम देते हैं उतना ही केन्द्र से मिल जाता है। ७ करोड़ हमने इकट्ठा किया तो १४ करोड़ मिल गया। इससे हमें लाभ होता है उस प्रस्ताव को रख कर विरोधी दलों ने अपनी पार्टी के पोलिटीकल स्टैंडर्ड को गिराया है। किसान यह सोचता है कि देश की सुरक्षा के लिये तन, मन, धन अर्पण कर देना है। इसे वह खुशी की बात मानता है और किसान की तरफ से कोई एजीटेशन नहीं हुआ है। अभी फ्री स्टाइल का नमूना हमने चुनाव लड़कर सारे देश को दिखा दिया है। तेरह सीटें हमारी थीं। तेरहों में हमारे कामराज ने कहा कि जरा फ्री-स्टाइल हो जाए, हम जरा फ्री-स्टाइल देख लें। फ्री-स्टाइल में हम तेरह में तेरह ले गये। चुनावों में नुमायन्दों और सभापतियों के वोटों से आप को एक भी पद नहीं मिला। हम तो कामराज जी से कहेंगे कि वह फिर ६७ में भी हमें फ्री-स्टाइल लड़ने दीजिये, तो यहां पर सारा विरोधीदल साफ दिखाई पड़ेगा। एक भी इनमें से चुनकर नहीं आने पाएगा—

(व्यवधान)

श्रीमन्, देख लें, बांके लाल जी की आदत ही यह है उनके पास गाली-गलौज के सिवा कुछ है ही नहीं वह इसी की बदौलत पार्टी में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। इस वक्त की स्थिति यह है कि किसान ने इसको मान लिया है, चार आना उसने देश रक्षा के निमित्त संकल्प कर दिया है, उसने इसको अपने खर्चे से निकाला है। तो ऐसी हालत में यह बेवक्त की जो शहनाई आप बजाने लगे हैं वह ठीक नहीं है और इससे आप का तनिक भी लाभ होने वाला नहीं है।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

एक बात आप जरा बता दें, कांग्रेस के नाम पर कै सीटें लड़ी गयीं, कितने कांग्रेस के लोगों ने सीटें लड़ीं जो आप तेरह में जीत गये?

श्री बैजनाथ सिंह वैद्य—

सब कांग्रेस के नाम पर लड़ी गई, सब हमारे क्रियाशील मेम्बरों के द्वारा लड़ी गयीं, सब सीटें कांग्रेसियो ने लड़ीं। हम तो कहते हैं कि यदि ६७ के आम चुनाव में भी कामराज हमें फ्री स्टाइल लड़ने की छट दे दें तो बड़ा ही अच्छा हो।

श्रीमन्, जैसा कि माननीय राधेश्याम जी ने कहा प्रजातांत्रिक ढंग से सरकार चलाने के लिये यह आवश्यक है कि कुछ विरोधी उसके सामने बैठे हों। क्योंकि यदि यह न बैठे हो तो सरकार मनमानी कर सकती है, सरकार स्वेच्छाचारी हो सकती है और निरंकुशवादी हो सकती

है। इसलिये यदि आप चुनाव में जीत कर न भी आ सके तो भी हम यहां पर विरोध पक्ष बनाने के लिये ४०–५० को तो जिता ही देंगे जो यहां आ कर गाली-गलौज बकते रहें। लेकिन बांकेलाल जी की तरह के लोगों को नहीं कि न वह खुद बैठें शान्ति से और न दूसरों को बैठने दें। कुछ पढ़े-लिखे आदमी जो हेल्दी क्रिटिक्स हों, कानून कायदे जानते हों और यह जानते हों कि किस तरह से सरकार चलाई जाती है उनको यहां पर चुनकर आने की जरूरत होती है।

तो मैं कह रहा था कि जब केस भी खराब हो और वकील भी पढ़ा लिखा न हो, केस न स्टडी किये हो तो बहुत ही गड़बड़ होता है, वही स्थिति यहां भी है, न प्रस्ताव ही जानदार है और न प्रस्तावक ही कोई तर्कसंगत दलीलें दे सकते हैं। इसलिये वे सब के सब फेल हो गये। वे सिर्फ इसलिये कहते हैं कि वे आगे आने वाले चुनाव में जाकर जनता के सामने कह सकें कि हम तुम्हारे बड़े शुभचिन्तक हैं, हमने चवन्नी लगान माफ कराने का बड़ा प्रयत्न किया, लेकिन कांग्रेस सरकार ने नहीं किया वह तुम्हारी दुश्मन है, इसलिये तुम उसे कतई वोट न दो हमें अपना वोट दो। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप चवन्नी के पीछे चुनाव नहीं जीत सकते हैं, यदि आप इस प्रकार जीतना चाहते हैं तो यह बड़ा मुश्किल है क्योंकि किसानों के सामने योजनाएं हैं, नहरें हैं, ट्यूबवेल्स, स्कूल, मेडिकल कालेजेज, यूनिसवर्सिटीज आदि हैं। उसके सामने दुनिया भर की बातें हैं और जिसके पास इतनी सारी योजनाएं हैं वह खुशी से टैक्स देना भी पसन्द करेगा। यदि आप उसके पास जाएंगे तो अपना तो मुंह ले कर लौट आएंगे, उस पर कोई असर आपकी इन बातों का नहीं पड़ने वाला है।

इसलिये मैं आप से निवेदन करूंगा कि आप इसे प्रेश न कर के इस प्रस्ताव को वापस ले लें।

(श्री ऊदल का नाम पुकारे जाने पर)

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विषय पर अब विवाद समाप्त किया जाए।

श्री रामेश्वरप्रसाद--

मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा करके आप एक अराजकता की स्थिति पैदा करना चाहते हैं। यह कोई तरीका नहीं है कि इस प्रकार गैर जिम्मेदार तरीके से ऐसा प्रस्ताव सदन के सामने रखा जाय। मैं उनके अधिकारों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। मैं यह भी जानता हूं कि उपाध्यक्ष के क्या अधिकार हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

अब तो माननीय ऊदल जी को बुला लिया है।

*श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सामने जो संकल्प प्रस्तुत हुआ है मैं उसका समर्थन करता हूं। मैंने माननीय नवल किशोर जी के भाषण को और अभी ठाकुर बैजनाथ सिंह जी के भाषण को गौर के साथ सुना। मैं आज आप के सामने यह कहना चाहता हूं कि १० साल के अपने इस सदन के जीवन में माननीय नवल किशोर जी का तर्क विहीन भाषण जैसा मैंने आज सुना है उस तरह का मैंने कभी नहीं सुना था कि असेम्बली के इतिहास में नवल किशोर जी ने अपना इस कदर तक विहीन भाषण कभी दिया हो। नवल किशोर जी ने बताया कि रामरतन गुप्त का ३१ लाख रुपये का जो टैक्स माफ किया गया है वह उत्तर प्रदेश की सरकार ने नहीं माफ किया है। वह केन्द्रीय सरकार ने माफ किया है। उसको सुनकर मुझे बेहद हंसी आई।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री ऊदल]

माननीय नवल किशोर जी की बुद्धि की बलिहारी है कि उन्होंने इस तरह से इसकी दाद दी। मैं माननीय नवल किशोर जी से सचमुच कहना चाहता था कि इस प्रकार से बुद्धिविहीन हो कर इस तरह से तर्क पेश करते उनको मैंने कभी नहीं देखा। वे सदन में इस बात को कहते हैं कि सेन्टर में कांग्रेस की सरकार है और उनका जो हुक्म होता है उसको वह मानते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार भी कांग्रेस की सरकार है। मैं उसको अलग करके देखना नहीं चाहता हूं। इसलिये माननीय नवल किशोर जी का जो तर्क था उसको न्यायसंगत नहीं मानता हूं। माननीय नवल किशोर जी का यह कहना है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने किसी के ऊपर टैक्स माफ नहीं किया है। तो लोग बतायें। हम उसको वसूल कराने के लिये तैयार हैं और इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। जिम्मेदारी नवल किशोर जी हमेशा लेते हैं।

मैं आप के सामने उन चीनी मिलों का नाम रखना चाहता हूं जो हमारे प्रदेश में चीनी मिल मालिक हैं और उस पर कितना बकाया है। मैं नवल किशोर जी को याद दिलाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार का कितना गन्ना सेस शेष है। ३० करोड़ के लगभग सरकार ने वसूल नहीं किया है। इस सम्बन्ध में इस सरकार की और माननीय नवलकिशोर जी का क्या कहना है? मान्यवर, अगर आप देखें तो मालूम होगा कि :

सरदार नगर के ऊपर इस वर्ष १० लाख ८२ हजार बकाया है।

पिपराइच	,,	,,	१८	,,	६७	,,	,,	,,
फरेन्दा	,,	,,	४	,,	०८	,,	,,	,,
भटनी	,,	,,	१४	,,	१८	,,	,,	,,
बैतालपुर	,,	,,	१	,,	८७	,,	,,	,,
देवरिया	,,	,,	२	,,	०	,,	,,	,,
खड्डा	,,	,,	२०	,,	८९	,,	,,	,,
छितौनी	,,	,,	१३	,,	१८	,,	,,	,,
लक्ष्मीगंज	,,	,,	२२	,,	५९	,,	,,	,,
रामकोला (के)	,,	,,	३०	,,	७५	,,	,,	,,
रामकोला (पी)	,,	,,	५	,,	१३	,,	,,	,,
बडरौना	,,	,,	४	,,	२३	,,	,,	,,
शिवराही	,,	,,	०	,,	३७	,,	,,	,,
मुन्डेरवा	,,	,,	४	,,	३५	,,	,,	,,
बाल्टरगंज	,,	,,	०	,,	४२	,,	,,	,,
खलीलाबाद	,,	,,	५	,,	०६	,,	,,	,,
मसोधा	,,	,,	५	,,	०४	,,	,,	,,
बाराबंकी	,,	,,	२१	,,	१८	,,	,,	,,

जरवल रोड पर ३० लाख ३ हजार, शाहगंज पर ६२ हजार, पीलीभीत पर २ लाख, बरेली पर ३ लाख ८० हजार, खतौली टांडा पर ११ लाख ७३ हजार, मोहिउद्दीनपुर पर ९ लाख ५० हजार, बागपत पर ७ लाख ४० हजार, पन्नीनगर पर १५ लाख ९९ हजार, मंसूरपुर पर ८ लाख और खतौली पर ४ लाख ३४ हजार, शामली पर १० लाख ३४ हजार, देवबन्द पर ४ लाख है। इसी तरह से अमरोहा पर १४ लाख ५३ हजार है। यह सब कुल मिला कर

३३७ लाख ३८ हजार रुपया है जो गन्ने का सेस का बकाया है, मिलों पर, मिल मालिकान पर। नवल किशोर जी का कहना है कि अगर उत्तर प्रदेश की सरकार बकाया वसूल भी कर ले तो क्या हो सकता है। यह बकाया ५९-६० का है और अगर इसे वसूल कर लिया जाय तो बहुत काम चल सकता है। किसानों की वसूली ९६ परसेंट होती है, लेकिन इसके लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की यह मैं जानना चाहता हूं? बकाया रह जाने पर आप किसानों को हवालात में बन्द करते हैं, और उनसे खर्चा भी वसूल करते हैं तो हम इन पर ऐक्शन न लेने के लिये सरकार के पास तर्क क्या रह जाता है।

दूसरी बात मैं नवल किशोर जी से यह कहना चाहता हूं कि कानपुर की कई मिलों को सरकार ने करोड़ो रुपया कर्ज दिया है और वह मिल मालिक न तो सरकार को सूद देते हैं और न ही किस्त अदा करते हैं। उनके खिलाफ सरकार ने क्या कार्यवाही की? इसके अलावा बिक्री कर का और दूसरे टैक्सेज जैसे बिजली, पानी आदि का रुपया भी उन के पास २८, ३० करोड़ के करीब बकाया पड़ा है। इसके लिये सरकार ने कोई सख्त कदम नहीं उठाया है जब कि किसान को आठ आने या एक रुप्ये के लिये जेल में डाल दिया जाता है। सरकार के पास इसके लिये कोई दलील नहीं रह जाती। आज किसानों की हालत हमारे प्रदेश में देश के मुकाबले में बहुत खराब है। आप देखें कि हमारे प्रदेश में पर एकड़ लगान देश भर में सब से ज्यादा है। सिंचाई का रेट भी सारे देश के मुकाबले में हमारे प्रदेश में सब से ज्यादा है जो कर्ज आप तकाबी के रूप में देते हैं उसके सूद का रेट भी सब से ज्यादा है। अभी नियमों के अनुसार आप तकाबी पर ६ परसेंट या ५ परसेंट का सूद लेते हैं, लेकिन अब आपने उसे बढ़ा कर या ९ पौने नौ परसेंट कर सूद कर दिया है।

इसके अलावा १९६४-६५ में ज्यादा फसल पैदा करने के लिये आप ने घोषणा की थी कि किसानों को सिंचाई की दर में ४० फीसदी की छूट दी जायगी। गर्मी के मौसम में जो जायद फसल पैदा होती है उसको पैदा करने के लिए चालीस फी सदी की छूट सिंचाई रेट में दी जायगी पर इस साल सरकार ने उसको भी वापिस ले लिया। सबसे बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि आज अगर पूरे प्रदेश का सर्वे कराया जाय तो यह सरकार की नतिक जिम्मेदारी होती है कि वह किसानों को ठीक से पानी दे। शारदा कैनाल जो प्रतापगढ़ से बनारस को जाती है और इधर बराबंकी को जाती है इस बार सूखी हुई है। उसने न रबी और न खरीफ की फसल को पानी दिया है। यह है सरकार का किसानों के प्रति वर्ताव। सिंचाई किसानों से पूरी ली जाती है पर उन को पानी नहीं दिया जाता है इसी तरह से ट्यूब-वैल्स में कितनी बड़ी अन्धेरगर्दी है। जितनी बार किसान पानी ले उतनी बार उससे पैसा वसूल किया जाता है यह भेदभाव की नीति सरकार बरत रही है।

इसके अलावा यह जो इमर्जेन्सी के मौके पर अधिभार लगाया गया है उसके लिए सरकार ने कहा था कि इमर्जेन्सी के बाद हम उसको वापस ले लगे, लेकिन सरकार उसको भी वापस नहीं ल रही है। आज किसान मालगुजारी ही नहीं देता है। मालगुजारी के अलावा भी बहुत प्रकार के टैक्सेज एक्साइज ड्यूटी आज किसानों से वसूल हो रही है। आज मिट्टी का तेल जो किसानों को ४४ पैसे बोतल के हिसाब से मिलना चाहिए वह भी नहीं मिल रहा है। देहातों में मिट्टी के तेल की इतनी कमी हो गई है कि किसानों को वह एक रुपया, १२ आने और बीस आने में खरीदनी पड़ती है और मिट्टी क तेल पर जो एक्साइज ड्यूटी है, उसके सम्बन्ध में, मैं सरकार से पूछना चाहता हू कि सन् ५१-५२ म २८ लाख एक्साइज ड्यूटी थी वही आज ११ करोड़ ३४ लाख एक्साइज ड्यूटी है। यह कौन देता है? क्या वह देता है जो बिजली जलाता है या मिट्टी का तल जलाता है वह देता है?

इसके अलावा १५ फी सदी रोडवेज पर टैक्स बढ़ा है। देहातों के लोग काफी संख्या में रोडवेज से यात्रा करते हैं। वह टैक्स भी कौन लोग देते हैं? दियासलाई के ऊपर आप देखें। दियासलाई के ऊपर ८ करोड़ रुपया एक्साइज ड्यूटी थी लेकिन आज २८ करोड़ ३१ लाख की एक्साइज ड्यूटी लगी हुई है। इसको कौन अदा करता है? चा हे सेन्ट्रल की सरकार हो,

[श्री ऊदल]

चाहे प्रदेश की सरकार हो, यह एक्साइज ड्यूटी टैक्सेन जो डायरेक्ट और इन्डायरेक्ट लगता है, इसका असर देहात के किसानों पर होता है जो किसान ही अदा करता है। कैसे यह सोचते हैं कि किसान केवल लैन्ड रेवेन्यू ही देता है और कोई टैक्स नहीं देता है। मान्यवर, मोटे कपड़े के ऊपर जिसे किसान इस्तेमाल करता है, टैक्स १६ करोड़ ३६ लाख था ५१–५२ में और आज वह है ४५ करोड़ ५५ लाख है। इस पर भी इस साल जो नए वित्त मन्त्री केन्द्र में आए हैं, चौधरी चाहब, उन्होंने और बढ़ा दिया है। आप जानते हैं कि किसान तम्बाकू का इस्तेमाल अपनी थकान मिटाने के लिए करता है, हर किसान बीड़ी पीता है उस पर भी एक्साइज ५९ करोड़ है और कागज पर १२ करोड़ है जिससे किसान के बच्चे बढ़ते हैं। कहने का मतलब यह है कि किसान टैक्स के बोझ से दबा हुआ है।

किसान को सिंचाई के रेट में ३ करोड़ की छूट मिली हुई थी जब बाबू सम्पूर्णानन्द जी चीफ मिनिस्टर थे। इस सरकार ने उसे वापिस ले लिया। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि इस साल गन्ने पर किसानों से सिंचाई का २५ फीसदी ज्यादा लिया जायगा। एक तरफ पानी नहीं मिल रहा है और दूसरी तरफ चार्ज ज्यादा होने जा रहा है। यह कहां तक न्यायसंगत है? नवलकिशोर जी कहते हैं कि पहले पैदावार का १/५ हिस्सा लिया जाता था, लगान के रूप में। आप जानत होंगे कि अंग्रेजों के जमाने में भी बड़े-बड़े अधिकारी लगान मुकर्रर करते समय किसान की लागत को काटने के बाद उसे रखते थे। मैं सरकार को चैलेंज करता हूं और उन्हें यह दिखा सकता हूं, अगर नवलकिशोर जी अपनी बात वापस लेने के लिए तैयार हों। इस तरह की दलील कि वह समय दूसरा था, उचित नहीं है। सिद्धांत नहीं बदला करते हैं। हमारी पार्टी कहती आयी है कि ६ एकड़ तक के किसानों का लगान माफ होना चाहिए और बाकी का आधा होना चाहिए। यह कांग्रेस सरकार अपन वायदों को हमेशा तोड़ती आई है और किसानों के साथ अन्याय करती रही है। किसानों की कमर इस सरकार की गलत नीतियों क कारण टूटी हुई है।

मान्यवर, आप तो हर कांग्रेस में गए होंगे। मुझे भी वहां के प्रस्तावों के पढ़ने का मौका मिला। उनमें हर बार यह कहा जाता रहा है कि हवा, पानी, आसमान और जमीन भगवान की बनाई हुई है, उन पर टैक्स लगाने का किसी को अधिकार नहीं है। यही उन प्रस्तावों का मंशा रहा है। यही माननीय हुकुमसिंह जो भी कहत थे। आज उसके उलटा कहते हैं। चीन के हमले के समय वायदा करके यह टैक्स चवन्नी का लगाया गया था। आज जब चीन का हमला खत्म हुए एक साल बीत गया, उस समय माननीय माल मन्त्री जी ने कहा था कि हमारी जबान लड़खड़ा रही है और वह कुछ कहने को तैयार नहीं हुए। नतीजा यह हुआ कि प्रदेश के किसानों को बहुत बड़ा आन्दोलन और सत्याग्रह करना पड़ा और फिर उसका नतीजा यह हुआ कि किसानों के सबसे बड़े दुश्मन और इस सुचेता सरकार के भी सबसे बड़े दुश्मन, माननीय चन्द्रभानु जी कामराज की तलवार से लटक गए, तब चार आना लगान वापस हुआ। आज भी यहां उनके सपोर्टर हैं, जो पूंजीपतियों की बात करते हैं। नवलकिशोर जी ऐसे लोग यहां मौजूद हैं। जो किसानों के दुश्मन हैं और पूंजीपतियों के समर्थक हैं और इस प्रदेश में पूंजीपति प्रथा को चलाना चाहते हैं और गरीब किसान, मेहनतकश तथा गरीब जनता की गाढ़ी कमाई को ले लेना चाहते हैं। जब इमर्जेन्सी खत्म हो गयी है और उसका एलान हो गया है तो कोई कारण नहीं इस चवन्नी लगान को माफ न किए जाने का।

जे० पी० मिश्रा जी भाषण दे रहे थे। कह रहे थे कि इस आन्दोलन और अनशन से कुछ न होगा, हम कांग्रस पार्टी के लोग हुकुमसिंह जी के कमरे में भी मीटिंग करके उसको खत्म कर देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि सन् ६७ के चुनाव आ रहे हैं, इसलिए हम ऐसा करेंगे। सन् ६२ में, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जब चवन्नी लगान बढ़ाया गया था, अनिवार्य बचत योजना का कानून लागू था और स्वर्ण नियन्त्रण कानून को लागू किया गया, उस वक्त कौन से चुनाव थे जब दिल्ली में ढाई लाख जनता ने प्रदशन किया था और मुरार जी भाई को

साफ कर दिया गया था ? उस वक्त तो कोई चुनाव की बात नहीं थी। उस वक्त क्यों हटाया गया था ? इस वक्त, सरकार की यह नैतिक जिम्मेदारी हो जाती है कि वह इसको हटा दे क्योंकि इमरर्जेन्सी समाप्त हो गयी है।

श्री उपाध्यक्ष—

क्या आप और ज्यादा बोलना चाहते हैं ?

श्री ऊदल—

जी हां।

श्री उपाध्यक्ष—

फिर आप अगले दिन जारी रखिए।

लोक लेखा एवं प्राक्कलन समिति के निर्वाचन समय के सम्बन्ध में सूचना

श्री उपाध्यक्ष—

अब मुझे कुछ एनाउन्समेंट करना है।

लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति के चुनाव ११ मई को होने वाले थे उसके लिए ११ बजे से २ बजे तक का समय निर्धारित किया गया था। चूंकि उस दिन असेम्बली बैठेगी इसलिए बजाय ११ बज से २ बजे तक के उसका समय ११ बजे से ५ बजे तक का कर दिया गया है।

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और बुधवार दिनांक ११ मई, १९६६ को ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजे बुधवार, ११ मई, १९६६ के ११ बजे दिन तक के लिए स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
६ मई, १९६६।

नत्थी 'क'

(देखिए नियम ३९ (२) के तारांकित प्रश्न ३७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५८५ पर ।)

२१ जनवरी, १९६६ को सायंकाल ४-४५ मिनट पर मुरादाबाद के निकट बन रहे रामगंगा के पुल पर एक दुर्घटना हुई। पुल के कुएं गलाए जा रहे थे और कुआं नम्बर १२ पर कार्य चल रहा था। इस कुएं को गलाने के लिए इस पर गर्डर तथा रेत के बक्सों द्वारा बोझा रखा गया था जो कि अकस्मात् गर्डरों के पलट जाने से नीचे गिर गया और उसके फलस्वरूप १२ मजदूरों को चोट आई जिनमें से दो की अस्पताल में मृत्यु हो गई। मृत व्यक्तियों के नाम थे:—

(१) श्री बुद्धासिंह पुत्र श्री रामधन,

(२) श्री छोटे पुत्र जुम्मन।

दोनों व्यक्तियों के शवों के पोस्टमार्टम के उपरान्त उनके परिवार वालों को दे दिये गये। शेष व्यक्ति सकुशल हैं।

नत्थी 'ख'

(देखिए नियम ३९ (२) के तारांकित प्रश्न ३१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६१० पर।)

सूची

क्रमांक	नाम काश्तकार	सकूनत	प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए या नहीं	गांव के अथवा बाहर के	भूमिहीन या नहीं	प्रधान से सम्बन्ध
१	२	३	४	५	६	७
१	श्री जगदीश चन्द्र फखरपुर	बरेवा	हां	गांव के	भूमि है	नहीं
२	श्री राम प्रसाद कुल्ला ..	,,	,,	,,	,,	,,
३	श्री कन्ही सिंह, महाबीर ..	,,	,,	,,	,,	,,
४	श्री भोला	,,	,,	,,	भूमिहीन	,,
५	श्री मुन्शी लाल ..	,,	,,	,,	,,	,,
६	श्री अजुद्धी, सूबेलाल, रग्धा	,,	,,	,,	भूमि है	,,
७	श्री परमसुख पुत्ती लाला भूरा	,,	,,	,,	,,	,,
८	श्री रामभरोसे, ठाकुर प्रसाद भाऊ, भजनलाल ..	,,	,,	,,	,,	,,
९	श्री सीताराम ..	,,	,,	,,	भूमिहीन	,,
१०	श्री मचलू	,,	,,	,,	,,	,,
११	श्री राम औतार बिस्सा ..	,,	,,	,,	,,	,,
१२	श्री महादेव, बच्चीलाल छम्भी लाल	,,	,,	,,	भूमि है	,,
१३	श्री श्याम लाल, रामस्वरूप कन्हैयालाल ..	,,	,,	,,	,,	,,
१४	श्री पोहकर, भोजीलाल, इन्दल	,,	,,	,,	भूमिहीन	,,
१५	श्री बच्चीलाल, राजकुमार, भय्यालाल, दरशनलाल ..	,,	,,	,,	,,	,,
१६	श्री नन्हू, श्रीराम ..	,,	,,	,,	,,	,,
१७	श्री रामेश्वर ..	,,	,,	,,	,,	,,
१८	श्री शंकरलाल ..	,,	,,	,,	,,	,,
१९	श्री मिडई लाल ..	,,	,,	,,	,,	,,
२०	श्री अमरी ..	मटकापुर हाल	,,	बाहर	,,	,,
२१	श्री रामभरोसे ..	फखरपुर	,,	गांव के	,,	,,
२२	श्री गजराज ..	,,	,,	,,	भूमि है	,,
२३	श्री पीतम, सालिगराम, रामपाल सिंह ..	,,	,,	,,	भूमिहीन	,,
२४	श्री प्रभूदयाल ..	,,	,,	,,	भूमि है	,,
२५	श्री गया प्रसाद ,प्रताप ..	,,	,,	,,	भूमिहीन	
२६	श्री मंगली, लालता, गेंदनलाल	,,	,,	,,	,,	,,
२७	श्री मूलचन्द्र, नत्था गोपी, छिदा धनीराम, सुधारी ..	,,	,,	,,	,,	,,

१	२	३	४	५	६	७
२८	श्री छम्मीलाल ..	,,	,,	,,	,,	,,
२९	श्री शंकरलाल ..	,,	,,	,,	,,	,,
३०	श्री मोहनलाल, बुद्धा ..	,,	हां	,,	भूमिहीन	,,
३१	श्री पराग, बाबू ..	,,	,,	,,	भूमि है	,,
३२	श्री सूबेला, मनीराम ..	,,	,,	,,	भूमिहीन	,,
३३	श्री रामकुमार, गज्जा ..	,,	,,	बाहर	,,	,,
३४	श्री रामेश्वर, बारापुर, मजरा जनखत ..	,,	,,	गांव के	,,	,,
३५	श्री ठाकुर, बाबूराम मनीराम	फखरपुर	हां	गांव के	भूमिहीन	नहीं
३६	श्री बृजभूषणलाल, राजेन्दर	,,	,,	,,	,,	,,
३७	श्री महादेव ..	,,	,,	,,	,,	,,
३८	श्री मौजीलाल ..	,,	,,	,,	,,	हां
३९	भभूती, मौजीलाल ..	,,	,,	,,	,,	,,
४०	परमसुख, भूरा, पुत्तीलाल ..	,,	,,	,,	,,	नहीं
४१	श्री ओमप्रकाश, भेवालाल, कृष्णकुमार ..	,,	,,	,,	,,	,,
४२	श्री राजकुमार, सेवकराम ..	,,	,,	,,	,,	,,
४३	श्री रामलाल ..	,,	,,	,,	भूमि है	,,
४४	श्री पुस्तामसी ..	,,	,,	,,	भूमिहीन	,,
४५	कल्लू ..	,,	,,	,,	,,	,,
४६	श्री फकीरे ..	,,	,,	,,	भूमि है	,,
४७	श्री फूंदीलाल, हरिश्चन्द्र ..	,,	,,	,,	भूमिहीन	,,
४८	श्री राम भरोसे ..	,,	,,	,,	,,	,,
४९	श्री मुन्शीलाल, रामभरोसे	,,	,,	,,	भूमि है	,,
५०	श्री साहबरन ..	,,	,,	,,	,,	,,
५१	श्री मौजीराम, धनीराम ..	,,	,,	,,	भूमिहीन	,,
५२	श्री रामपाल सिंह ..	,,	,,	,,	भूमि है	,,
५३	श्री गुरदयाल ..	,,	,,	,,	भूमिहीन	,,
५४	श्री सुमेर ..	,,	,,	,,	,,	,,
५५	श्री सुन्दरलाल ..	जनेरी	,,	बाहर	,,	,,
५६	श्री साखनलाल ..	फखरपुर	,,	गांव के	,,	,,
५७	श्री धनीराम, रामपाल, बाबू राम ..	,,	,,	,,	,,	,,
५८	श्री भजनलाल, हरिश्चन्द्र, मुरली, फूलसिंह	,,	,,	,,	भूमि है	,,
५९	श्री फकीरे ..	,,	,,	,,	भूमिहीन	,,
६०	श्री गज्जा ..	,,	,,	,,	भूमि है	,,
६१	श्री लल्हू, छेदालाल ..	,,	,,	,,	भूमिहीन	,,
६२	रामलाल, सुन्दरलाल ..	जनेरी	,,	बाहर	भूमि है	,,
६३	श्री रिडईलाल ..	फखरपुर	,,	गांव के	भूमिहीन	,,
६४	श्री हबुद्दीन, बसारद, बसीर मोहम्मद	,,	,,	,,	,,	,,

नत्थी 'ग'

[देखिए नियम ३९ (२) के तारांकित प्रश्न ४२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६१३ पर]

क्रम-संख्या	शिक्षा वर्ष १९६४–६५ में आजमगढ़ जिले में तैनात प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों के नाम	उनके द्वारा वर्ष १९६४–६५ में अपने क्षेत्र के दो-दो बार निरीक्षण किए गए स्कूलों का संख्या
१	श्री श्रीनारायन उपाध्याय	५४
२	श्री त्रिवेणी प्रसाद सिंह (प्रथम)	५२
३	श्री विश्राम यादव	२३
४	श्री शिव बाबू लाल	४५
५	श्री पन्नालाल	४५
६	श्री कपिलदेव सिंह	४९
७	श्री दयाशंकर	३९
८	श्री जगदीश तिवारी	५
९	श्री परमानन्द सिंह	४४
१०	श्री ध्रुवनाथ दूबे	४४
११	श्री लालजी लाल	३०
१२	श्री भृगुनाथ प्रसाद	३०
१३	श्री भानुप्रताप राय	२५
१४	श्री सिंहासन राय	११
१५	श्री देवेन्द्र सिंह	३९
१६	श्री राम रतन राय	३८
१७	श्री मुक्तेश्वर सिंह	३९
१८	श्री शम्भूसिंह	३६
१९	श्री जान्हवी दत्त मिश्र	३५
२०	श्री त्रिवेणी प्रसाद सिंह द्वितीय	१९
२१	श्री द्वारिका नाथ राय	३५
२२	श्री राम विकल सिंह	३०
२३	श्री ध्रुवदत्त पांडेय	३३
२४	श्री प्रभुनाथ राय	२९
२५	श्री गनेश सिंह	३२
२६	श्री झारखंडे राय	..
२७	श्री रमाशंकर सिंह	५३
२८	श्री सच्चिदानन्द श्रीवास्तव	५
२९	श्री रामसुमेर दूबे	३४
३०	श्री सुरेन्द्रनाथ श्रीवास्तव	६

नत्थी 'घ'

[देखिए नियम ३९ (२) के तारांकित प्रश्न ५१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६१५ पर]

जिला गोरखपुर में फरेंदा--धानी सड़क की प्रगति के बारे में सूचना

कार्य	प्रगति
स्थाई तथा अस्थाई भूमि का अधिग्रहण ..	कुछ मकान एवं कुएं को छोड़कर भूमि उपलब्ध हो चुकी है।
मिट्टी का कार्य	मील २–३–० से ३–३–० के हिस्से को छोड़कर सभी मीलों में काम समाप्त हो चुका है। यह लम्बाई प्रस्तावित पुल को एप्रोच रोड के निर्माणार्थ छोड़ी गई है।
पुलियों का कार्य	सभी पुलियां बन चुकी हैं।
सोलिंग कोट कंकर	सोलिंग कोट मील २–३–० से ३–३–० को छोड़कर सभी मीलों में कुट चुका है ।
इन्टर कोट कंकर	इन्टर कोट मील २–३–० से ३–३–० को छोड़कर सभी मीलों में कुट चुका है।
टाप कोट	मील २–३–० से ३–३–० तथा ५–३–० से ६–०–० को छोड़कर सभी मीलों में कुट चुका है।

पुल की प्रगति

१--चार में से तीन स्थानों पर ट्रायल बोरिंग किया जा चुका है।

२--दो कुओं के स्थान पर मिट्टी को खुदायी पानी की सतह तक बैल कर्ब ढालने के लिए हो चुकी है।

३--एक कटिंग एज बन चुका है।

४--बालू सप्लाई के टेन्डर हो गए हैं।

५--पत्थर की रोड़ी तोड़ी जा रही है।

६--सीमेंट उपलब्ध है ।

७--ईटों का परमिट लिया जा चुका है।

८--स्टील की सप्लाई का प्रबन्ध किया जा रहा है।

९--स्थाई एवं अस्थाई भूमि के लिए आवश्यक कागजात मार्च, १९६६ के अन्त में जिला अधिकारी को भेज दिए गए हैं।

नत्थी 'ङ'

[देखिए नियम ३६ (२) के तारांकित प्रश्न ५२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६१५ पर]

प्लाटों का नीलाम ग्रामवार विवरण

क्रमांक	ग्राम	संख्या प्लाट	प्लाट की नीलाम धनराशि	धन जो वसूल हुआ	शेष धनराशि	धन जो पंचायत कोष में जमा हुआ	अन्य विवरण
१	२	३	४	५	६	७	८
१	तरौली शुमाली	४१	५,७४५-००	५,५६०-००	१५५-००	५,५६०	
२	तरौली जनूबी	४	६५५-००	६५५-००	..	५८६.५०	६५-५०
३	चौमुहा ..	५६	७,६०५-००	७,८४५-००	६०-००	७,८४५.००	ग्राम समाज
४	हातिया ..	४४	१,६४७-००	१,६४७-००	..	१,६४७.००	फण्ड में जमा
५	हताना ..	५	२५०-००	२५०-००	..	२५०.००	हुआ
६	गिडोह ..	१४	८०५-००	८०५-००	..	८०५.००	
७	बठैन कलां	५१	१,५७७-००	१,५७७-००	..	१,५७७.००	
८	जगराला	४	३०५-००	३०५-००	..	३०५.००	
६	बरसाना	३६	४,०५५-००	३,६३५-००	४२०-००	३,६३५.००	
	योग ..	२४८	२२,६४४-००	२२,३०६-००	६३५-००	२२,२४३.५०	६५.५०
१०	नरी ..						
११	सेई						
१२	कमई ..						
१३	सहार ..						
१४	पगांव ..	इनमें कोई आबादी का प्लाट नीलाम नहीं हुआ तथा कोई धन पंचायत बेंच कोष					
१५	फालेन ..	में जमा नहीं किया गया					
१६	बुखरारी						
१७	कामर ..						
१८	शेरगढ़ ..						
१६	महराना						

नोट—तरौली शुमाली तथा तरौली जनूबी दो भिन्न-भिन्न ग्राम हैं अतः दोनों की सूचना सम्मिलित कर दी गई है

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६१८ पर)

संख्या २७५४/१५–ई०—१४५०/१००-१९६४

प्रेषक,

श्री एच० एस० सौढी,

सहायक सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश,

इलाहाबाद।

शिक्षा (ई) विभाग

दिनांक, लखनऊ, २३ अगस्त, १९६५

विषय:—चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अधीन अग्रिम कार्यवाही के अन्तर्गत अंशकालिक अध्यापक पुस्तकालयाध्यक्ष का प्रशिक्षण।

महोदय,

मुझे आपका ध्यान शासनादेश संख्या ६१५/१५–ई०—१४५०(१००)१९६४, दिनांक ३ मार्च, १९६५ की ओर आकृष्ट करते हुए यह कहने का निदेश हुआ है कि जैसा कि उक्त पत्र में संकेत किया गया था यह निश्चय किया गया है कि २०० उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में से प्रत्येक में जिन्हें पुस्तकालयों के विकास के लिए १,५०० रु० का अनावर्तक अनुदान स्वीकार किया गया था एक प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक को चालू वित्तीय वर्ष में पुस्तकालयाध्यक्ष का प्रशिक्षण दिया जायगा। यह प्रशिक्षित पुस्तकालयाध्यक्ष इसके उपरान्त अपने विद्यालयों में अंशकालिक पुस्तकालयाध्यक्ष नियुक्त किये जायेंगे। इनके वर्तमान कार्यभार में आधा कर दिया जायेगा, जिससे वे पुस्तकालय के कार्य को भी देख सकें।

२—प्रशिक्षण दो केन्द्रों पर दिया जायगा। एक केन्द्रीय राज्य पुस्तकालय, इलाहाबाद से तथा दूसरा मोतीलाल स्मारक सोसाइटी, लखनऊ द्वारा संचालित आचार्य नरेन्द्रदेव पुस्तकालय, लखनऊ से सम्बद्ध होगा जिन्हें आवश्यक अनुदान प्रदान किया जायगा। दोनों केन्द्रों में प्रत्येक चालू वित्तीय वर्ष में तीन महीने की अवधि की अध्यापक पुस्तकालाध्ययक्ष प्रशिक्षण के दो पाठ्य-क्रम चलायेगा जो इस उद्देश्य के लिए भारत सरकार द्वारा नियुक्त वर्किंग ग्रुप द्वारा तैयार किये गये पाठ्य क्रम के अनुरूप होगा जिसे आपको भी शासनादेश संख्या ७३०/१५–ई०—१४५०(१००)६४, दिनांक ११ मार्च, १९६५ के साथ अग्रसारित किया जा चुका है। प्रत्येक पाठ्य-क्रम में ५० अध्यापक प्रशिक्षार्थी लिये जायेंगे।

३—सहायता प्राप्त विद्यालय के अध्यापकों को जो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं उन्हें प्रशिक्षण काल की अवधि में कार्यरत समझा जायेगा। अतः उन्हें उनके स्कूलों द्वारा सामान्य वेतन तथा भत्ता मिलेगा। उन्हें उनके स्कूलों द्वारा निर्धारित दरों से यात्रा भत्ता भी दिया जायगा तथा इस मद पर हुए व्यय को राजकीय अनुदान के निर्धारण हेतु स्वीकृत व्यय समझा जायगा। अध्यापक प्रशिक्षार्थी, प्रशिक्षणकाल में दैनिक भत्ते के स्थान पर ३० रु० प्रतिमास की दर से राजकीय क्षतिपूर्ति भत्ता भी प्राप्त कर सकेंगे। राजकीय विद्यालयों के अध्यापक जो प्रशिक्षण पायेंगे वे निर्धारित दर से यात्रा भत्ता पाने के अधिकारी होंगे, तथा उन्हें प्रशिक्षण के पूरे अवधि के लिए ३० रु० प्रतिमास के दर से क्षतिपूर्ति भत्ता भी मिलेगा। प्रशिक्षण की अवधि में दैनिक भत्ता नहीं मिलेगा। लखनऊ तथा इलाहाबाद से आने वाले प्रशिक्षार्थी क्षतिपूर्ति भत्ते के अधिकारी नहीं होंगे। प्रशिक्षण के लिए भेजे गये अध्यापकों के स्थान पर राजकीय अथवा सहायता प्राप्त विद्यालयों में किसी अन्य अध्यापक की नियुक्ति नहीं होगी।

४--उपर्युक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम को जो चतुर्थ पंचवर्षीय आयोजना के आलेख्य में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापक पुस्तकालयाध्यक्षों के प्रशिक्षण की योजना के लिए अग्रिम कार्यवाही स्वरूप है, राज्यपाल आप को वर्तमान वित्तीय वर्ष में दो अध्यापक प्रशिक्षण केन्द्रों के संस्थापन हेतु संलग्न तालिका में उल्लिखित कर्मचारिगण तथा व्यय के अन्य मदों पर ४४,००० रु० तक व्यय करने का अधिकार देते हैं।

५--मुझे इसके अतिरिक्त यह कहने का निदेश हुआ है कि डायरेक्टर, रिसोर्स परसन्स, होस्टल सुपरिन्टेंडेंट, क्लर्क तथा टाइपिस्ट के अंशकालिक पदों पर जिनका ब्योरा संलग्न तालिका में दिया हुआ है यदि सरकारी कर्मचारियों पर नियुक्ति होती है तथा राजकीय विद्यालयों के अध्यापक प्रशिक्षार्थियों के सम्बन्ध में राज्यपाल को निम्नलिखित स्वीकृति प्रदान की जाती है :

(१) फाइनेंशियल हैन्डबुक, खंड दो, भाग दो, के अन्तर्गत फन्डामेंटल रूल संख्या ४६ (ख) के अन्तर्गत डायरेक्टर को ४०० रु० तथा रिसोर्स परसन को प्रति पाठ्यक्रम की दर से २५० रु० का मानदेय।

(२) फन्डामेंटल रूल ४४ के अन्तर्गत छात्रावास के अध्यक्ष को मकान किराया भत्ता जो वेतन के दस प्रतिशत की दर से होगा, किन्तु ३० रु० प्रतिमास से अधिक न होगा, प्रतिबन्ध यह है कि उनका निवास-स्थान छात्रावास के निकट हो।

(३) फन्डामेंटल रूल ९(६) (ख) (१) के अन्तर्गत राजकीय विद्यालयों के अध्यापकों के प्रशिक्षण अवधि को कार्यरत माने जायेंगे तथा वे वही वेतन प्राप्त करेंगे जो यदि वे प्रशिक्षण के लिए न भेजे जाते तो पाते किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वे प्रशिक्षण काल के पूर्व अथवा पश्चात् कार्यभार ग्रहण काल के अधिकारी न होंगे।

६--यह व्यय चालू वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक के "२८--शिक्षा--योजना -ख-माध्यमिक--अराजकीय माध्यमिक विद्यालयों को प्रत्यक्ष अनुदान, --लड़के,--अन्य विद्यालय--(१९) क्रैश प्रोग्राम के अन्तर्गत उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के पुस्तकालयों का विकास" शीर्षक के अन्तर्गत होगा।

भवदीय,

(ह०) एच० एस० सौढी
सहायक सचिव,

वित्त विभाग

संख्या २७५४(१) --१५-ई० दिनांक

प्रतिलिपि महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

(ह०) हरिकृष्ण
सहायक सचिव

अध्यापक पुस्तकालयाध्यक्ष के प्रशिक्षण के लिये दो केन्द्रों में से प्रत्येक के लिये स्वीकृत कर्मचारीगण तथा व्यय की तालिका

१—प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए कर्मचारिगण तथा व्यय—

(१) ४०० रु० प्रति पाठ्यक्रम की दर से १ अंशकालिक निर्देशक को मानदेय।

(२) २५० रु० प्रति व्यक्ति प्रति पाठ्यक्रम की दर से दो अंशकालिक रिसोर्स परसन्स को मानदेय।

(३) ५० रु० प्रतिमास की दर से एक अंशकालिक लिपिक को मानदेय।

(४) ५० रु० प्रतिमास की दर से एक अंशकालिक टाइपिस्ट को मानदेय।

(५) एक पूर्णकालिक नौकर रु० २७—१/२—३२ वेतनक्रम पर तथा महंगाई व अन्य भत्ता जो समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये आदेशों के अन्तर्गत स्वीकार किया जायगा।

(६) सहायता प्राप्त विद्यालयों के अध्यापक प्रशिक्षार्थियों को दैनिक भत्ता के स्थान पर ३० रु० मासिक दर से प्रतिपूर्ति भत्ता।

(७) आकस्मिक व्यय ७५० रु० प्रति पाठ्यक्रम की दर से। शासन को इसके विवरण भेजे जायं।

२—छात्रावास हेतु कर्मचारिगण तथा उस पर व्यय:—

(१) एक छात्रावास अध्यक्ष वेतन के दस प्रतिशत की दर से मकान किराया भत्ता जो रु० ३० प्रतिमास से अधिक न होगा, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि वे छात्रावास के निकट रहें।

(२) एक पूर्णकालिक चौकीदार रु० २७—१/२—३२ के वेतन क्रम पर तथा महंगाई व अन्य भत्ते जो समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकार किये जायं।

(३) फर्नीचर उपकरण तथा सामग्री के क्रय के लिए ३,००० रु० अनावर्त्तक अनुदान। शासन को विवरण भेजे जायं।

(४) छात्रावास भवन का किराया ७५० रु० प्रतिमास की दर से।

(५) छात्रावास के लिए आकस्मिक व्यय १०० रु० प्रतिमास की दर से शासन को विवरण भेजे जायं।

ह० एच० एस० सौढी,
सहायक सचिव।

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या १३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६२० पर)

क्रम-संख्या	नायब तहसीलदारों के नाम	तहसीलों के नाम जहां वे कार्य कर रहे हैं	सम्बन्धित पद पर कार्य करने की तिथि
१	श्री एम० ए० खां, मकनयां ..	अकबरपुर ..	१-७-१९६४
२	श्री आर० एस० पांडे ..	अकबरपुर ..	२२-६-१९६५
३	श्री जुगराज सिंह ..	बिल्हौर ..	१२-८-१९६५
४	श्री वी० एन० पांडेय ..	बिल्हौर ..	३-१०-१९६४
५	श्री लाल जी सिंह ..	बिल्हौर ..	४-१०-१९६३
६	श्री आर० सी० दीक्षित ..	भोगनीपुर ..	७-७-१९६४
७	श्री आर० पी० बहादुर सिंह	घाटमपुर ..	४-८-१९६४
८	श्री राजेन्द्र सिंह ..	घाटमपुर ..	२४—६-१९६५
९	श्री अजब सिंह ..	कानपुर सदर ..	२-१०-१९६५
१०	श्री वी० पी० उपाध्याय ..	कानपुर सदर ..	३१-५-१९६५
११	श्री प्रभु दयाल मिश्र ..	देरापुर ..	११-६-१९५

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न १९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६२१ पर)

प्रश्न १९ से संबंधित ग्रामों की सूची

क्रम-संख्या	नाम ग्राम	परगना
१	बेहटा तमरसेपुर	भिटौली
२	पण्डरी कलां	भिटौली
३	बड़ागांव	भिटौली
४	पिपरी	भिटौली
५	कुसवातास	भिटौली
६	बल्लोपुर	भिटौली
७	पर्वतपुर	भिटौली
८	नरौली	भिटौली
९	बनियापारा	भिटौली
१०	अशरफपुर	भिटौली
११	अकौना	भिटौली
१२	अहवा	भिटौली
१३	विधौला	भिटौली
१४	खुज्झी	भिटौली
१५	उधिया	भिटौली
१६	रैंकोलवा	भिटौली
१७	सरसण्डा	भिटौली
१८	जमका	भिटौली
१९	परसरामपुर	भिटौली
२०	फाजिलपुर	भिटौली
२१	कुसौरा	भिटौली
२२	कुड़ौन	भिटौली
२३	पूरनपुर	भिटौली
२४	भिटौली	भिटौली
२५	तप्पेसिपाह	बदोसराय
२६	धोखरिया	बदोसराय

नत्थी 'झ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ३७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६२५ पर)

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गैर अध्यापक कर्मचारियों की मांगें

१—विश्वविद्यालय के सेवा निवृत्त कर्मचारियों को पुराने सिटी एलाउन्स तथा मंहगाई भत्ते के भुगतान।

२—बुनियादी मंहगाई भत्ते को उसी तिथि से जब से राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए किया है, प्राविडेन्ट फन्ड की सुविधा के लिए वेतन में सम्मिलित किया जाय।

३—पारिवारिक सदस्यों को भी चिकित्सा सुविधा दी जाय।

४—वेतन-क्रम का पुर्नानिर्धारण।

५—सेवा नियम बनाये जांय।

६—एथलेटिक एसोसियेशन के कर्मचारियों को विश्वविद्यालय का कर्मचारी समझा जाय।

७—कुल चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को क्वार्टर दिये जायं या उसके बजाय मकान किराया दिया जाय।

८—चौकीदार तथा मालियों को साप्ताहिक छुट्टी दी जाय।

९—बुक लिफ्टर्स, लेब बिअरर्स, स्टाफ आफ गैस प्लाट एवं साइंस कुलियों को टेकनिकल श्रेणी का कर्मचारी समझा जाय तथा उनको टेकनिकल का वेतन-क्रम देना स्वीकार किया जाय।

१०—उपार्जित अवकाश को समाप्त न करके अन्य वर्ग के कर्मचारियों की भांति चतुर्थ वर्ग के भी कर्मचारियों को भी सुरक्षित रखा जाय।

११—विश्वविद्यालय होस्टल्स के कहार तथा ग्राडेन कुली इत्यादि को स्थायी किया जाय तथा विश्वविद्यालय के अन्य कर्मचारियों की भांति ही समझा जाय।

१२—मिनीस्टोरियल कैडर में अन्य तथा निम्न पदों का अनुपात निश्चित किया जाय।

१३—चतुर्थ श्रेणी के अस्थायी कर्मचारियों को नगर भत्ता २ रुपये से बढ़कर ५ रुपये कर दिया जाय।

१४—चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के उक्त वेतन क्रम में स्थानापन्न नियुक्ति का अवसर मिले।

१५—नगर भत्ता तथा मकान भाड़ा सरकारी दरों के अनुसार विश्वविद्यालय के समस्त कर्मचारियों को दिया जाय।

१६—सरकार द्वारा १-८-६५ से दिये गये तदर्थ बढ़ौत्तरी का भुगतान किया जाय।

१७—उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भविष्य में मंहगाई भत्ते आदि में जो वृद्धि हो उसे तुरन्त लागू किया जाय।

१८—चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को, शासन की भांति १—४—५५ से वेतन में दो रुपये प्रतिमाह की बढ़ोत्तरी की जाय।

नत्थो 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६२७ पर)

प्रेषक,

अध्यक्ष, शिक्षा सुरक्षा समिति,
साबितगढ़ (बुलन्दशहर)

प्रेषित,

गुलजारीलाल नन्दा,
अध्यक्ष, केन्द्रीय भ्रष्टाचार समिति,
नई दिल्ली।

दिनांक ६-१-६६

विषयः---कन्या जूनियर पाठशाला की इमारत साबितगढ़ में बनाने के सम्बन्ध में।

श्रीमान जी,

निवेदन है कि कन्या जूनियर पाठशाला, करौरा की इमारत बनाने के ग्राम साबितगढ़ से साइट सेलेक्शन कमेटी के अनुरोध पर जून/जुलाई, १९६१ ई० में भूमि का दान-पत्र किया गया था। उसी समय उसी भूमि का हस्तान्तरण शिक्षा विभाग ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के लिए कर दिया था। भूमि का हस्तान्तरण होने के बाद ए० आर० जैन, जिला इन्जीनियर, बुलन्दशहर के द्वारा इस पाठशाला का साइट प्लान बना कर तैयार कर दिया गया था। अब तक इसी साइट प्लान पर कार्यवाही होती रही है। तथा अगस्त, १९६४ में इस प्लान पर इस्टीमेट भी बना है।

करौरा गांव में भी १९६१ ई० में ही बिना साइट सेलेक्शन कमेटी के चुनाव पर पाठशाला के भवन निर्माण के लिए भूमि का दान-पत्र किया गया था। लेकिन करौरा की यह भूमि पाठशाला की इमारत बनाने के लिए उचित नहीं है। क्योंकि यहां सड़क और आबादी से दूर है। जहां समीपवर्ती गांव से लड़कियों का पहुंचना बहुत कठिन है। इसी स्थान पर लड़कों का एक इन्टर कालेज है जिसकी वजह से पाठशाला की इमारत दूर होना अति आवश्यक है।

साबितगढ़ में पाठशाला के लिए भूमि, सड़क तथा आबादी के समीप है जहां समीपवर्ती गांवों से लड़कियों का आना काफी सुविधाजनक रहेगा। इन्हीं सुविधाओं के कारण साइट सेलेक्शन कमेटी ने इस भूमि का चुनाव किया था। लेकिन अब शिक्षा विभाग बुलन्दशहर करौरा की ही अनुचित भूमि पर पाठशाला की इमारत बनाना चाहता है। हम समीपवर्ती गांवों के प्रधानों ने एक प्रार्थना-पत्र शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भेजा है कि जनता की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए पाठशाला की इमारत साबितगढ़ में ही बनायी जाय लेकिन शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने हमारी प्रार्थना-पत्र पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है।

अतः आप से निवेदन है कि इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को स्पष्ट से स्पष्ट जांच करने का कष्ट करेंगे कि जब साइट सेलेक्शन कमेटी ने साबितगढ़ इमारत के लिए स्थान का चुनाव कर भूमि का दान-पत्र कराया है तो फिर अब करौरा गांव में अनुचित स्थान पर इमारत का निर्माण-कार्य करने की कार्यवाही क्यों की जा रही है।

पत्र को प्राथमिकता दे कर कृतार्थ करेंगे। धन्यवाद।

नत्थी 'ट'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६३२ पर)

प्रश्न सं० ६६ के उत्तर में उल्लिखित तालिका

बलिया जिला परिषद् को वित्तीय वर्ष, १९६३–६४ व १९६४–६५ में योजना संख्या ६११२८ के अन्तर्गत विभिन्न मदों में दिये गये अनुदानों का विवरण।

क्रम-संख्या	जिला	संस्था का नाम	जिसके द्वारा संचालित है	वर्ष	अनुपालन अनुदान	अतिरिक्त मंहगाई भत्ता	भवन अनुदान	काष्ठोपकरण एवं सज्जा विवरण अनुदान
१	बलिया	सीनियर बेसिक बालिका स्कूल, पिपरा कलां।	जिला परिषद्	६३–६४	२,५६८	..	..	५६२
				६४–६५	२,५६८	२४०	..	..
२	,,	सीनियर बेसिक बालिका स्कूल, बरौली।	,, ..	६३–६४	२६४	..	१५,०००	१,१२५
				६४–६५	१,५१२	२४०	..	५६२
३	,,	सीनियर बेसिक बालिका स्कूल, गौठावली।	,, ..	६३–६४	२६४	..	१५,०००	१,१२५
				६४–६५	१,८७२	२४०	..	५६२
४	,,	सीनियर बेसिक बालिका स्कूल, बेल्हारी।	,, ..	६३–६४	..	..	१५,०००	१,१२५
				६४–६५	१,५६०	१२०	..	५६२
५	,,	सीनियर बेसिक बालिका स्कूल, करथानपुर।	,, ..	६४–६५..	३७२	२५	१५,०००	१,१२५

नत्थी 'ठ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६३२ पर)

(क) बड़ागांव ब्लाक वाराणसी में लड़कियों की शिक्षा हेतु जहां-जहां इमारतों का निर्माण कराया गया है —

(१) राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल, बड़ागांव।

(ख) बड़ागांव ब्लाक वाराणसी में लड़कियों की शिक्षा हेतु जहां-जहां इमारतों का निर्माण कराया जा रहा है:—

(१) कन्या प्राइमरी स्कूल, बड़ागांव के पास अध्यापिकाओं का आवास-गृह।
(२) कन्या प्राइमरी स्कूल कठिरांव के पास अध्यापिकाओं का आवास-गृह।
(३) कन्या प्राइमरी स्कूल, ताड़ी का भवन।
(४) कन्या प्राइमरी स्कूल, हसनपुर का भवन।

नत्थी 'ड'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८० का उत्तर पीछे पृष्ठ ६३५ पर)

प्रथम सत्र १९६६ के ८ वें शुक्रवार के लिये निर्धारित श्री रामेश्वरनाथ चौबे द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ८० के उत्तर में उल्लिखित सूची

स्थायी

१ श्री बद्री नाथ सिंह
२ श्री देव नरायन
३ श्री राम शंकर
४ श्री भगवती प्रसाद
५ श्री सालिक राम
६ श्री हर नारायन लाल
७ श्री अयोध्या प्रसाद
८ श्री राम दुलारे
९ श्री श्याम बिहारी
१० श्री सूरज बली
११ श्री शिव शंकर
१२ श्री त्रिलोकी नाथ
१३ श्री शिव चरन लाल
१४ श्री राम स्वरूप
१५ श्री गिरजा शंकर
१६ श्री शम्भूदयाल
१७ श्री सुन्दरलाल यादव
१८ श्री काली चरन
१९ श्री बजरंग बली
२० श्री राम बरदान सिंह
२१ श्री जैकरन नाथ
२२ श्री दयाशंकर सिंह
२३ श्री शिवनाथ राय
२४ श्री कृष्ण बहादुर
२५ श्री अवध राज सिंह
२६ श्री सुन्दर लाल
२७ श्री श्याम लाल
२८ श्री नरेन्द्र बहादुर सिंह
२९ श्री जगजीवन बक्स सिंह ।

अस्थायी

३० श्री गंगा प्रसाद शुक्ला
३१ श्री राम फेर पान्डे
३२ श्री मंशा राम
३३ श्री धनी राम
३४ श्री भानु प्रताप सिंह
३५ श्री शिव प्रसाद
३६ श्री जैकरन नाथ
३७ श्री महाबीर प्रसाद
३८ श्री कृष्ण कुमार
३९ श्री रामेश्वर प्रसाद यादव
४० श्री बद्री प्रसाद
४१ श्री रमेश प्रसाद ।

नत्थी 'ढ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८३–८४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६३६ पर)

सूची 'क'

व्यय का ब्यौरा		कब-कब व्यय किया गया	
	रु० पै०		रु० पै०
१—नींव	६४,३४०.९५	१९५९-६०	४१,०००.२८
२—सब-स्ट्रक्चर ..	११,३६५.४६	१९६०-६१	१२,४८८.६५
३—सुपर-स्ट्रक्चर ..	१३,७५४८.१६	१९६१-६२	७७,१३९.७६
४—नदी-प्रशिक्षण ..	२४,५०८.७४	१९६२-६३	(–)११७.८२
५—उपकार्य तथा भूमि अध्याप्ति	९,२६१.२७	१९६३–६४	१७,५७९.९२
६—अन्य व्यय ..	१५,७४९.२४	१९६४–६५	२,३७१.५४
	..	१९६५–६६	(–)२९.५१
योग	२,६२,७७३.८२	योग ..	२,६२,७७३.८२

ता० प्र० ८४

सूची 'ख'

वर्ष	आय	व्यय
	रु० पै०	रु० पै०
१–१–६२ से ३१–३–६३ तक	५,०५८.९६	८१२.००
१९६३-६४	११,४६१.०८	७,८५५.४५
१९६४–६५	१०,४८३.०१	११,८७८.३७
१९६५–६६	८,६०१.१७	७,७५८.८०
योग ..	३५,६०४.२२	२८,३०४.६२

नत्थी 'ण'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६३७ पर)

वाराणसी जिले में अर्जित अतिरिक्त भूमि का ब्योरा

नाम तहसील	कब्जा ली गई अतिरिक्त भूमि	अतिरिक्त भूमि के साथ वितरण का ब्यौरा			
		भूमिहीन मजदूरों के साथ		अन्य काश्तकारों के साथ	
		संख्या	क्षेत्रफल	संख्या	क्षेत्रफल
१	२	३	४	५	६
	एकड़				
वाराणसी ..	२१४	१०४	९७	४९	६८
चन्दौली ..	३१	२०	१५	६	८
ज्ञानपुर ..	७९	३५	२४	४२	१२
चकिया	८८	४७	३७	२६	७
	४१२	२०६	१७३	१२०	९५

नत्थी 'त'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६३८ पर)

सूची

	कर्मचारियों की कुल संख्या	हाई कास्ट कर्मचारियों की संख्या	हरिजन कर्मचारियों की संख्या	पिछड़ी जाति के कर्मचारियों की संख्या
	१	२	३	४
कलेक्टरी रेगुलर अधिष्ठान				
तृतीय वर्ग	१२८	१२०	५	३
चतुर्थ वर्ग	१६६	११२	१५	३९
योग ..	२९४	२३२	२०	४२
संग्रह विभाग				
तृतीय वर्ग	१६८	१५७	३	८
चतुर्थ वर्ग	१३४	८५	२२	२७
	३०२	२४२	२५	३५
जेड० ए० सी० विभाग				
	१०	१०	..	..

(देखिये तारांकित प्रश्न ९१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६३८ पर।)

क्रमांक	नाम लेखपाल	क्षेत्र का नाम	नाम तहसील
१	श्री दान बहादुर लाल	.. मझम्बा कुरथुवा ..	उतरौला
२	श्री छेदी लाल	.. गजपूर पाठ ..	,,
३	श्री राम कुंवर	.. बाँछ भवानीपुर ..	,,
४	श्री मुहम्मद याकूब	.. बन्बरिया ..	,,
५	श्री सुमान अली	.. सलया मदनपुर	,,
६	श्री मोहम्मद नसीर	.. चमरूपुर ..	,,
७	श्री भगवान दत्त	.. छपिया ..	,,
८	श्री मोहम्मद मुस्तफा	.. बिरदाबनिया भारी	,,
९	श्री बलराम दास	.. शाहपुर इटई ..	,,
१०	श्री लाडली प्रसाद	.. बारम ..	,,
११	श्री मथुरा प्रसाद	.. दौलतपुर माफी ..	,,
१२	श्री अम्बिका प्रसाद	.. पतिजिया बुजुर्ग ..	,,
१३	श्री सांवल प्रसाद	.. जोगीपुर ..	,,
१४	श्री भगवत प्रसाद	.. इटई रामपूर ..	,,
१५	श्री राम बहादुर सिंह	.. मझौब्बा तांग ..	,,
१६	श्री अब्दूल सकूर	.. इटवा खुर्द ..	,,
१७	श्री रशीद अहमद	.. हसुवा डोल ..	बलरामपुर
१८	श्री शिव प्रसाद	.. धबाई ..	,,
१९	श्री पाटेश्वरी प्रसाद	.. बेसिया बैन ..	गोंडा
२०	श्री शिव प्रसाद	.. इसमाईलपुर ..	तरबगंज
२१	श्री हरि हर प्रसाद	.. दौलतपुर ..	,,
२२	श्री ज्ञानेन्द्रीनाथ	.. गोकुला ..	,,
२३	श्री राजेन्द्र प्रसाद	.. बिशुनपुर ..	,,

नत्थी 'द'

(देखिये अतारकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६४३ पर।)

लेखपालों के नाम

सर्व श्री महादेव प्रसाद, रघुनाथ प्रसाद, राधाकृष्ण, शिवराज सिंह, कुंवर लाल, चेतराम, बसीटे बाज, अम्बिका प्रसाद, महावीर प्रसाद, वीरेन्द्र कुमार, प्रभु दयाल, राजा सिंह, हरनाम सिंह, छोटा प्रसाद, राम शंकर, नागेश्वर प्रसाद, काशी प्रसाद और विजय बहादुर।

नत्थी 'ध'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ६–७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६४४ पर ।)

विद्यालय का स्तर		कुल राजकीय तथा अराज-कीय विद्यालयों की संख्या	उन राजकीय एवं अराजकीय विद्यालयों की संख्या जिनमें साइंस की व्यवस्था है।
डिग्री कालेज	..	शून्य	शून्य
इन्टर कालेज	..	२६	१७
हाई स्कूल	..	३०	६

अतां० प्र० ७

जिलों के नाम	राजकीय विद्यालय			अराजकीय विद्यालय		
	डिग्री	इन्टर	हाईस्कूल	डिग्री	इन्टर	हाईस्कूल
१	२	३	४	५	६	७
१—गोरखपुर	..	..	..	२	..	२	२
२—देवरिया	..	..	..	..	..	..	२
३—बस्ती	..	..	..	१	..	..	..
४—आजमगढ़	..	..	१	१	..	१	१
५—गोंडा	..	..	१	..	..	..	२
६—बहराइच	..	..	..	१	..	..	..
७—फैजाबाद	..	..	..	१	..	२	३
८—वाराणसी	..	..	१	१	..	३	५
९—गाजीपुर	..	..	..	१	..	..	..
१०—बलिया	..	..	..	..	..	..	१
११—जौनपुर	..	..	..	..	..	..	..
१२—मिर्जापुर	..	..	..	२	..	..	१
१३—सुल्तानपुर	..	..	..	..	..	..	..
१४—प्रतापगढ़	..	..	..	..	..	..	..
योग	..	..	३	१०	..	८	१७

राजकीय तथा अराजकीय संस्थाओं पर क्रमशः १६,२८,४३९ व,१८,७३, ३१४ रुपया आवर्तक एवं २४,४६,८०८ व ५–१६.२५० रुपया अनावर्तक रूप में शासन द्वारा व्यय किया गया।

नत्थी 'न'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६४४ पर ।)

क्रमांक	विद्यालय का नाम	अध्यापिका का नाम	विद्यालय पर कार्य आरम्भ करने की तिथि	वर्षक्रम से प्रदत्त वेतन धन		
				६१–६२	६२–६३	६३–६४	६४–६५
१–क०जू०हा०		श्रीमती सजदेवी नी	१–१०–६१	३५८	२८६	..	..
	स्कूल पिपरा-कलां।	,, जानकी देवी	१–३–६२	..	२७३	..	..
		,, जटाशंकरी देवी	१–७–६३	..	९०४	१४१४	१५३७
		,, कलावती देवी	१–७–६२	..	४७२	७२३	८७९
		,, शारदा देवी	१–७–६३	..	..	६३१	१०२६
		,, विद्यावती देवी	१–७–६४	..	..	..	६१३
२–क० जू० हा०		,, सनकेसरी देवी	२–२–६४	..	..	७२	९०८
	स्कूल गोठहुली	,, राधिका देवी	१–७–६४	..	..	..	६९६
		,, लालता देवी	१–७–६४	..	..	..	६१३
		,, शिवकुमारी देवी	१–७–६४	..	..	..	६१३
३–क०जू० हा०		,, लालमुनि देवी	२–२–६४	..	..	७२	३७७
	स्कूल बरौली	,, कामेश्वरी देवी	२–२–६४	..	..	७२	९०४
		,, मरिया बुरति	१–११–६४	..	..	..	३००
४–क० जू० हा०		,, तारादेवी ..	१–३–६४	..	..	..	७६३
	स्कूल बेलहरी	,, उत्तिमराजीदेवी	१–७–६४	..	..	..	६१३
५–क० जू० हा०		,, कलावती देवी	१–१०–६४	..	..	..	३८३
	स्कूल करमानपुर						
		योग ..		३५८	२०३५	२९८४	१०२२५

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ४४ एल० ए०—१९६६—८६२ ।